लोक-सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी सस्करण

(सातवां सत्र)

6th Lok Sabha

(खंड 26 में अंक 41 से 50 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अंक 48, बुधवार, 2 मई, 1979/12 वैशाख 1901 (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या 950, 951, 954 से 957, और 961 से 963	...	1-18
अल्प सूचना प्रश्न संख्या 4	...	18-23
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या 949, 952, 953, 958 से 960 और 964 से 968	...	24-28
अतारांकित प्रश्न संख्या 9201 से 9303, और 9305 से 9400	...	29-182
सदस्यों की गिरफ्तारी		
(श्री एम. अरुणाचलम तथा श्री एन. के. लिंगम)	...	183
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	...	184
राज्य सभा सेसन देश	...	184
विधेयक पर अनुमति	...	184
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति 33 वां प्रतिवेदन	...	185-186
तारांकित प्रश्न संख्या 228 दिनांक 7-3-79 के सम्बन्ध में अनुपूरक प्रश्नों के उत्तरों में शुद्धी करने वाला वक्तव्य	...	187

किसी नाम पर अंकित यह * चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) राजस्थान के नागौर जिले के ग्राम रोले में व्याप्त स्थिति के बारे में

श्री जी. एम. बनातवाला ... 188

(दो) मैंथॉल पर उत्पाद शुल्क और क्रयकर के हटाने के बारे में उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के किसानों के अभ्यावेदन के बारे में

डा. बसन्त कुमार पंडित ... 188-189

(तीन) श्री सीताराम कोआपरेटिव शूगर लिमिटेड कोट्टाकोटा (विशाखापतनम) के लाइसेंस के नवीकरण के बारे में

श्री पी. राजगोपाल नायडू ... 189-190

(चार) कोयला मजदूरों द्वारा 18 मई, 1979 से प्रस्तावित हड़ताल

श्री रोबिन सेन ... 190-191

(पांच) रायल सीमा, तेलगाना. कर्नाटक और राजस्थान के धनिया का उत्पादन करने वाले किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए धनिया के मूल्य निश्चित करने की आवश्यकता का मामला

श्री दारूर पुलय्या ... 191-193

विपणन वर्ष 1979-80 के लिए तुर (अरहर), मूंग और उड़द के समर्थन मूल्य के बारे में वक्तव्य ... 193

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक

विचार करने का प्रस्ताव

श्री जी. एस. रेड्डी ... 194

श्री रशीद मसूद ... 195-199

श्री नरेन्द्र पी. नथवानी ... 199-201

श्री एम. एन. गोविन्दन नायर ... 201-203

श्री बृजभूषण तिवारी ... 203-206

श्री हलीमुद्दीव अहमद ... 206-211

श्री जी. एम. बनातवाला ... 211-215
श्री कंवरलाल गुप्त ... 215-219
श्रीमती मोहसिना किदवई ... 219-223
श्री रामविलास पासवाल ... 223-226
श्री श्यामनन्दन मिश्र ... 226-231
श्री सोमनाथ चटर्जी ... 231-237
श्री राम जेठमलानी ... 234-238
श्री वयालार रवि ... 238-241
श्री वसन्त साठे ... 241-243
श्री श्री राज नारायण ... 237-249

लोक सभा

बुधवार, 2 मई, 1979/12 वैशाख, 1901 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजकर चार मिनट पर समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तमिलनाडु में माचिस बनाने वाले कुटीर यूनिटों के लिए कच्चे माल की आवश्यकता

*950. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय माचिसें बनाने वाले 2700 कुटीर यूनिटों की कच्चे माल की आवश्यकतायें किस प्रकार पूरी की जाती हैं; और

(ख) क्या जहां तक कच्चे माल का सम्बन्ध है तमिलनाडु में माचिस उद्योग का गैर-मशीनीकृत क्षेत्र इन कुटीर उद्योगों को नष्ट कर रहा है?

उद्योग मन्त्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) (क) इस समय वे सेवा औद्योगिक सहकारी समितियां दियासलाईयों का उत्पादन कर रही है जो या तो तमिलनाडु सरकार द्वारा चलाई जाती हैं अथवा जिनकी प्रबन्ध व्यवस्था खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग अथवा ऐसे संस्थानों एसोसियेशनों के माध्यम से की जाती है जिनके पास, कच्चे माल की अपनी ही व्यवस्था है ।

(ख) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने सूचना दी है कि तमिलनाडु में गैर-यन्त्रीकृत कुछ बड़े एककों ने बिना किसी औचित्य के लकड़ी की तीलियों (स्पलिन्ट) तथा लेप सामग्री (वीनियर्स) के मूल्य बढ़ा दिये हैं, इस प्रकार उन कुटीर दियासलाई एककों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है जो संभरण के लिए उन पर निर्भर करते हैं ।

श्री के० राममूर्ति : अध्यक्ष महोदय, श्रीमती जयलक्ष्मी ने उद्योग मन्त्रालय की अनुदानों की माँगों पर चर्चा के समय यही मामला उठाया था । उन्होंने ये बातें स्पष्टरूप से बतायी थीं कि तमिलनाडु के 'बी' श्रेणी के कुछ दियासलाई निर्माता, विशेषकर 23 परिवार जिनका के.वी.टी.सी. जैसे इस छोटे क्षेत्र और किसी न किसी रूप में सहकारी क्षेत्र को कच्चा माल सप्लाई करने पर नियन्त्रण है, समूचे उद्योग का शोषण करने तथा अपना एकाधिकार स्थापित करने के उद्देश्य से इस छोटे से क्षेत्र को नष्ट कर रहे हैं ।"

आपके माध्यम से मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि के. वी. आई. सी. जैसे छोटे क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र प्रति माह 175 बंडल दियासलाई का उत्पादन कर रहे हैं और जब कि 'बी' श्रेणी के निर्माता जोकि लगभग 23 परिवार हैं, प्रति माह लगभग 52,000 बंडल दियासलाई बना रहे हैं। यह छोटा क्षेत्र कच्चे माल के अभाव में कठिनाई उठा रहा है। यद्यपि यह अर्ध-सरकारी या सहकारी या इसी तरह की एक संस्था है, बी श्रेणी के 52 निर्माताओं को कच्चे माल की निर्बाध सप्लाई की जा रही है। यह कैसे हो रहा है और इस कदाचार के प्रति सरकार का रवैया क्या है ? मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार इस शोषण की उत्पन्न स्थिति को ध्यान में रखकर कार्यवाही करेगी और इस मामले की जांच करने के लिए एक संसदीय समिति गठित करने की मांग स्वीकार करेगी।

श्री जार्ज फर्नांनडिस : मैं नहीं समझता कि इस मामले की जांच करने के लिए एक संसदीय समिति की कोई आवश्यकता है। यह सत्य है कि कुटीर उद्योग आवश्यक कच्चे माल को प्राप्त करने के बारे में कुछ कठिनाई अनुभव कर रहा है। और वे एक ओर तो के. वी. आई. सी. तथा बिमको के बीच तथा दूसरी ओर सरकार के साथ चर्चा कर रहे हैं जिससे यह पता लगाया जा सके कि नए निर्णयों के सन्दर्भ में इस समस्या को किस तरह समाप्त किया जा सकता है जब कि दियासलाई उद्योग का संगठित क्षेत्र, विशेषरूप से बड़े क्षेत्र से अपना उत्पादन कम करने के लिए कहा गया है। ज्योंही कुछ पोषक एककों को, जो के. बी. आई. सी. और कुटीर क्षेत्र को सप्लाई कर सकें, स्थापित करने के लिए बड़ी कम्पनियों के साथ चर्चा पूरी हो जाएगी, त्योंही हम आवश्यक निर्णय लेंगे।

श्री के० राममूर्ति: मन्त्री महोदय ने यह अच्छी तरह बताया है कि वह छोटे क्षेत्र, के.वी.आई.सी. और अन्य सरकारी तथा सहकारी क्षेत्रों को कच्चा माल देने के लिए पोषक एकक, वितरण केन्द्र और अन्य केन्द्र स्थापित करने जा रहे हैं। दियासलाई उद्योग के लिए पोटैशियम क्लोराइड जैसे समूचे कच्चे माल पर बड़े उद्योगों, अर्थात 'विमको' और पाँडियन केमिकल्स, जिसपर तमिलनाडु और अन्य क्षेत्रों में 23 परिवारों का अधिपत्यों का नियन्त्रण है। पैराफिन वैक्स का एक मात्र वितरण-कर्ता पेरी एण्ड कम्पनी है। नीले दियासलाई के कागज की संस्था बिड़ला बन्धुओं की है। अब ओरियन्टल पेपर मिल ही इसका निर्माण कर रही है। अब इसका निर्माण और कोई नहीं कर रहा है। इस स्थिति में 'बी' श्रेणी के निर्माता जैसे मध्यम श्रेणी के लोग छोटे क्षेत्र को समाप्त करना चाहते हैं। उनका कच्चे माल पर नियन्त्रण है। लघु पैमाने के उद्योगों और के. बी. आई. सी. एककों को प्रोत्साहन देने और उन्हें उनके शिकंजे से छुड़ाने की सरकार की क्या नीति है ? यह अत्यावश्यक है कि मैं समझता हूँ कि मन्त्री महोदय को एक संसदीय समिति गठित करने का यह प्रस्ताव स्वीकार करना चाहिए था। परन्तु ऐसी स्थिति में वह इन क्षेत्रों में इस तरह के उत्पादन, कच्चे माल, उत्पादन में एकाधिकार और वितरण को विकेन्द्रित कैसे करने जा रहे हैं ?

श्री जार्ज फर्नांनडिस : मुझे इस समय माचिस के उद्योग में लगने वाले विभिन्न रसायनों के उत्पादन से विकेन्द्रीकरण की कोई सम्भावना नजर नहीं आती है। न ही माचिस उद्योग में लगने वाले कागज के निर्माण के विकेन्द्रीकरण की सम्भावना प्रतीत होती है। तथ्य तो यह है कि इन सभी कठिनाइयों के बावजूद खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र में पिछले दो वर्षों में बहुत प्रगति हुई है।

और माचिस उद्योग के सम्बन्ध में सरकार द्वारा नये वित्तीय ढाँचे के सम्बन्ध में घोषणा से बहुत प्रगति होने की सम्भावना है। मैं जानता हूँ कि अनेक समस्याएं हैं विशेषकर जब हम इस प्रश्न को पहली बार सुलझा रहे है और हम आधारभूत सामग्री के उत्पादन और सप्लाई का उत्तर-दायित्व पहली बार दे रहे हैं। यह समस्याएं हमारे सामने हैं और हम उन्हें सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 95।

(व्यवधान)

इस विषय पर चर्चा हो चुकी है। इस पर बहुत चर्चा हो चुकी है।

श्री के. राममूर्ति : सरकार द्वारा विमको के साथ समझौता हुआ था किन्तु लघु उद्योगों के लिये और बहुत छोटे उद्योगों के साथ नहीं.....

अध्यक्ष महोदय : इस पर पहले बहुत चर्चा हो चुकी है।

श्रीमती वी. जयलक्ष्मी : मैं केवल एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। माननीय मन्त्री महोदय ने अभी बताया है कि वह एकाधिकार गृहों द्वारा उपयोग में लाये जा रहे रसायनों अथवा कच्चा माल का विकेन्द्रीकरण नहीं कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : केवल नीला कागज और रसायन।

श्रीमती वी. जयलक्ष्मी : छोटे-छोटे एककों की आवश्यकता के सभी कच्चे माल पर एकाधिकार गृहों और अर्द्ध-एकाधिकार गृहों का नियन्त्रण है, उदाहरण के तौर पर पोटाशियम क्लोराइड पर विमको वालों का नियन्त्रण है तो ब्लू मेच पेपरों पर ओरिन्टल पेपर मिल्स तथा विरला वालों का तथा लाल फासफोरस पर यूनाइटिड फासफोरस कम्पनी तथा स्टार और एक्सल्स का, और पैराफिन वैक्स पर पैरी और कम्पनी का नियन्त्रण था।

अध्यक्ष महोदय : इस बात पर भी विस्तृत रूप से चर्चा हो चुकी है।

श्रीमती वी. जयलक्ष्मी : मैं माननीय मन्त्री से स्पष्ट रूप से जानना चाहती हूँ कि क्या वह एकाधिकार गृहों पर नियन्त्रण करेंगे ? हमें यह जानकर हर्ष हो रहा है कि वह विमकों को बन्द करने जा रहे हैं। किंतु उनका समूचे कच्चे माल पर नियन्त्रण है। आप इन एकाधिकार गृहों पर नियन्त्रण रखने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं और आप छोटे-छोटे एककों की सप्लाई को कैसे विनियमित करेंगे।

पिछले वर्ष खादी और ग्रामोद्योग एककों ने प्रमाणित एककों को प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए 50 रुपये की माँग की थी। इस वर्ष उन्होंने 200 रुपये मांगे हैं। पिछले वर्ष उन्होंने 600 बंडल खरीदे और इस वर्ष वह न्यूनतम दर पर 1000 बंडलों की मांग कर रहे हैं। साथ ही उन्हें कच्चा माल उपलब्ध करवाने के बारे में जरा भी चिंता नहीं हैं। क्या खादी और ग्रामोद्योग निगम एक कच्चा माल बैंक स्थापित करेगा जो इन एककों को कच्चा माल उपलब्ध करे।

श्री जार्ज फर्नांडिस : मैं इस बात की प्रशंसा करता हूँ कि एककों को कच्चा माल उपलब्ध करने के लिए बैंक स्थापित किया जाये। हम इस प्रस्ताव की जाँच करेंगे और इस सम्बन्ध में जो कुछ भी संभव होगा हम करेंगे। बड़े घरानों, को जो रसायन और कागज आदि सप्लाई कर

रहे हैं, विकेन्द्रीकृत करने की कोई सम्भावना नजर नहीं आती, किंतु जहाँ भी विकेन्द्रीकरण सम्भव होगा, किया जायेगा ।

श्री बी० राचैय्या : क्या माननीय मन्त्री ने माचिस उत्पादन में आवश्यक नीले कागज और रसायनों की उपलब्धता पर कोई सर्वेक्षण किया है ? क्या आप राज्य सरकारों के कृषि और वन मन्त्रालयों के साथ बातचीत करके सोफ्ट वुड की अधिक मात्रा में उपलब्धि सुनिश्चित करेंगे ?

श्री जार्ज फर्नांडिस : मैं ऐसा करूंगा । चर्चा चल रही है। हम उन नये क्षेत्रों का पता लगा रहे हैं जहां से कच्चा माल उपलब्ध हो सकता हो ।

हिंदुस्तान मशीन टूलज के ट्रैक्टरों के लिए गारन्टी की अवधि

*951. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि सामान्यत: ट्रैक्टर निर्माता खरीदारों को निर्माण त्रुटियों के सम्बन्ध में एक साल की गारन्टी देते हैं लेकिन हिन्दुस्तान मशीन टूल्स अपने ट्रैक्टर 'जेटर' पर केवल 6 महीने की गारन्टी देता है :, और

(ख) यदि हाँ, तो किसानों द्वारा उठायी जा रही कठिनाइयों को देखते हुए इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) (क) तथा (ख) - मे० एच० एम० टी० लिमिटेड अपने जीटर ट्रैक्टरों पर 6 महीने की गारन्टी देता है और प्रमुख ट्रैक्टर निर्माताओं द्वारा अपने ट्रैक्टरों के लिए सामान्यत: इतनी ही अवधि की गारन्टी दी जाती है ।

श्री जी० वाई० कृष्णन् : खंड (ख) के लिये उत्तर नहीं दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : यह उत्तर खंड (ख) के लिए भी है ।

श्री जी० वाई० कृष्णन् : सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? इसका उत्तर नहीं दिया गया है ।

श्री जार्ज फर्नांडिस : प्रश्न यह है : "क्या सरकार को पता है कि सामान्यत: ट्रैक्टर निर्माता खरीदारों को निर्माण त्रुटियों के सम्बन्ध में एक साल की गारन्टी देते हैं लेकिन हिन्दुस्तान मशीन टूल्स अपने ट्रैक्टर 'जेटर' पर केवल छ: महीने की गारन्टी देता है"

इसका उत्तर यह है कि सामान्यत: सभी ट्रैक्टर निर्माता छ: महीने की गारन्टी देते हैं । केवल दो निर्माता एक साल की गारन्टी देते हैं ।

इसके पश्चात प्रश्न है : अगर हां, किसानों द्वारा इस सम्बन्ध में अनुभव की जा रही कठिनाईयों को दृष्टि में रखते हुये सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये हैं ?"

किन्तु सामान्य नियम 6 महीने गारन्टी है ।

श्री जी. वाई. कृष्णन् :इस देश में अथवा विदेश में किसी भी मशीनरी का गारन्टी समय वर्ष है । यदि कोई सरकारी क्षेत्र उपक्रम के छ: महीने की गारन्टी का सामान्य नियम आता है तो क्या सरकार इसमें कुछ कर सकती है ?

श्री जार्ज फर्नांडिस : यह छ: महीने का गारन्टी काल बहुत समय से चल रहा है केवल

दो कम्पनियों— इच्छर ट्रैक्टर आफ इंडिया तथा पंजाब ट्रेक्टरज एक वर्ष का समय देती हैं। इसमें इच्छर ट्रैक्टर आफ इंडिया मैं एक पहली जनवरी से यह गारन्टी समय एक वर्ष किया है। पंजाब ट्रेक्टरज आरम्भ से ही एक वर्ष का गारन्टी काल दे रहे हैं। शेष कम्पनियाँ जो कि लगभग 12 हैं छः महीने का गारन्टी काल देती है। यही हो रहा है। इस सम्बन्ध में अभी कोई शिकायत नहीं आई है। सामान्य तौर पर शिकायत हो सकती है किन्तु मेरे विचार में छः महीने के गारन्टी काल को एक मानक के रूप में स्त्रीकार कर लिया गया है

श्री जी. वाई. कृष्णन् : क्या वे कम्पनियां निजी क्षेत्र की समिति कम्पनियाँ हैं अथवा सार्वजनिक क्षेत्र की समिति कम्पनियाँ हैं ? यदि वह निजी क्षेत्र की सीमिति कम्पनियां हैं तो उन्हें सार्वजनिक समिति कम्पनियों में परिवर्तित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री जार्ज फर्नांनडिस : एक कम्पनी पीट्टी टूल्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी है, को छोड़कर शेष सभी सार्वजनिक समित कम्पनियां हैं।

श्री पी. वेंकट सुब्बया : ट्रैक्टरों के मूल्यों में भी अत्यधिक वृद्धि हुई हैं। कुछ मामलों में यह 70,000/- रुपये है और कीमतों में वृद्धि होती जा रही है। ट्रेक्टरों के लिये क्रेज सा है। पंजाब ट्रैक्टरज जो वास्तव में ट्रैक्टरों का निर्माण कर रहे है एक बर्ष का गारन्टी काल देते हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि उचित सर्विसिंग एककों के अभाव में और किसानों को ट्रेक्टरों पर एक लाख रुपये से भी अधिक खर्च करना पड़ता है, क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि एक वर्ष की गारन्टी दी जाये। नयी स्थिति के संदर्भ में और मूल्य वृद्धि के कारण क्या सरकार सभी उत्पादकों को निदेश जारी करेंगी कि वह एक वर्ष का गारन्टी काल दें।

श्री जार्ज फर्नांनडिस : मैं गारन्टी प्रश्न को मूल्यों के प्रश्न के साथ सम्बद्ध नहीं देखता। एक विशेष प्रक्रिया के माध्यम से मूल्य निर्धारण किया गया था। औद्योगिक लागत और मूल्यों सम्बन्धी ब्यूरो वित्त मंत्रालय के सम्बद्ध विभाग के साथ मिलकर इस प्रश्न पर विचार कर रहा है और ट्रैक्टरों के मूल्य निर्धारित कर दिये गये हैं।

जहाँ तक गारन्टी काल का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य ने यह मामला उठाया है। यह सच है कि दो कम्पनियां एक वर्ष की गारन्टी देती है इनमें से एक ने इसी साल पहली जनवरी से गारन्टी काल एक वर्ष किया है। मैं निश्चय ही इस बात पर विचार करूँगा कि जब दो कम्पनियाँ एक वर्ष की गारन्टी देती है, शेष छः मास की गारन्टी देती है तो क्या सम्भव है कि यह शेष कम्पनियां इस प्रश्न पर विचार करें।

श्री सुभाश चन्द्र बोस अल्लरी : महोदय यह सच नहीं है कि अधिकांशः कम्पनियाँ छः महीने की गारन्टी दी जा रही है मैंने कई ट्रैक्टर खरीदे हैं और मुझे एक साल का गारन्टी काल मिलता है मैंने यह गैर-सरकारी क्षेत्र से खरीदे थे इसमें एक ट्रैक्टर का विक्रय मूल्य कारखाना द्वार मूल्य से कोई 300 प्रतिशत अधिक होता है। यदि सरकार एक वर्ष की गारन्टी नहीं दे रही है तो आप गैर-सरकारी कम्पनियों से अधिक समय की गारन्टी की आशा कैसे कर सकते हैं ? क्या ऐसा कोई प्रस्ताव है कि सरकार एक वर्ष अथवा उससे अधिक समय की गारन्टी देगी ?

श्री जार्ज फर्नांनडिस : सरकार गारन्टी नहीं देती। एच. एम. टी. नाम का सरकारी उपक्रम ट्रेक्टर बनाता है। यह अन्य गैर-सरकारी ट्रैक्टर निर्माताओं के साथ प्रतियोगिता में

ट्रैक्टरों का निर्माण करना है। यदि कुछ काल में यह पाया गया है कि 6 महीने की गारन्टी उचित है और ऐसा लम्बे अरसे से किया जा रहा है, तो माननीय सदस्यों ने जो बाते उठाई हैं उनके सन्दर्भ में मैं इस विषय पर विचार करूँगा।

कपड़े की उपलब्धता

*954. **श्री अनन्तराम जायसवाल** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष कपड़े की उपलब्धता जो वर्ष 1964-65 में 15.2 मीटर थी, वर्ष 1977-78 में कम होकर 11.8 मीटर रह गई है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है;

(ग) क्या प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष कपड़े की उपलब्धता बढ़ाने का कोई ठोस प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(घ) यदि हाँ, तो योजना के अन्तर्गत वर्ष 1979-80, 1980-81, 1981-82 और 1982-83 के दौरान प्रति व्यक्ति कपड़े की उपलब्धता का निर्धारित अनुमान क्या लगाया गया है;

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) (क) : प्रति व्यक्ति कपड़े की उपलब्धता में गिरावट आई है जो 1964 में 16.85 मीटर से कम होकर वर्ष 1977 में 13.42 मीटर रह गई है।

(ख) मन्दी के रुख के कारण वस्त्रों की प्रभावी माँग में स्थिरता, सिन्थेटिक रेशे के बढ़ते प्रयोग के कारण अधिक टिकाऊपन तथा सरटोरिल पद्धति जिससे कपड़े की कम खपत होती है में परिवर्तन जैसे कई कारणों से गिरावट आई है ।

(ग) तथा (घ) : वस्त्र सम्बन्धी कार्यकारी दल के अनुसार ऐसी सम्भावना है कि प्रति व्यक्ति कपड़े की माँग वर्ष 1982-83 तक 14.62 मीटर तक पहुँच जाएगी। वर्षवार ब्यौरे अलग से तैयार नहीं किये गये हैं ।

श्री अनन्त राम जायसवाल : मान्यवर अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उस से एक चीज यह साफ हो गयी है कि पिछले 12-13 साल में कपड़े की उपलब्धि साढे तीन मीटर घट गयी है। अगले पांच वर्षों में जबकि छठी पंचवर्षीय योजना खत्म होगी तो प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति उस उपलब्धता को पाना तो दूर रहा, उसमें सवा दो मीटर की कमी रहेगी। इस कमी के कारण बतलाये गये हैं कि लोगों की पसन्द बदल गयी है, दूसरे कपड़ा मजबूत बनने लगा है और तीसरे इसकी माँग में स्थिरता है। यह जो स्थिरता वाला कारण है इसके बारे में, मान्यवर मैं दोहराना चाहता हूँ कि जो नेता डा० राम मनोहर लोहिया हमारे रहे हैं वही माननीय मंत्री जी के भी रहे हैं। उन्होंने 21 अगस्त, 1963 को इसी हाउस में बहस चलायी थी और कहा था कि हमारे देश की 60 प्रतिशत आबादी गरीबी की रेखा के नीचे रह रही हैं। हिन्दुस्तान की आबादी के 27 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे हैं । तब से उनकी गरीबी बढ़ी है और गरीबों की मात्रा भी बढ़ती जा रही है जिसको कि आपने आकाऊट में कहीं नहीं लिया है ।

मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या कपड़े की खपत में कमी का असली कारण यह नहीं है कि यहाँ की दो-तिहाई पापुलेशन गरीबी की रेखा के नीचे हो रही है और जो कारखानों में बढ़ती होती

है वह उन तक पहुँच नहीं पाती है ? उनकी आमदनी भी कम होती जा रही है और गरीबी भी बढ़ती जा रही है। इसके चलते हुए कपड़े के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं। जब तक आप इस असली कारण को ध्यान में नहीं लायेंगे तब तक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके बारे में आपकी क्या राय है ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : अध्यक्ष महोदय, मैं इस राय से सहमत हूँ कि गरीबी के चलते हुए कपड़े की खपत में सबसे ज्यादा दिक्कत आयी है। जब हमने यह कहा है कि इफेक्टिव स्टेगनेशन हो गया है तो वह इसी चीज का द्योतक है कि देश में गरीबी के चलते लोगों में कपड़े के खरीदने की शक्ति घट गयी है। यह एक अहम सवाल है जिसको इस प्रश्न के साथ जोड़ कर मैं इसका जवाब नहीं दे सकता हूँ।

श्री अनन्त राम जायसवाल : मैंने अपने सवाल के भाग (ग) में यह पूछा था कि गरीब लोगों के वास्ते कपड़े की उपलब्धि बढ़ाने के लिए सरकार कोई ठोस कार्यक्रम बना रही है इसका उत्तर नहीं दिया गया है। मैंने ही अरवाइज ब्रैक अप भी जानना चाहा था, इनके टागेट्स क्या हैं यह जानना चाहा था इसका भी उत्तर नहीं दिया गया है।

आपने टैक्सटाइल पालिसी की घोषणा की थी वह इस माने में फेल हो गई है कि एन. टी. सी. के अन्तर्गत जो मिले हैं वही गरीबों के लिए कंट्रोल्ड वैराइटी का कपड़ा बनाती हैं और बाकी सारी मिलों को आपने छूट दे दी है और वे अनकंट्रोलल्ड वैराइटी का कपड़ा बनाती हैं। रूई के दाम कम हो रहे हैं और कपड़े के बढ़ रहे हैं। गरीबों के लिए जो कपड़ा बनता था वह अब उपलब्ध नहीं है

अध्यक्ष महोदय : आप प्रत्येक प्रश्न पूछने के लिए एक लम्बा चौड़ा भाषण देने लगते हैं। कृपा अपना प्रश्न पूछिये।

श्री अनन्त राम जायसवाल : यह स्पीच नहीं है। मैं ब्रैकग्राऊंड बताकर सवाल पूछ रहा हूँ। शहरों में रहने वालों का सवाल आता है तो मन्त्री महोदय की पत्नी भी प्रदर्शन करने के लिए बाहर आ जाती है और माननीय रेल मंत्री की भी चली आती है। मैं जिनकी बात कर रहा हूँ उनकी बात करने वाला कोई नहीं है। मैं यह पूछ रहा हूँ कि उस पालिसी को क्या आप रिवाइज करेंगे ताकि कंट्रोल्ड वेराइटी का कपड़ा ज्यादा बन सके ? साथ ही हर मीटर पर दाम छपा करते थे पहले उसी तरह से, एक्स, मिल प्राइस या एक्स फैक्ट्री प्राइस या एक्साइज ड्यूटी नहीं बल्कि रिटेल दाम हर मीटर पर छपवाने की व्यवस्था की जायेगी ? कपड़े की पैदावार ज्यादा हो और वह गरीब लोगों को भी मिल सके, क्या आप अपनी पालिसी को इस तरह से रिवाइज करेंगे ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि जो नीति सरकार द्वारा अभी बनाई गई है वह नाकामयाब रही है। मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले साल एन. टी. सी. द्वारा 96 करोड़ गज कपड़ा बनाया गया था जिस में से में कंट्रोल वैराइटी का एक तिहाई से भी कम था यानी तीस करोड़ गज था और बाकी जो कपड़ा बना वह भी कम दाम का ही था क्योंकि एन. टी. सी. की जो मिलें हैं वे उस प्रकार का कपड़ा बनाने की ही क्षमता रखती हैं जो आम तौर पर पांच रुपये मीटर से कम दाम का होता है।

पिछले साल देश में कुल कपड़ा जो पैदा हुआ उसमें से 230 करोड़ गज कपड़ा पैदा हुआ

हथकरघों से जिस को इस्तेमाल करने वाला आम तौर पर साधारण आदमी ही होता है और 220 करोड़ गज कपड़ा पैदा हुआ पावर लूम्ज पर जोकि कम दाम की ही श्रेणी में आ जाता है। यह सही है कि बड़ी मिलें जो कपड़ा बनाती हैं वह कुछ अधिक दाम का होता है लेकिन आखिर को खरीददार की क्षमता को ध्यान में रख कर ही वे कपड़ा बनाने का काम करती हैं। यह कहने का कोई मतलब नहीं है कि कपड़े के बारे में जो नीति है यह असफल या नाकामयाब रही है।

माननीय सदस्य ने जो बुनियादी सवाल पूछा है कि लोगों में खरीद करने की शक्ति कम है इसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो सरकार की कुल नीति हैं, विकास की जो नीतियां हैं, इन सभी नीतियों को चला कर ही लोगों की क्षमता जब बढ़ जायेगी तब कपड़े को खरीदने की शक्ति भी लोगों में बढ़ जाएगी। दम्यान के समय में आज हम चालीस करोड़ गज कपड़ा कंट्रोल्ड वैराइटी का बना कर दे रहे हैं। उसको बनाने में जो लागत खर्च आता है उसके लगभग आधे दाम से उसको बेचने का काम आज हो रहा है। जैसा मैंने कहा है कम दाम का जो कपड़ा है इसका निर्माण हम अधिक करना चाहते हैं। इस दिशा में हम कदम भी उठा चुके हैं।

श्री गौरी शंकर राय : लोगों की परचेजिंग पावर तो कम हुई है। लेकिन जिस गति से कपड़े के दाम बढ़ रहे हैं अगर परचेजिंग पावर आप के डिवैलेपमेंट के कामों से बढ़े भी तो भी वह उस बढ़ोतरी को पकड़ नहीं सकती है। रूई के दाम कम हो रहे हैं, कपड़े के बढ़ रहे हैं ; मजदूरी में भी बढ़ती नहीं हुई है। मत्री महोदय मिल मालिकों से कपड़े के दाम कम करने के निवेदन करते हैं और देखा जाता है कि उस निवेदन के दूसरे दिन ही कपड़े के दाम बढ़ जाते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार क्या उपाय कर रही है कि ये जो कपड़े की कीमतें ऊपर की तरफ भागती जा रही हैं वे कम हों निवेदन करने के अतिरिक्त वह कौन से स्टेप्स ले रहे हैं यह मैं जानना चाहता हूँ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : इस सम्बन्ध में मिल के मालिकों से पिछले कुछ दिनों में बात हुई है और यह बातचीत पिछले सप्ताह तक समाप्त हो गई है। नई नीति इस मामले में बन रही है जिसको मैं अगले कुछ ही दिनों, 3, 4 दिनों में शायद सदन के सामने पेश करूँगा।

श्री चन्द्रशेखर सिंह : माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि चूँकि कपड़ा मजबूत बनने लगा है, इसलिए कपड़े के इस्तेमाल में कमी आई है। मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे मंत्री जी कहते हैं कि कपड़े के इस्तेमाल में कमी आई है तो क्या कपड़े के उत्पादन में भी कमी आई है।

चूँकि रूई का दाम निरन्तर गिरता जा रहा है और जो रा-मैटीरियल पैदा करते हैं, उनके दाम कम हो रहे हैं, लोगों की पर्चेजिंग पावर कम हो रही है इसलिए क्या लोगों की कपड़े की खपत कम होती जा रही है ?

कपड़े पर जो हर मीटर पर दाम छपे रहते हैं, क्या मंत्री जी को यह जानकारी है कि वह मीटर भी कम रहते हैं ? क्या ऐसी भी जानकारी है कि बोगस मीटर रहते हैं और दाम छपे रहते हैं ?

जो कंट्रोल्ड क्लाथ है, उसका उत्पादन कितना बढ़ा है और उसकी खपत कितनी है और

फैशनेबल क्लौथ का उत्पादन कितना है और उसकी खपत किस हिसाब से हो रही है ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : कंट्रोल्ड क्लाथ 40 करोड़ का बनता है, उसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं हुई है। हम मीटर पर दाम लिखकर जो आता है, वह मीटर ही कम होता है, यह शिकायत आज तक नहीं हुई है पहली बार मैं आप से सुन रहा हूँ। जहां तक कपड़े के उत्पादन में कमी का सवाल है, यह सही है कि पिछले 10, 12 वर्षों में प्रतिवर्ष कपड़े की उपलब्धि कम होती रही है, उत्पादन कम होता रहा है, लेकिन माननीय सदस्य को इस बात से खुशी होनी चाहिये कि पिछला जो वर्ष समाप्त हुआ है, इस साल के विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में कपड़े के उत्पादन में 11 फीसदी की वृद्धि हुई है जो कि पिछले 30 सालों में कभी नहीं हुई। मिल के कपड़े में वृद्धि हुई है 2, 6 फीसदी जो आमतौर पर पिछले 10, 12 सालों की स्थिति के मुकाबले में अच्छी रही है। पिछले साल में जो सरकार की नीति चली है, उसके चलते कपड़े के उत्पादन में 9 फीसदी वृद्धि हो चुकी है। कि पिछले 30 वर्षों की रिकार्ड क्षमता है। रूई के दाम जो कम हो रहे हैं और कपड़े के दाम के मामले में मिल के मालिकों से बातचीत की थी और उस सम्बन्ध में जो निर्णय हुए हैं, उनको लेकर मैं जल्दी ही इस सदन के सामने आऊँगा।

छठी योजना में मेघालय के लिए योजना परिव्यय

* 955. **श्री पी0 ए0 संगमा** : **क्या योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना में मेघालय के लिए कुल योजना परिव्यय कितना है ; और

(ख) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं पर कितनी धनराशि लगाने का प्रस्ताव है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : मेघालय की 1978-83 की छठी पंचवर्षीय योजना विचाराधीन है।

श्री पी ए. संगमा : अध्यक्ष महोदय, मेघालय राज्य बल्कि समूचे उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की लम्बे अरसे से उपेक्षा की गई है और इस क्षेत्र में अधिकांश राज्य नये नये बने हैं। यह हमारे देश में पिछड़े हुए और पहाड़ी इलाके हैं और अतः इनमें विकास करने के लिये आवश्यक कार्यों पर अपेक्षाकृत अधिक खर्च आयेगा। दूसरी बात यह है कि मेघालय में 80% प्रतिशत से अधिक आबादी आदिवासी जनता की है, तो हमें आदिवासी उप-योजना के लिये आवंटित धनराशि में से हमें अधिक राशि नहीं मिली है। उन्होंने इस क्षेत्र को आदिवासी उप-योजना में सम्मिलित नहीं किया है। मुझे यह पता चला है कि मेघालय राज्य ने 292 करोड़ रुपये छठी योजना के लिये माँगे थे। हमारे राज्य को आदिवासी उप-योजना में सम्मिलित नहीं किया गया और साथ ही यह बहुत ही पिछड़ा राज्य है इन तथ्यों को दृष्टि में रखकर मैं माननीय प्रधान मन्त्री से जानना चाहता हूँ कि 292 करोड़ रुपया, जो राज्य ने मांगा है, उसे दिया जायेगा :

श्री मोरार जी देसाई : राज्य चाहे कुछ भी उत्पादित न करे किन्तु वह जितनी चाहे धन-राशि की मांग कर सकता है। पांचवी पंच वर्षीय योजना में 89.0 करोड़ रुपये आवंटित किये गये थे और उन्हें अब 292 करोड़ रुपये देना असम्भव है।

श्री पी. ए. संगमा : अभी हाल में राष्ट्रीय विकास परिषद ने यह निर्णय लिया है कि

केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं से कुछ धन राशि कम कर दी जाये और उसे राज्य सरकार को दिया जायें। मैं माननीय प्रधान मन्त्री से जानना चाहता हूँ कि इस पर से काटी गई धन-राशि में से कितनी धन राशि मेघालय राज्य को दी गई है, अगर नहीं दी गई है तो क्यों नहीं दी गई ?

श्री मोरारजी देसाई : कुछ धन राशि उन्हें उपलब्ध की जायेगी। किंतु कितनी दी जायेगी, यह अभी निर्णय नहीं हुआ है। अतः 'क्यों नहीं'' का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री कुसुम कृष्णा मूर्ती : जैसाकि हम जानते हैं मेघालय में आदिवासी जनसंख्या 80 प्रतिशत है और इस दृष्टि से उनके विकास कार्यक्रमों में निवेश करने की आवश्यकता है। क्या प्रधान मन्त्री सदन को आश्वासन देंगे कि प्रारूप योजना में मेघालय के लिए किया गया आवंटन अन्तिम योजना में भी उतना ही रहेगा और उसमें कटौती नहीं की जायेगी ?

अध्यक्ष महोदय : प्रारूप योजना में किया गया आवंटन वैसा ही रहेगा अथवा उसमें कटौती की जायेगी ?

श्री मोरारजी देसाई : इसे वैसे ही रहने दिया जायेगा ? इसमें कटौती का प्रश्न कैसे उत्पन्न होता है ?

छोटे साबुन उद्योगों द्वारा भेड़ बकरी (मटल टैलो) की चर्बी प्राप्त किया जाना

*956. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य में छोटे साबुन उद्योग क, ग मूल्य पर भेड़-बकरी की अमिश्रित चर्बी प्राप्त करने की समस्या का सामना कर रहे हैं और इसके परिणाणस्वरूप उद्योग में 75 प्रतिशत उत्पादन क्षमता अप्रयुक्त पड़ी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सबन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गगी है;

उद्योग मन्त्री (श्री जार्ज फर्नान्डिस) : (क) छोटे साबुन उद्योगों की कम मूल्य पर भेड़ों बकरियों की अमिश्रित चर्बी प्राप्त करने सम्बन्धी समस्या तथा इसके फलस्वरूप उद्योग में 75 प्रतिशत उत्पादन क्षमता अप्रयुक्त पड़ी रहने के बारे में विकास आयुक्त लघु उद्योग, भारत सरकार को अभी हाल में पश्चिम बंगाल सरकार के अलावा और कोई अभ्यावेदन नहीं मिला है।

(ख) पश्चिम बंगाल लघु साबुन निर्माता संगठन, कलकत्ता के 20 मार्च, 1979 के अभ्यावेदन में निम्नलिखित मुख्य कठिनाइयों का उल्लेख किया गया है :

(1) कई एककों की पहली मिश्रित सामग्री तथा अन्य बाहरी पदार्थों से मिली सामग्री प्राप्त हुई। इसके कुल वजन में भी अन्तर होता है।

(2) माल भरने वाले ठेकेदारों के प्रेषण केन्द्र पर सामग्री की किस्म तथा वजन की जाँच के लिए कोई भी सुविधा नहीं है।

(3) माल भरने सम्बन्धी प्रभारों के अलावा, पश्चिम बंगाल सोप इण्डस्ट्री कारपोरेशन 10 प्रतिशत अतिरिक्त प्रभार वसूल करता है जिसे घटाकर 2.5 प्रतिशत तक किया जाना चाहिए जो डब्ल्यू. बी. एस. आई. सी. का लाभ होगा, बशर्ते एकक ने राज्य व्यापार निगम के अधिष्ठापित केन्द्रों से सीधे सुपुर्दगी प्राप्त किए हों।

(4) डब्ल्यू. बी. एस. आई सी. ने 5375 रु० से 6100 रु० प्रति मी. टन तक की मूल्य वृद्धि की है बावजूद इसके राज्य व्यापार निगम ने मूल्य नहीं बढ़ाये हैं तथा ठेकेदारों की माल भरने की दर इस वर्ष की अपेक्षा कम रही है।

निदेशक, कुटीर तथा लघु उद्योग पश्चिम बंगाल सरकार से कहा गया है कि वह कठिनाइयों को दूर करने के लिए व्यक्तिगत रूप से मामले में हस्तक्षेप करें। राज्य व्यापार निगम नई दिल्ली से भी अनुरोध किया गया है कि वह इस मामले को अपने शाखा कार्यालय, कलकत्ता के साथ उठाये और यदि आवश्यक हो तो कठिनाइथों को दूर करने के लिए अपने प्रतिनिधि को कलकत्ता भेजें।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि चर्बी की किस्म और सही तोल की एक बड़ी समस्या है, पश्चिम बंगाल में साबुन बनाने के छोटे एकक हैं जिनमें 5000 मजदूर काम करते हैं। गत वर्ष राज्य में 50,000 टन कपड़े धोने के साबुन का उत्पादन किया गया जबकि पश्चिम बंगाल में चर्बी का कोटा 3800 टन था। इसे देखते हुए क्या मन्त्री महोदय हमें यह बतायेंगे कि क्या पश्चिम बंगाल लघु उद्योग निगम ने राज्य में साबुन बनाने के छोटे एककों को मांस की चर्बी सप्लाई करने के लिए एक ठेकेदार को लगाया है ? क्या यह भी सही है कि साबुन बनाने वालों ने यह आरोप लगाया है कि सामग्री में प्रायः अपमिश्रण किया जाता है, इसे कम तोला जाता है और चर्बी की किस्म वैसी नहीं होती है जैसी वे चाहते हैं और यदि हां, तो अब तक क्या कदम उठाये गए हैं और यदि अब तक नहीं उठाये गये हैं तो कौन से कौन से कदम उठाने का विचार है ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मांस चर्बी का आयात राज्य व्यापार निगम के माध्यम से होता है, विकास आयुक्त, लघु उद्योग, भारत सरकार इसका नियतन करता है। माननीय सदस्य यह सही कहते हैं कि पश्चिम बंगाल का कोटा 3800 टन नहीं है, यह 3580 टन है। राज्य सरकार को नियतन किया जाता है और राज्य सरकार सामान्यतया उद्योग निगम अथवा किसी अन्य एजेन्सी के द्वारा जो इसका उपयोग करती है, फिर नियतन करती है। चूंकि यह शिकायत आई है तो राज्य व्यापार निगम और लघु उद्योगों के विकास आयुक्त इस शिकायत की जांच कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि हम इस समस्या का समाधान कर पायेंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह भी सही है यह लम्बी प्रक्रिया है कि यह मामला उनके ध्यान में बहुत पहले लाया गया था।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : 20 मार्च।

श्री ज्योतिर्मय बसु : ठीक है यह बहुत पहले लाया गया। यदि आप जानना चाहते हैं तो आप इसके बारे में जान सकते हैं। उन्होंने सामग्री का मूल्य 5,375 रुपये से बढ़ कर 6,100 रु० प्रति टन हुआ है जो पश्चिम बंगाल लघु उद्योग निगम ने लिया है। क्या यह भी सही है कि यह मूल्य वृद्धि उन पर थोपी गई है क्योंकि मूल्य राज्य व्यापार निगम ने निर्धारित किया है जिससे पश्चिम बंगाल लघु उद्योग निगम ने माल खरीदा है और उसके बाद ठेकेदार के लाभ का भी सबसे बड़ा प्रश्न है ? वास्तव में यह और आग भड़काने वाली बात है और इससे लघु उद्योगों के लिए और भी कठिनाई पैदा हो रही है और आप लघु उद्योगों के लिए आंसू बहाते रहे हैं। वास्तव में यही हो रहा है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : पश्चिम बंगाल उद्योग निगम एक सरकारी एकक है। मूल्य में वृद्धि हुई है। हम इस प्रश्न को राज्य सरकार के पास उठायेंगे और यह मालूम करेंगे कि हम इस मामले को किस प्रकार ज्याद से ज्याद सुलझा सकते हैं।

दिल्ली में पुलिस कर्मचारियों के अतिरिक्त पद

*957. **श्री गंगा भक्त सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली के नागरिकों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस कर्मचारी और पुलिस सहायता बूथ उपलब्ध कराने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या बाहरी दिल्ली में उक्त सुविधा तुरन्त प्रदान की जायेगी जहाँ शान्ति और व्यवस्था भंग होने का अधिक खतरा है ?

गृह मंत्रालय तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. डी. पाटिल) : (क) और (ख) : दिल्ली में विधि और व्यवस्था की स्थिति और अतिरिक्त पुलिस चौकियों तथा पुलिस सहायता बूथों की स्थापना समेत कर्मचारियों तथा साधनों की आवश्यकता का निरन्तर पुनरीक्षण किया जाता है। पुलिस संगठन को गत मई में पश्चिम दिल्ली के लिये एक नया पुलिस जिला, 8 नये थाने और 12 नई पुलिस चौकियाँ स्थापित करके सुदृढ़ किया गया था। इनमें से तीन पुलिस थाने अर्थात् बदरपुर, लारेन्स रोड और आदर्श नगर तथा तीन पुलिस चौकियाँ अर्थात् बवाना, आनन्दवास तथा गोयला मिल्क डेरी बाहरी दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में है। (व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल न किया जाये।

यह प्रश्न काल है। श्री वसु, प्रत्येक बात के लिए समय होता है।

(व्यवधान)

शान्त, शान्त। (व्यवधान)

प्रत्येक बात के लिए समय होता है। शान्त; शान्त। मैं बोल रहा हूँ।

(व्यवधान)

यह प्रश्न काल है।

श्री कंवर लाल गुप्त : हम मंत्री महोदय का उत्तर सुन नहीं पाये हैं।

श्री एस. डी. पाटिल : (क) और (ख) : दिल्ली में विधि और व्यवस्था की स्थिति और अतिरिक्त पुलिस चौकियाँ तथा पुलिस सहायता बूथों की स्थापना करने समेत कर्मचारियों तथा साधनों की आवश्यकता का निरन्तर पुनरीक्षण किया जाता है। पुलिस संगठन को गत मई में पश्चिम दिल्ली के लिए एक नया पुलिस जिला, 8 नये थाने और 12 नई पुलिस चौकियाँ स्थापित करके सुदृढ़ किया गया था। इनमें से तीन पुलिस थाने अर्थात् बदरपुर, लारेन्स रोड और आदर्श नगर तथा तीन पुलिस चौकियाँ अर्थात् बवाना, आनन्दवास तथा गोयला मिल्क डेरी; बाहरी दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में हैं।

**कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया।

श्री गंगा भक्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में नागरिकों की सुरक्षा के लिए पुलिस थाना, पुलिस चौकी और पुलिस सहायता बूथ बनाये गए हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर कुल कितने पुलिस सहायता बूथ बने हैं और इन पुलिस सहायता बूथों को बनाने का मापदंड क्या है ?

श्री एस. डी. पाटिल : इस समय दिल्ली में बीस सहायता बूथ हैं। दिल्ली पुलिस दो और बूथों की माँग पर विचार कर रही है। बूथ पर एक कान्सटेबल के अधीन निश्चित समय पर सहायता मिलती है। वह निकटवर्ती पुलिस स्टेशन की किसी भी मामले में सहायता करेगा।

श्री गंगा भक्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, पता चला है कि इन पुलिस सहायता बूथों पर रात्रि में कोई पुलिस सहायता उपलब्ध नहीं रहती है जबकि रात्रि में इनकी अधिक आवश्यकता रहती है। तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में विचार कर रही है और इसकी व्यवस्था करेगी ?

श्री एस. डी. पाटिल : इस शिकायत की, जो पहली बार आई है, जांच की जायेगी कि क्या यह सही है।

श्री विजय कुमार मलहोत्रा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी से, कि जो आंकड़े उन्होंने दिए हैं, दिल्ली में जिस तरह से क्राइम्स वढ़ रहे हैं, जिसका मुजाहरा कल जनपथ पर हुआ, 4-5 सौ आदमी थे, जिसका पता पहले से था लेकिन पुलिस अटेम्ट टु मर्डर भी नहीं रोक सकी, वहाँ पर दूकानों को लूटा जा रहा था, जलाया जा रहा था, शीशे तोड़े जा रहे थे—(**व्यवधान**) 3-4 सौ नोन गुण्डे और बदमाशों को दिल्ली से बाहर भी नहीं निकाला जाता है, उनके हाथों में वहाँ पर छुरे और रिवाल्वर थे, छुरे और रिवाल्वर दिखाकर दूकानों को लूटा जा रहा था, बन्द करवाया जा रहा था लेकिन पुलिस उनको रोक नहीं सकी। नोन गुंडे संजय गांधी की लीडरशिप में वहाँ पर यह सब कर रहे थे। मैं जानना चाहता हूँ यहाँ पर जब यह हाल है तो बाकी दिल्ली को कैसे बचाया जायेगा ? (**व्यवधान**)

श्री एस. डी. पाटिल : यह घटना हाल ही में घटी है और यदि अलग प्रश्न पूछा जाता है तो मैं उसका उत्तर दूंगा। जिनका सम्बन्ध कानून और व्यवस्था की समस्या से है उन्हें इसकी पहले ही जानकारी है। (**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल न किया जाये।

श्री विजय कुमार एन. पाटिल : यह मालूम है कि केन्द्रीय सुरक्षा पुलिस बल और सीमा सुरक्षा बल की दिल्ली में पुलिस की सहायता के लिए मदद की जाती है। आजकल दिल्ली में केन्द्रीय सुरक्षा पुलिस बल और सीमा सुरक्षा बल की आपातकालीन स्थिति में जितनी बटालियनें थीं उनसे अधिक बटालियनें हैं। यह किसान रैली के कारण अथवा इन्दिरा जी की गिरफ्तारी से होने वाले आन्दोलन को रोकने के लिए हो सकती हैं। अब समय आ गया है कि दिल्ली में अतिरिक्त पर होने चाहिए क्योंकि पुलिस कानून और व्यवस्था की स्थिति पर नियन्त्रण नहीं पा सकी है। उसे ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सुरक्षा पुलिस बल को लगाने की बजाय क्या सरकार नये अतिरिक्त पदों को बनाने की व्यवस्था करेगी ?

**कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया।

श्री एस. डी. पाटिल : जहाँ तक दिल्ली का सम्बन्ध है 22341 पुलिसमैन ड्यूटी पर हैं। केन्द्रीय सुरक्षा पुलिस बल केवल उस स्थिति में लगाई जाती है जब पुलिस को सहायता की आवश्यकता होती है। यह नियमित रूप से नहीं होता है यह तैयार रखी जाती है। सीमा सुरक्षा बल को केवल आपातकालीन स्थिति में ही लगाया जाता है।

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में लघु सीमेंट कारखाने की स्थापना

*961. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **उद्योग मंत्री** निम्नलिखित जानकारी देने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि संघ राज्य क्षेत्र अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में बड़ी मात्रा में अच्छी किस्म के चूना पत्थर के लिए विद्यमान है;

(ख) क्या एक अन्तर विभागीय उच्च अधिकार प्राप्त दल ने द्वीपसमूह की यात्रा की थी और उसने संघ राज्य क्षेत्र के शीघ्र विकास हेतु एक प्रतिवेदन तैयार किया था जिसमें द्वीपसमूह में एक लघु सीमेंट कारखाना स्थापित करने की सम्भावना का उल्लेख किया गया है जो उक्त क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा कर सकता है;

(ग) यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का द्वीपसमूह में एक लघु सीमेंट कारखाना स्थापित करने की सम्भावना की जाँच करने का विचार है यदि हाँ, तो कब ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांन्डिस : (क) से (घ) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) भारतीय सीमेंट अनुसंधान के पास उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार बताये गए/अनुमान लगाये गए सुरक्षित भंडारों के अनुसार अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में लगभग दस लाख मी. टन सीमेंट ग्रेड के चूना पत्थर के निक्षेप उपलब्ध हैं।

(ख) लघु उद्योग विकास संगठन के एक अध्ययन दल ने लघु उद्योगों की स्थापना की क्षमता का पता लगाने तथा ऐसे अभ्युपाय सुझाने के लिए जो द्वीपसमूह में लघु उद्योगों के विकास में सहायता पहुँचायेंगे, जनवरी, 1976 में अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह का दौरा किया था। दल ने द्वीपसमूह में किसी मिनी सीमेंट संयंत्र की स्थापना का सुझाव नहीं दिया था।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ध) विस्तृत तकनीकी आर्थिक अध्ययन तथा भू-तत्वीय खोज से द्वीप समूह में मिनी सीमेंट की संभाव्यता की पुष्टि किये जाने की आवश्यकता है।

श्री मनोरंजन भक्त : माननीय उद्योग मंत्री ने पिछड़े तथा सुदूरवर्ती क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण की प्रायः बात कही है। अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह देश में सबसे पिछड़ा क्षेत्र है। मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में यह भी कहा है कि भारतीय सीमेंट अनुसंधान संस्थान के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अन्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में सीमेंट के उत्पादन में काम आने वाले चूने के पत्थर का लगभग दस लाख टन का भण्डार है। इसे दृष्टि में रखते हुए

तथा इस क्षेत्र के विकास कार्यक्रम की गति तेज करने की दृष्टि से एक उच्च शक्ति प्राप्त अन्तरविभागीय दल इसकी सम्भावनाओं की जांच करने के लिए वहाँ गया और उसने यह सिफारिश की थी कि अन्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में एक छोटी सीमेंट फेक्ट्री होनी चाहिए। उसे दृष्टि में रखते हुए मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि क्या वे अन्डमान निकोबार संघ राज्य क्षेत्र में एक छोटा सीमेंट कारखाना स्थापित करना चाहते हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : हम अन्डमान निकोबार द्वीपसमूह में एक छोटा सीमेन्टी कारखाना स्थापित करने की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए एक विस्तृत तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण करेंगे।

श्री मनोरंजन भक्त : मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि मंत्री महोदय ने अभी कहा है कि तकीनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण और भूगर्भीय अन्वेषण आवश्यक है। इसे ध्यान में रखते हुए मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या वह सर्वेक्षण तथा भूगर्भीय अन्वेषण शीघ्र करेंगे।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : हाँ।

निर्यातोन्मुख हथकरघा परियोजनायें

*962. **श्री दुर्गाचन्द** : क्या **उद्योग मंत्री** निर्यातोन्मुख हथकरघा परियोजनाओं के बारे में 28 फरवरी, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1204 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार से राज्य में निर्यातोन्मुख हथकरघा परियोजनाओं के जिलेवार आंकड़े प्राप्त हो गये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) बिलासपुर में डाई एवं फिनिशिंग संयंत्र के निर्माण हेतु एजेंसी के सम्बन्ध में हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोई निर्णय कर लिया है; और

(घ) यदि हां- तो निर्णय क्या है और परियोजना का कार्य कब तक प्रारम्भ किया जायेगा;

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) (क) जी, हां।

(ख) परियोजना प्राधिकरणों ने किन्नोर में 75 करघों चाम्बा में 20 करघों, काँगड़ा में 30 करघों कुल्लू में 40 करघों, बिलासपुर में 17 करघों, सोलन में 10 करघों, शिमला में 8 करघों, तथा मण्डी में 78 करघों का आधुनिकीकरण कर दिया है। प्रशिक्षित बुनकरों की संख्या निम्नलिखित है:—

(1) चम्बा	—	26
(2) कांगड़ा	—	15
(3) मण्डा	—	10 तथा
(4) शिमला	—	13

(ग) और (घ) राज्य सरकार ने बिलासपुर में डाई-कम-फिनिशिंग प्लाण्ट के लिए भवन निर्माण का कार्य हिमाचल प्रदेश खनिज औद्योगिक विकास को सौंपा है। यह आशा की जाती है कि निगम शीघ्र ही काम शुरु कर देगा।

श्री दुर्गा चन्द : यह इंटेसिव हैंडलूम डेवलपमेंट प्रौजेक्ट जो है, यह 1975 में हिमाचल प्रदेश को मिला था और इसके मुताबिक जो डाई-कम-फिनिशिंग प्लान्ट लगना चाहिए था, वह आज तक

नहीं लगा है। इस प्रौजेक्ट का आबजेक्ट यह था कि उसमें जो प्रोडक्शन होगा, वह एक्सपोर्ट ओरियेन्टेड होगा। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि उसका जो मकसद था, वह पूरा हो रहा है या नहीं और डाइंग प्लान्ट बनने की वजह से क्या बीवर्स की प्रोडक्शन ने सफर किया है ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : अध्यक्ष महोदय, इस प्रोजेक्ट को भले ही 1975 में सैंक्शन किया गया हो लेकिन इस पर अमल करने का काम 1977 में शुरू हुआ था। तब से जिस रफ्तार से यह काम होना चाहिए था, उस रफ्तार से नहीं हुआ है, यह बात सही है। हम राज्य सरकार से इस मामले में सम्पर्क में हैं और इस काम में गति लाने की दृष्टि से कदम बढ़ा रहे हैं।

श्री दुर्गा चन्द : मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि इस इनइन्टेसिव हैन्डलूम डेवलेपमेंट प्रोजेक्ट के जो आबजेक्टिव्ज थे, उनमें से कितने वीवर्स को आप ने एम्पलायमेंट प्रोवाइड करने का टार्गेट बनाया था और उसमें से कितनों को आप ने काम पर लगाया है ? कितने लूम्स का टार्गेट था और कितने लगे ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : इसमें हिमाचल प्रदेश में 7 जिलो में 3,000 लोगों को काम में लगाने की योजना थी। पहले वर्ष 200 लूम्स लगने चाहिए थे लेकिन लूम्स लगे कुल 63 और दूसरे वर्ष में अभी तक जो काम हुआ है, उसमें 228 लूम्स लगे हुए हैं और जहाँ तक ट्रेनिंग का सवाल है, मैंने पहले ही बता दिया कि कितने लोगों को अभी तक ट्रेनिंग दी गयी। चम्बा, कांगड़ा, मण्डी और शिमला में कुल मिला कर 64 लोगों को अभी तक ट्रेनिंग दी गई है।

मैंने पहले ही बताया कि इस काम में काफी देरी हुई है और जिस गति से यह बढ़ना चाहिए था, वह नही बढ़ा है। इस को दुरुस्त करने का हम काम करेगें।

श्री रणजीत सिंह : मंत्री महोदय के अनुसार डाई-कम फिनिशिंग प्लांट का निर्माण कार्य खनिज उद्योग विकास निगम को सौंपा गया है। मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूँ कि भारत सरकार को राज्य सरकार से सूचना मिली है कि क्या कोई ऐसी निश्चित तिथि है जब तक निर्माण कार्य पूरा हो जायेगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : हमें आशा है कि यह निगम इस काम को शीघ्र ही आरम्भ करेगा। राज्य सरकार इस काम पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

आंध्र प्रदेश राज्य में सीमेंट कारखाने की स्थापना

*963. **श्री पी० राज गोपाल नायडू** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आँध्र प्रदेश राज्य सरकार ने कोरोमण्डल फर्टिलाइजर और औरियन्ट पेपर मिल्स के सीमेंट कारखाना स्थापित करने के प्रस्ताव की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने प्रस्ताव को स्वीकृति दी है;

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीस : (क) जी, हाँ।

(ख) मैसर्स औरियन्ट पेपर मिल्स व मैसर्स करोमण्डल फर्टिलाइजर को क्रमश: 6 मई, 1978 व 23 मार्च, 1979 को आशय-पत्र जारी किए गए थे।

श्री० पी० राजगोपाल नायडू : क्या मैं संयंत्र के अनुमान और अब तक हुई प्रगति के बारे में जान सकता हूँ ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मुझे इसके लिए सूचना चाहिए। यदि आप इनमें से प्रत्येक संयंत्र के जो दोनों निजी क्षेत्र में हैं, सही अनुमान तथा प्रगति जानना चाहते हैं तो हमें सम्बद्ध एककों से जानकारी प्राप्त करनी होगी।

श्री पी० राज गोपाल नायडू : उत्पादन का क्या अनुमान है ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : ओरियन्ट पेपर मिल की 9 लाख टन की उत्पादन क्षमता है और कोरोमण्डल उर्वरक संयंत्र की भी 9 लाख टन की क्षमता है। आमतौर से इस प्रकार के संयंत्र के लिए कुल निवेश 55 करोड़ रुपये के लगभग होगा।

श्री दारूर पुलय्या : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आंध्र प्रदेश में रयाला सीमा में खासतौर से अनन्तपुर और कुड्डपा जिलों में कच्चा माल काफी मात्रा में उपलब्ध है, मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र में सीमेंट कारखाने स्थापित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं जो भी परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं वे शुरू नहीं की गई हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यह परियोजना.....

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

श्री दारुर पुलय्या : कैसे ? यह भी आंध्र प्रदेश में है। रयाला सीमा भी आंध्र प्रदेश का एक भाग है।

अध्यक्ष महोदय : यह मैं जानता हूँ।

श्री दारूर पुलय्या : मैं मंत्री महोदयय से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह परियोजना इस क्षेत्र में चलाई जायेगी।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : ओरियन्ट पेपर मिल अदिलाबाद जिले में असिफाबाद में चलाई जायेगी और कोरोमण्डल उर्वरक संयंत्र कुड्डापा जिले में चलाया जा रहा है।

श्री हुक्मचन्द कछवाय : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या यह बात सही है कि जिन कारखानों या उद्योगों के लिए आप आज्ञापत्र देते हैं, उनको लगाने में वित्त निगम की ओर से पैसे की व्यवस्था करने में काफी दिक्कत होती है ? आज जो देश में बड़े सीमेंट प्लांट चल रहे हैं, वे छोटे, मिनी सीमेंट प्लांटस का निर्माण करते हैं। उनके लगातार दाम बढ़ते जा रहे हैं बड़ी तेजी से दाम बढ़ते जा रहे हैं, दो-दो, तीन-तीन लाख रुपये दाम बढ़ते जा रहे हैं। इसका मूल कारण है कि उनकी साठगांठ वित्त निगम से है। इसीलिए पैसे की व्यवस्था नहीं हो रही है जिनको आपने आशय दिये हैं उन सबके सामने मूल समस्या यह है कि पैसे की व्यवस्था नहीं हो रही है और वे इसी कारण खत्ते में पड़े हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह एक सामान्य प्रश्न है।

श्री हुकमचन्द कछवाय : अध्यक्ष महोदय, आप मेरे प्रश्न को समझिये। उनके सामने मूल समस्या पैसे की है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, क्या आपके पास इस प्रश्न का कोई उत्तर है ? यह पैदा भी नहीं होता। (व्यवधान)

श्री नाथू सिंह (दौसा) : अध्य क्ष महोदय, श्री संजय गाँधी के इशारे पर यहाँ तोड़ फोड़ की गयी है। देश में अराजकता की स्थिति पैदा की गयी है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अल्प सूचना प्रश्न ।

श्री मल्लिकार्जुन (मेडक) : महोदय, वे शान्तिपूर्वक और लोकतांत्रिक ढंग से प्रदर्शन कर कर रहे थे । उन्हें पीटा गया ।

श्री के. लकप्पा (तुमुर) : हमने इसके बारे में स्थगन प्रस्ताव दिया है **(व्यवधान)** हमने स्थगन प्रस्ताव दिये हैं । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त । मुझे दो स्थगन प्रस्ताव मिले हैं ।

श्री ज्योतिर्मय वसु : एक अल्प सूचना प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : जैसाकि मैंने कहा है दो स्थगन प्रस्ताव हैं जो एक दूसरे के भिन्न हैं । कई ध्यानाकर्षण सूचनाएँ और अन्य प्रस्ताव हैं । मैंने सरकार से तत्काल तथ्य मांगे हैं और मैं आज यह निश्चय करूँगा कि यह कैसे किया जा सकता है । तथा इसे कल कैसे किया जा सकता है । यह कल किसी न किसी रूप में किया जायेगा । आज यह तय हो जायेगा कि यह किस रूप में आयेगा ।

श्री नाथू सिंह (दौसा) : इस पर हमें डिसकसन चाहिए । अराजकता की स्थिति पैदा कर दी गई है ।

श्री ज्योतिर्मय वसु : कृपया स्थगन प्रस्ताव को पढ़िए । मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है ।

(व्यवधान)

श्री सौगत राय : महोदय, यह क्या है ?

श्री ज्योतिर्मय वसु : अल्प सूचना प्रश्न के समाप्त होने के बाद आप स्थगन प्रस्ताव पढ़ सकते हैं । हमें अब अल्प सूचना प्रश्न पर जाना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही कहा है ।

श्री राजनारायण (रायबरेली) : मेरा एक नन्हा सा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री के. लकप्पा : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री ज्योतिर्मय वसु । अल्प सूचना प्रश्न ।

श्री सौगत राय : महोदय, आपका निर्देश बहुत गलत है । आपको प्रश्नकाल में वक्तव्य देकर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था ।

अल्प सूचना प्रश्न संख्या 4

सरकार के निर्णयों तथा नीतियों की उपेक्षा करने के बारे में श्री बिड़ला का भाषण

अ. सू. प्र. सं० 4 श्री ज्योतिर्मय वसु : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने उद्योगपति श्री घनश्याम दास बिड़ला द्वारा दिये गये उस भाषण को पढ़ा हैं जिसमें उन्होंने योजना पर आधारित सरकार के निर्णयों तथा नीतियों की उपेक्षा के लिए अपने साथी उद्योगपतियों को प्रोत्साहित किया है;

ख) क्या इसका अर्थ उन लोगों को सरकारी आदेशों का उल्लंघन करके पंजीकृत लाइसेंस क्षमता तथा अधिष्ठापित क्षमता से अधिक उत्पादन करने को बढ़ावा देना है ;

(ग) क्या ऐसा करना एक दण्डनीय अपराध है अथवा नहीं ; और

(घ) यदि, हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (घ) : एक विवरण सभा अटल पर रखा गया गया है।

विवरण

सरकार ने फेडरेशन आफ इंडियन चेम्बर्स आप कार्मस एण्ड इंडस्ट्री के 52वें वार्षिक अधिवेशन की नई दिल्ली के में 1 अप्रैल, 1979 को हुई मध्याह्न पश्चात् की बैठक में श्री जी. डी. बिरला के भाषण को पढ़ा है। श्री बिरला ने व्यापारियों को उत्पादन बढ़ाने के लिए कहा है और कहा है कि दिल्ली में जो कुछ हो रहा है उसके बावजूद उन्हें आगे बढ़ना चाहिए।

जहाँ तक उन औद्योगिक उपक्रमों का सम्बन्ध है जिन्हें किसी अनुसूचित उद्योग में उत्पादक क्षमता स्थापित करने के लिए उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के उपबंधों के अन्तर्गत औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करना है, उन्हें इस प्रकार की उत्पादक क्षमता को स्थापित करने से पहले इन औद्योगिक उपक्रमों द्वारा आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। उद्योग (विकास और विनियन) अधिनियम के सम्बद्ध उपबन्धों के अन्तर्गत आवश्यक स्वीकृति प्राप्त न करने की स्थिति में उक्त अधिनियम में दिये गये उपबन्धों के अनुसार उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। उन औद्योगिक उपक्रमों के मामलों की, जिनमें अधिकृत क्षमता से अधिक उत्पादन किया गया है, सरकार उद्योग (विकास और विनिययमन) अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार जाँच कर रही है और ऐसे मामलों के सम्बन्ध में जिनमें उद्योग (बिकास और विनियमन) अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन किया गया है, उक्त अधिनियम के दण्ड सम्बन्धी उपबन्धों के अनुसार कार्ययाही की जायेगी।

श्री के. लकप्पा : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं एक महत्वपूर्ण बात उठा रहा हूँ। सरकार श्री ज्योतिर्मय वसु का अल्प सूचना प्रश्न ग्रहीत कर रही है। हमें कई अल्य सूचना प्रश्नों की सूची मिली हैं। सरकार ने उन्हें गृहीत नहीं किया है, महोदय, यह बहुत गलत बात है। इस सत्र में हमारे पास श्री ज्योतिर्मय वसु के अल्प सूचना प्रश्न थे। दूसरों को गृहीत नहीं किया गया है। क्या सरकार और श्री ज्योतिर्मय वसु के बीच कोई सांठ-गाँठ है? अल्प सूचना प्रश्नों की हमारी सूचनाएँ गृहीत नहीं की गई हैं। आप कृपया निर्णय दें।

अध्यक्ष महोदय : निर्णय की आवश्यकता नहीं है।

श्री के. लकप्पा : सभा की पुष्टि की गारन्टी नहीं की जा सकती है। संसद के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं किया जा सकता है।

श्री बसन्त साठे : व्यवस्था का प्रश्न। महोदय, मेरा समस्त प्रक्रिया के बारे में व्यवस्था का प्रश्न है। क्या इन संसद सदस्यों को सभा में उपस्थित होने का अधिकार है ?

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। श्री ज्योतिर्मय वसु के अल्प सूचना प्रश्न के समाप्त होने पर मैं आदेश पढ़ूँगा।

श्री बसन्त साठे : एक सदस्य को सभा में उपस्थित होने से रोका जाता है। यह अधिक महत्वपूर्ण है। विशेषाधिकार का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : विशेषाधिकार का कोई भी प्रश्न नहीं है। मैं आदेश पढ़ रहा हूँ। मुझे अल्प सूचना प्रश्न के समाप्त होने पर मिला है। मुझे यह कहना है कि यह आमतौर से प्रश्नों के बाद होता है।

श्री बसन्त साठे : महोदय, कोई भी संसद इस तरीके से चल नहीं सकती है। दो संसद सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं यह जानना चाहता हूँ कि अल्प सूचना प्रश्न का अर्थ क्या है। यह प्रश्न 2 अप्रैल को रखा गया था और इस सभा में अल्प सूचना प्रश्न उत्तर के लिए 30 दिन में लाया जा रहा है।

श्री वयालार रवि : मेरा प्रश्न अभी भी पड़ा हुआ है।

श्री ज्योतिर्मय वसु : मेरी आशंका तो यह है कि बिडला बन्धु इस सचिवालय में और सभी जगह सक्रिय हैं। इसी कारण ये प्रश्न रोके जा रहे हैं। **(व्यवधान)**

श्री पी. वेंकट सुब्बया : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। उन्होंने आपके सचिवालय के कार्यकरण पर गंभीर आक्षेप किया है। (**व्यवधान**) क्या आप इसे गंभीर नहीं मानेंगे ?

(व्यवधान)

प्रो. पी. जी. मावलंकर : यदि अल्प सूचना प्रश्न में एक महीने का समय लगता है तो इसका अर्थ क्या है? इसमें कम से कम समय लगना चाहिये और 10 दिनों के भीतर उसका उत्तर मिल जाना चाहिये। आप सुनिश्चित करें कि अल्प सूचना प्रश्न अल्पसूचना प्रश्न ही समझे जायें। **(व्यवधान)**

श्री ज्योतिर्मय बसु : वह विड़ला बन्धुओं के बारे में नहीं जानते हैं **(व्यवधान)**

श्री जी. डी. बिरला के भाषण को पढ़ने के बाद एक पुरानी कहावत याद आती है कि उल्टा चोर कोतवाल को डाँटे। उन्होंने काले धन के बारे में आलोचना की है जबकि देश में सबसे अधिक काला धन उनके पास ही है। प्रतिबंधात्मक नीतियों, विनियामक उपायों और नियोजित अर्थव्यवस्था की आलोचना करने के दौरान, यद्यपि ऐसा इस देश में बहुत ही कम किया जाता है, किसी न किसी बहाने बिड़ला बन्धुओं और इसी तरह के अन्य लोगों ने स्वतन्त्र भारत में गत 32 वर्षों से लगातार आम आदमी का शोषण किया है। फिर भी इस उम्र में वह अन्य उद्योगपतियों को भी इकट्ठा कर रहे हैं जो कि उनके भाषणों से ही स्पष्ट हो जाता है जिनमें उन्होंने युवा उद्योगपतियों से इस बात पर ध्यान न देते हुए कि दिल्ली में सरकार क्या कहती है और क्या करती है, अधिक उत्पादन करने के लिए प्रयास करने के लिए कहा। इसका मतलब क्या है ? यदि सरकार काबिल है तो, इसे उन पर शीघ्र ही मुकदमा चलाना चाहिए।

उद्योगपतियों से गैर-सरकारी क्षेत्र में औद्योगिक उत्पादन के मामले में कानूनों, नियमों और सरकारी आदेशों की उपेक्षा करने के लिए कहा जाता है। समाजवाद की दुहाई देने वाली कांग्रेस सरकार ने सरकार आयोग के साथ कठिनाई उत्पन्न की।

श्री के० गोपाल : महोदय, आप उन्हें भाषण देने की अनुमति दे रहे हैं। यह कैसी बात है ? जब कभी वह प्रश्न पूछते हैं तभी वह भाषण देते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : सरकार आयोग को, जिस पर 185 लाख रुपए खर्च हुए और जिसमें 9 वर्ष लगे हैं, समाप्त कर दिया है मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मंत्री महोदय का ध्यान दत्त समिति के प्रतिवेदन की ओर दिलाया गया है जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि बिड़ला बन्धुओं ने बार-बार यूनिवर्सल इलेक्ट्रिक में 541·59 प्रतिशत से अधिक और ग्वालियर रेयन में 67·79 प्रतिशत से अधिक उत्पादन किया है ·····(**व्यवधान**)। मुझे इस सम्बन्ध में जानकारी मिलनी चाहिए। उन्होंने लाइसेंस क्षमता से 119·95 प्रतिशत अधिक उत्पादन किया है। मेरे पास इसकी एक लम्बी सूची है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया, प्रश्न के सम्बन्ध में बात करें।

श्री ज्योतिर्मय बसु : बेकार में चिन्तित न हों। बिड़ला बन्धु इस सम्बन्ध में सावधानी बरतेंगे। उनका बड़ा गुरु है। अतः इस बारे में चिन्ता न करें।

ईक्विरी में उनकी मात्रिता नगण्य है; अर्थात् हिन्दुस्तान मोटर्स में यह केवल 7 प्रतिशत है। बिड़ला वन्धुओं ने अधिकांश पूँजी निवेश पर कब्जा कर रखा है। बिड़ला बन्धु शांत नहीं बैठेंगे। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : अब आप एक दूसरा भाषण दे रहे हैं। कृपया प्रश्न के सम्बन्ध में बात करें। यह तो सभा के समक्ष अनेक बार कहा गया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : 31 दिसम्बर, 1966 को बिड़ला बन्धुओं की आस्तियों का मूल्य वास्तविक धन 457.84 करोड़ रुपए था और 1976 में यह 974 करोड़ रुपए हो गया लाभ ···

अध्यक्ष महोदय : आपको प्रश्न के सम्बन्ध में बोलना चाहिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इस बात को ध्यान में रखकर क्या माननीय मंत्री बिड़ला बन्धुओं के विकास और आर्थिक अपराधों में कदाचार की जाँच करने के लिए एक निश्चित तारीख तक शीघ्र ही एक आयोग गठित करने के लिए क्या उपयुक्त कार्यवाही करेंगे क्योंकि यद्यपि बिड़ला बन्धु प्रतिदिन कैद की सजा देने वाले अपराध कर रहे हैं फिर भी किसी भी बिड़ला बन्धु को जेल नहीं भेजा गया है ? क्या वह इस समय विड़ला गृह की जाँच करने के लिए एक निश्चित तारीख तक शीघ्र ही एक आयोग का गठन करेंगे ? यदि नहीं करेंगे तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं नहीं समझता कि माननीय मंत्री ने जो प्रश्न उठाया है, उसमें ये सभी बातें आती हैं। जहाँ तक भाषण का सम्बन्ध है, एक मुद्रित प्रति है जिसे किसी अज्ञात एजेंसी ने प्रकाशित किया है। परन्तु श्री बिड़ला ने विभिन्न अन्य बातों के बीच दो सरल वक्तव्य दिये हैं। पहला यह है कि मैं अपनी उलझन के कारण कुछ ऐसा कह रहा हूँ। और उन्होंने यह कह कर अपना भाषण समाप्त किया, "मैं पुराना व्यक्ति हूँ। मैं समझता हूँ कि हमें उन्हें छोड़ देना चाहिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इस बात को ध्यान में रखकर कि संसद में श्रीमती मृणाल गोरे के प्रश्न के उत्तर में सरकार ने यह स्पष्ट कहा है :

"उन्होंने जो अपराध किए हैं उनमें कर अपवंचन ...."

अध्यक्ष महोदय : श्री बसु, यह प्रश्न यहाँ कैसे उत्पन्न होता है ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह प्रश्न उत्पन्न होता है। यह प्रश्न संख्या 944 है। महोदय, मैंने आपको एक पत्र लिखा था।

अध्यक्ष महोदय : आपने अनेक पत्र लिखे हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप मुझे हर वक्त क्यों रोकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : क्या आपका सम्बन्ध इस प्रश्न के बारे में है ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा सम्बन्ध इसी प्रश्न से है। उलटा चोर कोतवाल को डांटे। और वह अन्य लोगों से इस सरकार को कमजोर करने के लिए कह रहे हैं, अर्थात् दूसरों को भड़का रहे हैं कि वे इस सरकार के आदेशों का पालन न करें। यह रिकार्ड में है कि उन्होंने अनेक दंडनीय अपराध किये हैं जिनके लिए उन्हें दण्ड दिया जाये। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि क्या वित्त मंत्रालय आर्थिक अपराधों की जाँच करने के लिए एक पृथक आयोग बनायेगा। यदि नहीं, तो इसके कारण क्या है ?

महोदय, मैंने इस बारे में आपको लिखा था।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : जहाँ तक बिड़ला गृहों या अन्य किसी गृह द्वारा किए गए अपराधों का सम्बन्ध है, सरकार का ऐसे अपराधों से सम्बन्ध है, और जहाँ कहीं ऐसी कार्यवाही किये जाने की आवश्यकात होगी, यह कार्यवाही करेगी।

श्री के. गोपाल : मुझे माननीय मंत्री पर दया आती है। मंत्री महोदय इस देश के एकाधिकार गृहों और बहुराष्ट्रीय निगमों का समर्थन कर रहे हैं। (व्यवधान) उन्हें एक उद्योगपति से यह सम्मान प्राप्म हुआ है; "मंत्री महोदय के पास प्रस्ताव तो असंख्य हैं परन्तु उन पर कार्यवाही कुछ नहीं करते हैं।" एक उद्योगपति ने यही कहा है। मैं उनसे यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह सूनिश्चित करने के लिए कार्यवाह करने हेतु उनके पास समुचित व्यवस्था है कि इन लोगों के पास लाइसेंस क्षमता, निर्धारित क्षमता कितनी है। क्या उनके पास पर्याप्त व्यवस्था है? यदि नहीं है, तो क्या वह व्ववस्था में कोई सुधार करने जा रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप वह इन पर समुचित नियंत्रण रख सकें ? (व्यवधान) बिड़ला ने कहा है "किसी बात की चिन्ता न करें। क्षमता को किसी हद तक बड़ायें ..... (व्यवधान)। सरकार के पास जो व्यवस्था है, उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : बिड़ला ने अपने भाषण में अनेक उटपटांगव क्तव्य दिये हैं वह स्वयं कहते हैं कि यह शान्तिपूर्ण उटपटांग वक्तव्य हैं यह सत्य है कि उन्होंने श्रोताओं से कहा कि दिल्ली में सरकार जो कुछ कहती है, उसकी चिन्त न करें और आप जो कुछ करना चाहें, करें। यह भी सत्य है कि बिड़ला और अन्य गृहों ने अनेक बार कानून का उलंघन किया है। हम बिड़ला गृहों और अन्य गृहों के इन कार्यों का पता लगाते रहे हैं और जहाँ भी मुकदमा चलाने या अन्य कार्यवाही करने की आवश्यकता हुई है, वहां हमने ऐसा किया है। यदि माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या सरकार के पास इन समस्याओं को निपटाने के लिए कोई व्यवस्था है तो सरकार के पास इन समस्याओं को निपटाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था है।

प्रो. आर. के. अमीन : मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार लाइसेंस क्षमता देश की अर्थव्यस्था सुदृढ़ करने के लिए निर्धारित करती है और जबकि आपका इससे सम्बन्ध है तब क्या इसका समुचितरूप से मूल्लांकन किया जायेगा ? अतिरिक्त क्षमता अर्थ-व्यवस्था के हित में दी गयी है, क्या इस प्रश्न पर विदेशी मुद्रा रोजगार साधन क्षमता के अनुसार विचार किया जाएगा ?··· (व्यवधान) दूसरी बात यह है कि मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार की नीतियों में अंतर्विरोध है। यदि सरकार को भ्रम है और अस्पष्ट निदेश जारी करती है तो क्या यह दोष उसका है जो ऐसा कहता है। उदाहरण के लिए वित्त मंत्रालय ने यह कहा है कि मूल्य वृद्धि 1 प्रतिशत होगी। यदि मैं हिसाब लगाकर 15 प्रतिशत मूल्य-वृद्धि बातता हूं तो क्या दोष मेरा है? मैं यह जानना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति के विचार सरकार से नहीं मिलते हैं, तो क्या वह व्यक्ति दोषी है ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मेरा सम्बन्ध तो कानूनों और कानूनों को लागू करना है। लाइसेंस कानूनों में कतिपय स्थिति में लाइसेंस जारी करना और कतिपय स्थिति में लाइसेंस जारी न करने की व्यवस्था है और सरकार लाइसेंस जारों करने और न जारी करने का निर्णय लेती है और यदि बाद में सरकार को चुनौती दी जाती है तो इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर कार्यवाही की जायेगी।

श्री पी. जी. मावलंकर : यह अल्प सूचना प्रश्न एक महीने के बाद आया है। मैं प्रक्रिया के सम्बन्ध में आपकी जामकारी चाहता हूँ। जब कोई सदस्य अल्प सूचना प्रश्न पूछता है तो जिस मंत्री को इसका उत्तर देना है, उसे उत्तर देने के लिए सहमत भी होना चाहिए। अल्पकाल में उत्तर देने के लिए मंत्री को सहमत भी होना चाहिए। यदि वह समझते हैं कि जी० डी० बिरला का बयान भ्रमिक था और वह पुराने व्यक्ति थे तो मैं नहीं जानता हूँ कि उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर देना स्वीकार क्यों किया ? चूँकि उन्होंने इसका उत्तर देना स्वीकार कर लिया है, इसलिए मैं उनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। यह जी० डी० बिरला वह नहीं हैं जो एक व्यक्ति के रूप में बोले हों परन्तु निस्सन्देह वह इस देश के उद्योगयतियों और एकाधिकारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनकी जनता सरकार की समाजवादी, प्रगतिवादी नीतियों और योजनाओं का विरोध करने की आदत कई वर्षों से बन गई है। माननीय मंत्री समाजवाद में आस्था रखने वाले व्यक्ति हैं। अतः मेरा प्रश्न यह है कि सरकार आयोग को जिस ढंग से समाप्त किया गया वह एक अच्छी बात की। समावदी नीतियों में आस्था रखने वालें उद्योग मंत्री जो गरीबों की दशा सुधारने और एकाधिकारी गृहों को समाप्त करना चाहते हैं, क्या इस बात को सुनिश्चि करेंगे कि इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना बयानों पर समुचित कार्यवाही की जायेगी और कानून के मुताबिक दोषी एकाधिकारियों के विरूद्ध ईमानदारी के साथ कार्यवाही की जायेगी ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : इस देश में भाषण की स्वतंत्रा है। मैं समझया हूँ कि यह स्वतंत्रता एकाधिकारियों समेत सभी को प्राप्त है और कोई भी कुछ कह सकता है। मेरा और सरकार का सम्बन्ध तो उसके कार्यों से है। यदि उसके कार्यों से कानून का उल्लंघन होता है तो कानून के मुताबिक कार्यवाही की जाएगी।

अध्यक्ष महोदय : हम मद 4 (ख) को लेते हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

लघु उद्योग और कुटीर उद्योग क्षेत्र में साबुन निर्माण के लिए आरक्षण

*949. **डा० पी. वी. पेरियासामी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साबुन का निर्माण केवल लघु बद्योग और कुटीर उद्योग में आरक्षित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) साबुन के लिये बिक्री की सुविधाओं की व्यवस्था करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है;

उद्योग मंत्री श्री जार्ज फर्नान्डीस : (क) और (ख) : कपड़े धोने के साबुन का उत्पादन लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित कर दिया गया है तथा उत्पादन में में वृद्धि करने के लिए अभ्युपाय किये जा रहे हैं ताकि संगठित क्षेत्र द्वारा इस आरक्षण का अतिक्रमण न होने पाये ।

सरकार द्वारा, खादी और ग्रामीण क्षेत्र के अंश के रूप में, साबुन उद्योग के विकास के लिए भावी नीति तथा कार्यक्रमों की सिफारिश करने के लिए खादी तथा गामोद्योग पर एक कार्यकारी दल का गठन किया गया था जिसने निम्नलिखित सिफारशें की हैं :

(1) वनों तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग के क्षेत्रों को रियायती दरों पर पट्टे पर देना ताकि प्राथमिकता के आधार पर अखाद्य तिलहनों को एकत्रित किया जाना सुनिश्चित किया जाना सुनिश्चित किया जा सके ।

(2) सभी प्रकार के करों छोटे तिलहनों तेलों तथा इसके सम्बद्ध उत्पादको को लाने ले जाने तथा उनको एकत्रित करने पर चुंगी में छूट दी जानी चाहिए।

(3) छोटे तिलहनों, तेलों तथा खली (केक) के लिए भाड़ा प्रभारों में रियायत सुनिश्चित की जानी चाहिए ।

(4) विकेन्द्रीकृत अखाद्य तिलहनों से साबुन बनाने वाले केन्द्रों को रियायती दर पर प्राथमिकता के आधार पर बिजली सप्लाई की जानी चाहिए ।

(5) अखाद्य तिलहन साबुन ग्रामीण उद्योग एककों तथा अन्य सम्बद्ध उत्पादकों जैसे फिनाइल तथा ग्रीस इत्यादि के लिए करों में छूट दी जानी चाहिए ।

(6) विभिन्न सरकारों द्वारा अखाद्य तिलहनों से बनने वाले साबुन की खरीद में प्राथमिकता दी जानी चाहिए ।

(7) तकनीकी आधार पर कम से कम सीमा के बाद साबुन बनाने में खाद्य तेलों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगना चाहिए ।

(8) बड़े क्षेत्रों में साबुन बनाने के और एककों के विस्तार हेतु कोई अनुमति नहीं दी जानी चाहिए ।

(9) सरकार को लघु, मझौले तथा बड़े उद्योगों को, अखाद्य तेलों के प्रयोग द्वारा (1) अखाद्य तिलहनों को एकत्रित करने (1) अखाद्य तिलहनों को पेरने तथा (3) साबून बनाने (लाँड्री तथा टॉइलेट) के कार्यकलापों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए ।

उक्त सिफारशें सरकार के विचाराधीन है ।

कागज विषय कृतिक बल की सिफारिशें

952. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कागज के उत्पादन और मांग के प्रश्न पर विचार करने के लिए सरकार द्वारा एक कृतिक बल का गठन किया गया था; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य सिफारिशें/निष्कर्ष क्या हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीस) (क) और (ख) योजना आयोग द्वारा कागज तथा कागज गत्ता उद्योग पर पंच वर्षीय योजना (1978-83) के लिए लक्ष्य निर्धारित करने तथा कार्यक्रम बनाने हेतु एक कार्यकारी दल का गठन किया गया है। कार्यकारी दल की अन्तिम सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

अस्पृश्यता का उन्मूलन

*953. **श्री दलपत सिंह परस्ते** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आगामी पांच वर्षों में देश से अस्पृश्यता का उन्मूलन करने के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनिक लाल मण्डल) (क) और (ख): राज्य सरकारों और सम्बन्धित केन्द्रीय मंत्रालयों से परामर्श करके अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए एक विस्तृत कार्य योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

पोर्ट ब्लियर में पाये गए जापानी बम

*958. **श्री रागाबेलू मोहनरंगम** :

श्री छोटूभाई गामित : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन 1000 बिना फटे जापानी बमों का पूरा ब्यौरा क्या है जो पोर्ट ब्लेयर में पाये गये बताये जाते हैं; और

(ख) इन बमों को नष्ट करने का क्या तरीका है ?

(गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री) (श्री घनिक लाल मण्डल) (क) अगस्त, 1977 में पोर्ट ब्लेयर में सिविल हवाई अड्डे के नजदीक बरसात के मौसम में एक स्थान पर धरती धँस जाने के बाद पुरानी गोला बारूद का एक ढेर जिसमें 903 जापानी बम थे, देखा गया था। जापानियों ने मार्च, 1942 से अक्तूबर, 1945 तक द्वीपों पर अपने कब्जे के समय एक सुरंग में इन बम्बों को जमा कर रखा था। सभी बम हवा में गिरने की किस्म के और 500 गज की सीमा में घातक और 1000 गज तक कारगर बताये जाते थे ।

इन बम्बों को निकाला गया और एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया जहां पर विस्फोट द्वारा उन्हें नष्ट कर दिया गया। यह समस्त कार्य सेना की बम्ब डिस्पोजल यूनिट द्वारा 19 अप्रैल और 17 मई 1978 के बीच किया गया था।

उद्योग के लिए रबड़ की कमी

959. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रबड़ की कमी से देश में रबड़ मिश्रित नारियल जटा उद्योग का विकास बहुत धीमा हो गया है; और

(ख) यदि हां तो उद्योग को पर्याप्त मात्रा में रबड़ की नियमित सप्लाई सुनिश्चित कराने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं;

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीस) : (क) सरकार को रबड़ की कमी के बारे में रबड़ मिश्रिम नारियल जटा उद्योग से जानकारी नहीं मिलीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आवेदकों से फीस एकत्र किया जाना

* 960. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग अपने द्वारा विज्ञापित अनेक नौकरियों के लिए आवेदकों से फीस एकत्र करता है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस से अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कन्वेन्सन संख्या 88 का उल्लंघन होता है; और

(ग) क्या सरकार का विचार संघ लोक सेवा आयोग को इस पद्धति को बन्द करने के लिए परामर्श देने का हैं ?

गृह मन्त्रालय तथा विधि न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस. डी. पाटिल) (क) जी हाँ श्रीमान।

(ख) तथा (ग)

सरकार द्वारा वर्ष 1978 में नियुक्त राष्ट्रीय रोजगार सेवा समिति ने, अन्य बातों के साथ-साथ निम्न प्रकार सिफारिश की थी।

"सरकार को चाहिए कि वह इस बात की जांच करें कि नि:शुल्क सार्वजनिक रोजगार सेवा वनाये रखने के लिए दिए गए आश्वासन को देखते हुए, जो अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कनवेंशन संख्या 88 के भारत के अनुसमर्थ में निहित है, सार्वजनिक क्षेत्र के पदों को भरने के लिए उम्मीदवारों का चयन करने वाले सेवा आयोगों तथा भर्ती बोर्डों के लिए यह वैध अथवा उचित है कि वे विज्ञापित प्रत्येक पद के लिए काफी बड़ी संख्या में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों से शुल्क प्राप्त करें।"

इसके साथ-साथ, समिति को अन्य सिफारिशें/सुझाव सरकार के विचाराधीन हैं।

कागज उद्योग के लिए स्वीडिंग प्रौद्योगिकी

964 **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** :

श्री ए० आर० बद्रीनारायण : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कागज उद्योग को स्वीडिश प्रौद्योगिकी से लाभ पहुच सकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या स्वीडन लुगदी तथा कागज के क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास कार्य करता है;

(ग) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में स्विडन की सरकार से सहयोग मांगा है;

(घ) यदि हाँ, तो उसकी प्रतिक्रिया क्या है; और

(ङ) क्या इस सम्बन्ध में प्राथमिक जानकारी प्राप्त करने के लिए किसी भारतीय शिष्ट-मण्डल ने स्वीडन का दौरा किया है;

उद्योग मन्त्री (श्री जार्ज फर्नांन्डिस) (क) कुछ विशिष्ट प्रकार के कागज के उत्पादन को छोड़कर कागज तथा कागज गत्ता को बनाने की पर्याप्त स्वदेशी प्रौद्योगिकी उपलब्ध है।

(ख) जी, हां।

(ग) से (ङ) व्यापार तथा औद्योगिक सहयोग पर पिछले वर्ष इण्डो-स्वीडिश संयुक्त आयोग केउप-आयोग के एक आयोग की बैठक में कागज तथा लुगदी उद्योग के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के बारे में भी बातचीत हुई थी इस बात पर सहमति व्यक्त की गई थी कि सम्बन्धित स्वीडिश संगठन इस क्षेत्र में सहयोग के विशिष्ट क्षेत्रों का पता लगाने की दृष्टि से ब्यौरेवार सूचना सहित भारतीय संगठनों के साथ संपर्क स्थापित करेगा।

माईबंग आसाम में कागज मिल की स्थापना

965. **श्री बीरेन सिंह एंगती** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का माईबंग, एन. सी. हिल्स, आसाम में एक कागज का कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) क्या सरकार का विचार इस प्रयोजन के लिए कोई सर्वेक्षण करने का और धन-राशि एकत्र करने का है;

उद्योग मन्त्री (श्री जार्ज फर्नांन्डिस) (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना

* 966. **डा. मुरली मनोहर जोशी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी मामलों के लिए प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित करने का निर्णय किया है ? और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय तथा विधि न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोनु सिंह पाटिल) (क) जी हाँ, श्रीमान।

(ख) ब्यौरों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो के प्रतिवेदनों का प्रकाशन

967. **श्री राम विलास पासवान** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न उत्पादों की उत्पादन लागत के बारे में औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरों

के प्रतिवेदन सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित न करने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार उक्त प्रतिवेदनों का भविष्य में प्रकाशन करने का है, यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार को पेश किये जाने के बाद प्रतिवेदनों का प्रकाशन कितने समय के भीतर कर दिया जायेगा;

उद्योग मन्त्री (श्री जार्ज फर्नान्डिस) (क) औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो की रिपोर्टें सम्बन्धित प्रशासनिक मन्त्रालयों/विभागों की प्रस्तुत की जाती है तथा जब तक उन पर अन्तिम निर्णय नहीं ले लिया जाता तब तक वे गोपनीय समझी जाती है। चूंकि ब्यूरो की सिफारिशें आदेशात्मक नहीं होती हैं तथा कुछ प्रकरणों में सम्भावित विकल्प भी देती हैं, अतः ऐसी रिपोर्टों के प्रकाशनों से ऊत्पादकों, में विशेष रूप से जल्दी प्रभाव पड़ने वाली व नाजुक किस्म की वस्तुओं में सट्टेबाजी हो सकती है।

(ख) और (ग) : औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो ने अपनी रिपोर्टों में ऐसे आंकड़ों के प्रकाशन के लिए एक ढांचा तैयार किया है जो विशेष औद्योगिक एककों द्वारा क्या गोपनीय समझा जा सकता है, इस पर मतभेद हुए बिना उद्योग की अर्थव्यवस्था में रुचि रखने वालों के लिए मूल्यवान होगा। ऊपर दिये के अनुसार औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो द्वारा तैयार किये गये ढांचे में अल्युमीनियम उद्योग पर पहला उद्योग विवरण (प्रोफाइन) पहले ही प्रकाशित हो चुका है तथा रिपोर्ट की प्रतियाँ संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। इसी आधार पर और उद्योगों के विवरण, जब भी तैयार होंगे उन्हें प्रकाशित किया जाएगा।

कानून और व्यवस्था के बारे में राष्ट्रीय एकमत

* 968. **प्रो. पी. जी. मावलंकर** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वह कानून और व्यवस्था की समस्या पर और अव्यवस्था का प्रभावशाली ढंग से मुकाबला करने के लिए एक मत तैयार करने हेतु सक्रिय और ठोस कार्यवाही कर रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उक्त कार्यवाही किसी भी तरीके से सफल सिद्ध हुई है ?

गृह मन्त्री (श्री एच. एम. पटेल) (क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

गृह मन्त्रालय की अनुदान की मांगों पर बहस का उत्तर देते हुए मैंने कहा था कि मेरी विधि और व्यवस्था की समस्याओं के विभिन्न पहलुओं पर एक राष्ट्रीय सहमति तैयार करने के कार्य में स्वयं को गंभीरता से लगाने का विचार है। यद्यपि इस सम्बन्ध में ब्यौरे अभी तैयार नहीं हुए हैं फिर भी यह एक सतत प्रक्रिया है जो प्रधान मन्त्री द्वारा आरम्भ कर दी गई है। उन्होंने विधि और व्यवस्था की समस्याओं के सम्बन्ध में कार्रवाई करने में विपक्षी दलों के नेताओं के साथ उनका सहयोग प्राप्त करने के लिए जुलाई-अगस्त 1978 में बातचीत आरम्भ की थी। इसके बाद सितम्बर और दिसम्बर 1978 में मुख्य मन्त्रियों के दो सम्मेलन हुए। विपक्षी दलों के नेताओं

ने बाद में दिसम्बर, 1978 में हुए सम्मेलन में भी भाग लिया था। बाद के सम्मेलन के निष्कर्षों के अनुसरण में उप प्रधान मन्त्री (रक्षा) की अध्यक्षता में एक समिति राष्ट्रीय एकता परिषद, उससे सम्बद्ध निकायो तथा साम्प्रदायिक एवं जाति-पाति के संघर्षों की समस्याओं पर विभिन्न जांच आयोगों की सिफारिशों की जाँच करने तथा इसके समाधान के लिए शीघ्र उठाये जाने वाले कदमों की सिफारिश करने के लिए गठित की गई है। समिति में अध्यक्ष के अतिरिक्त कुछ मुख्य मन्त्री, संसद में विभिन्न राजनैतिक दलों के नेता तथा अन्य हैं। मेरे मस्तिष्क में इन प्रयत्नों के अतिरिक्त कुछ और भी उपाय थे।

महाराष्ट्र में सीमेंट की चोर बाजारी

9201. **श्री बापूसाहित पसलेकर** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि महाराष्ट्र राज्य सरकार ने बड़े इमारत निर्माताओं और ठेकेदारों को सड़क परिवहन द्वारा राज्य के बाहर कारखानों से सीधे सीमेंट उठाने की अनुमति दी है और इस नीति से बड़े इमारत निर्माताओं द्वारा भ्रष्टाचार और सीमेंट की जमाखोरी हुई है;

(ख) क्या यह सच है कि बम्बई में सीमेंट की बोरी चोर बाजारी में 60 रुपये प्रति बोरी की दर से बेची जाती है जबकि इसका कन्ट्रोल मूल्य 23 रुपये है;

(ग) क्या समाचार पत्रों में प्रकाशित यह समाचार सच है कि बम्बई उपनगर में एक बड़े इमारत निर्माता ने 20 लाख से अधिक सीमेंट की बोरियां जमा की हुई हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस मामले में कोई कार्यवाही करने का है;

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) (क) जनवरी-मार्च 1979 की तिमाही के दौरान महाराष्ट्र सरकार को बम्बई पत्तन में सीमेंट के रुक जाने के कारण उत्पन्न कमियों को पूरा करने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा तमिलनाडु के सीमेंट संयंत्रों से 55,000 मी. टन थी सीमेंट की तदर्थ अतिरिक्त मात्रा का आवंटन किया गया था। रेल के माल डिब्बों की कमी होने के कारण इसमें से अधिकांश मात्रा सड़क द्वारा ले जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रबन्ध किये गये थे।

(ख) बम्बई नगर तथा देश के अन्य भागों से भिन्न भिन्न लाभ पर सीमेंट की चोरबाजारी के बारे में रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं।

(ग) सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(घ) माल जमा करने तथा चोर बाजारी के अपराधों के बारे में कार्रवाई करने हेतु राज्य सरकारों को आवश्यक वस्तु अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत शक्तियां प्राप्त हैं।

रुई निगम के लिए धनराशि की व्यवस्था

9202. **श्री युवराज** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुई निगम के लिए भारी धनराशि रखी गई है जिससे उसके कार्यक्षेत्र का विस्तार करने के सम्बन्ध में किये गए निर्णय के अनुसार वह अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा कर सके; और

(ख) यदि हाँ, तो कपास उत्पादकों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य कब से दिया जाने लगेगा और आम जनता को मोटा कपड़ा नियंत्रित दरों पर कब से मिलने लगेगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) तथा (ख) भारतीय रुई निगम अपने खरीद कार्यों का वित्तीयन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई ऋण सीमाओं के माध्यम से कर रहा है और केन्द्रीय सरकार द्वारा बजट के जरिये किसी भी अतिरिक्त राशि की व्यवस्था नहीं की गई है। भारतीय रुई निगम विनियमित बाजारों से खुली नीलामियों में निजी व्यापारियों से प्रतिस्पर्धा में कपास खरीदता है और यह सुनिश्चित करता है कि रुई उत्पादकों को उनके उत्पाद के लिए प्रतिस्पर्धात्मक कीमतें प्राप्त हों। कपास की वर्तमान कीमतें (ए. ए. क्यू.) सरकार द्वारा घोषित की गई न्यूनतम समर्थन कीमतों से काफी अधिक हैं।

नियंत्रण कपडा, जिसमें मोटा (कोर्स) कपड़ा भी शामिल है, समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को पहले ही निधारित कीमतो पर उपलब्ध कराया जा रहा है जो उत्पादन लागत से काफी नीचे हैं।

विकृत उद्योग केन्द्र झालावाड़ में महिला उद्यमकर्त्ता

9203. **श्री चतुर्भुज** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि झालावाड़ा, राजस्थान में जिला उद्योग केन्द्र की सहायता से कुछ महिला उद्यमकर्त्ता स्वनियोजन को प्रोत्साहन देने के लिए आगे आई हैं;

(ख) क्या उनके आवेदन पत्रों की जांच की गई है और उन्हें क्या विशेष सुविधाए प्रदान की जा रही हैं जिससे शिक्षित महिला उद्यमकर्त्ता इस पिछड़े जिले में विकास गतिविधियों में सक्रिय भाग ले सकें; और

(ग) क्या यह भी सच है कि योजना आयोग के कार्यकारी दल ने भी आवश्यकताओं के लिये विशेष उपाय करने की आवश्यकता के बारे में सुझाव दिया गया सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) से (घ) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सरकारी कर्मचारियों की अपीलों पर विचार

9204. **श्री राजे विशेश्वर राव** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असंतुष्ट सरकारी कर्मचारियों द्वारा विभागाध्यक्षों या प्रेजीडेण्ट की नियमों के अन्तर्गत को जाने वाला अपीलों पर अर्ध-न्यायिक ढंग से विचार किया जाता है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या अपीलीय अधिकारी न्यायिक निकायों के निर्णयों की तरह आदेश देते हैं और क्या उनके आदेशों की प्रतियाँ अपीलकर्त्ता को दी जाती हैं; और

(ग) इसके लिए क्या मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किये गए हैं ?

गृह मंत्रालय तथा विधि, न्याय और कम्पनी काय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. डी. पाटिल) : (क) जी हाँ, श्रीमान्।

(ख) अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा स्पीकिंग आदेश पारित किया जाना अपेक्षित है जिसमें यह बताया जाएगा कि वास्तव में उन्होंने उक्त मामले में स्वयं विचार किया है। अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा पारित आदेशों की प्रतियां अपीलकर्त्ता को भी दिया जाना आवश्यक है।

(ग) केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली, 1965 के नियम 27 तथा 30 को एक विवरण संलग्न है।

विवरण

केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली, 1965 के नियम 27 तथा 30 की प्रतिलिपि

अपील पर विचार किया जाना :

(1) निलम्बन के किसी आदेश के विरुद्ध किसी अपील के मामले में अपीलीय प्राधिकारी इस बात पर विचार करेगा कि क्या, नियम 10 के प्रावधानों और मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, नियमान के आदेश उचित है अथवा नहीं तथा तदनुसार आदेश की पुष्टि अथवा उसे निरस्त करेगा।

(2) नियम 11 में निर्धारित किसी दण्ड के लगाये जाने के किसी आदेश के विरुद्ध किसी अपील अथवा उक्त नियम के अधीन दिये गए किसी दण्ड को बढ़ाने के सम्बन्ध में किसी अपील के मामले में अपीलीय प्राधिकारी निम्नलिखित पर विचार करेगा :

(क) जहाँ इन नियमों में निर्धारित कार्यविधि का अनुपालन किया गया है, और यदि नहीं, तो क्या अनुपालन न किए जाने से भारत के संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन अथवा अन्याय तो नहीं हुआ है;

(ख) क्या अनुशासनिक प्राधिकारी के निष्कर्ष रिकार्ड में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर उचित हैं; और

(ग) क्या दण्ड अथवा बढ़ाया गया दण्ड पर्याप्त, अपर्याप्त अथवा कठोर है; और

(I) दण्ड की पुष्टि, बढ़ाये जाने, कम करने अथवा रद्द करने, अथवा

(II) मामले को उस प्राधिकारी को वापस भेजने, जिसने दण्ड दिया अथवा बढ़ाया है, अथवा ऐसे निदेश के साथ किसी अन्य प्राधिकारी को भेजने, जो मामले की परिस्थितियों के अनुसार उचित हो,

आदेश पारित करेगा,

बशर्ते कि :

(I) जहाँ आयोग से परामर्श करना आवश्यक हो वहां सभी मामलों में आयोग से परामर्श किया जाएगा,

(II) यदि बढ़ाया गया दण्ड जिसे अपीलीय प्राधिकारी बढ़ाने का प्रस्ताव करता है नियम 11 के दण्ड (V) से (IX) में निर्धारित दण्डों में से एक है और नियम 14 के अधीन उक्त मामले में पहले से ही कोई जाँच नहीं की गइ है तो अपीलीय

प्राधिकारी, नियम 19 के प्रावधानों के अधीन, स्वयं ऐसी जांच करेगा अथवा यह निर्देश देगा कि ऐसी जांच नियम 14 के प्रावधानों के अनुसार की जाए और इसके बाद ऐसी जांच को कार्यवाहियों पर विचार करके जो आदेश उचित समझे वैसा आदेश देगा।

(III) यदि बढ़ाया गया दण्ड जिसे अपीलीय प्राधिकारी देने का प्रस्ताव करता है, नियम 11 के खण्ड (V) से (IX) में निर्धारित दण्डों में से एक है और नियम 14 के अधीन उक्त मामले में पहले से ही कोई जाँच की गई है तो अपीलीय प्राधिकारी जो आदेश उचित समझे वैसा आदेश देगा; और

(IV) जब तक अपीलकर्त्ता को बढ़ाए जाने वाले दण्ड के विरुद्ध नियम 16 के प्रावधानों के अनुसार अध्यावेदन करने का उचित अवसर नहीं दिया जाएगा तब तक किसी अन्य मालले में दण्ड बढ़ाने का कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

(3) नियम 23 में निर्धारित किसी अन्य आदेश के विरुद्ध किसी अपील में अपीलीय प्राधिकारी मामले की सभी परिस्थितियों पर विचार करेगा और जैसा भी उचित तथा न्याय संगत हो वैसा आदेश देगा।

30. **आदेशों, नोटिसों आदि का दिया जाना**

इन नियमों के अधीन दिये गए अथवा जारी किये गए प्रत्येक आदेश नोटिस तथा की गई अन्य की गई प्रक्रिया, सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी को व्यक्तिगत रूप से दिया जाएगा अथवा रजिस्ट्री डाक द्वारा पहुँचाया जाएगा।

राजस्थान में छोटे सीमेंट संयंत्र की स्थापना

9205 : **चौधरी हरी राम मक्कासर गोदारा** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत दो वर्षों में राजस्थान में जो छोटे सीमेंट कारखाने स्थापित किये जाने थे उनकी स्थापना नहीं की गई हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उनकी स्थापना के लिये अब क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बा प्रसाद यादव) : (क) से (ग) : राजस्थान राज्य में मिली सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के लिए अब तक 10 योजनायें स्वीकृत की जा चुकी हैं जिनका ब्यौरा इस प्रकार है :

क्र. सं.	योजना का नाम	स्थापना स्थल	क्षमता (लाख मी. टन प्रति वर्ष)	कब स्वीकृत किये गए
1	2	3	4	5
आशय पत्रों में शामिल :				
1.	राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल एण्ड मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन	जि० पाली	0.33	25-4-78

2.	वही	जि० जोधपुर	0.33	वही
3.	वही	जि० जयपुर	0.33	वही
4.	वही	जि० सिरोही	0.33	वही
5.	वही	जि० सीकर	0.33	वही

तकनीकी विकास के महानिदेशालय द्वारा स्वीकृत पंजीकरण में शामिल :

1	2	3	4	5
6.	केसर सीमेंट	जि० उदयपुर	0.20	11-4-78
7.	वी. के. अग्रवाल (लकी मिनमेट प्रा० लि०)	दलपतपुरा जि० सीकर	0.165	25-10-78
8.	अशोक कुमार (बजरंगबली सीमेंट)	कोटपुतली	0.30	8-11-78
9.	जे० एल शाह	किवर्ली	0.54	6-1-79
10.	नौरदम सीमेंट	खोदान जि० बोसवाड़ा	0.69	30-3-79

दि राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल एण्ड मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन जयपुर ने अपनी वर्तमान क्षमता 0.33 लाख मी० टन में संशोधन करके 0·66 लाख मी० टन वार्षिक करने के लिए फरवरी, 1979 में आवेदन किया था। योजना अभी कार्यान्वियन की प्रारम्भिक अवस्था में हैं।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उत्थान की योजनाएं

9206. **श्री श्याम सुन्दर लाल :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अनुसूचित जातियों और अनूसूचित जनजातियों के अधिकारों एवं हितों की गारंटी के लिये विशेष तन्त्र के साथ उनके कल्याण के नये अध्याय को प्रारम्भ करने के लिए उनके उत्थान की नई योजनाएं बनाने का विचार है; और

(ख) यदि हाँ, तो योजनाओं का स्वरूप क्या है और इस दिशा में क्या प्रगति की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) और (ख) : अनुसूचित जातियों के सम्बन्ध में भारत सरकार ने उनके आर्थिक विकास के लिए नई नीति बनाई है ताकि उनके उत्थान की नींव पक्की हो जाए। मध्यावधि योजना 1978-1983 के दौरान अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कार्यकारी दल ने, जो गृह राज्य मंत्री के सभापतित्व में गठित किया गया है, अपनी रिपोर्ट में जोर दिया है कि अनुसूचित जातियों के लिए आर्थिक विकास कार्यक्रम निर्णायक हैं :

(1) अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना जिसमें सामान्य क्षेत्र के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के लिए योजनाओं का पता लगाने, प्रत्येक क्षेत्र के अधीन सभी विभाज्य कार्यक्रमों से धनराशि की मात्रा निर्धारित करने और इन कार्यक्रमों से लाभान्वित होने वाले परिवारों की संख्या का विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करने पर विचार किया गया है। अनुसूचित जातियों की

विशिष्ट संघटक योजना को प्रत्येक राज्य तथा केन्द्रीय मंत्रालयों की योजना से भिन्न योजना के रूप में माना गया है। अनुसूचित जातियों की पर्याप्त संख्या वाले अधिकांश राज्य सरकारों ने अनुसूचित जातियों की विशिष्ट संघटक योजना तैयार करना प्रारम्भ कर दिया है।

(2) **अनुसूचित जाति विकास निगम** : टारगेट ग्रुपों को उनके लिए आशयित लाभ पहुँचाने तथा मारकेट में उनकी आवश्यक पहुँच सुनिश्चित करने की दृष्टि से ऋणदाता संस्थान, तकनीकी विशेषज्ञ जैसे लाभ पहुँचाने में सहायता के साधनों के रूप में राज्यों में अनुसूचित जाति विकास निगम स्थापित करने की सलाह दी गई थी। ये निगम गारंटी देने तथा उनकी उन्नति के लिए कार्य करेंगे और जहां कहीं आवश्यक हो, पूंजी की कमी हो वहां पूंजी लगायेंगे: ये निगम क्षेत्रीय प्राधिकारियों एवं अन्य संगठन जो इन कार्यक्रमों की आवश्यक सहायता करते हैं, के माध्यम से कार्य करेंगे। अनुसूचित जाति निगमों में पूंजी लगाने के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता देने की योजना की प्रशंसा की गई है। वर्ष 1979-80 के लिए 10 करोड़ रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। अधिकांश राज्यों में जहां अनुसूचित जातियों की पर्याप्त संख्या है ये निगम बनाए हैं।

(3) राज्यों में नागरिक अधिकार रक्षा अधिनियम कार्यान्वित करने के लिए तंत्र सुदृढ़ करने के लिए योजना हाथ में ली गई है। इस सम्बन्ध में 1979-80 के लिए 2 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

अनुसूचित जनजातियों के बारे में छठी योजना में प्रस्ताव किया गया है कि 10000 या अधिक जो 50 प्रतिशत तक जनजाति वाले क्षेत्र हैं उन्हें संशोधित क्षेत्र योजना में सम्मिलित किया जाए। इन क्षेत्रों में भी विकास कार्यक्रम थोड़ा बहुत जनजातीय उपयोजना के समान हैं जहां स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इन क्षेत्रों के अनूसूचित जनजातियों का विकास शीघ्र से किया जाए।

खादी उत्पादों की बिक्री के लिए खादी उद्योग

9207. **प्रो० समर गुह** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी आयोग ने खादी उत्पादों की खरीद तथा बिक्री के लिए पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में केन्द्र खोले हैं;

(ख) क्या ऐसे केन्द्र केन्द्रीय डिवीजन में विशेषकर खिपूरी पुलिस स्टेशन के अनुसूचित जातियों के क्षेत्र में खोले गये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है; और

(घ) इस जिले में तथा विशेष रूप से केन्द्रीय डिवीजन में ऐसे केन्द्रों की विस्तार योजनाओं सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) से (घ) : सूचना इकट्ठी की जा रही है समापटल पर रख दी जाएगी।

सीमेंट के एककों के लिए नये स्थान

9208. **श्री सुरेन्द्र विक्रम** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 5 अप्रैल, 1979 को अपनी घोषणा के अनुसार क्या वे यह सूचित करेंगे कि किन कारणों से उन्होंने सीमेंट के एककों के लिए नये स्थानों के बारे में पुनर्विचार किया;

(ख) अब वे नये स्थान कौन से हैं जहां सीमेंट के नये एकक स्थापित किये जाने की सम्भावना है और नये स्थानों के लाभ क्या हैं;

(ग) केन्द्र तथा अलग-अलग राज्य सरकारों द्वारा सीमेंट के इन नये एककों के लिए क्या विशेष लाभ अथवा सहायता की जायेगी; और

(घ) उत्पादन के लिए ये एकक कब तक तैयार हो जायेंगे और उनकी अलग-अलग क्षमता कितनी होगी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) : बन्द रेल बैगनों की सामान्य कमी को ध्यान में रखकर अलग-अलग स्थापना स्थलों के आधार पर सीमेंट संयंत्रों की स्थापना को प्रोत्साहन देने का निर्णय किया गया है अर्थात् क्लिंकर संयंत्र चूना-पत्थर निक्षेपों के आसपास तथा पिसाई संयंत्र उपभोक्ता केन्द्रों के पास स्थापित किए जाने चाहिए।

(ग) तथा (घ) : विवरण अभी तैयार किया जाता है।

गुजरात विद्युत करघा संघ, अहमदाबाद द्वारा अभ्यावेदन

9209. **श्री धर्म सिंह भाई पटेल : उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विद्युत करघा संघ, अहमदाबाद ने विद्युत करघा के लिए परमिट की मंजूरी के लिए उन्हें 6 फरवरी, 1979 को एक अभ्यावेदन दिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इससे की गई मांगों का स्वरूप क्या है;

(ग) उनमें से कितनी मांगें स्वीकार की गई और कब स्वीकार की गई और वे मांगे कैसे स्वीकार की गई;

(घ) कौन सी मांगे स्वीकार नहीं की गई हैं; और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) शेष मांगें कब तक स्वीकार कर ली जायेंगी और उनका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी, नहीं। फिर भी सरकार को गुजरात विद्युत करघा संगठित संघ से दिनांक 26-2-1979 का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

(ख) एसोसियेशन ने कहा है कि विद्युत करघा मालिक जिनके लिए केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्राधिकारियों द्वारा एक-4 लाइसेंस दिये गए हैं उन्हें 31 मार्च 1979 तक वस्त्र आयुक्त द्वारा जारी किये गए टेक्सटाइस परमिट प्रस्तुत करने को कहा गया था। एसोसियेशन ने शिकायत की है परमिट अभी तक जारी नहीं किये गए हैं तथा इसके परिणामस्वरूप उन्हें आशंका है कि उनके एल-4 लाइसेंस रद्द किये जा सकते हैं।

(ग) से (ङ) : सरकार ने 7 अगस्त 1978 को संसद के सभा पटल पर रखे गये वस्त्र नीति विवरण में कहा है कि निवारक दण्ड का भुगतान करने पर इस प्रकार के सभी अप्राधिकृत विद्युत करघों को विनियमित कर दिया जायेगा। इस प्रकार के अप्राधिकृत विद्युत करघों को विनियमित करने हेतु प्रक्रिया बनाई जा रही है व जैसे ही उसे अन्तिम रूप दे दिया जायेगा वस्त्र आयुक्त के परमिट जारी कर दिये जायेंगे।

केन्द्रीय उत्पादक शुल्क विभाग द्वारा जारी किये गए एल-4 लाइसंसों के बारे में उनकी वैद्यतावधि छः महीनों अर्थात् 30-9-79 तक बढ़ा दी गई है और आशा की जाती है कि उस समय तक विनिमयन के लिये प्रक्रिया को अन्तिम रूप दे दिया जायेगा।

स्कूटर इण्डिया लिमिटेड को हानि

9210. **श्री के० मालन्ना** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूटर इण्डिया लिमिटेड को कोई हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि कार्यालय फर्नीचर के रख-रखाव और फिटिंग पर बड़ी धनराशि खर्च की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या कम्पनी में गबन के किसी मामले की जानकारी सरकार को दी गई है अथवा सरकार ने ऐसे किसी मामले का पता लगाया है; यदि हां, तो सत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) जी, हाँ।

(ख) तथा (ग) : पिछले तीन वर्षों के दौरान स्कूटर्स इण्डिया द्वारा फर्नीचर, स्थावर वस्तुओं तथा कार्यालय उपकरणों पर किया गया पूंजीगत तथा विविध व्यय निम्नलिखित है :

(लाख रुपयों में)

	पूंजीगत व्यय	विविध व्यय
1975-76	8.93	14,570
1976-77	4.18	41,179
1977-78	1.42	38.327

रख-रखाव का व्यय नगण्य है तथा इस सम्बन्ध में कुल पूंजीगत व्यय के अनुरूप है। 1977-78 में कार्यालय फर्नीचर पर और फिटिंगों पर पूंजीगत तथा रख-रखाव दोनों पर व्यय 1976-77 की तुलना में कम था।

(घ) जी, नहीं।

दिल्ली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध झूठे मामले बनाना

9211. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय की कोई शिकायत प्राप्त हुई है कि दिल्ली पुलिस अपराधियों को उनके घरों से ले जाती है और उन्हें न्यायालयों में पेश किये बिना 5-6 दिन पुलिस स्टेशनों पर रखती है और बाद में उनके विरुद्ध झूठे मामले बनाती है और इसके बाद उन्हें न्यायालयों में पेश करती है और यदि उनके सम्बन्धी पुलिस से उनकी जमानत के लिए अनुरोध करते हैं और उनके बारे में पूछ-ताछ करते हैं तो वे गिरफ्तार व्यक्तियों के बारे में उन्हें बताते तक नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार दिल्ली पुलिस की ऐसी कार्यवाही के बारे में जांच करने का है; और

(ग) गत एक वर्ष में ऐसे व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों से कितनी शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई और दोषी पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय में विधि-न्याय तथा कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस. डी. पाटिल) : (क),(ख) और (ग) गत वर्ष ऐसी 8 शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिनमें से 5 मामलों में आरोप स्थापित नहीं हो सके थे। इस मामले में आरोप सिद्ध हुए हैं। 3 निरीक्षकों और एक सहायक निरीक्षक जिन्हें जिम्मेवार पाया गया था, उनमें से एक निरीक्षक को मुअत्तिल कर दिया गया है और अन्य के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही शुरू की गई है। अन्य दो शिकयतों की जांच की जा रही है।

दिल्ली पुलिस के सर्तकता शाखा में इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त होने पर तत्काल जांच के लिए एक विशेष चल दस्ता स्थापित किया गया है ।

उद्यम पूंजी कम्पनी (वेन्चर कैपिटल कम्पनी की स्थापना

9212. **श्री पवित्र मोहन प्रधान** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में बंगलौर में हुए औद्योगिक सहयोग सम्बन्धी राष्ट्रमण्डल उद्योग मन्त्रियों की बैठक में उद्यम पूंजी कम्पनी की स्थापना की सम्भावित आवश्यकता के बारे में जांच करने के लिए एक कार्यकारी दल गठित करने का प्रस्ताव था;

(ख) क्या श्री एल. के. झा की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ दल ने एक ऐसी कम्पनी की स्थापना की सिफारिश की है; और

(ग) क्या उक्त कम्पनी विकासशील देशों में मुख्यतया लघु उद्योगों के शेयरों के निम्नांकन के लिए साम्य पूजी की व्यवस्था करेगी और अन्य साधनों से ऋण पूंजी जुटाएगी ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती आभा माईति) : (क), (ख) तथा (ग) बंगलौर में मार्च 1979 में औद्योगिक सहयोग के लिए हुए प्रथम राष्ट्र मण्डलीय मन्त्री स्तर की बैठक में श्री एल. के. झा की अध्यक्षता में औद्योगिक विशेषज्ञों के राष्ट्र मण्डलीय दल की अन्तिम रिपोर्ट में दी गई जिन सिफारिशों पर विचार हुआ उनमें से एक राष्ट्र मण्डलीय उद्यम पूंजी कम्पनी की स्थापना से सम्बन्धित था। इस बात पर सहमति थी कि एक ऐसी कम्पनी की स्थापना के लिए सम्भव आवश्यकताओं तथा अन्य सम्बन्धित मामलों पर विचार करने के लिए राष्ट्र मण्डीलय महासचिव द्वारा एक कार्यकारी दल बुलाया जाये ताकि इस पर जल्दी से जल्दी निर्णय लेने में सहायता मिल सके। कार्यकारी दल विकास-शील देशों में औद्योगिक उद्यमों के लिए महत्वपूर्ण न्यूनतम इक्विटी पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सम्भव वैकल्पिक प्रबन्धों के साथ-साथ आवश्यक किस्म के संस्थान, इसके आकार, वित्त के साधनों, कार्य के तरीकों तथा प्रबन्ध की भी जांच करेगा ।

सोयाबीन उद्योगों के लिए बड़े उद्योगों को लाइसेंस जारी करना

9213. **श्री माध्वराव सिंधिया** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच नहीं है कि बहुराष्ट्रीय तथा बड़े उद्योगों को सोयाबीन प्रोसेसिंग

उद्योगों के क्षेत्र में लाइसेंस नहीं दिए जा रहे थे जो कि उस समय लघु उद्योगों के लिए आरक्षित था;

(ख) यदि हाँ, तो क्या 1979 के आरम्भ में सरकार ने नियमों को उदार बना दिया है जिनके अन्तर्गत बहुराष्ट्रीय तथा बड़ी कम्पनियों को इस क्षेत्र में लाइसेंस दिए जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस क्षेत्र में लघु उद्योगों के हितों की रक्षा के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है।

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद) : (क) सोयाबीन प्रोसेसिंग का विकास लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित नहीं है।

(ख) जी, हां। सरकार ने नियमों की व्याख्या को उदार बना दिया है ताकि बड़े गृह भी उद्योग में भाग ले सकें।

(ग) 29 जनवरी, 1979 के प्रेस नोट में दिये गये ब्योरे निम्नलिखित हैं।

(1) प्रारम्भ में सोयाबीन उद्योग को सरकारी प्रैस नोट दिनांक 2 फरवरी, 1973 के परिशिष्ट में समाविष्ट उद्योग का दर्जा दिया गया है तथा बड़े गृह भी इस उद्योग में भाग लेने के लिये पात्र होंगे।

(2) सोयाबीन के उत्पादन बनाने के लिए क्षमता पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।

(3) सरकार का समाधान हो जाने पर विदेशी सहयोग तथा पूंजीगत माल का आयात करने की अनुमति दी जायेगी।

(4) सोयाबीन के उत्पादन बनाने पर निर्यात का कोई दायित्व लागू नहीं किया जायेगा।

(5) गैर-एम. आर. टी. पी. तथा गैर-फेरा कम्पनियों से मिले प्रस्तावों की दरीयता दी जायेगी।

उद्योग मन्त्रालय में पृथक विभाग बनाना

9214 **श्री एस. आर. दामणी** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उद्योग मन्त्रालय के छोटे पैमाने के एककों के लिए पृथक विभाग बनाने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस विभाग द्वारा किये जाने वाले कृत्यों का ब्यौरा क्या है।

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) तथा (ख) इस बारे में सरकार को दिए गए सुझाव पर विचार किया जा रहा है तथा यदि इसे सरकार द्वारा अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाता है तो इस पर कार्यवाही की जाएगी।

सरकार द्वारा भारतीय रुई निगम के माध्यम से खरीदी गई रुई की दर

9215. **श्री बेगा राम चौहान** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) सरकार ने वर्ष 1975-76 में श्री गंगानगर, राजस्थान से भारतीय रुई निगम के माध्यम से "देशी" और "नरम" रुई की खरीद किस पद पर की ?

(ख) नवम्बर, दिसम्बर, 1978 में "देसी" और "नरम" रुई का बाजार मूल्य कितना

था और सरकार ने भारतीय रुई निगम के माध्यम से किस दर पर इसकी खरीद की; और

(ग) क्या उपर्युक्त प्रश्न के भाग (क) और (ख) में निहित जानकारी का विवरण सभा पटल पर रखा जाएगा।

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) भारतीय रुई निगम ने वर्ष 1975-76 में सरकारी खाते में देशी रुई की कोई खरीद नहीं की थी। किन्तु निगम ने वर्ष 1975-76 में श्री गंगानगर (राजस्थान) से निम्नलिखित दरों पर 'नरमा' व 'देशी' रुई की खरीद की थी :

जे-34 — 235/273 रुपए प्रति क्विन्टल कपास

देशी — 198/210 रुपए प्रति क्विन्टल कपास

(ख) नवम्बर-दिसम्बर 1978 के दौरान कपास के निम्नलिखित बाजार मूल्य रहे :

जे-34 — 274/316 रुपए प्रति क्विन्टल

देशी — 290/330 रुपए प्रति क्विन्टल

भारतीय रुई निगम ने निम्नलिखित दरों पर कपास की खरीद की थी :

जे-34 — 277/316 रुपए प्रति क्विन्टल

देशी — 290/330 रुपए प्रति क्विन्टल

भारतीय रुई निगम ने सरकारी खाते पर रुई की कोई खरीद नहीं की थी।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

भारतीय रुई निगम द्वारा श्री गंगानगर (राजस्थान) में वर्ष 1975-76 के दौरान कपास के दिए गए मूल्य तथा नवम्बर-दिसम्बर 1978 में बाजार मूल्य व इसी अवधि में निगम द्वारा दिए गये मूल्यों की जानकारी देने वाला विवरण :

प्रति क्विन्टल कपास के मूल्यों (रुपयों में)

किस्म	भारतीय रुई निगम द्वारा वर्ष 1975-76 में दिए गए मूल्य	नवम्बर-दिसम्बर 1978 के बाजार मूल्य	भारतीय रुई निगम द्वारा नम्वबर-दिसम्बर 1978 में दिए गए मूल्य
जे-34	235/273	274/314	277/316
देशी	198/210	290/330	290/330

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का सेवाओं में प्रतिनिधित्व

9216 **श्री राम चरण** : क्या गृह मन्त्री यह वताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आरक्षेण सम्वन्धी पुस्तिका के अनुसार परिशिष्ट 8 और 9 में सेवाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के बारे में सभी मन्त्रालयों/विभागों से वार्षिक विवरणे मंगवाई जा रही हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो उन मन्त्रालयों/विभागों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है जिनमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) उन मंत्रालयों/विभागों, जिनमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं समझा जाता है, को ऐसे प्रतिनिधित्व में सुधार लाने के लिए कदम उठाने को सलाह दी जाती है।

बिहार में, उद्योगों की स्थापना के लिये लाइसेंस

9217. **श्री सुरेन्द्र वा सुमन** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977-78 और 1978-79 के दौरान बिहार राज्य में उद्योगों की स्थापना के लिए कितने औद्योगिक लाइसेंस दिए गए और,

(ख) उन उद्योगों की उत्पादन क्षमता के लक्ष्य क्या है।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) बिहार राज्य में उद्योग (विकास तथा विणियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन नए उपक्रमों की स्थापना के लिए निम्नलिखित औद्योगिक लाइसेंस जारी किये गये थे :

अवधि	**संख्या**
अप्रैल, 77 से मार्च, 78 तक	2
अप्रैल, 78 से मार्च, 79 तक	4

(ख) उक्त औद्योगिक लाइसेंसों सहित उसकी स्वीकृति क्षमता का ब्यौरा बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

अप्रैल, 77 मार्च, 78 तथा अप्रैल, 78 मार्च, 79 की अवधि के दौरान बिहार राज्य में नए उपक्रमों की स्थापना करने के लिए जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंसों का ब्यौरा बताने वाली विवरण :

क्रम संख्या	आवेदक का नाम व पता तथा उपक्रम का स्थापना स्थल	विनिर्माण की वस्तु तथा क्षमता लासेंस का प्रकार
1.	2.	3.
		अप्रैल, 1977 मार्च, 1978
1.	मैसर्स बिहार स्टेट लैदर इण्डस्ट्रीज डेव. कारपोरेशन लि०, पटना (बरौनी : बिहार	तैयार क्रोम अपर लैदर 36 लाख वर्ग फीट (नया उपक्रम)
2.	मैसर्स हैदराबाद एसबेस्ट सीमेंट प्राडक्ट्स लि०, हैदराबाद (भागलपुर : बिहार)	कम्प्रैस्ड नए बेस्टस सीमेंट की चद्दरें—24,000 मी. टन

1	2	3
		अप्रैल, 78 मार्च, 79
3.	मे० बिहार आक्सीजन कं० द्वारा भरतपुर इण्डस्ट्रीज जिला मथुरा (उ. प्र.) (पालामऊ बिहार)	आक्सीजन गैर=1·0 एम. सी. एम. नाइट्रोजन गैस=0·50 एम. सी. एम. (नया उपक्रम)
4.	मैसर्स सुस्मित संगीता इन्टर मेगनेटिक प्रा० लिमिटेड रांची	मेगनेटिक रिकोर्डिंग टेप (आकार 1/4)=17 करोड़ रनिंग मीटर
5.	मैसर्स बिहार एसीटिलीन कं० गाजियाबाद (उ. प्र.)	द्युती एसिटिलीन गैस= 0.10 एम. सी. एस. (नया उपक्रम)
6.	मैसर्स बिहार स्टेट एग्रो इं.ड. डेव. कारपोरेशन लि० पटना (पटना बिहार)	कृषि ट्रैक्टर (20 से 25 अ. शक्ति) (जीटर 2511) =11,000 संख्या (नया उपक्रम)

राज्यों में विद्युत चालित करघों तथा अनधिकृत करघों की संख्या

9218. **श्री मोती भाई आर. चौधरी** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विद्युत करघों की संख्या कितनी है और उनमें से उत्तर, प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार राजस्थान तथा गुजरात में कितने-कितने करधे हैं,

(ख) क्या गुजरात राज्य में विद्युत चालित करघों सम्बन्धी तकनीकी जानकारी देने के लिए एक विद्युत चालित करघा केन्द्र स्थापित किया जायेगा, और

(ग) यदि हाँ, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) : गुजरात में विद्युत करघों के लिए एक सेवा केन्द्र की स्थापना सरकार के विचाराधीन है और शीघ्र ही निर्णय ले लिए जाने की आशा है।

राज्य जनजाति विकास मंत्रियों से वार्ता

9219, **श्री गिरिधर भोमांगी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने जनजाति उप-योजना और इसकी क्रियान्विति पर चर्चा करने के लिए जनजाति विकास के प्रभारी राज्य मंत्रियों को आमंत्रित किया था ;

(ख) यदि हाँ, तो 1978 तक की उप-योजना सम्बन्धी नई नीति तैयार किये जाने के बाद इस प्रकार की कितनी बैठकें हुई ;

(ग) इन बैठकों में किन मुख्य विषयों पर चर्चा की गई तथा क्या क्या बातें स्वीकार की नई ; और

(घ) उनके मंत्रालय द्वारा आगामी बैठक कब तक बुलाई जाएगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री घनिक लाल मण्डल) : (क) जनजाति विकास के प्रभारी राज्य मंत्रियों के साथ जून-जुलाई, 1978 में प्रत्येक राज्य के बारे में अलग-अलग विचार-विमर्श हुए थे।

(ख) इससे पहले प्रत्येक राज्य के साथ अलग से कोई बैठकें नहीं हुई थीं। परन्तु पिछड़े वर्गों के कल्याण के प्रभारी राज्य मंत्रियों का एक सम्मेलन 1975 में हुआ था और अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं पर विचार-विमर्श करने के लिए मुख्य मन्त्रियों के साथ एक सम्मेलन 1976 में हुआ था।

(ग) 1978 में हुई बैठकों की शृंखला में चर्चा के मुख्य विषय इस प्रकार थे :

(1) योजना, (2) वित्तीय परिव्यय, (3) शक्तियों का प्रत्यावर्तन, (4) कार्मिक नीतियाँ, (5) विशेष क्षेत्रों का नियोजन, (6) भूमि हस्तांतरण, (7) वन नीति, (8) ऋण तथा विपणन, (9) लघु सिंचाई, (10) सहकारिता, (11) आद्रिम जाति ग्रुप, (12) उत्पादन शुल्क नीति, (13) पेय जल सप्लाई, (14) शिफ्टिंग कल्टीवेशन और (15) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियाँ।

इन मुद्दों के सम्बन्ध में उपयुक्त निष्कर्षों पर पहुँचा गया।

(घ) अभी कोई तारीख नियत नहीं की गई है।

ताप्ती टैक्सटाइल मिल बुरहानपुर के श्रमिकों के साथ समझौता

9220, **श्री यमुना प्रसाद शास्त्री** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ताप्ती टैक्सटाइल बिल, बुरहानपुर, मध्य प्रदेश के श्रमिकों को 1975-76 में अपनी मंजूरी में प्रति दिन 2 रुपए की कमी स्वीकार करने के लिए विवश किया गया था और श्रमिकों के साथ एक समझौता किया गया था कि मिल को पुनः तभी खोला जायेगा जब प्रत्येक श्रमिक अपनी दैनिक मंजूरी में 2 रुपए की कमी स्वीकार करेगा और यदि हाँ, तो यह कटौती कितनी अवधि तक के लिए की गई और श्रमिकों की मजूरी की कुल कितनी राशि काटी गई।

(ख) श्रमिकों की काटी गई राशि का भुगतान करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) क्या इस बिल के श्रमिकों ने राष्ट्रीय कपड़ा निगम से काटी गई राशि का भुगतान करने के लिए मांग की है और यदि हाँ, तो यह राशि कब तक अदा कर दी जायेगी ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क), (ख) तथा (ग) : 1971 में बुरहानपुर ताप्ती मिल के पंजीकृत संघों के प्रतिनिधियों ने मंहगाई भत्ते में प्रति दिन 2 रुपये की दर से कटौती किए जाने को स्वेच्छा से स्वीकार किया किया था। यह कटौती

अप्रैल, 1971 तथा जुलाई, 1972 के बीच लागू थी, जिसके बाद कटौती नहीं की गई थी। इस धन राशि को वापस करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

भारत में भूकम्प इन्जीनियरिंग सम्बन्धी समस्या का अध्ययन करने के लिये विशेषज्ञों की योजना

श्री पी. एम. सईद :

श्री निहार लास्कर : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी विशेषज्ञों ने भारत में भूकम्प इन्जीनियरिंग समस्याओं का अध्ययन करने के लिए पांच वर्ष के लिए 7 करोड़ रुपए की योजना तैयार की है,

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना की मुख्य बातें क्या हैं,

(ग) क्या भारत सरकार ने उक्त योजना को स्वीकृति दे दी है ?

(ग) इस योजना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र कौन-कौन से हैं, और

(ङ) यह योजना कब प्रभावी होगी ?

रक्षा मंत्रालय तथा विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) दिसम्बर, 1978 में नई दिल्ली में "प्राकृतिक विनाश (भूकम्प एव वायु के कुप्रभाव) न्यून अनुसंधान" पर हुई एक संयुक्त भारत अमरीकी कार्यशाला में भारतीय और अमरीकी वैज्ञानिकों द्वारा भूकम्प इंजीनियरों के क्षेत्र में तीन सहयोगात्मक अनुसंधान परियोजनायं और वायु के कुप्रभावों के न्यूनन के क्षेत्र में एक परियोजना तैयार की गई थी। इन परियोजनाओं में से "प्रबल गति भूकम्प यंत्रीकरण श्रृंखला" (स्ट्रांग मोशन अर्थववेक इंस्ट्रूमैंटेशन ऐरे) नामक एक परियोजना के लिए वित्तीय आवश्यकता कोई 28 लाख डालर और 10 वर्ष की अवधि के लिए 166 लाख रुपये की होगी।

(ख) उपर्युक्त योजना का मुख्य प्रयोजन है, भूकम्प की कार्यप्रणाली को उचित रूप से समझने और इन्जीनियर संरचनाओं के वास्तव में भूकम्प प्रतिरोधी अभिकल्प (डिजाइन) तैयार करने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण आंकड़े एकत्रित करना।

(ग) इस योजना का सभी सम्बन्धित विभागों/मंत्रालयों के परामर्श से परीक्षण किया जा रहा है।

(घ) "प्रबलगति भूकम्प यंत्रीकरण श्रृंखला" परियोजना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र हैं उत्तर पूर्व भारत के शिलांग और डाकी-हैफ्लांग फाल्ट क्षेत्र जो कि भूकम्प विज्ञान की दृष्ट से अत्यधिक सक्रिय क्षेत्र हैं।

(ङ) इस परियोजना के सभी पहलुओं का सन्तोषजनक रूप से समाधान करने के पश्चात् इसे कार्यान्वित किया जायेगा।

आसामियों द्वारा अपने घरों को छोड़ कर अरुणाचल प्रदेश से भाग जाना

9222. **श्री सी. के. जाफर शरीफ :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 मार्च, 1979 के टाइम्स आफ इंडिया में प्रकाशित इस समाचार की ओर गया है कि 500 से अधिक आसामी अरुणाचल प्रदेश से अपने घर छोड़कर

यह आरोप लगाते हुए भाग गये कि स्थानीय लोगों ने उन्हें परेशान किया तथा उनके घर जला दिए ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनिक लाल मण्डल) : (क) और (ख) : सरकार के ध्यान में प्रैस रिपोर्ट आई है। असम और अरुणाचल प्रदेश सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार, 500 असामियों के अरुणाचल प्रदेश को भाग जाने की रिपोर्ट प्रैस में बढ़ा चढ़ाकर प्रकाशित की गई है। कुछ आदमी चले गये होंगे परन्तु बाद में उनमें से अधिकांश लौट आये थे। असम और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की 20 मार्च को गोहाटी में बैठक हुई और उस क्षेत्र में विशेषकर सीमा के संवेदनशील क्षेत्रों में तनाव की स्थिति को दूर करने के उपाय करने के लिए सहमत हुई। गृह मन्त्री की अध्यक्षता में 12 अप्रैल, 1979 को उनकी पुनः बैठक हुई और 20 मार्च की बैठकें में हुए निर्णयों को तुरन्त कार्यान्वित करने के लिए सहमति हुई। यह सुनिश्चित करने के भी प्रयास किये हैं कि सीमा के साथ-साथ के क्षेत्रों में विधि व व्यवस्था बनी रहे और स्थिति अब नियन्त्रिण में हैं।

मैसर्स पोरिट्स एण्ड सपैन्सर (एशिया) लिमिटेड द्वारा औद्योगिक लाइसेंस के लिए आवेदन-पत्र

9223. **श्री अनन्त दवे** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स पोरिट्स एण्ड सपैन्सर (एशिया) लिमिटेड, फरीदाबाद ने 1966 में औद्योगिक लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र दिया था और सरकार द्वारा वह रद्द कर दिया गया था ;

(ख) क्या उक्त कम्पनी ने मैसर्स जी० विलियम्स एण्ड कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड के माध्यम से एक 'आशय पत्र' के लिए सरकार से अनुरोध किया और आशय पत्र मैसर्स जी० बिलियम्स को वे दिया गया था।

(ग) यदि हां, तो मैसर्स जी० विलिम्स के नाम पर जारी किए किए गये मूल्य आशय पत्र में मैसर्स पोरिट्स एण्ड सपैन्सर (एशिया) लिमिटेड का नाम किस प्रकार से आ गया।

(घ) मैसर्स पोरिट्स एण्ड स्पैन्सर (एशिया) लिमिटेड को 1968 में औद्योगिक लाइसेंस किस प्रकार और किस आधार पर दिया गया ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने कम्पनियों के विरुद्ध सरकार के साथ धोखाबाजी करने के मामले में क्या कार्यवाही की है अथवा कम्पनी के आशय-पत्र और औद्योगिक लाइसेंस को रद्द करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) (क) से (घ) : मैसर्स जी विलियम्स एण्ड कम्पनी प्राईवेट लि० बम्बई के द्वारा मैसर्स पैरिट्स एण्ड स्पैन्सर लि० वुरी लंकाशायर इंगलैंड से 1968 में औद्योगिक लाइसेंसों के लिए एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ था। आवेदन पत्र के अनुसार आवेदक का नाम पारिट्स एण्ड स्पेंसर लि० द्वारा मैसर्स जी विलियम एण्ड कम्पनी प्रा. लि. दिया गया था और प्रस्तावित उपक्रम को तथा पूँजीकृतएवं स्पेंसर (एशिया) लि. दिया गया था। आवेदन पत्र पर सरकार द्वारा आशय पत्र किया गया था और भूतपूर्व वाणिज्य

मंत्रालय द्वारा 6/10 मई, 1966 को मैसर्स जी विलियम एण्ड प्रा. लि. बम्बई को एक आशय पत्र जारी किया गया इसके बाद 27 मई 1966 की कम्पनी के नाम में संशोधन किया गया और यह मैसर्स पोरिट्स एण्ड स्पैंसर लि. बुरी लंकाशाय, इंगलैंड हो गया। अप्रैल, 1968 में मैसर्स पोरिट्स स्पैंसर (एशिया), 1/1, टिम्बर स्ट्रीट, कलकत्ता 17 को एक औद्योगिक लाइसेंस जारी किया था।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

सी. एस. आई. ओ. चण्डीगढ़ के निदेशक को भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ द्वारा पुरस्कार

9224. **श्री भगतराम : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री :** भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ का सी. एस. आई. ओ. चढ़ीगढ़ में सम्मेलन के बारे में 6 दिसम्बर 1978 के तारांकित प्रश्न संख्या 250 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सी. एस. आई. ओ. कर्मचारी संघ द्वारा 6 और 7 नवम्बर 1978 को आन्दोलन करने की आशंका का क्या कारण था जिसके कारण इन दिनों संगठन (सी. एस. आई. ओ.) को बन्द करने की आवश्यकता हुई ;

(ख) क्या सी. एस. आई. ओ. कर्मचारी संघ द्वारा प्राप्त हुए ; अभ्यावेदन की जाँच की गई है और यदि हाँ, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ?

(ग) भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ ने हाल ही में डा० हर्ष वर्धन, निदेशक, सी. एस. आई. ओ. को पुरस्कार दिया है; और

(घ) यदि हां, तो पुरस्कार की राशि कितनी है और क्या सी. एस. आई. ओ. के निवेदक ने उक्त पुरस्कार स्वीकार करने की अनुमति उपयुक्त प्राधिकारी से ले ली है और क्या सी. एस. आई. ओ. कर्मचारी संघ ने इसका विरोध किया है ?

रक्षा मंत्रालय तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (प्रोफेसर शेरसिंह) :

(क) केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन (सी. एस. आई. ओ.) चण्डीगढ़ दिनांक नवम्बर 1978 को बन्द था और दिनाँक 6 नवम्बर 1978 को कुछ कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली नारे बाजी को रोकने के लिये भी आधा घंटा पूर्व बन्द कर दिया गया था। इन लोगों द्वारा इस प्रकार की नारे बाजी बिना किसी स्पष्ट कारण के की जाती है।

(ख) यह यूनियन मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन इसके अभ्यावेदन की जाँच की जा रही है।

(ग) और (घ) : भारतीय वाणिज्य मण्डल संघ (एफ. आई. सी. सी. आई. ई.) ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नकद पुरस्कार देने का निर्णय किया था। (व्यक्तिगत वैज्ञानिकों प्रौद्योगिकीविदों, विशेषकर उद्योग के साथ जिनका पारस्परिक सम्बन्ध हो जिसे डा० हर्षवर्धन और डा० एम. ए. पाई, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई. आई, टी.) कानपुर के मध्य बांटा जाना था। दिनांक 31-3-1979 को डा० हर्षवर्धन को 5000/- रुपये की राशि उनके हिस्से के रूप में पुरस्कार स्वरूप प्रदान की गई है। तथा कथित यूनियन ने इसके विरुद्ध विरोध-पत्र

भेजा है। निदेशक, सी. एस. आई. ओ. द्वारा पुनश्च (एक्स-पोस्ट-फैक्ट्रो) स्वीकृती माँगी गई है, जिस पर ध्यान दिया जा रहा है।

गैर-सरकारी उद्योग द्वारा नाबालिका बच्चों को काम पर लगाया जाना

9225. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या **उद्योग मंत्री** : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गैर सरकारी उद्योग नाबालिग बच्चों को काम पर लगाते हैं जो कि कानूनन एक अपराध है और यदि हां, तो सरकार इस प्रथा को रोकने के लिए क्या व्यवस्था कर रही है ; और

(ख) क्या सरकार को विमको के विरुद्ध ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हाँ, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) राज्य सरकारों से यह आशा की जाती है कि वे अपने कारखाना निरीक्षणालयों के माध्यम से कारखानों में नाबालिग बच्चों को काम पर लगाने की प्रथा पर रोक लगा सकेंगे।

(ख) सरकार को प्राप्त कराई गई जानकारी के अनुसार मैसर्स विमको लिमिटेड अपने किसी भी कारखाने में नाबालिग वच्चों को काम पर नहीं लगाती है।

बी० आर० डी० ई० द्वारा निर्मित प्रोटोटाइप बुल्लट प्रूफकार

9226. **श्री हल्लीमुद्दीन अहमद** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1974-75 में गृह मंत्री द्वारा अनुदेश दिये जाने पर भूतपूर्व प्रधान मंत्री के इस्तेमाल के लिये बी. आर. डी. ई. अहमद नगर द्वारा बुल्लटप्रुफ कार का एक नमूना तैयार किया गया था और उस कार के सफल परीक्षण के कारण पुरस्कार रूप में अनेक अधिकारियों को ब्रिग्रेडियर के पद पर पदोन्नति किया गया था ?

(ख) क्या उनके किसी प्रदर्शन की भी व्यवस्था की गई थी और यदि हां, तो उस पर कितनी धनराशि खर्च हुई थी;

(ग) उसके लिये बुल्लट प्रूफ सामग्री आयात करने में कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई थी; और

(घ) उस कार के अते-पते के बारे में ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) कारों के निर्माण की परियोजना 1965 में प्रारम्भ की गई थी परन्तु इसमें अधिक प्रगति नहीं हुई। 1975 में इसको पुन: प्रारम्भ किया गया था और अनुसंधान परियोजना के रूप में कार्य प्रारम्भ किया गया था इस परियोजना के आधार पर रक्षा मंत्रालय के किसी अधिकारी की पदोन्नति नहीं की गई थी।

(ख) जी हाँ, श्रीमान्। प्रदर्शन आयोजित करने में 5214.20 रु० व्यय किया गया था।

(ग) इस परियोजना में कोई विदेशी मुद्रा अन्तरग्रस्त नहीं थी।

(घ) इस समय वह कार बी. आर. डी. ई- अहमदनगर के पास है।

उत्पाद शुल्क में वृद्धि के परिणामस्वरूप "विमको" द्वारा मद्रास में कारखाने बन्द किया जाना ।

9227. **श्री एम. एन. गोविन्दन नायर :**

श्री सुरेन्द्र विक्रम :

डा० बसन्त कुमार पंडित : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मशीनों से बनी माचिसों पर उत्पादन शुल्क में अत्यधिक वृद्धि के परिणामस्वरूप विमको कम्पनी द्वारा मद्रास तथा कलकत्ता में अपनी माचिस फैक्टरियों को बन्द करने के कथित प्रयासों की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है कितने कर्मचारियों के बेरोजगार होने की सम्भावना है; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) (क), (ख) और (ग) : पश्चिम बंगाल सरकार को कलकत्ता स्थित विमको कारखाने के बन्द होने के बारे में कोई में कोई नोटिस नहीं मिला है। ऐसा बताया गया है कि विमको ने इस बारे में अभ्यावेदन दिया है कि उत्पादन शुल्क में काफी वृद्धि हो जाने के कारण उनके सामने मद्रास स्थिति अपनी फैक्ट्री को बन्द करने के आलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। तमिलनाडु सरकार द्वारा इस अभ्यावेदन की जाँच की जा रही है।

मोपेडों/स्कूटरों की उत्पादन क्षमता

9228. **डा० मुरली मनोहर जोशी :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मोपेड/स्कूटर निर्माण करने वाले उद्योग केवल 53 प्रतिशत उत्पादन क्षमता का उपयोग कर रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो मोपेड/स्कूटर निर्माण करने वाली कम्पनियों के क्या नाम हैं और उनके द्वारा पूरी क्षमता का उपयोग न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त उद्योग द्वारा पूरी क्षमता का उपयोग किया जाना निश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) (क) इस समय मोपेड निर्माताओं की कुल उत्पादन क्षमता 81,000 नग है। 1978-79 के दौरान 47,501 मोपेडों का उत्पादन होने का अनुमान है। इस समय क्षमता का 59% प्रयोग किये जाने का अनुमान है।

(ख) मोपेड निर्माताओं का नाम, उनकी क्षमता तथा उत्पादन बताने वाला एक विवरण संलग्न है। कुछ एककों द्वारा क्षमता का प्रयोग कम रहा है जिसका कारण उनके उत्पादकों का ग्राहकों द्वारा कम पसन्द किया जाना है जिसके परिणामस्वरूप मांग में कमी हुई तथा तत्पश्चात विपणन और वित्तीय समस्यायें पैदा हुई।

(ग) मुख्य उत्तरदायित्व सम्बन्धित एककों द्वारा अपनी प्रबन्ध इंजीनियरी तथा मार्केटिंग दक्षताओं में सुधार लाने का है। अनुरोध किये जाने पर तथा जहाँ उचित हो उत्पादन अथवा वाहन के अच्छे निष्पादन के लिए सरकारी सहायता दी जाती है।

विवरण

फर्म का नाम	क्षमता (संख्या में)	उत्पादन 1977-78	1978-79	
1. काइनेटिक इंजीनियरिंग	30,000	18,147	21,600	
2. मोपेड्स इण्डिया लि०	30,000	12,057	13,623	
3. सौंड जेरद	7,500	2,391	3,037	(अनुमानित)
4. के. जी. पाटिल, कोल्हापुर	4,000*	2,853	3,552	
5. एस. एण्ड पी. इंजीनियरिंग लिमिटेड	2,500*	2,188	2,191	(अनुमानित
6. एटलस आटो साइकिल लिमिटेड	1,000*	428	कुछ नहीं	
7. तांसी	2,000*	383	1,227	(अनुमानित)
8, रेमन इंजीनियरिंग लि०	2,000*	612	1,356	
9. स्कूटर्स इण्डिया लि०	1,000*	11	22	
10. मैजेस्टिक आटो	1,000*	—	893	
	81,000	39,070	47,50	(अनुमानित)

*1978-79 के दौरान अनुमानित उत्पादन क्षमता ।

दिल्ली सैशन्स न्यायालयों में अतिरिक्त सरकारी अभियोजक

9229. **श्री ज्वाला प्रसाद कुरील** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के सैशन न्यायालयों में कितने सरकारी अभियोजक कार्य कर रहे हैं;

(ख) दिल्ली में सैशन्स न्यायालयों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सरकारी अभियोजकों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का उक्त प्रतिनिधित्व सरकारी नियमों के अनुसार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय तथा विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. डी. पाटिल) (क) से (घ) : दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि अतिरिक्त सरकारी अभियोजकों की वर्तमान कुल संख्या 12 है और उनमें से केवल एक अनुसूचित जाति समुदाय का है। 15 में से 5 मुख्य अभियोजको (तदर्थ) को आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 (18 दिसम्बर, 1978 को यथा संशोधित) की धारा 24 (6) के अधीन बिना किसी अतिरिक्त पारिश्रामिक के अपर सरकारी अभियोजकों के रूप में कार्य करने का अधिकार दिया गया। अन्य 7 अपर सरकारी अभियोजक जो वकालत कर रहे हैं और धारा 24 (6) के परन्तुक के अधीन नियुक्ति किये जाते

हैं 850 रुपए प्रतिमास का निर्धारित वेतन और मकान किराया भत्ता के अतिरिक्त सामान्य भत्तों के पात्र हैं। इसके अतिरिक्त उनको निजी व्यवसाय करने की अनुमति है। वे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 की परिभाषा के अधीन लोक कर्मचारी हैं सरकारी कर्मचारी नहीं। अतः यह अनुदेश अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आरक्षण के बारे में उनके मामलों में लागू नहीं होते हैं।

बर्ड एण्ड कम्पनी का अधिग्रहण

9230. **श्री सचिन्द्र लाल सिंधा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बर्ड एण्ड कम्पनी लिमिटेड का अधिग्रहण करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि इस एकक के 20,000 कर्मचारियों की ओर से एक प्रतिनिधि-मण्डल हाल ही में उनको मिला था;

(घ) यदि हाँ, तो उसके द्वारा की गई मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसपर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) (क) और (ख) मैसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी लिमिटेड को पुनरजीवित करने सम्बन्धीविभिन्न अभ्युदायों की सरकार जांच कर रही है।

(ग). (घ), और (ङ) : बर्ड एण्ड कम्पनी लिमिटेड एम्प्लोइज यूनियन से दिनांक 22 मार्च, 1979 का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था जिसमें कहा गया है कि वित्तीय कठिनाइयों की वजह से कम्पनी कम उत्पादन स्तर का सामना कर रही है अतः तदनुसार कम्पनी को तुरन्त पर्याप्त कार्यकारी पूंजी प्रदान की जानी चाहिए। यह भी अनुरोध किया गया था कि कम्पनी को हाथ में लिए जाने सम्बन्धी अन्तिम निर्णय तुरन्त ले लिया जाना चाहिए। सरकार इन पहलुओं पर विचार कर रही है। कम्पनी को आवश्यक कार्यकारी पूंजी तुरन्त उपलब्ध कराने हेतु भी व्यवस्था की जा रही है।

कुल औद्योगिक उत्पादन में लघु उद्योगों के उत्पादन का अनुपात

9231. **श्री राम विलास पासवान** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुल औद्योगिक उत्पादन में लघु उद्योगों के उत्पादन का अनुपात क्या है;

(ख) तत्सम्बन्धी आँकड़े क्या हैं और इन आँकड़ों का आधार क्या है और ये आँकड़े किस वर्ष के हैं, और

(ग) क्या सरकार समझती है कि वर्तमान परिस्थितियों में इन आंकड़ों से लघु उद्योगों के उत्पादन के सही अनुपात का पता चलता है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) (क) से (ग): वर्ष 1975-76 में कुल औद्योगिक उत्पादन में लघु तथा ग्रामीण उद्योगों के उत्पादन का अनुमान 40 प्रतिशत तक होने का अनुमान लगाया गया है। विवरण संलग्न है।

वर्ष 1975-76 के लिए उत्पादन क्षेत्र में उत्पादन के अनुमान

	(करोड़ रु०)	स्रोत
1. पंजीकृत उत्पादन क्षेत्र में उत्पादन	89,199	नेशनल एकाउन्टस स्टेटिसटिक्स (जनवरी, 1979 पृष्ठ 97)
2. छोटे कारखानों में उत्पादन	7,761	*एनुअल सर्वे आफ इन्डस्ट्रीज 1975-76 समरी रिजल्ट (पृ. 24
3. जोड़ा गया कुल मूल्य और पंजीकृत उत्पादन क्षेत्र	3,801	नेशनल एकाउन्टस स्टेटिसटिक्स (जनवरी' 1979, पृ. 98)
4. उत्पादन में जोड़े गये कुल मूल्य का अनुपात-गैर पंजीकृत उत्पादन	0.58	'ए पराफोइल आफ दी मैन्यु-फैकचरिंग इण्डस्ट्री इन इण्डिया, 1974-75, (बुलेटिन नं. आई. एस. डी./3, आर्थिक विश्लेषण एकक, औद्योगिक साँख्यकी केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, नई दिल्ली, (अक्तूबर, 1978, पृ. 17)
5. गैर पंजीकृत क्षेत्र में उत्पादन	7,919	उपर्युक्त मद (4) तथा मद (3) के अनुपात का प्रयोग करके अनुमान लगाया गया है।
6. उत्पादन लघु तथा ग्रामीण उद्योग (मद 2+5)	15,680	
7. समस्त उत्पादन क्षेत्र में कुल उप्पादन (मद+5)	37,118	
8. समग्र उत्पादन क्षेत्र के कुल उत्पादन में लघु तथा ग्रामीण उद्योगों के उत्पादन का अनुपात (मद 6/7)	0.42	

अरब छात्रों द्वारा भारत में अरब लीग मिशन पर कब्जा

9232. **श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ती :**
श्री निहार लास्कर :

श्री ए. आर. बद्रीनारायण : क्या गृह **मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

*इन आंकड़ों में 10 लाख रुपये तक के निवेश वाले कारखानों के बारे में जानकारी दी गई है . ए. एस. आई. के परिणामों में दिये गये अनुसार अनिर्दिष्ट निवेश वाले कारखानों की जानकारी भी शामिल है।

(क) क्या यह सच है कि मिस्र और इजरायल के बीच शाँति सन्धि पर हस्ताक्षर होने के बाद भारत में अरब छात्रों ने अरब लीग मिशन पर कब्जा कर लिया था;

(ख) क्या पहले भी भारत में अरब छात्रों ने ऐसी कार्यवाही की थी;

(ग) यदि हां, तो इस मिशन पर मार्च, 1979 में और पहले भी कब्जा किये जाने के दो मुख्य कारण क्या हैं; और

(घ) भविष्य में ऐमी घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए केन्द्रीय सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) मिस्र और इजरायल के बीच शान्ति सन्धि पर हस्ताक्षर होने के कुछ दिन पहले नई दिल्ली स्थित अरब लीग मिशन में अरब छात्रों ने प्रवेश किया था और सन्धि पर हस्ताक्षर होने के कुछ दिन बाद तक वहां रहे ।

(ख) और (ग) : जी, हां, श्रीमान् । मिस्र इजरायल शान्ति सन्धि के प्रति विरोध प्रकट करने के लिये मार्च, 1979 में उन्होंने मिशन पर कब्जा कर लिया था । पहले भी उन्होंने अन्य विभिन्न राजनीतिक मामलों के प्रति विरोध प्रकट करने के लिये मिशन पर कब्जा कर लिया था ।

(घ) ऐसे अवसरों पर कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रबन्ध सुदृढ़ कर दिये गये हैं ।

दूतावास के भवनों पर विदेशों के छात्रों द्वारा कब्जा किया जाना

9233. **डा० राम जी सिंह** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे विदेशी दूतावासों के भवनों की संख्या कितनी है जिन पर गत दो वर्षों में भारत में रहने वाले उन देशों के छात्रों और नागरिकों द्वारा कब्जा किया गया;

(ख) क्या सरकार ऐसी गतिविधियों को उचित समझती है;

(ग) यदि नहीं, तो भारत स्थित विदेशी दूतावासों के अधिकारियों और कर्मचारियों की सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा क्या प्रबन्ध किये जा रहे हैं; और

(घ) क्या सरकार का ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए दृढ़ संकल्प है और यदि हाँ, तो कैसे ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) चार अवसरों पर ईरान के छात्र ने बम्बई और हैदराबाद में स्थित ईरानी वाणिज्य दूतावास के भवनों तथा नई दिल्ली के ईरानी दूतावास तथा ईरान सांस्कृतिक भवन में प्रवेश किया । अन्य तीन अवसरों पर अरब लीग मिशन नई दिल्ली (जो दूतावास नहीं है) के भवन में अरब छात्रों ने प्रवेश किया । इसी प्रकार उगान्डा के छात्रों ने भी उगान्ड़ा उच्चायोग के परिसर में एक बार प्रवेश किया ।

(ख) यदि सम्बन्धित दूतावास द्वारा ऐसी घटनाओं का विरोध किया गया तो सरकार ऐसे कार्यों को उचित नहीं समझती है -

(ग) राजनायिक सम्बन्धों पर वियना सम्मेलन, 1961 की शर्तों के अनुसार विदेशी मिशनों के भवनों और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए उपयुक्त उपाय करने के लिए सरकार बचनबद्ध है । उन मिशनों की सुरक्षा के लिए आगे उपयुक्त उपाय किए गए ।

(घ) जी हाँ, श्रीमान् । सुरक्षात्मक प्रबन्ध सुदृढ़ करके ऐसी घटनाओं को रोकने का प्रस्ताव है ।

भारत-क्यूबा करार के अन्तर्गत वैज्ञानिकों का अदान प्रदान

श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या **विज्ञान प्रौद्योगिकी मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनाँक 19 नवम्बर, 1978 को भारत और क्यूबा के बीच हुए करार के अन्तर्गत प्रथम वर्ष में दोनों देशों के बीच 24 वैज्ञानिकों के आदान-प्रदान की व्यवस्था है; और

(ख) यदि हाँ, तो उक्त करार के अनुसार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में अब तक कितने-कितने वैज्ञानिकों का आदान-प्रदान हुआ है ?

रक्षा मन्त्रालय तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख) : 19 नवम्बर, 1978 को भारत सरकार और क्यूबा सरकार के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सहयोग के जिस करार पर हस्ताक्षर किए गए थे उसमें दोनों देशों के बीच वैज्ञानिकों के विनिमय की व्यवस्था की गई है परन्तु इसमें इस बात का विशिष्ट रुप से कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि किसी वर्ष में ऐसे वैज्ञानिकों की संख्या कितनी होगी । सहयोग के क्षेत्रों का अभिनिर्धारण करने के लिए एक 2 सदस्यों का दल क्यूबा भेजा गया है । कुल संख्या हमारी आवश्यकता पर निर्भर होगी ।

कर्नाटक को सीमेंट की सप्लाई

9235. **श्री के. एस. वीरभद्रप्पा** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक राज्य की सीमेंट जैसी आवश्यक वस्तुओं की माँग कितनी है और वर्ष 1978 में उसके लिए वस्तुतः कितना नियतन किया गया;

(ख) इस सम्बन्ध में राज्य की पूरी माँग की आपुर्ति न करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह बात सरकार को मालूम है कि इस राज्य में सीमेंट के दाम बढ़ते जा रहे हैं; और

(घ) मूल्यों को कम करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगम्बी प्रसाद यादव) : (क) तथा (ख) कर्नाटक सरकार ने सूचित किया है कि उनकी सीमेंट की वार्षिक माँग लगभग 16 लाख मी. टन है । वर्ष 1978 में राज्य सरकार को 11.43 लाख मी. टन का कुल आबंटन किया गया था । उद्योग सिंचाई तथा बिजली आवासीय तथा अन्य विकास पृथक कार्यों की निर्माण सम्बन्धी गतिविधियों में तेजी आने के फलस्वरूप सीमेंट की माँग सीमेंट के सम्भरण से अधिक हो गई ।

(ग) सीमेंट का मूल्य सीमेंट का नियन्त्रण आदेश 1967 के अधीन नियन्त्रित किया जाता है । सीमेंट नियन्त्रण आदेश के अधीन रेल पर्यन्त भाड़ा मुक्त मूल्य (उत्पादन शुल्क तथा पैकिंग व्यय को छोड़कर) निश्चित किया जाता है और सीमेंट कारखानों को नियन्त्रित मूल्यों से अधिक मूल्य लेने का अधिकार नहीं है । फरवरी, 1977 से अप्रैल 79 की अवधि के दौरान सीमेंट के रेल पर्यन्त भाड़ा मुक्त मूल्य तीन बार अर्थात जनवरी, 1279, जुलाई, 1978 तथा दिसम्बर, 1978

में बाढ़ाए गए थे । राज्य सरकारों द्वारा रेल पर्याप्त माड़ा मुक्त मूल्यों (पैकिंग व्यय तथा उत्पादन शुल्क सहित) में केन्द्रीय बिक्री कर (जहां कहीं लागू होता हो) राज्य बिक्री कर चूंगी शुल्क (यदि कोई हो) स्थानीय परिवहन तथा सीमेंट उतारने-चढ़ाने के खर्चे, भण्डार सम्बन्धी व्यय, आकस्मिक व्यय, स्टॉकिस्ट और डीलरों के लिए लाभ सम्बन्धी प्रावधानों को जोडकर फुटकर मूल्य निश्चित किए जाते हैं ।

(घ) कर्नाटक में राज्य सरकार ने सीमेंट का सार्वजनिक वितरण 1-10-78 से अपने हाथ में ले लिया है तथा अब सीमेंट की बिक्री राज्य सरकार से लाइसेंस प्राप्त डीलरों द्वारा ही की जाती है । राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह चोर-बाजारी तथा जमा खोरी जैसे असामाजिक कार्यों के प्रति सजग रहे और इस प्रकार के कार्यों को रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करें ।

गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के स्तर को उठाने के लिए कार्यान्वित की गई योजनाएं

9236. **श्री के. गोपाल** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के जीवन के स्तर को उठाने के लिए गत 2 वर्षों में कोई योजनाएं कार्यान्वित की गई थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन योजनाओं का गरीबों के जीवन स्तर पर क्या असर हुआ ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री फजूलुर्रहमान) : (क) और (ख) गरीबी को कम करने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न उपाय और कार्यक्रम पंचवर्षीय योजना के प्रारूप (1978-83) में दिए गए हैं । कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों, में सिचाई तथा ग्राम और कुटीर उद्योगों को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई है जिनमें बेशी श्रमिकों को काम पर लगाने की सबसे अधिक क्षमता है । विस्तारित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की भी व्यवस्था की गई है जिससे कि कुछ न्यूनतम मूल सुविधाओं की व्यवस्था करके गरीब लोगों के जीवन स्तर को उन्नत करने में प्रत्यक्ष सहायता दी जा सके । 1977-78 और 1978-79 को वार्षिक योजनाएं इन प्राथमिकताओं को ध्यान में रख कर तैयार की गई थीं ।

(ग) गरीबों के जीवन स्तर पर इन योजनाओं के प्रभाव का इस समय मूल्यांकन करना समय-पूर्व होगा ।

रुई का आयात और निर्यात

9237. **श्री इकबाल सिंह ढिल्लो** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले वर्षों में सरकार रुई का आयात किया करती थी;

(ख) यदि हां, तो रुई का आयात कब से बन्द किया गया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि अब रुई का निर्यात करने की स्थिति में है; और

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1979-80 के लिए रुई के निर्यात का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी, हां ।

(ख) देश में रुई की उपलब्धता की स्थिति में सुधार होने के कारण, वर्ष 1977-78 तथा 1978-79 के दौरान वाणिज्यिक स्तर पर कोई आयात नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) 1978-79 के रुई मौसम (सितम्बर, 1978 से अगस्त 1979 तक) के दौरान सरकार ने रुई की 4.40 लाख गाँठों के निर्यात की अनुमति दी है। 1979-80 के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है ऐसा करना विभिन्न फसलों तथा माँग पता चलने के बाद ही लक्ष्य संभव होगा :

उड़ीसा को नियन्त्रित किस्म के कपड़े की सप्लाई

9238. **श्री के. प्रधानी** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उस नियन्त्रित किस्म के कपड़े के कोटे का वर्षवार ब्यौरा क्या है, जो गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा राज्य को सप्लाई किया गया था; और

(ख) क्या नियन्त्रित किस्म के कोटे में वृद्धि करने के लिए राज्य सरकार से कोई मांग की गई है और यदि हाँ, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों में उड़ीसा को नियन्त्रित कपड़े का निम्नलिखित आबंटन किया गया :

वर्ष	आबंटन (1500 वर्ग मीटर वाली गाँठें)
1976	14,447
1977	8,908.25
1978	9,294.75

उड़ीसा राज्य थोक उपभोक्ता सहकारी संघ ने आवंटन बढ़ाने का अनुरोध किया है। विभिन्न राज्यों के लिए नियन्त्रित कपड़े का कोटा एक वर्ष में 4000 वर्ग मी० के उत्पादन को ध्यान में रखते हुए जनसंख्या के आधार पर निश्चित किया जाता है। अतः कोटा बढ़ाने सम्बन्धी माँग को पूरा कर पाना सम्भव नहीं है।

आल इंडिया सेंसस एम्पलाईज फैडरेशन द्वारा पारित संकल्प

9239. **डा० महादीपक सिंह शाक्य** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इण्डिया सेंसस एम्पलाईज फैडरेशन ने 9 दिसम्बर, 1978 में आयोजित हुई अपनी केन्द्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पारित संकल्पों की एक-एक प्रति भारत के महा-पंजीकार, गृह मन्त्री तथा अतिरिक्त गृह सचिव को भेजी है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त संकल्पों का ब्यौरा क्या है; और इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) और (ख) अखिल भारतीय जनगणना कर्मचारी संघ की कार्यकारिणी की बैठक में पारित संकल्पों की एक प्रति (अनुलग्नक) फरवरी, 1979 के प्रथम सप्ताह में प्राप्त हुई थी।

संकल्प संख्या 3 में उल्लिखित मध्य प्रदेश जनगणना निदेशालय के कर्मचारियों को वेतन देने के लिए आदेश जारी कर दिये गये हैं। जहां तक संकल्प 5 का सम्बन्ध है, 24 मुअतल कर्मचारियों में से 22 के मामले में मुअतली के आदेश रद्द कर दिये गये हैं।

क्रम संख्या 1,6,8,14,15,17 और 23 पर दिये गये संकल्पों पर कार्रवाई आरम्भ की जा चुकी है। जहाँ तक संकल्प संख्या 16 का सम्बन्ध है, भारत के महापंजीयक के कार्यालय में कार्यालय परिषद स्थापित करने का निर्णय किया गया है, जिसमें अखिल भारतीय जनगणना कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि भाग ले सकेंगे।

जहाँ तक संकल्प संख्या 9 का सम्बन्ध है, नियुक्तियाँ/पदोन्नतियां इत्यादि करते समय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों के रोस्टर का सख्ती से पालन किया जाता है।

अन्य संकल्पों में उठाये गये मामले नीति सम्बन्धी प्रश्न है और उनमें से कुछ के सम्बन्ध में भारी वित्तीय कठिनाइयाँ हैं। भारत सरकार के अन्य मन्त्रालयों/विभागों के परामर्श से यथा समय इनकी जांच की जाएगी।

विवरण

1. तीन से अधिक वर्षों से चल रहे शेष अस्थायी पद स्थायी सरकारी अनुदेशों के अनुसार स्थायी पदों में बदले जाएं।

2. जनगणना कार्य उपनिदेशक श्री तीरथ दास के सेवा काल में अनियमितताओं के लिए उनके विरुद्ध कम से कम अतिरिक्त सचिव के पद के स्तर पर उचित जांच की जाये।

3. मध्य प्रदेश जनगणना निदेशालय के जिन 65 कर्मचारियों ने संवैधानिक आंदोलन में भाग लिया था, उनका वेतन मुक्त करना।

4. इस संवैधानिक आँदोलन अवधि के दौरान कर्मचारियों के विरुद्ध सभी पुलिस मामले बिना शर्त वापस लिए जाएं।

5. आँदोलन के कारण कर्मचारियों का शोषण न किया जाए और मध्य प्रदेश के उप निदेशक को आवश्यक आदेश जारी किये जाएं।

6. जिन एस. टी. ए./टी. ओ. के वर्तमान, ड्यूटी और अर्हताएं समान हैं उनको अविलम्ब 1-1-1973 से अन्वेषक नियुक्त किया जाए।

7. प्रतिनियुक्ति पर सभी कर्मचारी वापस किए जाएं और भर्ती नियमों में प्रतिनियुक्ति की व्यवस्था समाप्त की जाए।

8. जो कर्मचारी अपने वैध अधिकार से वंचित कर दिये गये थे, उनके हितों को संरक्षण देते हुए विभिन्न संवर्गों में तुरन्त तदर्थ प्रोन्नति नियमित की जाए।

9. सभी जनगणना संवर्गों में सदृश और एक से भर्ती नियम होने चाहिए और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श से उनमें संशोधन किये जाने चाहिए।

10. जनगणना संगठन में व्याप्त प्रगतिरोध को दूर करने के लिए प्रत्येक संवर्ग में विभागीय उम्मीदवारों की पदोन्नति का प्रतिशत बढ़ाया जाए।

11. गैर स्नातक सांख्यिकी सहायकों समेत प्रत्येक पद के लिए पदोन्नति के अवसर होने चाहिए।

12. जिन कर्मचारियों ने एक ही ग्रेड में 14 वर्ष की नियमित सेवा कर ली है उनको प्रवरण ग्रेड़ दिया जाए ।

13. मशीन चलाने/संगणना/पंचिंग/वैरिफाइंग के लिए कोई प्रमाणपत्र प्राप्त किये बिना विशेष वेतन स्वीकृत किया जाए ।

14. योजनागत स्कीम में स्वीकृत किये गये पद तुरन्त भरे जाने चाहिए और महापंजीयक के कार्यालय में जिन 17 परिकलकों को उस ग्रेड में 4 वर्ष से अधिक रखने के बाद पदावनत कर दिया गया था उनको तुरन्त पदोन्नत किया जाए ।

15. प्रत्येक संवर्ग की वरीयता सूची को जल्दी अन्तिम रूप दिया जाए और उसे प्रकाशित किया जाए और महापंजीयक द्वारा यथा अनुबद्ध समय में स्थायीकरण के आदेश जारी किए जाए ।

16. महापंजीयक के कार्यालय में जे. सी. एम. के अधीन कार्यालय परिषद बनाई जाए जिसमें संघ के प्रतिनिधि हों ।

17. राज्यों में जनगणना निदेशालय और भारत के महापंजीयक का कार्यालय एक भवन में होने चाहिए ।

18. राज्य ऐजेंसी के अधीन एस. आर. एस. जनगणना निदेशालय के नियन्त्रणाधीन लाये जाए और परिकलक राज्य मुख्यालयों में नियुक्त किया जाए ।

19. सभी पदोन्नतियों और नियुक्तिया अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति रोस्टर के अनुसार की जाए ।

20. कर्मचारी रखने का नमूना क्षेत्र, जनसंख्या और संचालनात्मक विशिष्टताओं पर आधारित होना चाहिए और एक अन्वेषक, 3 साँख्यिकी सहायक, 6 परिकलक 10 सहायक संकलनकर्ता के अनुपात से कर्मचारी आवंटित किये जाने चाहिए ।

21. वी. एस. सिविल से सम्बन्धित सभी योजनाएं और पंजीकरण अर्थात नमूना पंजीकरण, जन्म मृत्यु पंजीकरण, मांडल पंजीकरण इत्यादि, इत्यादि ऐसे जनगणना निदेशालयों के जरिए कार्यान्वित किये जाए जिनमें अलग अलग राज्य में एक सहायक निदेशक, अन्वेषक, एक सांख्यिकी सहायक और चार परिकलक और एक निम्न श्रेणी लिपिक के साथ आयुक्त के स्तर पर स्थाई कार्यालय हो ।

22. इस संगठन में एक अखिल भारतीय जनगणना सेवा होनी चाहिए ।

23. सभी जनगणना कार्यालयों को कर्मचारियों के लिए आवासीय क्वाटरों के साथ उनके अपने भवनों की व्यवस्था की जाए ।

24. सांख्यिकी सहायक परिकलक को एन. एस. एस. में ग्रेड के बराबर ग्रेड दिया जाए ।

25. महासचिव का मुख्यालय स्थाई रूप से ओ. आर. जी., नई दिल्ली में स्थानांतरित किया जाए ।

हिन्दी शिक्षण योजना के क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए 'विवरणिका' नाम की रिपोर्ट तैयार किया जाना

9240. **श्री कचरूलाल हेमराज जैन** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दी शिक्षण योजना के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में 'विवरणिका' नाम की रिपोर्ट तैयार की जाती थी;

(ख) क्या यह रिपोर्ट अब तैयार नहीं की जाती है; और

(ग) यदि हाँ, तो यह रिपोर्ट क्यों आरम्भ की गई थी और अब तक इस रिपोर्ट को तैयार न करने के क्या कारण है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनिक लाल मण्डल) (क) जी हाँ, श्रीमान। इस प्रकार की विवरणिका सर्वप्रथम 1969 में उप निदेशक (पश्चिम) ने निकाली थी। बाद में अन्य क्षेत्रीय उप निदेशकों ने भी ऐसी ही विवरणिकाएं निकाली थी। इनमें मुख्यत: सम्बन्धित क्षेत्र में उपलब्ध स्टाफ, प्रशिक्षण केन्द्रों और प्रशिक्षित कर्मचारियों से सम्बन्धित आंकड़े दिये जाते थे।

(ख) जी हां, श्रीमान।

(ग) हिन्दी शिक्षण योजना की पुनरीक्षण समिति की सिफारिश के अनुसार हाल ही में संयुक्त निदेशक का कार्यालय स्थापित करके उसके अधीन एक अनुसंधान एकक का गठन किया गया है। हिन्दी शिक्षण योजना से सम्बन्धित सभी उपयोगी जानकारी इस एकक में रखी जाती है। अत: अब अलग-अलग क्षेत्रीय विवरणिकाएं निकाले जाने की आवश्यकता नहीं रही है।

नेशनल जूट मिल हावड़ा के समक्ष वित्तीय कठिनाई

9241. **डा. विजय मंडल :**
श्री शंकरसिंह जी वाघेला :
श्री जी. एम. बनातवाला :
श्री मुख्तियार सिंह मलिक : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई है कि नेशनल जूट मिल हावड़ा को धन के अभाव के कारण बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार मिल की सहायता करने का है और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा सुझाये गये रूप में पुन: चालू करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) (क) से (ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने नेशनल कम्पनी लिमिटेड की पुनर्स्थापना के बारे में एक योजना तैयार की है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ नेशनल कम्पनी लिमिटेड को 2 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण देने का प्रस्ताव भी शामिल है। मामले पर सक्रिय रूप से विचार हो रहा है।

लघु उद्योगों के लिए आरक्षित सूची में पेन्ट ब्रुश का शामिल किया जाना

9242. **श्री एस. एस. सोमानी :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेंट ब्रुशों, टुथ ब्रुशों जैसी कुछ मदों को लघु उद्योगों के लिये आरक्षित मदों की सूची में शामिल किये जाने के क्या कारण हैं, जबकि सूची की एक मद के अन्तर्गत सभी प्रकार के ब्रुश शामिल हैं; और

(ख) क्या सरकार का इस बारे में सूची को पुनरीक्षित करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) (क) पेंट ब्रुश तथा टुथ ब्रुश को इस मन्त्रालय की अधिसूचना दिनांक 26-4-78 के संदर्भ में लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित वस्तुओं की सूची में अलग से शामिल किया गया है क्योंकि उन्हें अलग से वर्गीकृत किया गया है। और राष्ट्रीय औद्योगिकवर्गीकरण के अन्तर्गत अलग कोड संख्या दी गई है जो लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित वस्तुओं को सूचीबद्ध करने के लिए अपनाई गई है।

(ख) ज्यों ही लघु क्षेत्र में तैयार किये जा सकने वाले नये उत्पादों तथा नई प्रक्रिया का पता चलता है आरक्षित वस्तुओं की सूची का विस्तार करने के लिये सरकार द्वारा समय समय पर समीक्षा की जाती है।

पिछड़े वर्गों से सम्बध योजनाओं को प्रगति की निगरानी की समस्याओं सम्बन्धी कार्यकारी दलों की प्रगति

9243. **श्री आर. कोलनथाइवेलु** क्या **योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछड़े वर्गों, जल सप्लाई, नगरीय विकास परिवहन आदि से सम्बन्धित योजनाओं की प्रगति की निगरानी की समस्याओं पर विचार करने के लिए गठित कार्यवाही दलों द्वारा किये गये अध्ययनो की सही-सही प्रगति क्या है;

(ख) ऐसे अध्ययनों की विधि क्या है और उस सम्बन्ध में कितने सेमोनार आयोजित किये गये; और

(ग) अध्ययनों के क्या ठोस परिणाम निकले ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री **फजलुर्रहमान**) (क) शहरी विकास को स्कीमों के प्रबोधन से सम्बन्धित कार्यकारी दल को रिपोर्ट प्राप्त हो गई है तथा निर्माण और आवास मंत्रालय के परामर्श से उसकी जाँच की जा रही है। अन्य कार्यकारी दलों की रिपोर्टों की प्रतीक्षा है।

(ख) इन कार्यकारी दलों में सम्बन्धित केन्द्रीय मन्त्रालय और योजना आयोग के प्रतिनिधि तथा चुने हुए राज्यों के प्रतिनिधि हैं; इन दलों को वर्तमान प्रबोधन प्रणाली और कार्यविधियों की जाँच करनी होती है और उनमें सुधारों के सम्बन्ध में सुझाव देने होते हैं। इन कार्यकारी दलों ने कोई विचार-गोष्ठियां नहीं की है। इन रिपोर्टों के प्राप्त हो जाने और इनकी जाँच कर लेने के बाद ऐसी आशा है कि उनमें सुझाए गए परिवर्तनों को मन्त्रालयों, राज्यों और कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा अपनाया जाएगा जिनके परिणामस्वरूप समग्र रूप में अधिक सुदक्ष निष्पादन होगा।

सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के लिए लाइसेंस दिया जाना

9244. **श्री एम. रामगोपाल रेड्डी** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन महीनों में सीमेंट संयन्त्र स्थापित करने के लिए जो औद्योगिक लाइसेंस जारी किये गये थे उन्हें रद्द कर दिया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भारतीय आर्थिक सेवाभारतीय सांख्यिकी सेवा के प्रथम श्रेणी के पदों का भरा जाना

9245. **श्री वसन्त साठे** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आर्थिक/साँख्यिकी कृत्यों वाले प्रथम श्रेणी और वरिष्ठ प्रथम श्रेणी के ऐसे पदों की वर्ष-वार और मन्त्रालय-वार संख्या कितनी है, जिन्हें गत तीन वर्षों के दौरान मानक श्रेणियों से संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भरा गया है प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के पदनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन अधिकारियों में से कितने अधिकारियों को, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आर्थिक कृत्यों वाले पदों के लिए चुना गया है, समुचित श्रेणी में भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय साँख्यिकी सेवा में शामिल किया गया है; और

(ग) भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय साँख्यिकी सेवा में शामिल किये जाने के बारे में आर्थिक/सांख्यिकी कृत्यों वाले इसी प्रकार के पदों पर नियुक्त प्रथम श्रेणी के तदर्थ अधिकारियों को तुलना में ऐसे अधिकारियों की क्या स्थिति है और इन दो श्रेणियों के अधिकारियों को पारस्परिक वरिष्टता के लिये क्या मानक हैं ?

गृह मन्त्रालय तथा विधि न्याय और कंपनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस .डी. पाटिल) (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और उसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) आर्थिक/साँख्यिकी कार्यों वाले श्रेणी I के पदों पर तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे अधिकारियों को भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा में शामिल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ऐसे पदों पर उनका कोई हक नहीं होता है। फिर भी, संघ लोक सेवा आयोग के जरिए ऐसे पदों पर नियुक्त व्यक्ति भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा में नियुक्त किए जा सकते हैं बशर्ते कि इन पदों को भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय साँख्यिकी सेवा के उपयुक्त ग्रेड में संवर्गवद्ध कर लिया जाता है और ऐसे पदों पर कार्य कर रहे व्यक्तियों की ऐसी नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित कर दी जाती है। चूंकि पहले वाले वर्ग के अधिकारियों को भारतीत आर्थिक सेवा/भारतीय साँख्यिकी सेवा में नियुक्त नहीं किया जा सकता, इसलिए दोनों वर्गों के अधिकारियों की वरिष्टता की तुलना का प्रश्न ही नहीं उठता।

राजाओं तथा नवाबों को प्रिवी पर्स

9246. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राजाओं तथा नवाबों के नाम क्या हैं जिन्हें प्रिवी पर्स समाप्त किये जाने से पूर्व 5 लाख रुपये तथा इससे अधिक राशि की प्रिवी पर्स दी जाती थी;

(ख) उन राजाओं तथा नवाबों के क्या नाम हैं चिन्हें प्रिवी पर्स के समाप्ति के बाद कुल राशि अदा किये जाने के साथ किसी रूप में और भी कुछ राशि दी गई;

(ग) ऐसी राशि उन्हें क्यों अदा की गई और इतनी बड़ी राशि उन्हें अदा करने के लिये सरकार किन कारणों से बाध्य हुई;

(घ) क्या सरकार का विचार उनमें से कुछ लोगों के भविष्य में भी कुछ राशि देने का है; और

(ङ) यदि हाँ, तो किस-किस को और क्यों ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) तथा (ग) : 28 दिसम्बर, 1971 से लागू संविधान (26वां संशोधन) अधिनियम, 1971 द्वारा संविधान में अन्त स्थापित अनुच्छेद 363-क से प्रिवी-पर्स समाप्त हो गए और उनसे सम्बन्धित सभी मधिकारों, दायित्वों और कर्त्तव्यों का अन्मूलन हो गया। तथापि, भारत सरकार ने भूतपूर्व नरेशों को अनुग्रहपूर्वक अनुदान के रूप में एक मुश्त नकद राशि देने का निर्णय किया था ताकि वे परिवर्तित परिस्थितियों में अपने को ढाल सकें और कठिनाइयों को कम कर सकें। इस उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा बनाई गई योजना के अधीन किसी भूतपूर्व शासक की मृत्यु होने की अवस्था में यह अनुग्रहपूर्वक अनुदान उसकी विधवा (विधवाओं) पुत्र (पुत्रों) अविवाहित पुत्री (पुत्रियों) और उसके पुत्र की पहले मृत्यु हो जाने पर उसकी विधवा को दिया जाना है। अब तक 10.26 करोड़ रुपये की राशि का अनुग्रहपूर्वक अनुदान अनुमोदन योजना के अनुसार 271 भूतपूर्वक शासकों को संलग्न सूची (विवरण-2) के अनुसार स्वीकृत किया गया है।

(घ) तथा (ङ) : सरकार का शेष चार भूतपूर्व शासकों नामत: घरंगधरा, थाराड, कोचीन और रामपुर को अनुग्रहपूर्वक अनुदान देने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त दो भूतपूर्व राज्यों नामत: वसद और धुवई के मामले में काफी संख्या में दावेदारों में से कुछ को उनके लिए नियत अनुग्रहपूर्वक अनुदान की राशि प्राप्त करनी है। ये भुगतान सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा इस प्रयोजन के लिए तैयार की गई योजना के अनुसार अपेक्षित औपचारिकताओं के पूरा करते ही कर दिये जाएंगे।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 4407/79)।

केन्द्रीय सेवाओं में पिछड़ी श्रेणियों के लिए आरक्षण

9247. **श्री रामलाल राही** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछड़ी श्रेणियों में शामिल की गई जातियों के ऐसे व्यक्तियों के लिए केन्द्रीय सेवाओं और अन्यथा आरक्षण का क्या औचित्य है जिनके आय के अपने स्रोत हैं और उनमें से 20 प्रतिशत व्यक्ति भी श्रम द्वारा अपनी जीविका अर्जित नहीं कर रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : केन्द्रीय सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 (4) और 335 के उपबन्धों के अनुसार किया गया है। ये आरक्षण अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सभी सदस्यों पर लागू होते हैं चाहे उनकी आय के स्रोत अथवा उनकी आजीविका उपार्जन करने के ढंग कुछ भी क्यों न हों।

आसाम के जिलों को दंगाग्रस्त घोषित किया जाना

9248. **श्री निहार लास्कर** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य सरकार ने आसाम के तीन जिलों को दंगाग्रस्त घोषित किया है;

(ख) यदि हाँ, तो उन जिलों के नाम क्या हैं;

(ग) इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार से इस बारे में राज्य सरकार की सहायता करने का अनुरोध किया गया है; और

(ङ) क्या उपद्रवी तत्वों ने राज्य में गम्भीर स्थिति पैदा कर दी है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) से (ङ) तक : असम सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने असम दंगाग्रस्त क्षेत्र अधिनियम, 1955 और सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के उपबन्धों के अधीन तीन जिलों नामतः कछार जिला, करबी आंगलांग जिला और उत्तरी कछार पहाड़ी जिले को, 5 जनवरी, 1979 को असम-नागालैण्ड सीमा पर हुई वारदात के परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों में तनावपूर्ण स्थिति व्याप्त होने के कारण, 'दंगाग्रस्त क्षेत्र' घोषित किया है। राज्य सरकार ने इन कदमों को ऐतिहाती उपायों के रूप में उठाया है। केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार के साथ सम्पर्क बनाये हुए है और ऐसी सहायता प्रदान कर रही है जो राज्य सरकार द्वारा मांगी जाती है।

दिल्ली में वाहनों का यातायात

9249. **प्रो० पी. जी. मावलंकर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली तथा नई दिल्ली में वाहनों का यातायात बढ़ता जा रहा है और यह अधिक दोषपूर्ण तथा अनियमित होता जा रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि कई स्थानों पर तो स्वचालित यातायात संकेत व्यवस्था भी नहीं है और जहाँ उक्त संकेत व्यवस्था है भी तो उसका सरकारी तथा निजी बाहनों के मालिकों तथा चालकों द्वारा प्रायः उल्लंघन किया जाता है; और

(ग) यदि हाँ, तो उक्त स्थिति को सुधारने के लिए सरकार क्या प्रभावी तथा तुरन्त उपाय कर रही है ?

गृह मंत्रालय तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. डी. पाटिल) : (क) से (ग) : तक हाल के वर्षों में वाहन यातायात में बहुत वृद्धि हुई है। इसके साथ यातायात विनियमों का उल्लंघन भी बढ़ा है। यह सच है कि कुछ स्थानों पर स्वचालित यातायात संकेत नहीं हैं।

मामले पर प्रशासन द्वारा भली-भांति विचार किया जा रहा है और स्थिति में सुधार करने के लिए प्रभावी उपाय किए जा रहे हैं जो इस प्रकार हैं :

(i) महत्वपूर्ण चौराहों पर स्वचालित यातायात प्रकाश संकेत स्थापित करने का कार्य किया गया है।

(ii) जहाँ ऐसे संकेत स्थापित करने शेष हैं, वहां व्यस्त समय में यातायात को हाथ संकेतों से विनियमित करने की व्यवस्था की गई है।

(iii) प्रवर्तन उपायों को दृढ़ता से लागू करके यातायात अपराधियों का प्रभावी रूप से अभियोजन किया जा रहा है, इनमें यातायात अपराधों के लिये नियमित नकद

रसीदों पर मौके पर नकद जमानत लेने के लिये पुलिस निरीक्षकों (यातायात) को शक्तियाँ प्रदान करके यातायात अपराधियों को मौके पर अभियोजित करना शामिल है।

(iv) धीमे चलने वाले वाहनों और पैदल चलने वालों के लिये पथों का निर्माण करने, सड़कों पर बिजली लगाने और अच्छे यातायात विनियमन के लिए वाहन खड़े करने की सुविधाओं के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

(v) जनता को शिक्षित करने के लिए यातायात नियमों और सड़क सुरक्षा उपायों पर वाद विवादों, विचार-विमर्श, विचार गोष्ठियों आदि का आश्रय लिया जा रहा है।

स्टेनलेस स्टील उद्योग की उत्पादन सीमा बढ़ाये जाने की माँग

9250. **डा. वसन्त कुमार पंडित : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में लघु क्षेत्र के उद्योगों द्वारा स्टेनलेस स्टील उद्योग की उत्पादन सीमा वर्तमान सीमा 50 लाख से बढ़ाने की निरन्तर मांग की जा रही है;

(ख) क्या यह सच है कि छोटे कारखानों की वर्तमान सीमा के कारण अधिक उत्पादन अच्छी किस्म और उद्योग के विस्तार सम्बन्धी प्रोत्साहन को क्षति पहुँचती है; और

(ग) क्या सरकार छोटे कारखानों की परिभाषा में परिवर्तन करने का विचार कर रही है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) स्टेनलैस स्टील उद्योग से सम्बन्धित लघु एकक के पण्यावर्त की कोई सीमा निश्चित नहीं है।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नति के लिए चयन समितियों की कार्यवाही का पुनर्विलोकन

9251. **श्री श्यामसुन्दर दास :**

श्री मोहन लाल पिपिल : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस आशय के अनुदेश जारी किए हैं कि भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नति के लिए हुई चयन समितियों को पिछली कार्यवाही का पुनर्विलोकन न किया जाये ;

(ख) क्या ये अनुदेश हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इन अनुदेशों को रद्द करने का है और क्या वह उन अधिकारियों को पिछली तारीख से भारतीय प्रशासनिक सेवा भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्निति दिए जाने के प्रश्न पर विचार करेगी, जिनको वरिष्ठता बहाल कर दी गई है और 52 वर्ष से अधिक आयु के होने से भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्निति के लिए अपने क्रम में उन पर विचार नहीं किया जा सकता ?

गृह मंत्रालय तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. डी. पाटिल) : (क) जी नहीं, श्रीमन। भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति)

विनियमावली, 1955 तथा भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली 1955 में चयन सूचियों को पुनरीक्षा के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसके अनुसार राज्य सिविल सेवा तथा राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को क्रमश: भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नति किया जाता है, सिवाय ऐसे मामलों के जिनमें चयन सूची में शामिल राज्य सिविल सेवा/पुलिस सेवा के किसी ऐसे सदस्य के आचरण अथवा कर्त्तव्यों के निष्पादन में गंभीर त्रुटि पाई जाए, जिस मामले में राज्य सरकार तथा संघ लोक सेवा आयोग के कहने पर प्रवर सूची की विशेष पुनरीक्षा की जाए और यदि वे इसे उचित समझें तो चयन सूची से राज्य सिविल सेवा/पुलिस सेवा के ऐसे सदस्यों के नाम हटा सकते हैं।

(ख) तथा (ग) : (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

जिला उद्योग केन्द्रों को दिये गये ऋण

9252. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला उद्योग केन्द्र के रूप में कितनी धन राशि की मंजूरी दी है जिन्होंने फरवरी, 1979 के अन्त तक उत्पादन आरम्भ कर दिया था ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) जिला उद्योग केन्द्रों के कार्यकलाप संवर्द्धनात्मक तथा विकासपरक है और इन केन्द्रों में निर्माण संबन्धी कोई कार्य नहीं किया जाता है। ये केन्द्र उद्योगियों को औद्योगिक एककों की स्थापना करने में सहायता करते हैं। लघु तथा कुटीर एककों को ऋण सम्बन्धी सहायता प्रदान करने के लिए फरवरी, 1979 के अन्त तक जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों को ऋण के रूप में 7 करोड़ रुपये की धनराशि प्रदान की गई थी।

सेवाओं में पदोन्नति के लिए लोअर डिवीजन क्लर्कों को प्रोत्साहन

9253. **श्री लहानू सिड़वा कोम** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्दीय सचिवालय सेवाओं में कितने लोवर डिवीजन क्लर्क स्नातकोत्तर, दो डिग्री वाले स्नातक और स्नातक हैं ;

(ख) सेवाओं में पदोन्नति के लिए उन्हें यदि कोई प्रोत्साहन दिया जाता है ; तो वह क्या है ; और

(ग) क्या उन्हें कोई अतिरिक्त वेतन वृद्धि मिलती है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

गृह मन्त्रालय तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. डी. पाटिल) (क) सूचना एकत्रित की जा रही हैं और ज्यों ही एकत्रित हो जायेंगी इसे सदन के पटल पर रख दिया जायेगा।

(ख) तीन वर्षों की सेवा वाले स्नातक अपर श्रेणी लिपिकों को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली सहायक ग्रेड प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिए आयु सीमा में 30 वर्ष की आयु तक ढील दी जाती है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्; किसी ग्रेड अथवा किसी पद का वेतनमान उससे सम्बध कर्त्तव्यों के संदर्भ में निश्चित होता है न कि उस पर नियुक्त व्यक्तियों को शैक्षिक अर्हताओं के

संदर्भ में। उक्त ग्रेट/पद पर नियुक्त व्यक्तियों की वेतन वृद्धियों की मंजूरी उस सम्बन्ध में नियमों के अनुसार विनियमित होती है, जिनमें उच्चतर शैक्षिक अर्हताएँ रखने के कारण अतिरिक्त वेतन वृद्धियां मंजूर किए जाने की व्यवस्था नहीं है।

दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के लिये शिशुपालन शालायें

9254. **श्री अमृत नहाडा** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह मंत्रालय दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों के 3 मास से 7 वर्ष की आयु वाले बच्चों के लिये शिशुपालन शालाएँ चला रहा है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि 12 वर्ष के बच्चे घर पर अकेले रह सकते हैं जबकि 7 वर्ष के बच्चे घर पर अकेले नहीं रह सकते, इस आयु सीमा को 7 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष करने का है ?

गृह मंत्रालय तथा विधि, न्याय और कम्पनी मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री एस. डी. पाटिल) (क) गृह कल्याण केन्द्र संगठन जो एक पंजीकृत सोसायटी है, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग, गृह मन्त्रालय के तत्वाधान में कार्य कर रहा है। वह ऐसे शिशुपालन गृह चलाता है।

(ख) जी नहीं श्रीमान्, उपरि आयु को 7 वर्ष से आगे बढ़ाए जाने का कोई विचार नहीं है क्योंकि शिशुपालन गृहों में उस आयु के बच्चों को सम्हालने को व्यवस्था नहीं है।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा मारे गये छापे

9255. **श्री सुभाषचन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने पिछले वर्ष 1977 और 1978 के दौरान गैर-सरकारी व्यक्तियों और सरकारी कर्मचारियों पर कितने छापे मारे ; और

(ख) इन छापों में जिन बातों का पता लगा उनका ब्यौरा क्या है और इनमें से किसी मामले में क्या निर्णय किया गया या चालान किया गया ?

गृह मंत्रालय तथा विधि न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री एस. डी. पाटिल) (क) वर्ष 1977 के दौरान, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा 339 छापे मारे गए/तलाशियाँ ली गई (149 सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध और 190 गैर-सरकारी व्यक्तियों के विरुद्ध। वर्ष 1978 के दौरान, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा 252 छापे मारे गए/तलाशियाँ ली गई (118 सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध और 134 गैर-सरकारी व्यक्तियों के विरुद्ध)।

(ख) इन छापों/तलाशियों के दौरान अधिशाँसी, दस्तावेज, बिना घोषित की गई परिसम्पत्तियों आदि का पता लगा था। ब्यौरों के प्रकट किए जाने से आगे की जांच इन मामलों में आवश्यक अगली कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, इसीलिए इनको प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा। 121 मामलों में, न्यायालयों में आरोप पत्र दायर कर दिए गए हैं।

कागज की राज्यवार उत्पादन और माँग

9256. **श्री मुकुन्द मंडल** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत

पांच वर्षों में कागज का कुल कितना उत्पादन हुआ और इसकी मांग (राज्यवार और वर्षवार) कितनी है।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री जगदंबी प्रसाद यादव) पिछले 5 वर्षों के लिए कागज तथा कागज के गत्तों के उत्पादन के राज्यवार आंकड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं तथा सभा पटल पर रख दिए जायेंगे कागज तथा कागज के गत्तों की राज्यवार मांग के कोई प्रामाणिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। कुल मिलाकर मांग को पूरा करने के लिए देशी उत्पादन पर्याप्त रहा है, परन्तु वर्ष, 1978-79 में यह अनुमान लगाया गया है कि देश में इसका उत्पादन मांग की अपेक्षा 50,000 मी. टन कम हो गया है।

आरक्षित मदों सम्बन्धी अध्ययन दल

9257. **श्री विनोदभाई बी० सेठ :** क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योग के लिये आरक्षित 807 मदों के सम्बन्ध में तकनीकी आर्थिक अध्ययन किया गया है जैसा कि मन्त्री महोदय ने आश्वासन दिया था।

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है, और

(ग) क्या यह सच है कि जबकि बड़े एककों की क्षमता समाप्त कर दी गई है, लघु एकक कुछ मदों का बड़ी मात्रा में उत्पादन नहीं कर सके जिससे अभाव की स्थिति पैदा हुई है और उसके परिणामस्वरूप बाजार पर विपरीत प्रभाव पड़ा है।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) (क) से (ग) : सरकार ने पता लगा कर 807 वस्तुओं का लघु क्षेत्र के लिए आरक्षिन कर दिया है चूँकि इनके लिए लघु क्षेत्र में विकास की सक्षमता हैं। औद्योगिक नीति सम्बन्धी विवरण के पैरा 6 में सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस क्षेत्र में किया गया उत्पादन किफायती तथा स्वीकार्य कोटि का होना चाहिए और लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची की समय-समय पर समीक्षा की जाती रहेगी ताकि अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक क्षमता उत्पन्न करने में देरी न हो। यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार निरन्तर निगरानी रखती है कि आरक्षण सम्बन्धी नीति से बाजार में वस्तुओं की कमी न हो।

पंजाब में राष्ट्रीय कपड़ा मिल का एकक

9258. **श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब में राष्ट्रीय कपड़ा मिल का कोई एकक नहीं है,

(ख) इसके क्या कारण हैं,

(ग) क्या यह सही है कि पंजाब में बहुत बड़ी मात्रा में रूई का उत्पादन होता है और क्या इस दृष्टि से सरकार पंजाब में राष्ट्रीय कपड़ा मिल का एकक स्थापित करेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और यदि हाँ, तो कब तक

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) (क) से (घ) राष्ट्रीय वस्त्र निगम के पास पंजाब में पहले ही चार राष्ट्रीयकृत एकक हैं : अर्थात् :

1. दयाल बाग स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, अमृतसर।

2. सूरज टैक्सटाइल मिल्स, मलौत।

3. पानीपत वूलन मिल्स।

4. खरार टैक्सटाइल मिल, खरार।

किन्तु पंजाब में रूई के अच्छे उत्पादन को ध्यान में रखते हुए यह विचार किया गया है कि छठी पंचवर्षीय योजनाओं में पंजाब के निम्नलिखित एककों में विद्यमान तकुओं की संख्या में वृद्धि की जाए :

1. दयाल बाग स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, अमृतसर।

2. सूरज टैक्सटाइल मिल्स, मलौत।

3. खरार टैक्सटाइल मिल्स खरार।

हौजकाजी, दिल्ली में मकान का गिरना

9259. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 24 मार्च, 1979 को हौजकाजी, दिल्ली में सब्जी मण्डी में एक मकान गिर गया था ;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना के कारण क्या हैं ;

(ग) उसके परिणामस्वरूप कितने व्यक्ति हताहत हुए ; और

(घ) क्या निकट सम्बन्धियों को कोई क्षतिपूर्ति दी गई है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. डी. पाटिल) (क) से (घ) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि 24-3-1979 को हौजकाजी दिल्ली में एक मकान गिर गया था। पिछला सर्वेक्षण 12-5-78 को किया गया था और इस भवन की स्थिति संतोषजनक थी। दुर्घटना की जांच से भवन के गिरने के कारण का पता नहीं लग सका। गिरने के परिणामस्वरूप मारे गये और घायल हुए व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है :

	पुरुष	महिला	बच्चे
मारे गये	1	4	4
घायल हुए	7	2	3

दिल्ली प्रशासन ने मृतकों के निकट के सम्बन्धियों को प्रत्येक को 750 रुपए और प्रत्येक घायल को 250 रुपए दिए हैं।

किंग्जवे कैम्प, दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति

9260. **श्री चिमनभाई एच० शुक्ल** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ महीनों के दौरान किंग्जवे कैम्प, दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति में ह्रास हो रहा है ;

(ख) गत तीन महीनों के दौरान चोरी, छुरा मारने, हत्या और अन्य इसी प्रकार के कितने अपराधों के मामलों की जानकारी दी गई, उनमें से कितने मामलों की सफलता-पूर्वक जाँच

की गई और न्यायालयों में चालान दायर किये गये ; और

(ग) कानून और व्यवस्था को और अधिक बिगड़ने से रोकने के लिए अब सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री एस. डी. पाटिल (क) और (ख) : डकैती, छीनने और मोटर वाहनों की चोरियों को छोड़कर अपराध के मुख्य शीर्षों के अधीन अपराधों में कमी हुई है। इस सम्बन्ध में अपराध आंकड़ों का विस्तृत विवरण संलग्न है।

(ग) कानून और व्यवस्था की स्थिति पर नियन्त्रण राखने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :

(i) ज्ञात अपराधियों को गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखना और निकासी कार्रवाईयों को तेज करना।

(ii) पैदल और चलती फिरती दोनों गश्त बढ़ाना।

(iii) सामरिक महत्व के स्थानों पर पुलिस टुकड़ियां तैनात करना।

(iv) खतरनाक हथियार रखने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाना।

(v) महिलाओं के साथ छेड़खानी और जेब कतरने को रोकने के लिए सतर्कता दस्ते स्थापित करना।

विवरण

1-1-1979 से 31-3-1979 और 1-1-1978 से 31-3-78 तक किंग्जवे कैम्प पुलिस स्टेशन के निपटान कार्य सहित शीर्षवार अपराध आंकड़ों का विवरण।

अपराध शीर्ष	रिपोर्ट किए गए	रद्द किए गए	दर्ज किए गए	चालान किए गए	दोष सिद्धकिए गए	दोष मुक्त किए गये	विचारण लम्बित	जांच-पड़-ताल लंम्बित	लापता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
डकैती	2	—	2	—	—	—	—	2	—
हत्या	2	—	2	—	—	—	—	2	—
हत्या का प्रयास	1	—	1	—	—	—	—	1	—
दंगे	1	—	1	1	—	—	1	—	—
लूट	2	—	2	—	—	—	—	2	—
छीनना	6	—	6	—	—	—	—	5	1
सेंधमारी	23	—	23	1	—	—	1	8	14
मोटर-वाहन चोरी	35	2	33	1	—	—	1	12	20
साइकिल चोरी	30	—	30	—	—	—	—	3	27
जेब कतरना	12	—	12	—	—	—	—	4	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
विविध चोरियाँ	105	—	105	1	—	—	1	26	78
विविध आई. पी. सी.	73	3	70	17	—	—	17	49	4
कुल आई. पी. सी.	292	5	287	21	—	—	21	114	152
1-1-1978 से 31-3-1978									
डकैती	1	—	1	1	1	—	—	—	—
हत्या	2	—	2	—	—	—	—	1	1
हत्या का प्रयाह	3	—	3	3	—	—	3	—	—
दंगे	1	—	1	1	—	—	1	—	—
लूट	3	—	3	5	—	—	5	—	3
छीनना	5	—	5	—	—	—	—	—	5
सेंधमारी	39	1	38	12	2	—	10	1	25
मोटर-वाहन चोरी	14	2	12	3	—	—	3	—	9
साइकिल चोरी	50	—	50	5	1	—	4	—	45
जेब कतरना	15	—	15	4	—	—	4	—	11
विविध चोरियां	122	3	119	14	1	—	13	—	105
विविध आई. पी. सी.	143	19	124	73	2	2	69	2	48
कुल आई. पी. सी.	403	25	378	121	7	2	112	5	252

एन. एस. एस. ओ. के कैन्टीन कर्मचारियों को सुविधायें

9261. **श्री रामदास सिंह** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एन. एस. एस. ओ सांख्यिकी विभाग, हंस भवन, नई दिल्ली के कैन्टीन कर्मचारियों को सरकार द्वारा प्रदत्त न्यूनतम मजूरी, वर्दी की सप्लाई तथा अन्य सुविधाएं नहीं दी जाती हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या प्रभावित कर्मचारियों को प्रतिपूर्ति देने और सरकारी आदेशों को क्रियान्वित न करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी को अनुकरणीय दंड देने हेतु कोई कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या यह सच है कि सरकारी आदेशों का उल्लंघन करने और कर्मचारियों को परेशान करने के लिए उत्तरदायी अधिकारी प्रतिनियुक्ति अवधि बढ़ाकर उस पर कृपा की जा रही है और इस प्रकार लेखा तथा प्रशासनिक अधिकारी के पद के लिए भर्ती और पदोन्नति के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है; और

(ङ) यदि उसका उत्तर हाँ में है तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रलय में राज्य मंत्री (श्री फजलुर रहमान) (क) जी, नहीं :

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

के. एस. बावा अध्ययन दल द्वारा आदिवासी लोगों की आर्थिक आवश्यकताओं से संबंधित एक संस्थान स्थापित करने का सुझाव

9262. **श्री बागुन सम्बरुई** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या के. एस. बाबा अध्ययन दल ने एक ऐसे सक्षम संस्थान की स्थापना का सुझाव दिया है जो देश की आदिवासियों की आर्थिक आवश्यकतायें पूरी कर सकें;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस सुझाव पर क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) (क) और (ख) : के. एस. बावा अध्ययन दल ने खण्ड स्तर पर कई शाखाओं वाली बड़े आकार की कृषि बहुद्देशीय सहकारी समितियां (एल. ए. एम. पी. एस.) स्थापित करने का सुझाव दिया था। इन्हे वर्तमान प्राथमिक यहकारी विपणन समितियां/वन सहकारी विपणन समितियों में बदल कर अथवा इस क्षेत्र में कार्य कर रही प्राथमिक समितियों को मिलाकर नई समितियाँ संगठित करके बनाने का सुझाव दिया गया था। इस समय कार्य कर रही प्राथमिक ऋण समितियाँ जिनको एल. ए. एम. पी. एस. के साथ मिलाया जाना हैं एल. ए. एम. पी एस. के गोदाम या शाखा हो सकती हैं। इनके कार्यों के अन्तर्गत अल्प तथा मध्यम अवधि के कृषि उत्पादन ऋण, उपभोग ऋण, खाद्य को पूर्ति, उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण तथा कृषि और लघु वन उत्पादन के विपणन का विचार किया गया था। संगठनात्मक रूप से एल. ए. एम. पी. एस. को उनकी ऋण आवश्यकताओं के लिए केन्द्रीय सहकारी बैंकों से सम्बन्ध होना है और आदिवासी विकास सहकारी निगमों/महासंघों/टी. डी. सी. सी. एस. अथवा राज्य विपणन तथा पूर्ति महासंघों से विपणन, पूर्ति तथा वितरण कार्यो के लिए सहायता प्राप्त करनी है।

(ग) जनजाति जनसंख्या की ऋण तथा आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राथमिक आधार पर राज्य सरकारों ने बड़े आकार की कृषि बहुद्देशीय सहकारी समितियां गठित करने की कार्यवाहियाँ आरम्भ की हैं। ये समितियाँ औसतन 10,000 से 20,000 तक व्यक्तियों के लिए हैं। कुल मिलाकर जनजातीय उपयोजना वाले 16 राज्यों तथा 2 संघ शासित क्षेत्रों में लगभग 2500 ऐसी समितियाँ (एल. ए. एम. पी. एस.) को गठित करने का विचार था और लगभग 2400 गठित की जा चुकी हैं।

आदिवासी विकास संबंधी कार्यकारी दल का प्रतिवेदन

9263. **श्रीमती पार्वती देवी** : क्या **योजना मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिवासी विकास सम्बन्धी कार्यकारी दल ने छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान आदिबासियों के कल्याण के लिए विशिष्ट आवंटन करने का प्रस्ताव किया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके अन्तर्गत किन-किन मदों को लिया जायेगा ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फजलुर्रहमान) : (क) जी हाँ.

(ख) इस कार्यकारी दल ने जनजातीय कल्याण पर 1978-83 की अवधि में 3000 करोड़ रुपए के न्यूतम निवेश की सिफारिश की थी जिसमें लगभग 1850 करोड़ रुपए राज्य योजनाओं से, 500 करोड़ रुपए केन्द्रीय मंत्रालयों की योजनाओं से, 300 करोड़ रुपए संस्थागत वित्त से और 350 करोड़ रुपए विशेष केन्द्रीय सहायता के रुप में हों। राज्यों की जनजातीय उपयोजनाएं और केन्द्रीय मंत्रलयों के ऐसे कार्यक्रमों के लिए परिव्यय अभी विचाराधीन हैं जिनसे जनजातीय जनसंख्या को लाभ पहुंचेगा।

बिहार के कटिहार जिले में आदिवासियों पर अत्याचारों के विरुद्ध प्रदर्शन-मार्च

9264. **श्री एस. के. राय** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान बिहार के कटिहार जिले में आदिवासियों पर अत्याचारों के विरुद्ध 21 मार्च, 1979 को हरिजनों तथा आदिवासियों द्वारा आयोजित प्रदर्शन-मार्च की ओर दिलाया गया है : और

(ख) क्या उन अत्याचारों के सम्बन्ध में हस्तक्षेप के लिए केन्द्र सरकार से भी अनुरोध किया गया था; यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) (क) जी हाँ, श्रीमान। राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार उत्तरांचल आदिवासी हरिजन संघर्ष समिति कटिहार और मार्क्सवादी समन्वय समिति के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित आदिवासियों की एक सशस्त्र रैली 21-3-78 को आदिवासियों पर कथित अत्याचारों के बारे में अपनी कठिनाइयां जाहिर करने के लिए गाँधी मैदान में निकाली गई थी। जुलूस मुख्य सड़कों से होकर गुजरा था और अन्त में विधान सभा के समक्ष शाँतिपूर्ण प्रदर्शन किया था। जुलूस निकालने वाले बिहार के कृषि मंत्री को एक ज्ञापन देने के बाद गांधी मैदान वापिस लौट आये थे।

(ख) जी नहीं, श्रीमान।

हीरा मिल्स और इन्दौर मालवा यूनाटिड मिल्स के पास खाली पड़ी जमीन

9265. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **उद्योग मंत्री** हीरा मिल्स और इन्दौर मालवा यूनाईटिड मिल्स के पास खाली पड़ी जमीन के बारे में 16 अगस्त, 1978 के तारांकित प्रश्न संख्या के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हीरा मिल्स और इन्दौर मालवा यूनाटिड मिल्स इन्दौर के पास इस समय कितने एकड़ जमीन खाली पड़ी है और कितनी जमीन अन्य व्यक्तियों को किराए पर दी गई है और उससे कितना किराया मिला है और कितना बकाया किराया अभी लिया जाना है,

(ख) क्या उक्त मिलों के पास नगर के अन्य स्थानों में भी कुछ जमीन है और यदि हाँ, तो क्या मिलों को अपने नियंत्रणाधीन लिए जाने के समय मिल मालिकों ने उस जमीन को बेच दिया था अथवा गिरवी रख दी थी और यदि हाँ, तो वह जमीन कितनी है तथा क्या सरकार उसको भी अधिग्रहीत करेगी, और

(ग) क्या उक्त मिलों के नियंत्रणाधीन चल रहे अन्य कारखानों को भी अपने अधीन ले लिया गया है और यदि हां, तो उनके पास कितनी जमीन थी तथा क्या यह भी सच है कि

कुछ राजनीतिक दलों ने बाद में उस जमीन पर कब्जा जमा लिया है और यदि हाँ, तो ऐसी जमीन कितनी है तथा यह किन व्यक्तियों के कब्जे में है ।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) (क) इस समय हीरा मिल्स तथा इन्दौर मालवा यूनाइटेड मिल्स के पास क्रमश: 57.6 एकड़ तथा 32.12 एकड़ खाली भूमि पड़ी हुई है । इन मिलों की कोई भूमि किराये पर नहीं दी गयी है अतएव किराये की राशि का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ख) हीरा मिल्स के पास शहर के दूसरे स्थानों में कोई भूमि नहीं है । इन्दौर मालवा यूनाइटेड मिल्स की भूमि का कुछ भाग लगभग 7.7 एकड़ जो इसके परिसर के समीप ही था, भूतपूर्व प्रबन्धकों द्वारा मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को बेच दिया गया था । इस समय उक्त भूमि को अधिग्रहीत करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ग) हीरा मिल्स के अधीन कोइ और कारखाने नहीं चलाये जा रहे हैं । किन्तु इन्दौर मालवा यूनाइटेड मिल्स के पास दो धुनाई कारखाने थे जिनमें एक इन्दौर में और दूसरा करुनोड में में स्थापित था और इन्हें भी मिल के हाथ में ले लिया गया था । इन दो कारखानों की भूमि कुल मिलाकर 31.54 एकड़ है तथा इस भूमि का कोई भाग किसी राजनैतिक पार्टी के कब्जे में नहीं हैं ।

विद्युत चालित करघा बोर्ड स्थापित किया जाना

9266. **डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत चालित करघा उद्योग को प्रोत्साहित करने और इसकी बढ़ती हुई लोकप्रियता तथा इससे मिलने वाले रोजगार के अवसरों को देखते हुए सरकार का विचार एक विद्युतचालित करघा बोर्ड स्थापित करने का है ।

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है, और

(ग) सूती कपड़ा मिलों और विद्युतचालित करघों द्वारा कितने प्रतिशत कपड़ा बनाया जाता है तथा प्रत्येक उद्योग में कितने श्रमिक काम कर रहे हैं ।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) (क) तथा (ख) : विद्युत-चालित करघा बोर्ड स्थापित करने का सरकार का फिलहाल कोई भी विचार नहीं है ।

(ग) सूती कपड़ा मिलों द्वारा कुल कपड़े का 46.21 प्रतिशत तथा विद्युतचालित करघों द्वारा कुल कपड़े का 32.87 प्रतिशत (सूती तथा नकली रेशम कपड़ा बनाया जाता है । मिल क्षेत्र द्वारा लगभग 11 लाख तथा विद्युतचालित करघा क्षेत्र में 8.67 लाख श्रमिकों को रोजगार मिला हुआ है .

हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन हिन्दी अध्यापकों, सहायक निदेशकों का स्थानान्तरण

9267. **श्री मदन तिवारी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन हिन्दी अध्यापकों, सहायक निदेशकों तथा उप-निदेशकों के स्थानान्तरण सम्बन्धी नीति क्या है;

(ख) 1973 से 1978 के दौरान कितने हिन्दी अध्यापकों, सहायक निदेशकों तथा उप-निदेशकों का स्थानान्तरण किया गया;

(ग) प्रत्येक वर्ग के कितने कर्मचारियों को बम्बई से दिल्ली स्थानान्तरित किया गया; और

(घ) अन्य स्थानों से दिल्ली के लिए कितने स्थानान्तरण किये गये?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) (क) इस विभाग द्वारा संचालित हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन उपनिदेशकों, सहायक निदेशकों और हिन्दी प्राध्यापकों की नियुक्ति अखिल भारतीय स्तर पर की जाती है। अन्य अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के समान हिन्दी शिक्षण योजना के अधिकारियों के सम्बन्ध में समय-बद्ध स्थानान्तरण का कोई प्रावधान नहीं है। इन अधिकारियों के स्थानान्तरण सरकार की सामान्य नीति प्रशासनिक कारणों तथा अधिकारियों की निजी समस्याओं आदि को ध्यान में रखते हुए किए जाते हैं।

(ख) वर्ष 1973 से वर्ष 1978 तक निम्नलिखित संख्या में अधिकारियों के स्थानान्तरण किए गए :

वर्ष	हिन्दी प्राध्यापक	सहायक निदेशक	उपनिदेशक
1973	8	—	3
1974	16	1	—
1975	16	—	—
1976	17	8	—
1977	11	5	2
1978	7	6	1
	75	20	6
(ग) :			
1973-78	1	1	2
(घ):			
1973-78	7	2	—

अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड को सांविधिक निकाय में बदलना

9268. **श्री भानु कुमार शास्त्री** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड को सांविधिक निकास में बदलने का विचार है और हथकरघा बुनकरों को सहकारिता क्षेत्र में लाया जायेगा, और

(ख) क्या जनसंख्या के निम्नतम वर्गों को न्यूनतम उपयोग स्तर तक लाने और ग्रामीण रोजगार पैदा करने हेतु हथकरघा उद्योग को कुछ विशेष संरक्षण प्रदान किया जायेगा।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी, नहीं अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड को तत्तकाल ही सांविधिक निकाय में बदलने का कोई विचार नहीं है।

छठी पंचवर्षीय योजना के अंत तक 60 प्रतिशत हथकरघा बुनकरों को सहकारिता के अंतर्गत लाने का लक्ष्य रखा गया है।

(ख) केवल इस क्षेत्र में उत्पादन करने हेतु कुछ लोकप्रिय वस्तुओं का आरक्षण करके हथकरघा उद्योग को सुरक्षा प्रदान करने का विचार है। इसके आलावा, इस क्षेत्र में निरन्तर रोजगार मिलना सुनिश्चित करने की दृष्टि से जनता कपड़े का उत्पादन करने के लिए एक योजना हाथ में ली गई है। इससे हथकरघा बुनकरों विशेषकर कमजोर वर्ग के लोगों में रोजगार के अवसर बढ़ जाने की आशा है।

तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय द्वारा कागज बनाने की नई प्रौद्योगिकी का विकास

9269. **श्री आर. के. महालगी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय ने खेती के अवशिष्ट पदार्थों से कागज/गत्ता बनाने की एक नई और सस्ती प्रोद्योगिकी का विकास किया है, और

(ख) क्या सरकार यह प्रोद्योगिकी समूचे देश में लघु उद्यमकर्त्ताओं को शीघ्र से शीघ्र उपलब्ध करायेगी।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) (क) और (ख) कागज और गत्ते का उत्पादन करने के लिए कृषि अपशिष्टों को उपयोग करने हेतु तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई प्रौद्योगिकी के ब्यौरे केन्द्रीय सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। समझा जाता है कि विश्वविद्यालय स्वयं इसका पर्याप्त प्रचार करेगा और लघु उद्यमियों को प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगा।

मैसर्स यूनियन कारबाईड इण्डिया लि. द्वारा रेफ्रीजिरेशन उपकरण का निर्माण

9270. **श्री कृष्ण सिंह** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल में रेफ्रीजिरेशन उपकरण के निर्माण के लिए मैसर्स यूनियन कारबाइड इण्डिया लि. के अभ्यावेदन पर इस बीच में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया है।

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है।

(ग) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने इस बहु राष्ट्रीय कम्पनी को लाइसेंस दिये जाने के लिए केन्द्रीय सरकार से नये सिरे से प्रस्ताव किया है; और

(घ) क्या पश्चिम बंगाल सरकार का अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया है और यदि हाँ, तो अस्वीकृति के आधार क्या हैं।

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) (क) से (घ) : निम्नतापी (क्रायोजेनिक) कंटेनर्स बनाने के लिए मैसर्स यूनियन कारबाइड इण्डिया लि. के अभ्यावेदन के बारे में पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत सरकार के साथ पुन: पत्र व्यवहार शुरू किया है। चूंकि सरकारी क्षेत्र के दो उपक्रमों अर्थात् इंडो बर्मा पेट्रोलियम लि. तथा भारत हैवीप्लेट्स एण्ड वेसल्स लि. को देश में इस वस्तु की मांग को पूरा करने हेतु चार-चार हजार निम्नतापी (क्रायोजेनिक)

कंटेनर्स बनाने के लिए आशय पत्र जारी किये गये हैं तथा निम्नतापी (क्राइओजेनिक) कंटेनर्स बनाने के लिये मैसर्स यूनियन कारबाइड इण्डिया लि. के मामले पर पुनः विचार न करने का निर्णय लिया गया है ।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सरकारी समिति में एक उप-सचिव को प्रतिनियुक्ति

9271. **श्री रामानन्द तिवारी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार में एक उप-सचिव, जो केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड कर्जन रोड, नई दिल्ली में जनरल मैनेजर के रूप में प्रतिनियुक्ति पर है समिति के औपचारिक पत्र-व्यवहार में स्वयं को भारत सरकार के निदेशक और समिति में जनरल मैनेजर का दर्जा दे रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त उप-सचिव को एक स्वायत पंजीकृत निकाय में प्रतिनियुक्ति के दौरान भारत सरकार में ऐसा पद ग्रहण करने और अपने पद का नाम लिखने का अधिकार नहीं है; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार का उप-सचिव के विरुद्ध अपने को निदेशक बताने और सहकारी समिति में जनरल मैनेजर के पद पर काम करते हुए अपने सरकारी दर्जे का उल्लेख करने के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस. डी. पाटिल : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) जी हाँ, श्रीमान् ।

(ग) सम्बन्धित अधिकारी को सलाह दी गई है कि जब तक वे सहकारी समिति में प्रतिनियुक्ति पर हैं तब तक समिति के पत्राचार में ऐसे सचिवालय पदनामों का उपयोग न करें ।

श्री अम्बेडकर की मृत्यु की जाँच करने के लिए समिति

9272. **श्री केशवराव घोंडगे** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने बाबा साहेब अम्बेडकर की मृत्यु के कारणों की जाच करने के लिए समिति नियुक्ति की थी;

(ख) यदि हाँ, तो समिति के निर्देश पद क्या हैं और उनके सदस्यों के नाम क्या हैं;

(ग) समिति का प्रतिवेदन कब प्राप्त हुआ था; और

(घ) क्या प्रतिवेदन को एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी और क्या सरकार का विचार इसको प्रकाशित करने का है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है ?

गृह मन्त्रालय तथा विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री एस. डी. पाटिल : (क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) पुलिस उप महानिरीक्षक दिल्ली द्वारा मामले की जांच की गई थी; वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि डा० अम्बेदकर की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई थी और इसमें किसी प्रकार के

धोखे किये जाने के सन्देह के साक्ष्य नहीं हैं। चूंकि जाँच गोपनीय थी अतः रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखना या प्रकाशित करना उपयुक्त नहीं होगा ।

दिल्ली में फायर ब्रिगेडों को नक्शों का सप्लाई किया जाना

9273. **श्री लाल जी भाई** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आग लगने की किसी घटना के निश्चित स्थान का पता लगाने में दिल्ली के फायर ब्रिगेड का काफी समय चला जाता है;

(ख) क्या स्वाधीनता प्राप्ति के 31 वर्षों के बाद भी राजधानी के विभिन्न स्थानों के खाके और नक्शे फायर ब्रिगेड के पास नहीं हैं, जिनसे उन्हें प्रभावित स्थलों तक शीघ्रतापूर्वक पहुँचने में सहायता मिल सके; और

(ग) यदि हाँ, तो इस बारे में तथ्य क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) जी नहीं श्रीमान ।

(ख) दिल्ली अग्नि शमन सेवा के पास राजधानी से विभिन्न इलाकों के खाके और नक्शे हैं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता है ।

केन्द्रीय परियोजनाओं के लिए राज्यों को धन का आवंटन

9274. **श्री वेदव्रत बरुआ** : क्या **योजना मंत्री** : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ केन्द्रीय परियोजनाओं में काँट-छाँट किये जाने के परिणामस्वरूप राज्यों को अन्तरित की जाने वाली धनराशि का आवंटन राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा किया गया है;

(ख) आसाम और उत्तर पूर्वी राज्यों को कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ग) क्या उपरोक्त भाग (ख) में उल्लिखित राज्यों को बहुत कम राशि आवंटित किये जाने के विरुद्ध उन राज्यों से कोई अध्यावेदन प्राप्त हुए हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फजलुर्रहमान) : (क) से (ग) तक : राष्ट्रीय विकास परिषद की फरवरी, 1979 में हुई बैठक में यह निर्णय किया गया कि केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में कुछ परिशोधनों के परिणामस्वरूप अगले चार वर्ष (1979-83) के लिए दी जाने वाली संभावित लगभग 2000 करोड़ रु० की धनराशि को विशेष श्रेणी के राज्यो से इतर राज्यों में आय समायोजित कुल जनसंख्या के आधार पर वितरित किया जाए। असम, उत्तर-पूर्वी राज्य, जम्मू और कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश को 'विशेष श्रेणी के राज्य' माना जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद ने यह निर्णय किया कि अगले चार वर्षों के लिए राज्य योजनाओं के लिए उपलब्ध केन्द्रीय सहायता को कुल मात्रा में से 800 करोड़ रु० विशेष श्रेणी के लिए आरक्षित रखे जाने चाहिए। इसके अलावा, पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों, उत्तर-पूर्वी परिषद के कार्यक्रम और बहारी सहायता प्राप्त स्कीमों के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता दी जा रही है। इस बैठक में यह भी तय किया गया कि विशेष श्रेणी के राज्यों को केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों पर उनके धनराशि के आश्वासनों को पूरा करने के लिए 2000 करोड़ रु० के अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी ।

जम्मू और कश्मीर में मन्दिरों का अतिक्रमण

9275. **श्री कुमारी अनन्तन** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय काश्मीर पण्डित सम्मेलन ने जम्मू और काश्मीर सरकार की जम्मू और काश्मीर में 72 पंडित मन्दिरों और 'देवस्थानों के अति क्रमण के विरुद्ध कार्यवाही के मामले में जाँच हेतु अल्पसंख्यक आयोग से अनुरोध किया है;

(ख) क्या अल्प संख्यक आयोग से कोहली और दयाल आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति के बारे में भी जाँच करने का अनुरोध किया गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस बारे में अल्प संख्यक आयोग ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

विदेशी तकनीकी जानकारी पर निर्भरता

9276. **श्री सरल कार** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की नीति विदेशी तकनीकी जानकारी पर निर्भरता को कम करने तथा देश में आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ करने के सम्बन्ध में उनके दल द्वारा किये गये वायदों के अनूरूप है, और

(ख) क्या सरकार ने इस बारे में कोई गहन अध्ययन किया है अथवा इस बात का पता लगाने अथवा इस सम्बन्ध में सुझाव देने के लिये कि क्या इस सम्बन्ध में प्रचलित मार्गदर्शी निदेश पर्याप्त हैं अथवा उनमें कुछ परिवर्तन की जरूरत है, सरकार का विचार एक समिति नियुक्त करने का है ।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) तथा (ख) उद्योगों में विदेशी सहयोग की अनुमति देने के बारे में सरकार की नीति चयनपरक तथा राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप है । विदेशी सहयोग को केवल जटिल प्रकार के तथा उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों, निर्यातोन्मुखी उपक्रमों तथा की उन वस्तुओं के लिए अनुमति दी गई है जिनका उत्पादन करने के लिए देश के भीतर देशी क्षमता का पर्याप्त रूप से विकास नहीं हुआ है । संसद में 23 दिसम्बर, 1977 को प्रस्तुत किए गए औद्योगिकी नीति विवरण के अनुच्छेद 2,3, 24, 25, तथा 26 में इस बारे में सरकार की नीति स्पष्ट कर दी गई है ।

अभी तक प्राप्त देशी क्षमता की सीमा तथा विगत में स्वीकृत प्रस्तावों के अन्तर्गत विदेशी सहयोग के शमीकरण के बारे में भारत सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों द्वारा हाल ही में लगाए गए अनुमान के आधार पर सरकार ने 28 दिसम्बर, 1978 को एक प्रेस नोट जारी किया था जिसमें उन उद्योगों की एक सोदाहरण सूची दी गई है जिनके बारे में वित्त या तकनीकी किसी भी प्रकार का विदेशी सहयोग करने की आवश्यकता नहीं है । इस प्रेस नोट की प्रति संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध है ।

भारी जल का उपयोग करने वाली परमाणु परियोजनायें

9277. **श्री के. लकप्पा :**

श्री मल्लिकार्जुन : क्या **परमाणु ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कौन-कौन-सी परमाणु परियोजनायें भारी पानी का उपयोग कर रही हैं;

(ख) क्या उक्त भारी पानी का देश में ही उत्पादन किया जाता है; और

(ग) भारी पानी की सप्लाई के लिये भारत ने किन-कन देशों से करार किया है ?

रक्षा मंत्रालय तथा परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) भारत की निम्नलिखित परमाणु विद्युत परियोजनाओं को विमंदक के रूप में भारी पानी की आवश्यकता पड़ती है :

(1) परमाणु विद्युत परियोजना, कोटा (राजस्थान)

(2) परमाणु विद्युत परियोजना, कलपाक्कम (तमिलनाडु)

(3) परमाणु विद्युत परियोजना, नरोरा (उत्तर प्रदेश)

इनके अतिरिक्त, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, ट्राम्बे के तीन अनुसंधान रिस्केटर (जिनमें से दो काम कर रहे हैं और एक निर्माणाधीन है) भी भारी पानी का इस्तेमाल करते हैं।

(ख) जी, हां ।

(ग) भारी पानी की सप्लाई के लि ए एक संविदा सन् 1976 में सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संघ के साथ निष्पन्न हुई थी ।

औद्योगिक संवर्द्धन की समस्याओं के बारे में श्री जे० आर० डी० टाटा० द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन

9278. **श्री चित्त बसु** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री जे. आर. डी. टाटा ने औद्योगिक संवर्द्धन तथा विकास के बारे में हाल ही में कोई नोट अथवा ज्ञापन भेजा था, और

(ख) यदि हां, तो उक्त ज्ञापन की मुख्य बातें क्या हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं ।

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) तथा (ख) श्री जे. आर. डी. टाटा, अध्यन, टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि. ने जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के बारे में 8 जनवरी, 1979 को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है।

दिसम्बर, 1977 में संसद में प्रस्तुत किये गये औद्योगिक नीति सम्बन्धी विवरण में पिछले वर्षों की विकृतियों को दूर करने की ओर ध्यान दिलाया गया है ताकि व्यक्तियों की वास्तविक आकांक्षाओं को आर्थिक विकास के समयबद्ध कार्यक्रम में पूरा किया जा सके। विवरण में अन्य बातों के साथ-साथ अर्थव्यवस्था में सरकारी क्षेत्र की भूमिका को स्पष्ट किया गया है। विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र की बढ़ती हुई भूमिका होगी यह न केवल मूल प्रकृति के महत्वपूर्ण माल को उत्पादक होगा किन्तु उप-भोक्ताओं के लिए आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति में स्थिरता लाने वाली शक्ति के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाएगा सरकारी शेत्र को अनुषंगी उद्योगों की विस्तृत

शृंखला के विकास को प्रोत्साहित करने और लघु एवं कुटीर उद्योगों के क्षेत्रों को प्रौद्योगिकी और प्रबन्ध में अपनी विशेषज्ञता उपलब्ध करा कर विकेंद्रीकृत उत्पादन के विकास में सहयोग देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

सरकारी स्वामित्व के क्षेत्र को धीरे-धीरे बढ़ाते रहने के कार्यक्रम की सरकार द्वारा निरन्तर समीक्षा की जा रही है जिससे उन क्षेत्रों का पता लगाया जा सके जिनमें सरकारी स्वामित्व का विकास किया जा सकता है।

केरल में नारियल जटा उद्योग

9279. **श्री के. ए. राजन** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में नारियल जटा उद्योग के विकास के लिये 61 करोड़ रुपये की एक योजना प्रस्तुत की है, और

(ख) यदि हाँ, तो परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) तथा (ख) केरल सरकार ने 1978-79 से 1982-83 के पाँच वर्षों की अवधि में कयर उद्योग के विकास के लिए एक योजना भेजी है जिसके 61, 62 करोड़ रु० का परिव्यय अन्तर्गस्त है तथा जिसमें 24, 24 करोड़ रु. केन्द्र से सहायता के रूप में 32.38 करोड़ रु. संख्यागत वित्त के रूप में और 5 करोड़ रुपये राज्य सरकार के योगदान के रूप में उनकी योजना के अन्तर्गत शामिल हैं। इस योजना का उद्देश्य 600 नई प्रारम्भिक सहकारी समितियों 10 विनिर्माता समितियां, एक विपणन संघ संगठित करना, विक्रय डिपुओं का खोला जाना, केरल राज्य कयर कारपोरेशन को वित्तीय सहायता देना, कल्याण अभ्युपाय किया जाना आदि है।

सरकार ने इस उद्योग के तीव्र तथा सुव्यवस्थित विकास के लिए तथा इसकी समस्याओं पर काबू पाने के लिए उचित अभ्युपायों का सुझाव देने हेतु योजना आयोग के सदस्य श्री बी. शिवरमन की अध्यक्षता में कयर उद्योग सम्बन्धी उच्च स्तरीय अध्ययन दल गठित किया। इस दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुन कर दी।

कयर उद्योग का विकास/पुर्नसंगठन उनकी सम्बन्धित योजना स्कीमों के अन्तर्गत मुख्य रूप से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। केन्द्रीय सहायता की मात्रा अध्ययन दल की सिफारिशों पर लिए गए निर्णयों पर निर्भर करेगी।

सोयाबीन उत्पादन उद्योग को प्रोत्साहन

9280. **श्री एस. आर. रेड्डी** : क्सा **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सोयाबीन उत्पादों के निर्माण के सम्बन्ध में अतिरिक्त क्षमता का निर्माण करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ख) इस उद्योग को बढ़ाने के लिए सरकार की नीति के अनुसार घोषित प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) : 29

जनवरी 1979 को एक प्रैस नोट जारी किया गया है जिसमें सोयाबीन प्रासेसिंग एककों की स्थापना करने के लिए नये आवेदन पत्र मांगे गए हैं। आशा है कि प्रैस नोट में दिये गए निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धान्त इस उद्योग को प्रोत्साहित करने हेतु पर्याप्त प्रोत्साहन प्रद सिद्ध होंगे।

(1) प्रारम्भ में सोयाबीन उद्योग को सरकारी प्रैस नोट दिनांक 2 फरवरी, 1973 के परिष्टि में समाविष्ट उद्योग का दर्जा दिया गया है तथा वड़े गृह भी इस उद्योग में भाग लेने के लिए पात्र होंगे।

(2) सोयाबीन के उत्पाद बनाने के लिए क्षमता पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।

(3) सरकार का समाधान हो जाने पर विदेशी सहयोग तथा पूंजीगत माल का आयात करने की अनुमति दी जायेगी।

(4) सोयाबीन के उत्पाद बनाने पर निर्यात का कोई दायित्व लागू नहीं किया जायेगा।

(5) गैर एम. आर. टी. पी. तथा गैर फेरा कम्पनियों से मिले प्रस्तावों को वरीयता दी जायेगी।

देश में अहिंसा की घटनायें

9281. **श्री एडुवार्डो फैलीरो** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न हिस्सों में हिंसा की घटनायें बढ़ रही हैं;

(ख) क्या प्रतिक्रियावादी, जातिवादी और विभाजनकारी शक्तियों के प्रसार और असामाजिक तत्वों की गतिविधि में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति आई है; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) साम्प्रदायिक और जाति तनावों, श्रमिकों अशान्ति, छात्र अनुशासन-हीनता, कृषिक और राजनीतिक आन्दोलनों के कारण देश के विभिन्न भागों में अनेक हिंसक घटनायें हुई हैं।

(ख) यह विभिन्न कारणों से है जैसे प्रतिक्रियावादियों को प्रचुरता, जातिवादी और विभाजक ताकतें और असामाजिक तत्वों की गतिविधियाँ भी हिंसा के कुछ प्रमुख कारणों में से हैं।

(ग) राज्य सरकारें स्थिति के सम्बन्ध में पूर्ण रूप से सचेत हैं और हिंसा की घटनाओं के निवारण और रोकने के लिए कानून के अधीन सभी सम्भव कदम उठा रही हैं।

नमक की बिक्री मूल्य

9282. **श्री के० टी० कोसल राम** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता और देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर भागों के अन्य नगरों में नमक 5 रुपये प्रति किलोग्राम बेचा जा रहा है जबकि असमुधनेरी और तूती कोरिन में नमक उत्पादकों द्वारा 50 किलोग्राम नमक का थैला मजबूरी में 4.75 रुपये का बेचा जा रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो देश में इन भागों को पर्याप्त मात्रा में नमक की सप्लाई सुनिश्चित कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा भाईति) : (क) अक्तूबर, 1978 से मार्च, 1979 के 6 महीने में पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्यों में नमक के खुदरा मूल्य इस प्रकार रहे थे :

(1)	अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंण्ड, सिक्किम, त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल	40 पैसे से 1 रु० प्रति किलोग्राम
(2)	मिजोरम	50 पैसे से 2 रु० प्रति किलोग्राम

अक्तूबर, 1978 से मार्च, 1979 की अवधि में तूतीकोरिन तथा अरुसुधानेरी क्षेत्रों में रेल भाड़ा मुक्त नमक का मूल्य 3 रु० से 11.20 रु० 100 कि० ग्रास की प्रति बोरी था।

(ख) पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में नमक की अधिक कीमतें अधिक परिवहन लागत आने तथा लम्बी दूरी होने, बड़ी लाइन से छोटी लाइन में बदलने, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों के ऊपर माल ले जाने. विभिन्न प्रकार से माल को उतारने-चढ़ाने एवं पर्याप्त संख्या में रेल बैगन उपलब्ध न होने के कारण रही हैं। सरकार देश के पूर्वी तथा उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए अपेक्षित पर्याप्त मात्रा में नमक लाने ले जाने हेतु अधिक वैगन उपलब्ध कराने के लिए कदम उठा रही है। सरकार ने नमक उद्योग के सामने आ रही कठिनाइयों की बृहद समीक्षा करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का भी गठन किया है और इसके विचारार्थ विषयों में एक विषय लागत तथा मूल्य का अध्ययन करना भी है।

उप सचिवों के पद पर पद्रोन्नति के लिये केन्द्रीय सचिवालय अधिकारियों की सूची

9283. **श्री जी. एम. बनातवाला :**
श्री शंकर सिंह जी बाघेला :
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

डा. विजय मंडल : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में उप सचिवों के पद पर पदोन्नति के लिए केन्द्रीय सचिवालय के अधिकारियों को सूचियां किस-किस तारीख को जारी की गई थीं ?

गृह मंत्रालय तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. डी. पाटिल) : केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-1 अधिकारियों को उक्त सेवा के चयन ग्रेड (उप सचिव ग्रेड) में पदोन्नति के लिए पिछले तीन वर्षों में जारी की गई सूचियां इस प्रकार हैं :

वर्ष	चयन सूची जारी करने की तारीख (तारीखें)
1976	2 फरवरी, 1977
1977	28 फरवरी, 1978 अनुपूरक सुचियां 19-4-78 तथा 27-3-1979 को भी जारी की गई थीं।
1978	27 अप्रैल, 1979

बड़े व्यापार गृहों में फूट संबंधी समाचार

9284. **श्री सौगत राय** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान "इकोनामिक टाइम्स" दिनांक 10 मार्च 1979 में छपे इस आशय के लेख की ओर दिलाया गया है कि जनता सरकार के एकाधिकार को रोकने के प्रयासों को पहिले ही से निष्प्रभावी बनाने के लिए बड़े व्यापार गृहों में फूट पड़ रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदंबी प्रसाद यादव) : (क) तथा (ख) : 10 मार्च, 1979 के एकानामिक टाइम्स में प्रकाशित समाचार में जयपुरिया, मफतलाल तथा रोहित औद्योगिक गृहों के बंट कर अलग हो जाने का उल्लेख है। एकाधिकार प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम के संदर्भ में किसी बड़े औद्योगिक गृह के बट जाने की सूचना कम्पनी कार्य विभाग की जानकारी में तभी आ सकती है जबकि एकाधिकार प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत पहले से पंजीकृत उपक्रम, पर अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत पहले से पंजीकृत उपक्रम जिस पर अधिनियम की धारा 20 (क) लागू होती है इस आधार पर पंजीकरण को रद्द कराये जाने के लिए आवेदन देता है कि सम्बन्धित गृह का बटवारा हो गया है और जिसके फलस्वरूप उस उपक्रम पर धारा 20 (क) के उपबंध लागू न किए जाएं। कम्पनी कार्य विभाग में हाल ही के महीनों में प्राप्त आवेदन पत्रों में रद्द करने के सम्बन्ध में इस प्रकार का कोई भी संकेत नहीं मिलता है।

बेरोजगार लोगों को लघु एककों की स्थापना के लिए सुविधाएं एवं प्रशिक्षण देना

9285, **श्री हुकम देव नारायण यादव** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा बेरोजगार व्यक्तियों को कुटीर तथा लघु उद्योगों की स्थापना हेतु क्या सुविधायें देने का विचार है ?

(ख) क्या ग्रामीण युवाओं को उद्योगों की स्थापना के लिए प्रशिक्षण देना आवश्यक है; और

(ग) सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदंबी प्रसाद यादव) : (क) बेरोजगार व्यक्तियों को कुटीर तथा लघु उद्योगों की स्थापना करने के लिए सुविधाएं प्रदान करने हेतु सरकार ने कोई विशिष्ट योजना तैयार नहीं की है। किन्तु उद्यमियों को लघु तथा कुटीर उद्योगों की स्थापना के लिए जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम के अन्तर्गत निवेश के पूर्व, निवेश तथा निवेश के बाद की अवस्थाओं में सभी प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है। बेरोजगार व्यक्तियों को खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, हस्तशिल्प बोर्ड आदि जैसी संस्थानों द्वारा कुटीर उद्योगों का संबर्धन करने के लिए उनके द्वारा बताये गए विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत इसी प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती है।

(ख) तथा (ग) : विकास आयुक्त (लघु उद्योग) ने वर्ष 1978 में उद्यमियता का विकास करने के लिए निम्नलिखित दो योजनाएं आरम्भ की हैं :

(1) शिक्षित बेरोजगारों में उद्यमियता का विकास करना;

(2) ग्रामीण कामगरों में यह उद्यमियता का विकास करना।

इसके अतिरिक्त श्रम मंत्रालय भी ग्रामीण युवकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है।

शिक्षा के विकास तथा छठी योजना में शिक्षा कार्यक्रम हेतु आयोग

9286. **श्री दयाराम शाक्य : क्या योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने शिक्षा के विकास तथा छठी योजना में शिक्षिता कार्यक्रम हेतु एक आयोग का गठन किया है; और

(ख) यदि हां, तो आयोग द्वारा किन बातों की जांच की जायेगी और इसका प्रतिवेदन सरकार को कब तक मिलेगा ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फजलुर्रहमान) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

ग्रामीण विकास में स्वयं सेवी एजेंसियों की भूमिका सम्बन्धी समिति

9287. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विकास में स्वयं सेवी एजेंसियों की भूमिका संबन्धी समिति ने सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है तथा वह विचाराधीन है;

(ख) यदि हाँ, तो उस का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी सिफारिशों पर विचार करने और उन्हें क्रियान्वित करने में कितना समय लगेगा।

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फजलुर्रहमान) : (क) जी, हाँ।

(ख) शिवरामन समिति ने यह विचार प्रकट किया है कि जो स्वैच्छिक अधिकरण सामाजिक और विकासात्मक कार्य में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में लगे हुए हैं उन्हें एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की आयोजना और/या कार्यान्वयन में लाभप्रद रूप में सम्बद्ध किया जा सकता है। उसने यह सिफारिश की है कि शुरु में स्वैच्छिक अभिकरणों को लगभग 100 खण्ड योजनाओं की आयोजना और कार्यान्वयन में सम्बद्ध किया जाए। समिति ने यह सुझाव दिया है कि केवल ख्यातिप्राप्त और प्रतिष्ठित स्वैच्छिक अभिकरणों की ही खंड स्तर योजनाओं को आयोजना और कार्यान्वयन में सम्बद्ध किया जाये। उसने यह भी सिफारिश की है कि केन्द्र में एक उच्चाधिकार समिति स्थापित की जानी चाहिए जो उन मामलों में स्वैच्छिक अभिकरणों और उनके कार्य करने के क्षेत्रों को चुनेगी जहां स्वैच्छिक अभिकरणों द्वारा व्यापक खंड आयोजना और/या कार्यान्वयन किया जाना है। जिन मामलों में खण्ड योजना का भाग आता है उनमें स्वैच्छिक अभिकरण और उसके कार्य-प्रचालन के क्षेत्र को चुनने के लिये राज्य स्तर पर समन्वय समितियाँ भी स्थापित की जानी हैं।

(ग) सिवरामन समिति की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं। जल्दी ही निर्णय किए जाएंगे।

पिछड़े राज्यों को विशेष वित्तीय सहायता

9288. **श्री राजेंद्र कुमार शर्मा** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश, बिहार, नागालैंड आदि जैसे पिछड़े राज्यों को 1979-80 के लिए उनकी योजनाओं हेतु विशेष वित्तीय सहायता देने के लिये उनपर विशेष रूप से विचार किया गया है; और

(ख) पिछले वर्षों के दौरान जिन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया था उनकी तुलना में किन-किन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जायेगा ;

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फजलुर्रहमान) : (क) और (ख) नागालैंड विशेष श्रेणी के राज्यों में से एक राज्य है जिसके लिये राज्यों के बीच आवंटन के लिये उपलब्ध कुल धनराशि में से केन्द्रीय सहायता की एकमुश्त राशि दी जाती है । इस प्रकार इस राज्य का केन्द्रीय सहायता के आवंटन के मामले में विशेष ध्यान रखा जाता है ।

राष्ट्रीय विकास परिषद की 24-25 फरवरी, 1979 को हुई बैठक में किए गए निर्णय के अनुसार, उत्तर प्रदेश और बिहार को 1979-83 के 4 वर्ष की अवधि में गाडगिल फार्मूले और आय समायोजित कुल जनसंख्या के फार्मूले के आधार पर केन्द्रीय सहायता दी जायेगी । गाडगिल फार्मूले के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता का एक भाग प्रति व्यक्ति आय के आधार पर केवल उन्हीं राज्यों को दिया जाता है जिनकी प्रतिव्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से कम है । उत्तर प्रदेश और बिहार उन राज्यों में से हैं जिन्हें इस मापदण्ड के आधार पर आवंटन से लाभ पहुँचता है । इसके अलावा, 1979-80 में इन राज्यों को राज्यों की विशेष समस्याओं के लिए आरक्षित धनराशि में से आवंटन प्राप्त होता है । आय समायोजित कुल जनसंख्या फार्मूला भी उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे कम विकसित राज्यों के लिए बहुत लाभदायक है क्योंकि विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय सहायता का वितरण पिछड़ेपन की प्रधानता को ध्यान में रखते हुए जनसंख्या के आधार पर किया जाता है ।

पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों, उत्तर-पूर्वी परिषद की स्कीमों और राज्य योजनाओं में सम्मिलित बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता दी जा रही है ।

योजना के उद्देश्यों के अनुरूप तैयार किए गये विकास कार्यक्रम में पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये विशेष ध्यान दिया जाता है और इस उद्देश्य से योजना में कुछ विशिष्ट क्षेत्र कार्यक्रम सम्मिलित किये गये हैं, जैसे सूखा-प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम, पहाड़ी क्षेत्र कार्यक्रम, जनजातीय उपयोजनाएं, रेगिस्तान विकास कार्यक्रम, नियन्त्रण क्षेत्र विकास कार्यक्रम, स्वीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, गहन खण्ड आयोजन, आदि ।

राज सहायता योजना का कुछ अतिरिक्त क्षेत्रों के विस्तार करने के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा किया गया अनुरोध

9289. **श्री एच. एम. अवारी** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को महाराष्ट्र सरकार से अनुरोध प्राप्त हुआ है जिसमें केन्द्र

की राज सहायता योजना का राज्य के पिछड़े घोषित कुछ अतिरिक्त क्षेत्रों में विस्तार करने के लिये कहा गया है;

(ख) भारत सरकार ने इस पर क्या उत्तर दिया है;

(ग) क्या यह सच है कि भारत सरकार केन्द्रीय राज सहायता योजना को समाप्त करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस योजना के अन्तर्गत न्याय प्राप्त करने वाले इन जिलों को होने वाली हानि की परिपूर्ति करने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) (क) जी, हां।

(ख) महाराष्ट्र सरकार का 13 जिलों में से 13 विकास केन्द्रों वाले 53 पंचायत समिति वाले ब्लाकों के लिये केन्द्रीय निवेश राज सहायता का विस्तार करने का प्रस्ताव जिसे औरंगाबाद चांदपुर तथा रत्नागिरि के 3 जिलों के बदले रियायती दर पर वित्त सुविधा प्रदान करने हेतु केन्द्र बनाने का प्रस्ताव इस लिये स्वीकार नहीं किया जा सका था क्योंकि वह मुख्य मंत्रियों की राष्ट्रीय विकास परिषद के अनुसरण में बनाये गये स्वीकृत सिद्धांतों के अनुरूप नहीं था तथा उस नीति में किसी न किसी प्रकार से सहायता करने की आवश्यकता पड़ जाती तो उस पर सावधानी से विचार करना पड़ता तथा उसके लिये समिति की स्वीकृति प्राप्त करनी पड़ती।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

एकाधिकार निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं अधिनियम में परिवर्तन संबंधी उद्योगपतियों की समिति का प्रतिवेदन

9290. **श्री चित बसु** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं अधिनियम में प्रस्तावित परिवर्तनों के बारे में अपने विचार प्रकट करने के लिए अक्तूबर, 1978 में गठित उद्योगपतियों की समिति का, प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त हो गया है,

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्यों के नाम क्या है;

(ग) समिति की सिफारिशें क्या हैं; और

(घ) इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रियाएं हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) (क) (ग) और (घ) : औद्योगिक स्वीकृतियों से सम्बन्धित कार्यविधि की संवीक्षा करने व उनमें सुधार सुझाने के लिए सरकार द्वारा अक्तूबर, 1978 में नियुक्त उद्योगपतियों की समिति ने 27 फरवरी, 1979 को सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इस बारे में सरकार द्वारा जारी किए गये प्रेस नोट की एक प्रतिलिपि **विवरण I** के रूप में संलग्न है।

(ख) उद्योगपतियों की समिति के सदस्यों की एक सूची **विवरण II** के रूप में संलग्न है।

विवरण एक

प्रेस नोट

औद्योगिक स्वीकृतियों से सम्बन्धित कार्यविधि की संवीक्षा करने व उनमें सुधार सुझाने के लिये सरकार द्वारा अक्तूबर, 1978 में नियुक्त उद्योगपतियों की समिति ने 27 फरवरी, 1979 को सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। समिति ने औद्योगिक लाइसेंस देने व अन्य संबध मामलों की नीति व कार्यविधि के बारे में अनेक सिफारिशें की हैं। इन सिफारिशों में कुछ अधिक महत्वपूर्ण सिफारिशें हैं।

(1) सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु औद्योगिक लाइसेंसों का उपयोग बहु-उद्देश्य तन्त्र के रूप में नहीं किया जाना चाहिये।

(2) औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली, जो उद्योगों को "बक्सों" में विभाजित करती है, औद्यौगिक विकास के अनुरूप नहीं है अतः इसे छोड़ दिया जाना चाहिये।

(3) औद्योगिक लाइसेंस नीति की विद्यमान प्रणाली द्वारा इस समय भारतीय उद्योगों को विभिन्न "बक्सों" में विभाजित करने वाले 'कट आफ प्राइन्टस को हर तीन वर्ष की अवधि के पश्चात निरन्तर बढ़ाने हेतु औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली में एक तन्त्र शामिल करने की जरूरत हैं।

(4) अर्थ-व्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र को लाइसेंस मुक्त करने का समय आ गया है।

(5) 15 करोड़ रुपये मूल्य तक की पारसम्पतियों वाली परियोजनाओं तथा सभी सड़कों को औद्योगिक लाइसेंस से छूट दी जानी चाहिए।

(6) एम. आर. टी. पी. कम्पनियों की सीमा से 20 करोड़ रुपये से बढ़कर 45 करोड़ रुपये किया जाना चाहिये। इसी तरह 1/3 भाग से अधिक बाजार शेयर रखने वाले व 3 करोड़ रुपये या इससे अधिक मूल्य की परिसम्पत्तियां रखने वाले प्रभावशाली उपक्रमों की पुनः परिभाषा की जानी चाहिये।

(7) प्रभावशाली उपक्रमों के सहित सभी उद्योगों को पंजीगत लाइसेंस क्षमता में बिना किसी शर्त के 5 प्रतिशत चक्रवृद्धि दर या पाँच बर्ष की अवधि के लिए 30 प्रतिशत स्वतः वार्षिक वृद्धि की अनुमति दी जानी चाहिये।

(8) एम. आर. टी, पी. कम्पनियों या गैर एम. आर. टी. पी. कम्पनियों द्वारा 'होरियेन्टल प्रोलिफरेशन' आर्थिक शकित को फैलाने का एक सफल माध्यम है तथा इस माध्यम को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।

(9) औद्योगिक लाइसेंस आवेदन पत्रों की कार्रवाई सम्बन्धी प्रक्रिया में होने वाले विलंब को दूर करने हेतु प्रत्येक प्रशासनिक मंत्रालय में एक जाँच समिति नियुक्त की जानी चाहिए और जांच समिति के निर्णयों की जानकारी आवेदक को 30 दिनों के भीतर भेज दी जानी चाहिए।

(10) आशय-पत्र जारी कर दिये जाने के उपराँत सम्बद्ध लाइसेंस समिति या वित्तीय संस्थानों को छोड़कर किसी अन्य अभिकरण से सम्बद्ध किसी अभिकरण द्वारा कोई नई शर्त नहीं लगाई जानी चाहिए।

(11) सरकार और उद्योग के बीच निरन्तर अन्त: कार्यवाई का सुनिश्चय करने हेतु पोषक तन्त्र के रूप में एक लाइसेंस संवीक्षा समिति स्थापित की जानी चाहिए।

(12) प्रमुख परियोजनाओं द्वारा उठाए गए मामलों से विद्यमान तीन लाइसेंस समितियों के स्थान पर एक केन्द्रीय निकाय को निपटना चाहिये।

(13) अनुसंधान उन्नत करने व प्रदूषण रोधी योजनाओं के निर्यात को विकसित करने तथा सहायक उद्योग लगाने के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उद्योगों की विद्यमान परियोजनाओं की क्षमता के स्वत: विस्तार के रूप में पुरस्कार दिया जाना चाहिए।

सरकार द्वारा समिति की रिपोर्ट पर विचार किया जायेगा और वह उन सिफारिशों पर कार्रवाई करेगी जो सरकार द्वारा अन्तिम रूप से स्वीकृत कर ली जायेगी।

संख्या—(2) (73)/एल. पी.—78

नई दिल्ली

9 मार्च, 1979

प्रेस इन्फोरमेशन ब्यूरों से अनुरोध है कि वह इस प्रेस नोट का व्यापक प्रचार करें।

ह/०

(पी०के०एस० अय्यर)

अथवा सल्विड भारत सरकार

विवरण दो

उद्योगपतियों की समिति के सदस्यों की सूची

सर्व/श्री

1. जे. एच. दोषी	अमर डाई कैमी., बम्बई
2. एच. पी. नन्दा	एरकोर्ट्स. दिल्ली
3. एम. वी. अरुनाचलम	टी. आई. साईकिल्स, मद्रास
4. एल. एम. थापर	बलारपुर इण्डस्ट्रीज, दिल्ली
5. राहुल बजाज	बजाज स्कूटर्स, पुणे
6. टी. थामस	हिन्दुस्तान लीवर
7. आर. जे. साहनी	अशोका लीलैंड, मद्रास
8. फ्रेडी मेहता	टाटाज, बम्बई
9. सुधीर जालान	बैरटोबलैल इण्डिया कलकत्ता।
10. प्रफुल्ल अल्फाई	'रोस्तम' जहांगीर वकील मिल्स अहमदाबाद
11. आर. के. नन्दा	मैटल बाक्स, कलकत्ता
12. आई. टी. मीरचन्द्रानी	अडवाणी आरलिकन प्रा. लि., बम्बई।
13. चिरायु अमीन	एलम्बिक कैमीकल्स बम्बई
14. एच. भाया	इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मैंनेजेमेंट कलकत्ता

अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह के मुख्य आयुक्त की पत्नी द्वारा सरकारी कार का प्रयोग

9291. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उप-महालेखा-कार, पोर्ट ब्लेयर, अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह ने अण्डमान तथा निकोबार द्वीप-समूह के मुख्य आयुक्त की पत्नी द्वारा सरकारी कार का उपयोग करने के बारे में आपत्ति की है और लगभग 50,000 रु० के बिल का उस के द्वारा भुगतान किये जाने की माँग की है;

(ख) क्या यह सच है कि उप-महालेखाकार द्वारा लेखा परीक्षा सम्बन्धी आपत्ति करने के बाद, अण्डमान तथा निकोबार द्वीप-समूह के मुख्य आयुक्त की पत्नी द्वारा कार का उपयोग किये जाने को सरकारी प्रयोजन के लिये उपयोग के रूप में दिखाया गया; और

(ग) आपत्ति का और अन्तर्ग्रत व्यय की राशि का ब्यौरा एवं अन्य ब्यौरा क्या है और सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क), (ख) और (ग) उप-महालेखाकार, अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर ने समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष जो मुख्य आयुक्त की पत्नी है, द्वारा सरकारी स्टाफ कार के प्रयोग को अण्डमान व निकोबार के मुख्य आयुक्त द्वारा प्राधिकृत करने और बोर्ड के कार्य के सम्बन्ध में की गई यात्राओं को इस आधार पर सरकारी यात्रा मानने पर आपत्ति की थी कि बोर्ड कम्पनी अधिनियम के अधीन पंजीकृत एक गैर-सरकारी निकाय है। उन्होंने सुझाव दिया था कि इस सम्बन्ध में किया गया व्यय बोर्ड से वसूल किया जाए। परन्तु प्रशासन ने कहा कि चूंकि समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड के कार्यक्रम के कार्यान्वियन सम्बन्धी 50 प्रतिशत व्यय अण्डमान व निकोबार प्रशासन द्वारा वहन किया जाता है और शेष 50 प्रतिशत व्यय केन्द्रीय समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड द्वारा, अत: बोर्ड के कार्य के सम्बन्ध में की गई यात्राओं को सरकारी माना जाए। भारत सरकार ने इस मामले की जांच की थी और यह स्वीकार किया गया कि समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष बोर्ड के कार्य के लिए स्टाफकार का प्रयोग करेगा क्योंकि बोर्ड के पास उनके प्रयोग के लिये कोई उपयुक्त वाहन नहीं है। चूंकि समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड के कार्यक्रम के कार्यान्वियन सम्बन्धी व्यय भारत सरकार और संघशासित क्षेत्र प्रशासन द्वारा वहन किया गया था अत: अतीत में बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा स्टाफ कार के प्रयोग के लिए बोर्ड से वसूली करना जरूरी नहीं है। परंतु भविष्य में सही हिसाब किताब के लिए ऐसे खर्चे को बोर्ड के बजट में डालने के अनुदेश जारीं कर दिये गये हैं।

हिन्दी की प्रगति के बारे में संसदीय राजभाषा समिति का प्रतिवेदन

9292. **श्री कचरूलाल हेमराज जैन** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजभाषा के रूप में हिन्दी की प्रगति का मूल्यांकन करने हेतु राजभाषा अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत संसदीय राज भाषा समिति का गठन किया गया है और यदि हाँ, तो कब;

(ख) इस समिति पर अब तक कितना व्यय किया गया है;

(ग) क्या सरकार को इस समिति से कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यह समिति अपना काम आगे कब तक करती रहेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनिक लाल मण्डल) : (क) जी हाँ, श्रीमान् । समिति का गठन 1976 में हुआ था तथा पुनर्गठन 1977 में ।

(ख) समिति के कार्य के सम्बन्ध में सदस्यों को यात्रा भत्ता । दैनिक भत्ता लोक सभा । राज्य सभा सचिवालय से प्राप्त होता है । समिति के सचिवालय पर गत तीन वर्षों में किया गया व्यय इस प्रकार है :

1976-77	रु. 3,63,000
1977-78	रु. 6,06,000
1978-79	रु. 6,81,000

(ग) जी, नहीं ।

(घ) राजभाषा अधिनियम, 1963 में, समिति के प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है, अतः इस सम्बन्ध में सरकार के लिए कुछ कहना संभव नहीं है ।

इल्मेनाइट का निर्यात

9293. **श्री बापू साहिब परुलेकर : क्या परमाणु ऊर्जा मन्त्री** 3 अगस्त, 1977 और 30 नवम्बर, 1977 के अतरांकित प्रश्न संख्या 6026 तथा 2060 के उत्तरों के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गैर-सरकारी पार्टियों को महाराष्ट्र के रत्नागिरि जिले में पुरंनागद से मलगुण्ड तक के 40 कि० मी० लम्बे क्षेत्र में उपलब्ध 26 प्रतिशत से 53 प्रतिशत तक की इल्मेनाइट वाली रेत का विदेशों को निर्यात करने की अनुमति देगी ताकि हमारे देश को विदेशी मुद्रा मिल सके और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में मैसर्स फतेहचन्द जयसिंह या किसी अन्य व्यक्ति से कोई आवेदन-पत्र मिला है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में परमाणु ऊर्जा (उत्पादन और उपयोग का नियन्त्रण) आदेश, 1953 में उपयुक्त रूप से संशोधन किया जायेगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्रालय तथा परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी, नहीं । महाराष्ट्र के रत्नागिरि जिले के तटवर्ती क्षेत्र में उपलब्ध खनिज रेत परमाणु ऊर्जा (उत्पादन एवं उपयोग का नियन्त्रण) आदेश, 1953 और परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 में विनिर्दिष्ट विहित पदार्थों तथा अनुसूचित खनिजों से युक्त है । सरकार की औद्योगिक नीति के अनुसार इन खनिज रेतो का दोहन, जिसमें उनका निर्यात भी शामिल है, सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित किया गया है । उपलब्ध खनिज साधनों के समुचित उपयोग हेतु ऐसी खनिज सम्पदा का परिरक्षण परमाणु ऊर्जा सम्बन्धी कार्यक्रम को सुचारु रूप से चलाने के लिए करना जरूरी हो जाता है । अतः प्राइवेट पार्टियों को इस रेत के निर्यात की अनुमति नहीं दी जा सकती ।

(ख) जी, हां। 1974-76 के वर्षों में मैसर्स फतेहचन्द जयसिंह, बम्बई ने यह अभिवेदन किया था कि उन्हें खनन पट्टा दिया जाये तथा महाराष्ट्र के रत्नागिरि जिले में मिलने वाले इल्मेनाइट के निर्यात की अनुमति दी जाए। इस बारे में उन्हें मार्च 1975, फरवरी 1976 और जुलाई 1976 में सरकार की ऊपर स्पष्ट की गई नीति से अवगत करा दिया गया था।

(ग) सरकार का इस नीति में कोई ऐसा परियर्तन करने का विचार नहीं है, जिसके अनुसार प्राइवेट पार्टियों को इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में कार्य करने की अनुमति दी जा सके। अतः परमाणु ऊर्जा (उत्पादन एवं उपयोग का नियंत्रण) आदेश, 1953 में संशोधन करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

बेरोजगारी और गरीबी की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रस्तावित विशेष उपाय

9294. **श्री पी० ए० संगमा** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मेघालय में बड़ी संख्या में लोग गरीबी के स्तर से नीचे रह रहे हैं, उसके सर्वांगीण विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों के लिए और बेरोजगारी तथा गरीबी की समस्याओं का समाधान करने के लिए क्यों विशेष उपाय करने का प्रस्ताव है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री फजलुर्रहमान) : मेघालय की पंचवर्षीय और वार्षिक योजनाएँ कृषि की उपज और उत्पादन में सुधार पशुधन विकास रेशम उद्योग और हथकरघा, ग्रामीण निर्माण-कार्य और विपणन के कार्यक्रमो के जरिए राज्य में गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने के उद्देश्य से बनाई गई है। राज्य की 1978-83 को पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य एक समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार बेरोजगारी और गरीबी को दूर करने के राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुरूप, जल पूर्ति, मकानों के लिए स्थल, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य को देखभाल, ग्रामीण सड़कें, और ग्रामीण विद्युत तथा प्रौढ़ निरक्षता को दूर करने की न्यूनतम आवश्यकताओं की व्ययस्था करने करने के कार्यक्रमों का पर्याप्त विस्तार करना है।

अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह में अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

9295. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कुछ अधिकारियों के विरुद्ध अनेक शिकायतों के बारे में जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो तहसीलदार से ऊपर के रैंक के ऐसे अधिकारियों के नाम क्या हैं ;

(ग) अण्डमान निकोबार द्वीप समूह में ऐसे कितने अधिकारी कार्य कर रहे हैं जिनके सम्बन्ध में केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा जाँच की जा रही है ; उनके नाम क्या हैं और व किन विभागों में हैं तथा जांच कब की गई और उसके क्या परिणाम निकले ; और

(घ) अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के अधिकारियों के विरुद्ध सतर्कता आयोग के पास सतर्कता के कितने मामले निलम्बित पड़े हैं और उनका ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनिक लाल मण्डल) (क), (ख), (ग) और (घ) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1. अण्डमान और निकोबार प्रशासन ने सूचित किया है कि तहसीलदारों से ऊपर के रैंक के 19 अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों की उस प्रशासन के विभिन्न विभागों में इस समय जाँच चल रही है।

2. इस समय अण्डमान और निकोबार प्रशासन के 4 अधिकारी हैं जिनके विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो जाँच कर रहा है। ये विचार की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

3. अण्डमान और निकोबार प्रशासन के अधिकारियों के विरुद्ध केन्द्रीय जाँच ब्यूरो के पास लम्बित पड़े तीन मामलों में से केन्द्रीय सतर्कता आयोग को उन दो मामलों की जाँच के निष्कर्षों से अवगत करा दिया है जिनकी जाँच पूरी हो गई। शेष एक मामले के सम्बन्ध में जाँच की जा रही है।

4. उन अधिकारियों के विभागों के नाम बताना उचित और सार्वजनिक हित में नहीं समझा गया है जबकि उनके विरुद्ध जांच अभी की जा रही है।

अण्डमान तथा निकोबार में पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों तथा श्रीलंका से स्वदेश वापस आये व्यक्तियों की शिकायतें

9296. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को लिटिल अण्डमान में पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों। श्रीलंका से स्वदेश वापस आये व्यक्तियों तथा कैम्प बैल खाड़ी में बसे भूतपूर्व सैनिकों की शिकायतों के बारे में पता है और क्या गत एक वर्ष में बहुत से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; यदि हां, तो बसने वालों की मुख्य शिकायतें क्या हैं और शिकायतें दूर करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ; और

(ख) क्या सरकार को निकोबार के आदिवासियों के, जिनका पुनर्वास पर्याप्त शिक्षक सड़कें, औषधालय आदि न होने के कारण लिटिल अण्डमान में किया गया था कष्टों के बारे में पता है यदि हां, तो सरकार का विचार इस मामले में क्या कार्यवाही करने का है और उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) और (ख) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

लिटिल अण्डमान में बसने वालों की मुख्य शिकायतें हैं—अन्तर्द्वीपों में पर्याप्त जहाजरानी सुविधाओं, सिंचाई सुविधाओं की कमी तथा पीने के पानी और बिजली की कमी। वर्तमान पाँच अन्तर्द्वीप जहाजों के अतिरिक्त छठी योजना में 3 और जहाज खरीदने का प्रस्ताव है। छठी पंचवर्षीय योजना में सिंचाई, पीने के पानी की आपूर्ति तथा बिजली के लिए उपयुक्त योजनाएँ तैयार की गई हैं। ग्रेट निकोबार में बसने वालों ने 'लीवर फल्यूक' महामारी में मारे गये पशुओं की क्षतिपूर्ति, हल में चलने वाले पशुओं की पूर्ति, आवास निर्माण के प्रनुदान में वृद्धि, दो सड़कों पर अस्थाई पुलियों/पुलों को स्थाई बनाना, कैम्प बैल में एक सौ बिस्तरों वाला अस्पताल बनाने

के लिए निवेदन किया है। महामारी में मारे गये पशुओं के लिए 75 प्रतिशत मुआवजा देना, पशुओं की पूर्ति तथा दो सड़कों पर पुलियों/पुलों को स्थाई बनाना स्वीकार कर लिया गया है। आवास निर्माण के लिए 5,000 रु० अनुदान के अतिरिक्त 3,000 रु० का ऋण भी स्वीकृत कर लिया गया है। जहाँ तक अस्पताल का सम्बन्ध है, कैम्पबैल वे में वर्तमान अस्पताल की क्षमता को दुगना करने का प्रावधान किया गया है।

लिटिल अण्डमान में साऊथ वे पर निकोबारियों की बस्ती में डिस्पेंसरी और स्कूल की स्थापना के लिए तथा सड़क के निर्माण के लिए पर्याप्त प्रावधान किये गये हैं। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान डिसपैंसरी के कार्य आरम्भ कर देने की संभावना है।

अन्डमान और निकोबार द्वीप-समूह में हटमैंट्स को गिराया जाना

9297. **श्री मनोरंजन भक्त** क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अण्डमान और निकोबार द्वीप-समूह में निर्धन कमजोर वर्ग द्वारा अनेक वर्षों से निर्मित कितने रिहायशी हटमैंट्स 16 मार्च, 1979 के तत्काल बाद, तहसील-वार, गिरा दिए गए थे।

(ख) पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका के अन्तर्गत कितने मामलों में कब्जों का पता लगाया गया ; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) (क) अण्डमान व निकोबार प्रशासन ने श्री बल्लास्वामी को निकाल दिया था जिसने दुगोनाबाद क्षेत्र में 1977 में लगभग 100 वर्ग मीटर भूमि में अनधिकृत रूप से झोपड़ी बनाई थी। प्रशासन ने 1977 से लंबित निष्कासन मामले में प्राप्त स्थगन आदेश समाप्त होने पर यह कार्रवाई की थी। किन्तु श्री वलास्वामी ने झोपड़ी गिराने के तुरन्त बाद पुन: अपनी झोपड़ी बना ली और 18 अप्रैल 1979 को उन्हें पुन: निकाल दिया गया। ज्ञात हुआ है कि उसने उसी स्थान पर पुन: झोपड़ी बना ली है और अण्डमान व निकोवार प्रशासन उसे निकालने के लिए तीसरी बार कार्रवाई कर रहा है।

दूसरे मामले में श्री वहीद बक्स ने दुगोनाबाद क्षेत्र में 50 वर्ग मीटर भूमि में अनधिकृत कब्जा किया जिसको 18 अप्रैल 1979 को निकाल दिया गया। उसने मूल रूप से यह अवैध कब्जा हाल में किया था।

(ख) और (ग) : अण्डमान व निकोबार प्रशासन ने सूचना दी है कि पोर्ट ब्लेयर नगर पालिका के डुगोनाबाद क्षेत्र में लगभग 25 व्यक्तियों द्वारा 5850 वर्ग मीटर भूमि पर अनधिकृत कब्जा किया गया है।

रुग्न औद्योगिक एककों का अधिग्रहण करने की नीति में परिवर्तन

9298. **श्री युवराज** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपाकरेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इन औद्योगिक एककों के अधिग्रहण सम्बन्धी अपनी नीति में कोई परिवर्तन किये हैं, यदि हां, तो नई नीति की मुख्य बातें क्या हैं,

(ख) क्या सरकार ने सक्षम एककों द्वारा इन रुग्ण एककों के अधिग्रहण पर उन्हें करों में रियायतें जैसी किसी सहायता की घोषणा की है,

(ग) क्या मंत्रालय में ऐसे मामलों पर विचार हो रहा है, और

(घ) यदि हां, तो उत्पादन, उत्पादकता तथा जन दिवसों में भारी हानि को रोकने के लिए कब तक निर्णय लिया जायेगा और कोई निर्णय नहीं लेने का विचार है तथा इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) उद्योग मंत्री द्वारा रुग्ण उद्योग विषयक नीति की घोषणा संसद् में 15 मई, 1978 को की गयी थी। नीति की प्रमुख बातें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ख) से (घ) : रुग्ण औद्योगिक एककों का स्वस्थ एककों के साथ मिलाया जाना सुकर बनाये जाने की दृष्टि से आयकर अधिनियम, 1961 में एक नयी धारा 72 क जोड़ी गई है जिसके अनुसार मिलने वाली कंपनी की संचित हानि तथा आत्मसात न किये गये मूल्यह्रास को पिछले वर्ष जिसमें ये दोनों मिलायी गई थी निर्दिष्ट प्राधिकारी की सिफारिशों पर यदि केन्द्र सरकार का समाधान हो जाता है कि इस विषय में विभिन्न कतिपय शर्तें पूरी कर दी गई हैं और वह इस विषय में घोषणा कर देती है तो हानि अथवा मिलायी गयी कम्पनी के मूल्य ह्रास को, जैसा भी प्रकरण हो, कम्पनी की ही हानि माना जाता है। इसी के अनुसरण में सचिव, औद्योगिक विकास विभाग की अध्यक्षता में एक निर्दिष्ट प्राधिकरण का गठन किया गया है। निर्दिष्ट प्राधिकरण को अभी तक 32 आवेदन पत्र मिले हैं जिनमें से सरकार को सिफारिशें प्रस्तुत करने हेतु 5 के सम्बन्ध में स्वीकृति दे दी गयी है, 8 आवेदन पत्र रद्द कर दिये गये हैं, आवेदकों द्वारा 3 आवेदन पत्र वापिस ले लिये गये हैं तथा शेष आवेदन पत्र अभी भी प्राधिकरण के विचाराधीन हैं ?

विवरण

रुग्ण उद्योगों के विषय में बनायी गयी नीति की प्रमुख बातें इस प्रकार हैं :

(i) जिन एककों के प्रबन्ध की सुदक्षता अथवा सदभोक्ता संदिग्ध होती है उनमें वित्तीय संस्थान अधिक निकट से तथा सर्तक होकर भाग जाये ताकि रुग्णता का निवारण हो सके।

(ii) जो औद्योगिक एकक रुग्ण हो ही चुके हैं उनके मामले में इसके पूर्व कि उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत प्रबन्ध को हाथ में लेने के प्रश्न पर विचार किया जाये ताकि सबसे पहले आयकर अधिनियम की धारा 72 क के अधीन राज्य सरकारों तथा वित्तीय संस्थानों के जरिये पुर्नवास तथा स्वस्थ एककों के साथ उनका संभावित विलयन करने की खोज की जायेगी।

(iii) स्पष्ट कार्यवाही के सभी विकल्पों की जाँच करने तथा उठाए जाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त अभ्युपाय पर निर्णय लेने की दृष्टि से सचिव (ओ. वि) की अध्यक्षता में संवीक्षा कारी समिति की स्थापना की जायेगी। वैकल्पिक कार्यवाही जांच करते हुए संवीक्षाकारी समिति

विभिन्न संगत कारकों का तो ध्यान रखेगी, जहाँ किसी एकक में 500 से अधिक व्यक्ति कार्यरत होंगे तथा जिनकी अचल अस्तियाँ 1 करोड़ रुपये से कम नहीं होंगी उनके प्रबन्ध को प्रारम्भ में हाथ में लिये जाने हेतु वह सिफारिश कर सकेगी तथा जहाँ वित्तीय संस्थान तथा राज्य सरकारें यह सिफारिश करती हैं कि किसी एकक को हाथ में ले लिया जाना चाहिए तथा संबन्धित एकक को आवश्यक प्रबन्ध तथा वित्त देने हेतु पूर्ण उत्तर दायित्व वहन करने को तैयार हो तो, वह इस सम्बन्ध में अपनी सिफारिश कर सकेंगे।

(iv) जहां एक रुग्ण उपक्रम के प्रबन्धक को उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन हाथ में ले लिया गया है तो वह एकक उसी प्रबन्ध को वापिस नहीं किया जायेगा। एक चालू उपक्रम के रूप में बेचा जा सकता है अथवा उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत उसका पुनर्निर्माण किया जा सकता है और तब उसका वियन सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के साथ किया जा सकता है अथवा उपर्युक्त प्रकरणों में तब उसका राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है।

(v) लघु क्षेत्र के रुग्ण एककों पर विशेष तौर से ध्यान दिया जायेगा। लघु क्षेत्र में रुग्ण एककों का पुर्नवास करने के लिए राज्य वित्तीय निगमों तथा वाणिज्यिक बैंकों से आयोजनाएँ बनाने हेतु कहा जायेगा तथा उनके द्वारा दी गई सहायता आई. आर. सी. आई. अथवा आई. टी. बी. आई. द्वारा रियायती ब्याज दर पर पुनवित्त के लिये पात्र होगी। इस प्रकार के लघु एककों को देय राशि प्राथमिकता के आधार पर भुगतान की जायेगी तथा वाणिज्यिक बैंकों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा जायेगा कि बड़े एककों की कार्यकारी पूँजी के निमित्त दिये गये ऋण का उपयोग सबसे पहले लघु संभरणकर्त्ताओं की देय राशि का भुगतान करने में किया जायेगा। तकनीकी उद्यमियों के हितों की सुरक्षा करने हेतु जहां उनके द्वारा सम्बन्धित किये गये लघु एकक नियन्त्रण बाह्य कारणों से बन्द कर दिये गये थे, एक उपयुक्त जोखिम बीमा आयोजन बनाने की संभावना की जाँच की जायेगी।

गांवों के समेकित विकास के लिए मूल अपेक्षाएं

9299. **श्री युवराज** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गांवों के समेकित विकास के लिए सभी मूल अपेक्षाएं पूरी करने और उनको अन्य लाभप्रद रोजगार उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है;

(ख) क्या इस योजना का प्रयोजन प्रभावित लोगों में आत्म विश्वास पैदा करना, आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के बाद सम्मानजनक जीवन व्यतीत करने और वर्तमान निराशा तथा हीनता की भावना समाप्त करना है; और

(ग) यदि उपरोक्त भागों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो अत्यन्त निर्धन परिवारों के जीवनयापन का स्तर ऊंचा उठाने पर कितनी धनराशि खर्च की जाएगी और यह योजना कब तक पूरी हो जायेगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फजलुर्रहमान) : (क) से (ग) पंचवर्षीय योजना के प्रारूप (1978-83) में विकास के अगले चरण के निम्नलिखित प्राधान उद्देश्य निर्धारित किये गये हैं :

(1) बेरोजगार और काफी कुछ अल्प रोजगार को कम करना;

(2) जनसंख्या के सबसे गरीब वर्गों के जीवन-स्तर को पर्याप्त उन्नत करना;

(3) इन आय समूहों के लोगों की कुछ मूल आवश्यकताओं को राज्य द्वारा व्यवस्था, जैसे साफ पीने का पानी, प्रौढ़ साक्षरता, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य की देखभाल, ग्रामीण सड़कें, भूमिहीनों के लिए ग्रामीण आवास और शहरी गंदी बस्तियों के लिए न्यूनतम सेवाएं ।

इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए (क) कृषि और सिंचाई, (ख) कुटीर और लघु उद्योग, (ग) एकीकृत ग्रामीण विकास के लिए क्षेत्र योजना। और (घ) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम पर त्वरित निवेश का प्रस्ताव है।

पूर्ण रोजगार के उद्देश्य से देश भर में खंड स्तर योजनाएं तैयार कीजा एंगी और एक चरणबद्ध रूप में कार्यान्वित की जाएंगी। ये योजनाए ग्रामीण विकास के सभी पहलुओं पर ध्यान देने के उद्देश्य से बनाई जाएंगी। इन योजनाओं में गरीबों की आवश्यकताओं को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जायेगी।

राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा योजना के प्रारूप की स्वीकृति की प्रत्याश में नया एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1978-79 में शुरू किया गया। यह कार्यक्रम पहले उन 3000 खंडों में से 2000 खंडों में शुरू किया गया है जहाँ पहले विशेष ग्रामीण कार्यक्रम, अर्थात् लघु कृषक विकास अभिकरण, सूखा प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम नियंत्रण क्षेत्र विकास प्रचलित थे ।शेष खंडों में जारी कार्यक्रम परिव्यय के 1977-78 के स्तर पर जारी रहेंगे। इसके आलावा, एकीकृत ग्रामीण विकास के स्वरूप के आधार पर गहन बिकास के लिए हर वर्ष 300 नये खंड लिए जा रहे हैं।

इस स्वरूप में ग्राम और लघु उद्योग क्षेत्रक के लिए समर्थन और सहायता शामिल है। दिसम्बर, 1977 के नए औद्यगिक नीति वक्तव्य में भी इन उद्योगों का विस्तार करके रोजगार उत्पन्न करने के महत्व पर जोर दिया गया है। इस कार्यनीति के प्रमुख संघटक हैं (1) वर्तमान परम्परागत और लघु उद्योगों को पुनः गतिशील करना और उनका विकास करना; (2) नये विकासक्षम लघु अन्य उद्योगों का सवर्धन; (3) ग्रामीण कारीगरों, हथकरघा बुनकरों, दस्तकारों और इन उद्योगों में लगे हुए अन्य लोगों के आय के स्तर को बढ़ाना; और (4) ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में इन उद्योगों के विकास का संवर्धन।

एकीकृत ग्रामीण विकास के नए कार्यक्रम के लिए उपलब्ध कराई गई अतिरिक्त धनराशि को विशिष्ट खंड की आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त और अनुकूल आय और रोजगार सर्जन के कार्यक्रमों को बढ़ाने के लिए उपयोग में लाया जाना है वे कार्यक्रम इस प्रकार के होने चाहिए कि उनसे छोटे और मझौले किसानों, बटाईदारों, खेतिहर मजदूरों, ग्रामीण कारीगरों तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लक्षित समूहों को लाभ पहुँचे।

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के आलावा, 1977-78 और 1978-79 में शुरू की गई या जारी रखी गई अधिक रोजगार की क्षमता वाली अन्य स्कीमों में ये शामिल हैं :

(1) सिंचाई का तीव्रण और उसके समावेशन का विस्तार। वर्ष 1977-78 में 26 लाख हैक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता उत्पन्न की गई थी और 1978-79 के लिए इससे सम्बन्धित लक्ष्य 28 लाख हैक्टेयर है।

(2) गहन कपास विकास जिला कार्यक्रम।

(3) छोटे किसानों और भूमिहीन मजदूरों की सहायता करने के लिए विशेष पशुधन कार्यक्रम ।

(4) सहकारी संस्थाओं के जरिये डेरी उद्योग के विकास के लिये "आपरेशन फ्लड" का दूसरा चरण ।

(5) कृषि विस्तार की नई गहन प्रणाली ।

(6) विकेन्द्रीत ग्रामीण, लघु और कुटीर उद्योगों के विकास के लिए 250 से अधिक जिला उद्योग केन्द्र ।

(7) हथकरघा और खादी के उत्पादन का विस्तार और विपणन ।

(8) स्व-रोजगार को प्रोत्साहन के लिए उपांत/बीजधन सहायता स्कीम ।

(9) रास्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम जिसके अंन्तर्गत पंचवर्षीय योजना की अवधि में 10 करोड़ प्रौढ़ निरक्षरों को साक्षर बनाने की आशा है ।

(10) सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता स्कीम शुरू की गयी है, जिसका उद्देश्य अन्ततः हर 1000 ग्रामीण जनसंख्या के लिए एक सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता की व्यवस्था करना है ।

(11) छोटी सिंचाई, भू संरक्षण, ग्रामीण सड़कें और ग्रामीण जलपूर्ति सहित नई ग्रामीण निर्माण परियोजनाएं ।

(12) काम के बदले अन्न कार्यक्रम, जिससे चालू वर्ष में कार्य के 60 करोड़ श्रम-दिवसों की व्यवस्था होने की आशा है ।

योजना के प्रारूप में ग्रामीण विकास के लिए सरकारी क्षेत्रक की योजना के अनुमानित परिव्यय में पर्याप्त वृद्धि करने की परिकल्पना है, जैसा कि निम्नलिखित सारणी से दिखाई देगा ।

विवरण

ग्रामीण विकास के लिए सरकारी क्षेत्रक की योजना का अनुमानित परिव्यय

क्र० स०	क्षेत्रक	पांचवीं योजना 1974-79	योजना 1978-83
	1	2	3
1.	छोटी सिंचाई सहित कृषि और संबद्ध कार्यक्रम*	4644	9525
2.	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	3434	7925
3.	उर्वरक और कीटनाशक	1555	1688
4.	ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विद्युत*	1676	3557
5.	ग्रामीण सड़कें	500	800
6.	ग्रामीण जलपूर्ति	432	765
7.	ग्रामीण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	729	1482
8.	पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्र	450	800

संस्थागत वित्त को छोड़ कर ।

9. ग्रामीण शिक्षा	846	1400
10. दूर संचार और डाक सेवाएं	उपलब्ध नहीं	311
11. पोषाहार	90	140
12. समाज कल्याण	10	32
13. परम्परागत कुटीर और घरेलू उद्योग*	330	1000
14. ग्रामीण आवास	55	500
कुल ग्रामीण परिव्यय	14751	29925
कुल योजना परिव्यय	39322	69380
कुल योजना परिव्यय के प्रतिशत के रूप में ग्रामीण परिव्वय	37.5	43.1

राजस्थान में दियासलाई का निर्माण

9300. **चौधरी हरीराम मक्कासर गोदारा :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में रांक-फास्फेट सहित सब प्रकार के आदानों के उपलब्ध होने के बावजूद दियासलाई बनाने का सारा काम दक्षिण भारत में हो रहा है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है कि राजस्थान में रोजगार की सम्भावनाओं में वृद्धि करने के लिए वहां के पिछड़े क्षेत्रों में उपक्रमियों को लाइसेंस दिये जायें ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) (क) और (ख) : यद्यपि राजस्थान में राँक फास्फेट मिलता है फिर भी उसे दियासलाई बनाने में उपयोग के लिए राँक फास्फेट में प्रक्रियायित करने के लिए उस राज्य में इसके कोई कारखाने नहीं हैं। दियसलाई बनाने में इस्तेताल में आने वाले अन्य महत्वपूर्ण कच्चे माल जैसे स्पिलिट वेनियेर्स तथा पोटेशियम क्लोरेट भी राजस्थान में दुर्लभ हैं। दूसरी ओर दक्षिण भारत में अधिकांशतः दियासलाई उद्योग का विकास दियासलाई बनाने में अपेक्षित कच्चे माल की असानी तथा पर्याप्त उपलब्धि, जलवायु की उपयुक्ता आसपास ही सस्ते मजदूरों के मिलने तथा उद्यमियों के कारण हुआ है।

(ग) जब तक रोजगार मिलने वाले व्यक्तियों की संख्या 50 से अधिक नहीं हो जाती तब तक दियासलाई उद्योग की स्थापना करने हेतु कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है किन्तु पोटाशियन क्लोरेट की स्टेयरिंग करने के लिये केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग से एक अन्तरित प्रमाण पत्र लेना होता है। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग राजस्थान सहित देश में दियासलाई एकक की स्थापना करने हेतु एक व्यापक योजना बना रहा है।

उत्तर मालाबार और केरल में निजाम के विरुद्ध संघर्ष मे भाग लेने वाले स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन

9301. **श्री सी. के. चन्द्रप्पन :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

*संस्थागत बित्त को छोड़कर।

(क) क्या सरकार निजाम के विरुद्ध 'पुन्नापारा-बयालार-सघर्ष, तेलंगाना सैनिक विद्रोह', उपर मालावार में "कारीवेम्लूर" और "काम्बूम्बेरी" संघर्ष, केरल में ',भोपलाह विद्रोह" को स्वतन्त्रता संघर्ष के भाग के रूप में स्वीकार करने को सहमत नहीं हुई है और उसने स्वतन्त्रता संघर्ष में भाग लेने वालों को पेंशन देने से इंकार कर दिया है;

(ख) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इन आन्दोलनों में लोगों ने अपना जीवन अर्पित कर दिया और वे लम्बी अवधि के लिए जेल गये, क्या इसमें भाग लेने वाले व्यक्तियों अथवा उनके उत्तराधिकारियों को राहत के रूप में इकमुश्त में अनुदान दिया जायेगा और उनके बलिदान को स्वीकार किया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनिक लाल मण्डल) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान ।

(ग) गृह मंत्री की स्वेच्छानुदान निधी में सीमित धन उपलब्ध होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति को जिसने आन्दोलनों में भाग लिया था जिनको राष्ट्रीय स्वाधीनता आन्दोलनों के रूप में मान्यता नहीं दी गई है, आर्थिक सहायता देना सम्भव नहीं है ।

असम के पिछड़े क्षेत्र में उद्योगों की संथापना करना

9302. **श्री पी. ए. संगमा** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम के औद्योगिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए, राज्य में मूल आधार पर विकास करने और राज्य में औद्योगिक वातावरण को तैयार करने के लिए केन्द्रीय सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) : उत्तर पूर्वी परिषद की आयोजना में कुछ परियोजनाओं के लिये अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं, जैसे विद्युत शक्ति परिवहन तथा संचार का विकास करने के लिये शतप्रतिशत केन्द्रीय सहायता के प्रावधान का समावेश किया गया है। उत्तर पूर्वी परिषद कार्यक्रम के अधीन बनाई जा रही सड़कों का स्वरूप अन्तर राज्यीय सड़कों का है । तेजपुर के समीप ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर एक सड़क पुल के निर्माण के लिए 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है । रेलवे बजट के अन्तर्गत छह नयी लाइनों के निर्माण की भी व्यवस्था है । एक नये बो गई गाँव-गोहाटी ब्राड गेज लाइन परियोजना भी कार्यान्वियन के अधीन है ।

केन्द्र द्वारा आसाम के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग की स्थापना करने के लिये निम्नलिखित प्रोत्साहन दिये जाते हैं :

(1) इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक आफ इण्डिया की रियायती दर की पुनर्वित्त आयोजना ।

(2) आयकर में कटौतीं।

(3) तकनीकी सेवाओं के लिए परामर्श ।

(4) नये एककों का पंजीयन तथा उन वस्तुओं के सम्बन्ध में जो देश में अन्यथा प्रतिबन्धित है, के विद्यमान एककों का विस्तार करना ।

(5) ब्याज राज सहायता ।

(6) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि० द्वारा रियायती शर्तों पर मशीनों की सप्लाई करना ।

(7) केन्द्रीय निदेश राजसहायता ।

(8) कच्चे माल का आयात करने के लिये विशेष सुविधाएं ।

(9) परिवहन राज सहायता ।

(10) ग्रामीण उद्योग परियोजना कार्यक्रम ।

(11) ग्रामीण कारीगर कार्यक्रम ।

जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम, समस्त देशों में पिछड़े हुए ग्रामीण क्षेत्रों तथा छोटे-छोटे नगरों का विकास करने के लिये एक ही स्थान पर सभी प्रकार की सहायता पहुँचाने की दृष्टि से जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना करने हेतु। मई 1978 से प्रारम्भ किया गया है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पाँच जिले अर्थात् कछार, डिब्रूगढ़, गोलपाड़ा, कामस्य तथा नौगाँव आ जाते हैं । 1978 में 148 उद्यमियों का पता लगाने की एक कार्ययोजना तैयार की गई है । 59 परियोजना स्मरेखाएं तैयार की गई थी तथा 186 एककों का पंजीयन किया गया था । ग्रामीण कारीगर कार्यक्रम के अन्तर्गत 35 नये एकक तथा 83 लघु एककों की स्थापना की गई थी ।

1978 की अवधि में 4 आशयपत्र तथा 1 औद्योगिक लाइसेंस जारी किया गया था तथा राज्य के भिन्न-भिन्न उद्योगों के लिए तकनीकी विकास के महानिदेशालय में 42 आयोजनाएं दर्ज की गई थीं ।

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के विस्तार के लिये वितीय सहायता

9303. **श्री पवित्र मोहन प्रधान** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योग मंत्री ने खादी तथा ग्रमोद्योग आयोग को यह आश्वासन दिया था कि खादी ग्रामोद्योग आयोग के विकास के लिए धनराशि की कमी सही रहेगी;

(ख) क्या धनराशि की उपलब्धता के बारे में उद्योग मंत्री के आश्वासन के अनुसार खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग में 53 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा किये जायेंगे; और

(ग) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग में इस समय कितने व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) सरकार ने औद्योगिक नीति विवरण में स्पष्ट कर दिया है कि खादी तथा ग्रामोद्योग जिसमें रोजगार की भारी संभावनाएं हैं, को प्राथमिकता के आधार पर सहायता दी जायेगी ।

(ख) और (ग) : खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा बनाई गई योजना में यह प्रकल्पना है कि आयोग छठी पंचवर्षीय योजना (1982-86) के अन्त तक 55 लाख व्यक्तियों को रोजगार देने में समर्थ हो सकेगा जबकि इस समय (1977-78) में 24 लाख लोगों को ही रोजगार मिला हुआ है और इस प्रकार 31 लाख लोगों के लिए अतिरिक्त रोजगार के अवसरों का सृजन हो जाएगा ।

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं के लिए लिपिकों/कनिष्ठ लेखाकारों की आयु में छूट देना

9305. **श्री दया राम शाक्य** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न मंत्रालयों के वेतन तथा लेखा कार्यालयों में काम कर रहे लिपिकों/कनिष्ठ लेखाकारों को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक ग्रेड को 1977 से अब तक ली गई परीक्षाओं में आयु छूट न दिये जाने के क्या कारण हैं जबकि केन्द्रीय सरकार के विभागों में निम्न श्रेणी लिपिकों/उच्च श्रेणी लिपिकों को पाँच वर्ष की छूट दी गई है और क्या वेतन तथा लेखा कार्यालयों में काम कर रहे लिपिक/कनिष्ठ लेखाकार के पदों के पद नाम पहले निम्न श्रेणी लिपिक/उच्च श्रेणी लिपिक थे; और

(क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को आयु में छुट दिए जाने के सम्बन्ध में भेदभाव को दूर करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

गृह मंत्रालय तथा विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. डी. पाटिल) (क) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली सहायक ग्रेड परीक्षा में बैठने के अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट, सरकार ने विभागीय परिषद में कर्मचारी पक्ष के प्रतिनिधियों द्वारा किये गये अनुरोध पर विचार करने तथा विधि मंत्रालय की यह सलाह प्राप्त करने के बाद दी थी, किस रकारी कार्यालयों में काम कर रहे अवर श्रेणी लिपिकों/उच्च श्रेणी लिपिकों की आयु में रियायत देने के प्रयोजन के लिए एक विशिष्ट श्रेणी के रूप में विभक्त किया जा सकता है और किसी पद के लिए उपयुक्तता में उचित छूट पर आधारित लोक सेवा को कार्यकुशलता के हित में वर्गीकरण को वैध माना जाएगा। कनिष्ठ लेखकारों/लेखा परीक्षकों आदि जैसे अन्य वर्गों के मामले में, जो अवर श्रेणी लिपिकों/उच्च श्रेणी लिपिकों के पदों पर समरूप वेतनमानों में कार्य कर रहे हों ये तथ्य लागू नहीं होते। इसलिए उन्हें आयु सीमा में 5 वर्ष को छूट देकर जैसा कि अवर श्रेणी लिपिकों/उच्च श्रेणी लिपिकों के मामले में किया जाता है, सहायक ग्रेट परीक्षा में बैठने के लिए पात्र नहीं बनाया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पांचवी पंचवर्षीय योजना को जनजाति उप-योजना का पुनरीक्षण

9306. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने पांचवी पंचवर्षीय योजना को जनजाति उप-योजना के विकास की प्रगति और उपलब्धियों के बारे में पुनरीक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या प्रगति नोट की गई और उप-योजना को क्रियान्वित में क्या बाधाएं हैं, और

(ग) छठी योजना में जाति उपयोजना के क्रियान्वित तंत्र में सुधार करने के लिए उनके मंत्रालय ने क्या उपाय किये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) जनजातीय विकास; उपलब्धियों और कठिनाईयों की समस्याओं पर विचार-विमर्श करने के लिए जून-जुलाई, 1978 में राज्यों के जनजातीय विकास के प्रभारी मंत्रियों की बैठकें हुई थी। राज्यों के साथ छठी योजना

पर विचार विमर्श के समय जनजाति क्षेत्रों के विकास कार्यों का संक्षिप्त पुनरीक्षण भी किया गया था।

(ख) पांचवी योजना के दौरान उप-योजना संकल्पना रचनात्मक अवस्थाओं में रही। बुनियादी काम पांचवी योजना के अन्त तक पूरे कर लिये गये थे और एकीकृत जनजाति विकास परियोजनाएं शुरू कर दी गयी थी। जनजाति उपयोजना क्षेत्र में विकास कार्य में भारी वृद्धि से प्रशासनिक अतत्परता विकास के लिए एक महत्वपूर्ण निरोध प्रकट हुई। पुनः रक्षात्मक उपाय करने की आवश्यकता है।

(ग) राज्यों ने राज्य स्तर पर जनजाति आयुक्त और एकीकृत जनजाति विकास परियोजना स्तर पर परियोजना अधिकारी नियुक्त किये हैं। समय-समय पर विभिन्न राज्यों के साथ हुए विचार-विमर्श को देखते हुए आर्थिक तथा प्रशासनिक शक्तियों का प्रत्यावर्तन करने कार्यान्वयन करने वाले प्राधिकारियों को धनराशि का हस्तान्तरण करने, स्वीकृति की प्रक्रिया को युक्तियुक्त बनाने पर विचार करने के लिए राज्यों को सलाह दी गई है। इन रचनात्मक परिवर्तनों के अतिक्ति जनजाति क्षेत्रों में कार्य के लिए अधिकारियों के चयन, अच्छी सेवा के लिए विशेष भर्ती करने जनजाति क्षेत्रों में काम करने वालों को प्रोत्साहन देने, स्थानीय बोलिया सीखने, कार्मिकों को प्रशिक्षण देने इत्यादि के बारे में भी राज्यों को सुझाव दिये गये हैं इसके अतिरिक्त रक्षात्मक उपायों के कार्यान्वयन पर अधिक ध्यान की सलाह दी गई है।

जनजाति क्षेत्रों के लिए उप-योजना

9307. **श्री गिरीधर गोमांगो** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वार्षिक योजना 1979 80 को अन्तिम रूप देने के लिए नई दिल्ली में हुई राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक में जनजाति क्षेत्रों सम्बन्धी उप-योजना पर भी विचार किया गया था;

(ख) यदि हाँ, तो बैठक में जनजाति क्षेत्रों तथा जनजाति लोगों सम्बन्धी किन समस्याओं पर चर्चा की गयी; और

(ग) जनजाति क्षेत्रों में विशेषकर वन नीति, उत्पादन शुल्क नीति, कार्मिक नीति आदि समस्याओं को हल करने के बारे में क्या निर्णय किये गये ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फजलुर्रहमान) : (क) से (ग) तक : राष्ट्रीय विकास परिषद ने फरवरी, 1979 में हुई अपनी बैठक में केन्द्र और राज्यों के वित्तीय सम्बन्धों पर विचार-विमर्श करके राज्यों में केन्द्रीय योजना सहायता का आवंटन निर्धारित किया, और परिवार कल्याण कार्यक्रम तथा पंचायती राज में सम्बन्धित अशोक मेहता समिति के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया।

राष्ट्रीय विकास परिषद् ने जनजातीय उपयोजनाओं पर विचार नहीं किया और न ही उसने 1979-80 को वर्षिक योजना को अन्तिम रूप देने पर विचार किया। वार्षिक योजनाओं को योजना आयोग द्वारा केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के परामर्श से अन्तिम रूप दिया जाता है।

लघु उद्योग द्वारा ग्लास कपड़े का निर्माण

9308. **श्री ए. के. राय** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन लघु उद्योगों के नाम क्या हैं तथा उनकी संख्या कितनी है जो देश में ग्लास कपड़े का निर्माण कर रहे हैं, तथा उन्होंने 1978 में कितनी मात्रा में कपड़े का निर्माण किया और देश में ग्लास कपड़े की कुल माँग कितनी है तथा उसका निर्माण कितना होता है और तत्सम्बन्धी तथ्यों का ब्यौरा क्या है,

(ख) क्या सरकार इस मद को लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित करने के बारे में विचार कर रही थी; और

(ग) यदि हाँ, तो उसपर क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) (क) : फाइबर ग्लास टैक्सटाइल मैन्यु० एसोसियेशन, बम्बई द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी के अनुसार 41 ऐसे लघु एकक हैं, जिनके नाम तथा पते संलग्न हैं। वर्ष 1977 में उन्होंने 360 एम. टी. फाइबर ग्लास टैक्सटाइल का उत्पादन किया चूँकि ग्लास टैक्सटाइल का कोई महत्वपूर्ण आयात नहीं हुआ था, अतः इस अवधि में हुए उत्पादन को मांग के स्वरूप माना जा सकता है।

लघु एकक फाइबर ग्लास सहीविंगस, कॉडर्स, टेप, क्लाथ फाइबर ग्लास रिइनफोसेड ग्राइंडिग व्हीलस, डिस्कस, फिलटर बैग, फाइबर ग्लास रिइनफोर्सड उत्पादन जैसी विभिन्न वस्तुओं को तैयार करते हैं।

(ख) तथा (ग) : ग्लास टैक्सटाइल वस्तुओं को बनाने के लिए मैसर्स फाइबर ग्लास पिलकिंग्टन बम्बई द्वारा बुनाई करघों को लगाये जाने के विरूद्ध लघु एकक मैन्यु० ग्लास टैक्सटाइल प्रोडक्ट्स तथा उनकी एसोसियेशन ने सरकार को एक अभ्यावेदन दिया है। अभ्यावेदन की जांच की गई है और भविष्य में बड़े एककों द्वारा ग्लास टैक्सटाइल वस्तुएँ बनाने की अनुमति न देने और पूर्णतः लघु क्षेत्र में विकास के लिए ग्लास टैक्सटाइल वस्तुओं को बनाने के आरक्षण का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। विवरण संलग्न है।

विवरण

फाईवर ग्लास उत्पादन के निर्माण में लगे हुए छोटे पैमाने के एककों की सूची

1. मैसर्स हेल्सा बोर्डर मैन्यूफेक्चरिंग कम्पनी, इन्द्रा भवन बिल्डिंग, श्री कान्ता रोड, ओल्ड सीविल के सामने, अहमदाबाद-1
2. मैसर्स उन्नति कारपोरेशन, 9, रवि चैम्बर्स, यथेरकुवा, अहमदाबाद-1
3. मैसर्स मनु तापे इंडस्ट्रीज, लक्ष्मी विजय हौजरी मिल्स कम्पाउंड, नरोदा रोड, अहमदाबाद-2
4. मैसर्स सुरू फाइबर्स, नम्बर 2, विद्यानगर सोसायटी नम्बर 1, उसमानपुरा अहमदाबाद-14
5. मैसर्स, मुरली मोहन एण्ड कम्पनी, 39 उत्तरादी मट्ट रोड, चिकपेट क्रास, बंगलौर-53
6. मैसर्स जैको ग्लास इलेक्ट्रिकल इन्सुलेशनस, प्राइवेट लि०, जय भारत इन्डस्ट्रियल स्टेट, जालाहाली कैम्प रोड, यशवंतपुर, बंगलौर-22

7. मैसर्स सुन्दर सिल्कस, 19 नगप्पा स्ट्रीट, पैलेस गुट्टाहाली, बंगलौर-3
8. मैसर्स वनाजा रीबन्स एण्ड एलाइड इण्डस्ट्रीज, मामूपेट, लालबाग रोड, बंगलौर-27
9. मैसर्स डयान्मो डिलेक्ट्रिक्स, 275 जी. आई. डी. सी. इण्डस्ट्रियल इस्टेट, माकरपुरा, बड़ौदा-10
10. मैसर्स रूंडेला इंटरप्राइज, 63/ए, इण्डस्ट्रियल एरिया, गोविन्दपुरा, भोपाल-23
11. मैसर्स इस्टर्न इलेक्ट्रिकल्स, गोविन्दपुरा इण्डस्ट्रियल इस्टेट, भोपाल-23
12. मैसर्स ग्लास फाइबर इन्डस्ट्रीज, आनन्द नगर, रायसेन रोड, भोपाल
13. मैसर्स ग्लास फाइबर टेक्सटाइल, गोविन्दपुरा इन्डस्ट्रियल इस्टेट, भोपाल
14. मैसर्स इन्डस्ट्रियल ग्लास फैवरिक्स, शेड (सी) इन्डस्ट्रियल इस्टेट, क्वैरी रोड, भन्दूप, बम्बई.23
15. मैसर्स इन्डोग्लास प्राइवेट लिमिटेड, 407, अरुणा चैम्बर्स, तरदेव, बम्बई-34
16. मैसर्स झावरी थानावाला प्राइवेट लिमिटेड, 47, तमारिन लेन, बम्बई-23
17. मैसर्स फाइबर प्रोडक्ट्स, 33-ए, अपूर्व इन्डस्ट्रियल इस्टेट, मकबन्स रोड, अंधेरी (पूर्व), बम्बई-59
18. मैसर्स त्रैग्नेटो इलेक्ट्रिकल्स, प्लाट नं० 19, गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल इस्टेट, कांडिली, बम्बई-67
19. मैसर्स माटेक्स ग्लास फाइबर इंडस्ट्रीज, बम्बई मुच्वल टैरेस, मुस्तम सिदवा मार्ग, बम्बई-23
20. मैसर्स एन. के. जोशी एण्ड कम्पनी, 7, राम निवास साक्काराम किर रोड, हरि निवास के समीप, बम्बई-6
21. मैसर्स वेग्रोन ग्लासटेक्स इंडस्ट्रीज, 168-170, शेरिफ देवजी स्ट्रीट, चकला, बम्बई-3
22. मैसर्स बजाज फैबरिक्स प्राइवेट लिमिटेड, 5, फैन्सी लेन, कलकत्ता-1
23. मैसर्स इंडस्ट्रियल टेप्स एण्ड फेबरिक्स. 188, मनिकतला मैन रोड, कलकत्ता-54
24. मैसर्स इन्सुग्लास इंडस्टीज प्राइवेट लिमिटेड, 90, रिप्पन स्ट्रीट, कलकत्ता-16
25. दि कलकत्ता रिबन फैक्ट्री, 1!1, कोशीपुर रोड, कलकत्ता-2
26. दि सिम्पलेक्स टेक्सटाइल्स, पी. 36, इन्डिया एक्सचेंज, कलकत्ता-1
27. दि ईस्टर्न ट्रेडर्स. 45-ए बंचाराम, अक्रूर लेन, कलकत्ता-12
28. दि इंडस्टियल वीवर्स, 74, वेलियाघाट मैन रोड, कलकत्ता-10
29. दि इन्सुलेटिड वायर्स एण्ड केबिल्स (कारपोरेशन) प्राइवेट लिमिटेड, 112, डायमंड हार्बर रोड, कलकत्ता
30. दि भारत इन्सुलेशन्ज, फरीदाबाद (हरियाणा)
31. दि वैराइटी इन्सुलेशन्ज गगन पहद, हैदराबाद
32 दि ग्लास माइका इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रियल एरिया हरिद्वार (उत्तर प्रदेश)
33. दि यूनिवर्सल इंडस्ट्रीज, बी-310, विश्वकर्म इन्डस्ट्रियल इस्टेट, रोड नं० 16-एल. जयपुर-13

34. मैसर्स विद्युत उद्योग आदित्यपुर इंडस्ट्रियल इस्टेट, जमशेदपुर
35. मैसर्स जैको ग्लासइन्सु लेशन्ज, 2.2.8, सुभाष रोड, नारायण पेट 509210 (आन्ध्र प्रदेश)
36. मैसर्स स्लीव्स इण्डिया, मैसूर
37. मैसर्स नायक बीविंग मिल, 1206 बी/34, शिवाजी नगर, प्यून-4
38. मैसर्स नायको ग्लास, 1206 बी/34, शिवाजी नगर, प्यून-4
39. श्री यमुना जी कारपोरेशन, देवगढ़वरिया, जिला पंचमहल, (गुजरात)
40. मैसर्स महावीर टेप्स, कोलशेट, थाना (महाराष्ट्र)
41. मैसर्स विद्युत उद्योग, 5, फैन्सी लेन, चौथी मंजिल, कलकत्ता-1

पश्चिम बंगाल और बिहार में हरिजनों और आदिवासियों पर अत्याचार

9309 **श्री ए. के. राय** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसद सदस्यों द्वारा 1 मार्च, 1978 से 1 मार्च, 1979 तक पश्चिम बंगाल और बिहार राज्यों में हरिजनों और आदिवासियों पर अत्याचारों के कितने मामले केन्द्रीय सरकार के ध्यान में लाये गये;

(ख) तत्सम्बन्धी तथ्यों का ब्यौरा क्या है; और उन पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार अधिकांश मामलों में राज्य सरकार को पत्र लिख कर केवल डाक घर का काम करती है और उसके परिणाम को नहीं जानती; यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) तथा (ख) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है ।

(ग) यह कहना उचित नहीं है कि भारत सरकार अधिकांश मामलों में राज्य सरकारों को पत्र लिखकर उनका परिणाम जाने बिना डाकघर के रूप में कार्य करती रही है । संविधान की सातवी अनुसूची के अधीन कानून और व्यवस्था राज्य का विषय होने के कारण हरिजनों और आदिवासियों पर अत्याचारों से सम्बन्धित शिकायतों पर कार्यवाही सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा की जाती है । इसलिये अत्याचारों के विषय में संसद सदस्य से प्राप्त पत्र भारत सकार द्वारा शीघ्र कार्यवाही करने और सीधे सम्बन्धित संसद सदस्य को परिणाम की सूचना देने के लिए सम्बन्धित राज्य सरकार को भेज दिये जाते हैं । किन्तु अधिक गम्भीर मामलों में भारत सरकार राज्य सरकार से एक रिपोर्ट माँगती है और इसकी जांच करने के पश्चात संसद सदस्यों को उत्तर भेजा जाता है ।

(ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल टी. 4408/79)

बी-हाईव हार्ड कोक का निर्माण करने वाले उद्योगों का विकास

9310 : **श्री ए. के. राय** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन को गत पाँच वर्षों में बिहार के जिला धनबाद में गैर सरकारी क्षेत्र में बी-हाईव हार्ड कोक कोयले का निर्माण करने वाले उद्योगों के बिना रोक टोक विकास की जान-

कारी है, यदि हाँ तो ऐसे उद्योगों की संख्या कितनी है, उनमें कितनी पूंजी लगी है और उनमें कितने मजदूर काम कर रहे हैं तथा कोक बनाने के लिए प्रति दिन कितने कोयले का उपयोग किया जाता है,

(ख) क्या यह सच है कि सभी बी-हाईव हार्ड कोक के निर्माता तार बेन्जील आदि जैसे मूल्यवान उप-उत्पाद को फालतू फेंक देते हैं और वायु को दूषित करते हैं एवं क्षेत्र में चारों ओर होने वाली खेती को क्षति पहुँचाते हैं; और

(ग) क्या सरकार इस बात के लिए कदम उठाने का विचार करेगी कि निर्माताओं द्वारा उप उत्पाद को फालतू न जाने दिया जाये ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) विगत पाँच वर्षों में बिहार के धनबाद जिले में 73 बी-हाईव हार्ड कोक मैन्युफैक्चरिंग एककों की स्थापना की गई है। इन एककों में 273.75 लाख रुपये का पूंजीगत निवेश हुआ है, इसमें 3650 कर्मचारी कार्यरत हैं तथा प्रतिवर्ष 13.87 लाख एच. टी. कोयले की खपत होती है।

(ख) और (ग) : सेन्ट्रल फ्यूयल रिसर्च इन्स्टीट्यूट से मिली सूचनानुसार वाले-टाइल्स से सर्वोत्तम प्राप्त करने हेतु बी-हाईव ओवन्स समान्यः बिना किसी प्रणाली के ही हैं। बी-हाईव में कारबोनाइजेशन के अधिकाँश ताप की व्यवस्था कोयले में वी. एम. की मात्रा से होती है। कोयले में निम्न से वोलेटाइलन के होने से वातावरण में निकाले जाने हेतु अतिरिक्त वी. एम. के होने की सम्भावना नही होती है। उच्च वोलेटाइल के कोयले ने चिमनी की निकासी के जरिये अवांछनीय गैस बन सकती है। बी-हाइव ओवन्स का संशोधित डिजाइनों में कारबोनाइ-जेशन का समय काफी कम हो जाता है तथा वोलेटाइल्स के अच्छे दहन (कम्बश्यत) का सुनिश्चिय हो जाता है।

धमन भट्टी स्टैग के सीमेंट का उत्पादन

9311. **श्री ए. के. राय** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने देश में सीमेंट की वर्तमान कमी को दूर करने के लिए धमन भट्टी स्लैग से सीमेंट बनाने की सम्भावना की जाँच की है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है तथा तथ्यों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) तथा (ख) सम्भवतः यह प्रश्न देश में सीमेंट की वर्तमान कमी को पूरा करने के लिये सरकार द्वारा किये गये प्रयत्नों के अंश के रूप में (ब्लासट फरनेश) स्लैग से सीमेंट बनाने की सम्भावना के संदर्भ में है। देश में सीमेंट बनाने के लिए पहले ही (ब्लास्ट फरनेश स्लैग का प्रयोग किया जा रहा है। भिलाई, दुर्गापुर, राऊरकेला, तथा भद्रावती स्थित इस्पात संयंत्रों सहित अधिकांश इस्पात संयंत्रों में पहले ही स्लैग ग्रेनुलेशन संयंत्र है। टिसको तथा बोकारो में ग्रेनुलेशन संयंत्र निर्माणाधीन हैं। सरकार की वर्तमान नीति के अनुरूप देश में सीमेंट के उत्पादन की क्षमता में तेजी से बढ़ोत्तरी की जा सके तथा इस्पात संयंत्रों द्वारा उत्पादित धमन भट्टी (ब्लास्ट फरनेश) स्लैग का लाभदायक उपयोग किया जा सके, सरकार धमन भट्टी (ब्लास्ट फरनेश) स्लैग सीमेंट के उत्पादन को

प्रोत्साहन दे रही है। अनेक सीमेंट निर्माता पहले ही धमन भट्टी (ब्लास्ट फरनेश) स्लैग सीमेंट का उत्पादन कर रहे हैं। वर्ष 1974-78 के दौरान स्लैग सीमेंट का उत्पादन निम्न प्रकार है :

वर्ष	मात्रा (लाख मी. टनों में)
1974	18.47
1975	23.06
1976	31.86
1977	32.85
1978	30.68

वर्ष 1978 में जिन एककों ने स्लैग सीमेंट का उत्पादन किया है वे निम्न प्रकार हैं :

1. ए. सी. सी. जमुल।
2. वही चाईबास।
3. वही खिलारी।
4. वही सिन्दरी।
5. दुर्गापुर सीमेंट वर्क्स।
6. वी. आई. एस. एल. भद्रावती।
7. आन्ध्र सीमेंट, विजयवाड़ा।
8. बगलकोट उद्योग लिमिटेड।
9. उड़ीसा सीमेंट लिमिटेड।
10. सोना वेली पोर्ट लैण्ड सीमेंट लिमिटेड।
11. सतना सीमेंट वर्क्स।
12. कल्याणपुर लाईम एण्ड सीमेंट वर्क्स।
13. सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया, माँढर।

उपर्युक्त के अलावा, एस. ए. आई. एल. ने धमन भट्टी (ब्लास्ट फरनेश) स्लैग सीमेंट की प्रति वर्ष 16.70 लाख मी. टन की कुल क्षमता के लिए चिलहाटी (मध्य प्रदेश) तथा राऊरकेला (उड़ीसा) में सीमेंट संयंत्रों की स्थापना करने का प्रस्ताव किया है।

हिन्दी टाइपराइटरों के की-बोर्ड में परिवर्तन

9312. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या गृह मंत्री हिन्दी टाइपराइटरों के निर्माण के बारे अतारांकित प्रश्न संख्या 1528 दिनाँक 29 नवम्बर, 1978 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दी टाइपराइटरों के पहली बार निर्माण किये जाने से लेकर उसके की बोर्ड को आठ बार बदला गया है जबकि अंग्रेजी के टाइपराइटर को एक बार भी नहीं बदला गया है;

(ख) क्या हिन्दी टाइपराइटरों के की-बोर्ड को इस प्रकार बार-बार बदलने के कारण उन पर काम करने वाले कर्मचारियों की टाइप की गति पर असर हुआ है जिसके कारण उनको दिक्कत होती है; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार ने इस बात को देखने के लिए क्या कदम उठाए हैं कि हिन्दी टाइपराइटरों का की-बोर्ड भविष्य में न बदला जाए ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क), (ख) और (ग) यह सही है कि देवनागरी टाइपराइटर के कुंजीपटल को कई बार परिवर्तित किया गया। यह भी सही है कि कुंजी पटल में परिवर्तन करने से टाइपराटर का प्रयोग करने वालों को कुछ कठिनाई होती है। लेकिन ये परिवर्तन कुंजीपटल में सुधार करने के लिए तथा टाईपिंग की गति बढ़ाने के

उद्देश्य से किए गए थे। मई, 1976 के बाद देवनागरी टाइपराइटर के कुंजीपटल में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और न इसमें अब कोई परिवर्तन करने का सरकार का इरादा है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में हिंसात्मक घटनाओं के बारे में अभ्यावेदन

9313. **श्री सचीन्द्र लाल सिंघा** :क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मन्त्रालय को गत तीन महीनों के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में हुई अनेक हिंसात्मक घटनाओं के बारे में उन राज्यों के संसद सदस्यों से अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए; हैं

(ख) यदि हाँ, तो प्राप्त अभ्यावेदनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वह इन राज्यों के मुख्य मन्त्रियों तथा मन्त्रियों की इन राज्यों में कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में चर्चा करने के लिए एक बैठक बुलायेंगे; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) और (ख) पिछले तीन महीनों के दौरान असम-नागालैंड सीमा पर घटनाओं के सम्बन्ध में केवल एक ऐसा पत्र प्राप्त हुआ था।

(ग) और (घ) : फरवरी-अप्रैल 1979 के दौरान गृह मन्त्री ने सभी पूर्वोत्तर राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों का दौरा किया था और सम्बन्धित मुख्य मन्त्रियों के साथ विधि और व्यवस्था की स्थिति पर विचार-विमर्श करने का अवसर प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने असम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के मुख्य मन्त्रियों की बैठकें, 10, 11 और 12 अप्रैल 1979 को बुलाई थी और अन्य बातों के साथ-साथ उन राज्य में विधि और व्यवस्था से सम्बन्धित मामलों पर पुन: विचार-विमर्श किया।

हिन्दी टाइपराइटरों का निर्माण

9314. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **उद्योग मन्त्री** हिन्दी टाइपराइटरों के निर्माण के बारे में 29 नवम्बर, 1978 के अताराक्त प्रश्न संख्या 1528 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय देश में हिन्दी टाइपराइटरों की कीमतें काफी बढ़ गई हैं और यदि हाँ, तो क्या निर्माताओं ने टाइपराइटरों की कीमतों को अब भी लिपि (स्क्रिप्ट) को बदला गया प्रत्येक बार बढ़ाया गया और यदि हाँ, तो कितना

(ख) यदि यह सच है कि इस समय हिन्दी टाइपराइटरों की मांग बहुत अधिक है तो यह मांगें इस समय हो रहे निर्माण से 8 गुनी अधिक है और खरीददारों को कम से कम 6 महीने और अधिक से अधिक एक वर्ष प्रतिदिन करनी पड़ती है और यदि हाँ, तो उसका निर्माण बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किये हैं; और

(ग) उन फर्मों और कम्पनियो के नाम क्या हैं जो इस समय टाइपराइटरों का निर्माण कर रही हैं और प्रत्ये कम्पनी के टाइपराइटरों का निर्माण लागत और बिक्री मूल्य कितना है और उस पर सरकारी कर कितना लगता है तथा उसका स्वरूप क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) (क) जी नहीं।

(ख) हिन्दी टाइपराटरों की माँग का कोई अलग से अनुमान नहीं लगया गया है, किन्तु हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के कारण इन टाइपराइटरों की माँग बढ़ रही है हिन्दी टाइपराइटरों का

निर्माण करने के लिए उपलब्ध सुविधाए माँग को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझी जाती हैं और यदि काफी क्रयादेश आर्डर किये जाते हैं तो विद्यमान एकक अपनी स्वीकृत क्षमता तक उत्पादन कर सकते हैं। कि हिन्दी टाइपराइटरों के सम्बन्ध में बताया गया है कि वे दर संविदा पर उपलब्ध हैं।

(ग) मैसर्स रेमिंगटन रैण्ड आफ इण्डिया, कलकत्ता, गोदरेज एण्ड वार्यस मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी आफ इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई, रेयाला कारपोरेशन लिमिटेड, मद्रास हिन्दी टाइपराइटों का निर्माण करते रहे हैं। हाल ही में मैसर्स फासिट एशिया लिमिटेड मद्रास ने भी हिन्दी टाइपराइटरों का उत्पादन शुरू कर दिया है। टाइपराइटरों के मूल्य या वितरण पर कोई नियन्त्रण नहीं है। फिर भी पूर्ति एवं निपटान के महानिदेशालय की दर-संविदा के अधीन 25 से. मी. आकार के टाइपराइटर का मूल्य 1620/-रुपए है तथा उस पर 20 प्रतिशत उत्पादन शुल्क लगता है इस पर बिक्री कर तथा चूंगी जैसे अन्य शुल्क भी लगेंगे।

जिला उद्योग केन्द्रों को चलाने के लिए कर्मचारियों की कमी

9315. **डा. लक्ष्मीनारायण पांडेय** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ जिला उद्योग केन्द्रों में काम बिल्कुल भी आरम्भ नहीं हुआ है और आवश्यक कर्मचारियों की कमी है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) तथा (ख) जी, हां।

पंजाब, केरल. हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन तथा दिव, दादरा तथा नगर हवेली के राज्य तथा संघशासित प्रदेशों में तथा देश के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में अभी तक कुछ जिला उद्योग केन्द्रों ने कार्य करना शुरू नही किया है।

जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम। मई, 1978 में शुरू किया गया था विभिन्न राज्यों में जिला उद्योग केन्द्र भिन्न-भिन्न समय पर स्वीकृत किए गए थे। अनुभव से पता चलता है कि कार्यालय की स्थापना करने, कर्मचारियों की भर्ती करने तथा प्रशिक्षण आदि के प्रारम्भिक कार्य को पूरा करने में लगभग 4 महीने का समय लग जाता है। इस अवधि के बाद कार्यवाही योजनायें हाथ में ली जाती हैं तथा जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा वास्तविक कार्य शुरू करने से पहले कार्यक्रम बनाये जाते हैं।

पंजाब तथा हरियणा ने अपने प्रस्ताव कुछ देर से दिए। हिमाचल प्रदेश, केरल, गोवा, दमन और दिव तथा दादर नगर व हवेली में भर्ती के नियम बनाये, चयन समितियों का गठन करने तथा भर्ती की प्रतिक्रियाओं पर निर्णय करने में कुछ बिलम्ब हुआ था। किन्तु ये राज्य और संघ शासित प्रदेश अब अन्य राज्यों की बराबरी पर आ रहे हैं।

जिला उद्योग केन्द्रों का प्रबन्ध करने वाले उपयुक्त स्थानीय व्यक्तियों की कमी के कारण उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में इस कार्यक्रम की प्रगति धीमी रही अब इस विषय पर निर्णय करके हल निकाल लिया गया है कि लघु उद्योग विकास संगठन इन राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को जब भी जरूरत होगी, उचित व्यक्ति प्रदान करेगा।

श्री लंका से सीमेंट का आयात

9316. **डा. लक्ष्मीनारायण पांडेय** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 26 फरवरी, 1979 के 'इकानामिक टाइम्स' में प्रकाशित यह समाचार सही है कि श्री लंका से सीमेंट का बड़ी मात्रा में आयात करने का विचार है।

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में ही सीमेंट का उत्पादन बढ़ाने के लिए 1978-79 में क्या कार्यवाही की गयी और इस सम्बन्ध में वर्तमान तथा भावी योजनायें क्या हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) (क) तथा (ख) अगस्त, 1978 में भारत में श्री लका के उच्चायुक्त के माध्यम से सीमेंट की सप्लाई के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था किन्तु चूंकि दूसरे देशों से अधिक लाभप्रद शर्तों पर सीमेंट उपलब्ध था अतः इस सम्बन्ध में अनुवर्ती कार्यवाही नहीं की गई थी। जब भी कभी भविष्य में, प्रस्ताव प्राप्त होंगे, उन पर गुणवत्ता, मूल्य तथा अन्य शर्तों के सामान्य पहलुओं पर विचार किया जाएगा।

(ग) सरकार ने देश में सीमेंट के उत्पादन तथा उपलब्धता को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित अभ्युपाय किये हैं :

1. भूटान तथा नेपाल को छोड़कर देश से बाहर सीमेंट निर्यात करने पर रोक लगा दी गई है।

2. औद्योगिक लाइसेंस देने के लिये प्राप्त नये आवेदनों पर अधिक तेजी से विचार किया जाने लगा है। 1 अप्रैल, 1977 से 2 अप्रैल, 1979 की अवधि में कुल मिलाकर 150.50 लाख मी. टन की क्षमता के लिए 35 आशय-पत्र तथा 7 औद्योगिक लाइसेंस दिये गये जबकि 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च, 1977 की अवधि में कुल मिलाकर 84.60 लाख मी. टन की क्षमता के लिए केवल 7 आशय पत्र तथा 11 औद्योगिक लाइसेंस जारी किये गये थे।

3. देश में सीमेंट के वितरण के सम्बन्ध में विद्यमान क्षेत्रीय असन्तुलन सीमेंट संयंत्रों के चूना पत्थर निक्षेपों के समीप स्थित होने के कारण है। सीमेंट संयंत्रों का अलग-अलग स्थापित किया जाना प्रोत्साहित कर इस असन्तुलन को न्यूनतम किया जाना है।

4. इस समय मन्त्रिमण्डल की एक उप-समिति सीमेंट के संरक्षण के लिए अपनाये गये विभिन्न अभ्युपायों पर विचार कर रही है। सीमेंट का संरक्षण प्रतिस्थापन सामग्री जैसे हाइड्रेटड लाइन घाव भूषी सीमेंट, संगीत, चूना गारा आदि का उपयोग कर लिया जाता है।

5. 1978-79 के दौरान देश में 15.47 लाख मो. टन सीमेंट का आयत किया गया है तथा 1979-80 के लिये लगभग 20 लाख मी. टन और भी सीमेंट आयात करने की योजना बनाई गई है।

6. विगत तीन वित्तीय वर्षों की अवधि में प्रत्येक एकक में हुए सबसे अधिक उत्पादन से अतिरिक्त उत्पादन अथवा उसकी लाइसेंसीकृत क्षमता के 85 प्रतिशत पर जो अधिक हो, प्रति मीट्रिक टन पर 30 रुपये के नकद प्रोत्साहन की घोषणा की गई है।

7. सड़क द्वारा सीमेंट परिवहन के भाड़ा प्रतिपूर्ति सम्बन्धी विद्यमान नियमों को और उदार बना दिया है।

8. सरकार ने बिजली की कटौती के दौरान सीमेंट का उत्पादन करने हेतु केप्टिव पावर का उपयोग करने के लिए सीमेंट उद्योग को सहायता भी प्रदान की है।

9. विद्यमान एककों के उत्पादन पर निगरानी रखी जा रही है ताकि यह सुनिश्चित

किया जा सके कि उद्योग शतप्रतिशत समग्र क्षमता उपयोगिता को बनाये हुए हैं।

10. उत्पादन में वृद्धि करने के लिये प्रिकेल्सीलेटर प्रौद्योगिकी का आयात करने की अनुमति दे दी गई है।

11. चल रही परियोजनाओं के निर्माण में शीघ्रता की जा रही है।

12. सरकार ने स्लैग का उपयोग करने के लिये इस्पात संयंत्रों पर अथवा उनके समीप ही सीमेंट संयन्त्र स्थापित करने को प्रोत्साहन देने का भी निर्णय लिया है।

13. सरकार ने बड़ी संख्या में छोटे सीमेंट संयन्त्र लगाने को प्रोत्साहन देने का भी निर्णय किया है।

14. एक उच्चस्तरीय समिति ने सीमेंट उद्योग का व्यापक अध्ययन किया है और कई सुझावों की सिफारिश की है जो सरकार के विचाराधीन है।

जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन का स्तर

9317. **श्री गिरिधर गोपांगो** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय को इस तथ्य की जानकारी है कि देश के जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन का स्तर वांछित स्तर तक नहीं पहुँचा है ;

(ख) यदि हां, तो इन क्षेत्रों में प्रशासन का स्तर, गुणावत्ता तथा कार्य कुशलता में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) अनुसूचित क्षेत्रों तथा उप योजना क्षेत्रों वाले राज्यों ने जनजाति क्षेत्रों तथा उसकी जनता के सामाजिक, आर्थिक तथा कानूनी पहलुओं को लागू करने हेतु प्रशासनिक ढांचे में सुधार करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) जनजाति उपयोजना क्षेत्रों में विकास कार्य में बृहत वृद्धि के कारण प्रशासनिक अप्रबन्ध लाचारी के रूप में उत्पन्न हो गया है।

(ख) जनजाति उपयोजना क्षेत्रों में प्रशासन और आर्थिक नीति के बारे में मार्ग निदेश फरवरी, 1979 में राज्य सरकारों को जारी किए गए थे।

(ग) अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार मालूम होता है कि आन्ध्र प्रदेश बिहार, गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश राज्यों और गोवा दमन का दीव तथा अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह संघ शासित क्षेत्रों ने मार्ग निर्देशों को स्वीकार कर लिया है। आन्ध्र प्रदेश असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश तथा प० बंगाल राज्यों में जनजाति उपयोजना क्षेत्रों में उपयुक्त अधिकारियों को आकृष्ट करने के लिए विशेष प्रोत्साहन देने हेतु कार्यवाही शुरु की है ताकि इन क्षेत्रों की समस्याओं का कारगर ढंग से समाधान किया जा सके।

कृषि पर आधारित उद्योगों के लिए जनजातियों के लोगों को प्रतिक्षण दिया जाना

9318. **श्री बागुन सुम्बई** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि पर आधारित उद्योगों के लिए जनजातियों के लोगों को सरल तकनीकें उपलब्ध करने और उन्हें प्रशिक्षण देने के लिए किसी तन्त्र की स्थापना की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) (क) और (ख) : विकास आयुक्त, लघु उद्योग ने नवम्बर, 1978 से समाज के कमजोर वर्गों के बीच उद्यमिता का विकास करने हेतु एक योजना शुरु की है । इस योजना के अन्तर्गत आदिवासियों सहित समाज के कमजोर वर्ग प्रशिक्षण पाठ्क्रमों में प्रवेश लेने के पात्र हैं । इन पाठ्यक्रमों का प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार के लोगों के लिये स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न करता है । पाठ्यक्रम दो महीनों की अवधि के हैं तथा प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को 100 रुपए प्रतिमास की छात्रवृत्ति दी जाती है । ग्रामीण कारीगर कार्यक्रम जो जिला उद्योग केन्द्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत चलाया जा रहा है, के अधीन आदिवासी भी आवश्यक सुविधाएँ प्राप्त कर सकते हैं ।

जहाँ तक मध्य प्रदेश, उड़ीसा बिहार तथा उत्तर पूर्वी प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र के रेशम उद्योग जो एक कृषि पर आधारित उद्योग है, का सम्बन्ध है बम्बई स्थित केन्द्रीय रेशम बोर्ड अपने केन्द्रीय टसर अनुसंधान केन्द्र, रांची के जरिये राज्यों द्वारा प्रायोजित विद्यार्थियों/रेशम के कीड़े पालने वाले के लिए निम्नलिखित पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करता है ।

		अवधि
1.	गैर मलबरी रेशम उद्योग (क्षमता प्रतिवर्ष 25 प्रशिणार्थी) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	15 महीने
2.	अन्त सेवा अधिकारियों के लिये (प्रतिसत्र 15 अभ्यार्थी) पुनर्श्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	1 महीना
3.	गहन व्यवहार प्रशिक्षण (प्रतिवर्ष 25 प्रशिक्षणार्थी)	3 महीना
4.	मणिपुर ओकटसर परियोजना के अधीन भुगतान करने पर (क्षमता : 20 प्रशिक्षणार्थी)(छात्रवृत्ति) 150 रु० प्रतिमास स्नातकों के लिये ओक टसर प्रशिक्षण	6 महीने
5.	ओक टसर परियोजना के अन्तर्गत भुगतान करने पर (छात्रवृत्ति) 100 रुपये प्रतिमास (क्षमता 40 प्रशिक्षणार्थी) मेट्रीकुलेटों के लिए ओक टसर प्रशिक्षण	3 महीने

प्रशिक्षणार्थियों को होस्टल में रहने की जगह तथा मासिक छात्र वृत्ति दी जाती है ।

जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों की समेकित जनजातीय विकास परियोजनाओं के लिये प्रशासकीय एवं कार्यान्वयन तन्त्र के बारे में मार्गदर्शी सिद्धान्त ।

9319. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय ने जनजातीय उप-योजना-क्षेत्रों की समेकित जनजातीय विकास परियोजनाओं के लिये प्रशासकीय एवं कार्यान्वयन तन्त्र के बारे में राज्यों को क्या मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये हैं ;

(ख) किन-किन राज्यों ने मार्गदर्शी सिद्धान्त स्वीकार कर लिये हैं और मंत्रालय द्वारा सुझाया गया प्रशासकीय ढांचा अपना लिया है ; और

(ग) जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों के लिये अब तक राज्यवार क्या प्रशासकीय एवं कार्यान्वयन तन्त्र स्थापित किया गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनिक लाल मंडल) : (क) जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन और कार्मिक नीति के लिए फरवरी, 1979 में राज्य सरकारों को जारी किए गए मार्गदर्शन निदेशों में वित्तीय तथा प्रशासनिक शक्तियों का प्रत्यावर्तन करने, कार्यान्वयन करने वाले प्राधिकारियों को धनराशि हस्तान्तरित करने, स्वीकृति की प्रक्रिय को युक्ति संगत बनाना, जनजाति क्षेत्रों में काम करने के लिए अधिकारियों का चयन करने, अच्छी सेवाओं के लिए विशेष भर्ती करने, प्रोत्साहन देने, स्थानीय बोलियाँ सीखने, कार्मिकों को प्रशिक्षित करने इत्यादि पर विचार करने के लिए सुझाव है ।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार लगभग सभी राज्यों ने इन मार्गदर्शन निदेशों को स्वीकार कर लिया है, हालांकि उनका पूर्ण कार्यान्वयन अभी होना है ?

(ग) अनेक राज्यों ने जनजाति उप-योंजना कार्यक्रमों के प्रभारी बनाने के वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त कर दिए हैं और जनजाति उप-योजना के कार्यान्वयन के लिए परियोजना अधिकारियों की नियुक्ति परियोजना पदाधिकारियों को वित्तीय तथा प्रशासनिक शक्तियों का प्रत्यावर्तन और परियोजना स्तर की समितियों के गठन जैसे अन्य विभिन्न उपाय किए हैं ।

रूई के मूल्यों को कपड़े के मूल्यों से सम्बद्ध करना

9320. **श्री एस० एस० सोमानी** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रूई के मूल्यों को कपड़े के मूल्यों से सम्बद्ध करने का निर्णय किया है ।

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) (क) से (ग) : कपड़े के मूल्य निविष्टियों की लागतों जैसे विभिन्न कारणों पर निश्चित किये जाते हैं जिनमें केवल कपास ही शामिल नहीं है बल्कि मजदूरी, रंजक पदार्थ व रसायन आदि जैसे अन्य कारण तथा मांग एवं पूर्ति की समग्र स्थिति भी शामिल होती है । केवल कपास के मूल्य निर्धारिक होने के कारण कपास के मूल्यों व तैयार माल मूल्यों के बीच पूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयास करना व्यवहारिक नहीं है । कपास की विभिन्न किस्में होने तथा प्रौद्योगिकी बदलने में अधिक अन्तर होने के कारण विशेष रूप से ऐसा नहीं किया जा सकता है । फिर भी सरकार ने कपास उत्पादकों के हित की रक्षा करने के लिए अनेक अभ्युपाय किये हैं जैसे कपास के समर्थन मूल्य निश्चित करना कपास की प्राप्ति सरकारी क्षेत्रों व सहकारी अधिकरणों की भूमिका अधिकाधिक बढ़ाना । इसी प्रकार, जब कभी कपास की मूल्य प्रवृत्ति से वस्त्रों के मूल्यों में अधिक अन्तर होता है तो सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप करती है कि मूल्यों पर नियन्त्रण रहे ।

रूई का विक्रय मूल्य और उसका निर्यात

9321. **श्री अनन्त राम जायसवाल** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में और देश के बाजार में जनवरी, फरवरी, 1979 में रूई का बिक्री मूल्य पृथक्-पृथक् कितना था।

(ख) क्या सरकार को इस वर्ष भी रूई के निर्यात के मामले में हानि उठानी पड़ेगी और यदि हां, तो कितनी ; और

(ग) क्या रूई के निर्यात और उसकी कीमतों में कमी को रोका जा सकता है तो रूई के रक्षित भंडार बनाने के बारे में सरकार क्या विचार करेगी यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) जनवरी फरवरी, 1979 में जो एकमात्र भारतीय रूई निर्यात बाजार में बिक्री के लिये दी गई थी वह पहले के वर्ष 1976-77 तथा 1977-78 के मौसम की कुछ विशिष्ट किस्म की थी जो गुजरात स्टेट कोआपरेटिव काटन मार्केटिंग फेडरेशन तथा भारतीय रूई निगम के पास पड़ी हुई थी तथा जिसकी देश में कोई माँग नहीं थी। अतएव, निर्यात मूल्य की घरेलू मूल्यों से तुलना करना उचित नहीं होगा। सम्बन्धित पार्टियों अर्थात गुजरात स्टेट कोआपरेटिव-काटन मार्केटिंग फेडरेशन तथा भारतीय रूई निगम द्वारा उपर्युक्त किस्म की रूई निर्यात का काम हाथ में लिया गया था अतएव सरकार द्वारा कोई हानि उठाए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) अगस्त, 1978 में सभा पटल पर रखे गये वस्त्र नीति विवरण में भारतीय रूई निगम द्वारा एक बफर स्टार्क के बनाए जाने तथा उसके संचालित करने की प्रर्कल्पना है। निगम बफर स्टाक की स्थापना करने हेतु कदम उठा चुका है।

मै० अलाइड प्रोड्यूस कम्पनी लि० पौटा साहिब द्वारा कागज उद्योग की स्थापना :

9322. **श्री दुर्गाचन्द** : क्या **उद्योग मन्त्री** 7 मार्च, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2211 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में लकड़ी की लुगदी और विशिष्ट कागज का निर्माण करने के लिए छह पार्टियों को जब औद्योगिक लाइसेंस जारी किये गये, उस समय केन्द्रीय सरकार ने जमीन और कच्चे माल की जरूरतों को ध्यान में रखा था।

(ख) क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार भूमि और कच्चे माल के लिए मै० अलाइड प्रोड्यूस कम्पनी लि० पौटा साहिब के साथ करार नहीं कर रही है।

(ग) क्या नवम्बर, 1977 को पार्टी की वार्षिक लाइसेंस देने से पूर्व केन्द्रीय सरकार ने हिमाचल प्रदेश सरकार से यह कहा था कि वह उक्त प्रयोजन के लिए पार्टी के साथ भूमि और कच्चे माल के करारों की शर्तों को पूरा करे ?

(घ) यदि हां, तो इस बारे में राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ङ) उक्त मामले में शीघ्र कार्यवाही करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) ऐसी योजनाओं में,

जिनमें कागज के उत्पादन के लिए वन पर आधारित कच्चे माल का उपयोग निहित होता है, औद्योगिक लाइसेंस स्वीकृत करने से पहले यह सुनिश्चित किया जाता है कि राज्य सरकार परियोजना के लिए कच्चे माल की निरन्तर उपलब्धि का आश्वासन देती है।

(ख) से (ङ) मैसर्स एलाइड प्रोड्यूस कम्पनी वन पर आधारित कच्चे माल के संभरण तथा भूमि के नियतन के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा करारों को अन्तिम रूप न दिये जाने के बारे में केन्द्र सरकार को अभ्यावेदन भेजती रही है। चूँकि विशेष परियोजनाओं के बारे में अपने आपको सन्तुष्ट करना तथा वनों के कच्चे माल तथा भूमि के आवंटन के लिए करार करना राज्य सरकार पर निर्भर करता है, अत: करार को अन्तिम रूप दिये जाने के लिए पार्टी को राज्य सरकार के साथ बातचीत करने की सलाह दी गई। मामले पर राज्य सरकार के साथ भी बातचीत की गई है उसने बताया है कि चूँकि पार्टी ने योजना कार्यान्वित करने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए हैं, अत: उन्होंने पहले की गई वचन बद्धता वापिस लेली है। किन्तु, राज्य सरकार के साथ करार करने का उन्हें अवसर प्रदान करने के लिए पार्टी की स्वीकृत किए गये औद्योगिक लाइसेंस की वेद्यता अवधि 31-5-79 तक बढ़ा दी गई है।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये राष्ट्रीय विदेश छात्र वृत्तियां

9323. **श्री बापू साहिब परुलेकर :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977 और 1978 में, वर्षवार, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अनुसूची से निकली गई और धुमन्तु जनजातियों तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों से राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्तियों के लिए कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए और ऐसे आवेदनकर्त्ताओं के नाम तथा अर्हताएँ क्या थी ;

(ख) क्या यह सच है कि इस श्रेणी में से किसी भी उम्मीदवार का चयन नहीं हुआ जबकि इसमें अर्हता प्राप्त उम्मीदवार थे और इस श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आने वाले अन्य उम्मीदवारों को छात्र वृत्तियां दी गई और यदि हों, तो उनके नाम और अर्हताएं क्या थीं ; और

(ग) आरक्षित श्रेणी में से उम्मीदवारों का चयन करने न करने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री घनिक लाल मंडल)। (क) वर्ष 1977 और वर्ष 1978 के लिए अलग से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्तियां देने की कोई योजना नहीं थी। कुल मिलाकर 1976-78 की अवधि के लिए एक ऐसी योजना थी। 1976-78 की योजना के अधीन हमें 451 आवेदन पत्र (221 अनुसूचित जातियों, 60 अनुसूचित जनजातियों 12 विमुक्त, खानाबदोश और अर्ध खानाबदोष जनजातियों और 158 आर्थिक रूप से पिछड़े अन्य वर्गों से) प्राप्त हुए। ऐसे आवेदकों के नामों और अर्हंताओं की सूची अनुलग्नक। में दी गई है ?

(ख) यह सच नहीं है कि इस श्रेणी में से किसी भी उम्मीदवार का चयन नहीं किया गया जबकि इसमें अर्हता प्राप्त उम्मीदवार थे और इस श्रेणी के अन्तर्गत न आने वाले अन्य उम्मीदवारों को छात्रवृत्तियां दी गई थी। उम्मीदवारों की उक्त सूची में से 24 अनुसूचित जातियों 11 अनुसूचित जनजातियों, 4 विमुक्त, खानाबदोश और अर्ध-खानाबदोश और 6 आर्थिक

रूप से अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों को छात्रवृत्तियां दी गई थी। ऐसे चुने गए उम्मीदवारों के नाम और अर्हताएं अनुलग्नक-17 में दी गई हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4409/79)

लघु उद्योग सम्बन्धी समिति की सिफारिशें

9324. **श्री के. राममूर्ति** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु क्षेत्र में प्रक्रिया में सुधार करने के लिये सुझाव देने हेतु नियुक्त लघु उद्योग सम्वन्धी समिति की मुख्य शिफारिशें क्या हैं; और

(ख) सरकार ने इनको क्रियान्वित के लिये क्या कार्यवाही की है?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) समिति ने अभी अपना अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है।

राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों में नये उद्योगों का ब्यौरा

9325. **श्री एस. आर. दामाणी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978-79 में पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित नये औद्योगिक एककों के स्थानों उत्पादन, राज सहायता के रूप में दी गई राशि और इनमें उनके आर्थिक विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का ब्यौरा क्या है; और

(ख) वर्ष 1978-79 में पिछड़े क्षेत्रों में इस समय विद्यमान औद्योगिक एककों के विस्तार के लिये राज सहायता के रूप में कितनी धनराशि दी गई थी और उनके स्थान, उत्पादनों और क्षेत्रों पर पड़ने वाले आर्थिक विकास के प्रभाव का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) : चुने हुए पिछड़े जिलों/क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक एकक केन्द्रीय विनियोग राजसहायता योजना के अधीन अचल पूंजी विनियोग पर 15 प्रतिशत की दर से किन्तु अधिकतम 15 लाख रुपए तक राजसहायता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे जिलों/क्षेत्रों में विद्यमान एककों को विस्तार कार्य के लिये अतिरिक्त अचल पूंजी विनियोग हेतु राजसहायता दी जाती है बशर्ते कि अतिरिक्त विनियोग विद्यमान विनियोग के 10 प्रतिशत से कम न हों। यह एक प्लान-योजना है तथा यह राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेश के प्रशासनों द्वारा क्रियान्वित की जाती है। वस्तुतः राज्य स्तरीय समितियों की सिफारिश पर राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों द्वारा यह राजसहायता दी जाती है और तत्पश्चात् केन्द्रीय सरकार (औद्योगिक विकास विभाग) से यह राशि ले ली जाती है। केन्द्रीय विनियोग राजसहायता योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों को वर्ष 1978-79 के दौरान 15.39 करोड़ रुपए की राशि की प्रतिपूर्ति की गई है। दी गई राजसहायता का राज्य-वार व वर्ष-वार ब्यौरा अनुबंध-1 में दिया गया है।

पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए वर्ष 1978 के दौरान कुल 146 आशय-पत्र व 103 औद्योगिक लाइसेंस जारी किये गए थे जिनका राज्यवार ब्यौरा अनुबंध-2 में दिया गया है।

तकनीकी विकास के महानिदेशालय में वर्ष 1978-79 के दौरान पिछड़े क्षेत्रों के कुल

253 औद्योगिक एकक पंजीयित किए गए जिनका राज्वार ब्यौरा अनुबंध-3 में दिया गया है।

केन्द्रीय सरकार के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार विभिन्न राज्यों के उद्योग निदेशालयों में वर्ष 1978 के दौरान 7741 लघु एकक पंजीयित किये गए थे। लघु क्षेत्र में पंजीयत एककों का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध-4 में दिया गया है।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 4410/79)।

विद्रोही नागाओं की गतिविधियाँ

9326. **श्री पी. एम. सईद :**

श्री निहार लास्कर :

श्री ए. आर. बद्रीनारायण : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विद्रोही नागा चीन और बर्मा से प्रशिक्षण प्राप्त अपनी प्रशिक्षित फौजों का जमाव नागालैंड से जुड़ी बर्मा की सीमाओं पर कर रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या राज्य में उनकी गतिविधियों में खतरनाक रूप से वृद्धि हो रही है;

(ग) क्या इन विद्रोही नागाओं ने सशस्त्र सेनाओं के अनेक सैनिकों को मार दिया था;

(घ) क्या उनके नेता ने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि उसे नागालैंड आने की अनुमति दी जाए; और

(ङ) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने उसके अनुरोध को स्वीकार कर लिया है?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) से (ग) : हाल ही में नागालैंड के समीप भारत-बर्मा सीमा पर भूमिगत नागाओं की कुछ गतिविधियों की रिपोर्ट मिलती रही हैं और नागालैंड के योन और दुएनसांग जिलों में कुछ हिंसक घटनाएं हुई हैं। उन घटनाओं में से एक में बदमाशों द्वारा आसाम राइफल्स गश्ती दल के सात व्यक्ति मारे गए हैं।

(घ) जी नहीं, श्रीमान्।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

कामगार संसद्

9327. **डा. रामजी सिंह :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कारखानों के सुचारु संचालन के लिए श्रमिकों का सक्रिय सहयोग लेने की दृष्टि से कामगार संसद् बनाने के लिए ब्यौरा तैयार कर लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डिस) : (क) से (ग) : श्रमिकों, शहरी श्रमिक वर्ग तथा ग्रामीण गरीबों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन बुलाने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है। विस्तृत ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।

प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में अभाव

9328. **श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति :**

श्री पी. एम. सईद :

श्री ए. आर. बद्रीनारायण : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अर्थशास्त्रियों और औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा सरकार को चेतावनी दी गई है कि पिछले वर्ष से माग में वृद्धि के परिणामस्वरूप प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था में अभाव की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी;

(ख) यदि हाँ, तो उन्होंने इसके समर्थन में क्या क्या कारण रखें हैं; और

(ग) क्या उन्होंने इस बारे में कोई सुझाव लिये हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) (क) से (ग) यद्यपि सरकार को अर्थशास्त्रियों तथा वित्तीय संस्थानों से कोई भी अनौपचारिक सूचना नहीं मिली है, फिर भी ऐसी जानकारी मिली है कि समय समय पर कुछ उद्योगों में कमी रही हैं। सरकार ने कमी को पूरा करने के लिए आयात करने तथा उत्पादन में वृद्धि करने सहित अनेक संभव अभ्युपाय किये हैं।

मध्य प्रदेश के जनगणना कर्मचारियों की ओर से ज्ञापन

9329. **श्री हुकमचन्द कछवाय :**

डा० महादीपक सिंह शाक्य : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें तथा प्रधान मन्त्री को मध्य प्रदेश के जनगणना कर्मचारियो द्वारा 23 जनवरी, 1979 को अपनी समस्याओं के बारे में भारत के रजिस्ट्रार जनरल को दिये गये संयुक्त ज्ञापन की प्रतियां प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो ज्ञापन का ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) और (ख) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

प्रधान मन्त्री और अन्य के साथ गृह मंत्री को जनवरी, 1979 के उत्तरार्द्ध में एक संयुक्त अभ्यावेदन प्राप्त हुआ जिस पर जनगणना निदेशालय मध्य प्रदेश, भोपाल के 112 कर्मचारियों ने हस्ताक्षर किए हैं।

अभ्यावेदन के विषय इस प्रकार हैं।

(क) मध्य प्रदेश जनगणना निदेशालय के 24 कर्मचारियों को बिना कारण अथवा बिना औचित्य के मुअतल कर दिया गया है और यह मुअतली उस कार्यालय के जनगणना कार्यों के भूतपूर्व उपनिदेशक के कहने पर की गई है;

(ख) मुअतली का आदेश इसलिए दिया गया है क्योंकि मध्य प्रदेश जनगणना कर्मचारी संघ उक्त उप निदेशक की अनिय मितताओं और उसके पद के दुरुपयोग को प्रकाश में लाता रहा

है और मुअतली इन अनियमितताओं को छुपाने और कर्मचारियों को आतंकित करने के उद्देश्य से की गई है।

(ग) उक्त उप निदेशक चिकित्सा खर्च की अदायगी के लिए कर्मचारियों के बिल यात्रा भत्ता बिल पास करने में विलम्ब करके और जिन मकानों में कर्मचारी रह रहे हैं उनके मालिकों को डराकर कर्मचारियों को तग करते रहे।

(घ) 24 कर्मचारियों की मुअतली के आदेश रद्द कर दिए जाएं और उक्त उप निदेशक द्वारा की गई तथा कथित अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए जाएं।

कर्मचारियों की मुअतली के आदेश दिये गये थे क्योंकि उन्होंने धरना देकर, नारे लगाकर और उप-निदेशक का घेराव करके केन्द्रीय सचिवालय सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के उपबंध का उल्लंघन किया है जिसमें अन्य बातों के साथ यह व्यवस्था है कि "कोई भी सरकारी कर्मचारी अपनी सेवा से संबंधित मामले में अथवा अन्य सरकारी कर्मचारी के मामले में किसी प्रकार की हड़ताल अथवा हड़ताल के लिए उकसाने अथवा जबरदस्ती अथवा शारीरिक रोक का कार्य नहीं करेगा।" कर्मचारियों को डराने धमकाने का आरोप बचा नहीं है। उप निदेशक के विरुद्ध कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाए गए हैं।

बाद में 22 निलंबित कर्मचारियों ने आँदोलन में भाग लेने के लिये खेद प्रकट किया और अपील की कि उनके निलंबन आदेश रद्द किए जाए। इन अपीलों पर विचार किया गया और उनके मामलों में निलंबन आदेश रद्द कर दिए गए।

प्रशीतन उद्योग के बारे में राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद की सिफारिशें

9330. **श्री जी. बाई. कृष्णन** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् ने प्रशीतन उद्योग के सर्वेक्षण पर कुछ सिफारिशें की थीं; और

(ख) यदि हाँ, तो सर्वेक्षण प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं और उसपर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) (क) आल इण्डिया एयर कंडिशनिंग एण्ड रेफ्रीजिरेशन एसोसिएशन आफ इण्डिया के अनुरोध पर नेशनल काऊंसिल आफ एप्लाइड इक्नामिक्स रिसर्च ने रेफ्रीजिरेशन उद्योग के सर्वेक्षण की रिपोर्ट तैयार की है।

(ख) नेशनल काउंसिल आफ एप्लाइड इक्नामिक्स रिसर्च ने निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले हैं :

(1) कुछ वर्षा में रेफ्रीजिरेटरों की उत्पादन लागत में वृद्धि हुई है।

(2) मूल्यों को कम करने के लिए अल्पावधि उपलब्ध विकल्प यह है कि उत्पादन तथा अन्य अप्रत्यक्ष करों जैसे बिक्री कर में कमी की जाये। कर में कमी होने से माँग में वृद्धि होगी और उत्पादन लागत में बढ़ी हुई क्षमता उपयोगिता के कारण अनुपातत: कमी होगी।

परिषद ने मोटेतौर पर उत्पादन शुल्क तथा अन्य अप्रत्यक्ष करों में काफी कमी करने के लिये उद्योग के विचारों से सहमति व्यक्त की है।

परिषद की रिपोर्ट आल इंडिया एयर कंडिशनिग एन्ड रेफ्रिजिरेशन एसोसिएशन आफ इंडिया को प्रस्तुत की गई थी न कि भारत सरकार को।

"भारत के भविष्य के लिए सामग्री" के बारे में वर्कशाप

9331. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ**। क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि 'भारत के भविष्य में सामग्री' के बारे एक पाँच द्विसीय वर्कशाप हाल में त्रिवेन्द्रम में आयोजित हुई थी,

(ख) यदि हां, तो भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या का विभागवार ब्यौरा क्या है,

(ग) सामग्री का उपयोग करने के बारे में वहां बनी आम राय का ब्यौरा क्या है, और

(घ) यदि 'वर्कशाप' ने सरकार को कोई सिफारिशें की हैं, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्रालय तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) (क) जी हां।

(ख) इस कार्यशाला में 60 व्यक्तियों ने भाग लिया। भाग लेने वाले संगठनों की एक सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत है। (विवरण सं० 1)

(ग) और (घ) एक वक्तव्य सदन के पटल पर प्रस्तुत है जिसमें कार्यशाला में बनी आम राय को शामिल करते हुये कार्यशाला द्वारा की गई सिफारिशें दी गई हैं। (विवरण सँ० 2)

विवरण एक

भाग लेने वाले संगठन

1. हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड, बंगलौर
2. सीमेंट रिसर्च इन्स्टीट्यूट, नई दिल्ली
3. नेवल डाकयार्ड, बम्बई
4. केरल फोरेस्ट रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पीची
5. कालेज आफ इन्जीनियरिग, त्रिचूर
6. योजना आयोग नई दिल्ली
7. विक्रम साराभाई स्पेस सेन्टर, त्रिवेन्द्रम
8. एम. ई. सी. ओ. एन., राँची
9. भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्ज लिमिटेड, हरिद्वार
10. केरल स्टेट इन्डस्ट्रियल डिवेल्पमेंट कार्पोरेशन, त्रिवेन्द्रम
11. रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी, त्रिवेन्द्रम
12. रुड़की विश्वविद्यालय
13. इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ साइंस, बंगलौर
14. कालेज आफ इन्जीनियरिंग, त्रिवेन्द्रम
15. डायरेक्टोरेट आफ टैक्नीकल एजूकेशन, केरल सरकार
16. हिन्दुस्तान एल्युमिनियम कार्पोरेशन, उत्तर प्रदेश
17. प्लानिंग बोर्ड, केरल सरकार

18. डिफेन्स मैटलर्जीकल रिसर्च लेबोरेटरी, हैदराबाद
19. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार
20. इंगलिश इंडिया कालेज, त्रिवेन्द्रम
21. नेशनल मैटलर्जीकल लेबोरेटरी, जमशेदपुर
22. ट्रावनकोर टाइटेनियम प्रोडक्ट्स, त्रिवेन्द्रम
23. पटेल एक्शट्रशन ग्रुप, बम्बई
24. केरल स्टेट इलैक्ट्रानिक्स डिवेल्पमेंट कार्पोरेशन, त्रिवेन्द्रम
25. भामा एटोमिक रिसर्च सेन्टर, बम्बई
26. केरल स्टेट कमिटि आन साइंस एण्ड टेक्नोलोजी
27. नेशनल रबड़ बोर्ड
28. श्री चित्रा तिरुणाल मैडिकल सेन्टर
29. इण्डियन रबड़ मैन्युफैक्चरर रिसर्च एसोसिएशन, बम्बई
30. परिवहन विभाग, केरल सरकार
31. नेशनल ट्रेफिक प्लानिंग एन्ड आटोमेशन सेन्टर

विवरण--दो

19-23 मार्च 1979 तक त्रिवेन्द्रम में हुई "भारत में भविष्य में सामग्री के महत्व पर कार्यशाला की सिफारिशें ।

सामाजिक-आर्थिक आवश्यकताओं और राष्ट्र के लिए आवश्यक सामग्री के बारे में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने की राष्ट्रीय आवश्यकता को स्वीकार करते हुए ।

इस तथ्य को ध्यान देते हुए कि शताब्दी के अन्त तक भारत की जनसंख्या लगभग दुगनी हो जाएगी और उसके लिए इस प्रकार और अधिक सामग्री की आवश्यकता होगी ।

इस तथ्य की आवश्यकता का अनुभव करते हुए कि राष्ट्र को विभिन्न क्षेत्रों में प्रमुख प्रौद्योगिकीय पारवेधन करना है,

इस बात की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए कि देश में अनुसंधान और विकास कार्य को व्यापक और परिष्कृत बनाया जाना है ।

इस बात की ओर ध्यान देते हुए कि अनेक स्रोत केवल हमारे उपयोग में कुछ ही समय के लिए हैं और हो सकता है कि कुछ वर्षों के बाद वे हमें उपलब्ध नहीं होंगे,

स्थानीय रूप से और देश में ही उपलब्ध स्रोतों के उपयोगीकरण के प्रोत्साहन देने की आवश्यकता पर बल देते हुए,

इस बात को अनुभव करते हुए कि प्रत्येक व्यक्ति को अपशिष्ट सामग्रियों के पुन: चक्रीयन को प्रोत्साहन देना चाहिए,

हम निम्नलिखित सिफारिशें कराते हैं :

1. सभी पदार्थों के बारे में अनुसंधान, उत्पादन, उपयोग, निर्यात, आयात और पुन: चक्रीयन पर परामर्श देने के लिए एक नेशनल मैटीरिल्स एडवाइजरी बोर्ड (राष्ट्रीय पदार्थ सलाहकार

मंडल) का गठन किया जाना चाहिए। इस मण्डल के सदस्य पदार्थ वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी-विद होने चाहिए। ऐसे मण्डल को सरकार को आयात और निर्यात के बारे में और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पदार्थों के भण्डारन के बारे में सलाह भी देनी चाहिए। इस मंडल को सामजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण और कम पाये जाने वाले पदार्थों के इस्तेमाल जहाँ कि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध पदार्थों का उपयोग किया जा सकता है को रोकने के लिए नीतियां तैयार करनी चाहिए।

2. राष्ट्रीय पदार्थ सलाहकार मण्डल के अतिरिक्त, क्षेत्रीय पदार्थ सलाहकार मण्डलों का होना भी आवश्यक है। ये क्षेत्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय स्रोतों के उपयोग के बारे में परामर्श देंगे। एक क्षेत्रीय उपागम राष्ट्रीय उपागम का अंग और पूरक होगा और यह अनेक ऐसे अत्यावश्यक रूप से किए जाने वाले कार्यों को उजागर करेगा जो कि अन्यथा नष्ट हो जाते।

3. यह आवश्यक है कि 2000 वर्ष और इससे भी अधिक तक विभिन्न पदार्थों के उत्पादन के लिए दीर्घकालीन लक्ष्य नियत किए जाने चाहिए और इन्हें सतत रूप से जारी रखा जाना चाहिए, अल्पकालिक कमी या अधिशेषें का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। हमारा ध्येय लगभग 10 करोड़ टन इस्पात, 12 करोड़ टन सीमेंट और 50 लाख टन एलुमिनियम के उत्पादन का होना चाहिए। अन्य सामग्रियों, विशेषत: जिनका विनिर्माण लघु और असगठित क्षेत्र में किया जाता है, उदाहरणत: टाईल, ईंटों और चीनी की मिट्टी के बर्तन, के लिए भी इसी प्रकार के ध्येय निश्चित किये जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त सामग्रियों के उपयोग और स्वामित्व के हमारी जनता के सभी वर्गों में समान वितरण के लिए प्रयास करने चाहिएं।

4. सामग्री विज्ञान को एन. सी. एस. टी. भविष्य की पैनल के लिए अध्ययन के एक विषय के रूप में शामिल किया जाना चाहिए।

5. कृषि और वन उत्पाद, रेत, पंक, चिकनी मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी और समुद्र पर आधारित स्रोतों जैसे पुन: नवीनीकरण योग्य और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध स्रोतों पर आधारित सामिग्रियों के विकास की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

6. कृषि और खाद्य प्रक्रियन उद्योगों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिये आवश्यक सामग्रियों को और अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

7. सामग्रियों से सम्बद्ध प्रौद्योगिकियों के प्रयोग शालाओं से उद्योगों में स्थानान्तरण के बारे में और अधिक प्रयास किये जाने चाहिएं :

8. पदार्थ वैज्ञानिकों को किफायती भवन निर्माण सामग्रियों से सम्बद्ध वैज्ञानिक समस्याओं की ओर अत्यधिक ध्यान देना चाहिए।

9. पंक, चिकनी मिट्टी, टाइलों, छप्पर (घास-फूस) और अन्य पत्ते इत्यादि जिनका गरीब लोग मकान बनाने के लिए प्रयोग करते हैं के निष्पादन में सुधार लाने की और अत्यधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

10. समाज द्वारा इस्तेमाल में लाई जाने वाली सभी सामग्रियों के कुशल पुन: चक्रीयन के लिए संगठित उद्योग स्थापित किये जाने चाहिएं।

11. विभिन्न पदार्थों से सम्बद्ध प्रौद्योगिकीविदों को आपस में विचारों को आदान-प्रदान

करना चाहिये, ताकि किसी एक विशेष पदार्थ के लिए विकसित प्रौद्योगिकयां तुरन्त दूसरे पदार्थों के लिए स्थानांतरित की जा सकें।

12. अखिल भारतीय स्तर की एक मैटीरियल्स रिसर्च इन्स्ट्टीयूट (पदार्थ अनुसंधान संस्थान) की स्थापना की जानी चाहिये जिसमें विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों, शहर के गरीब वर्गों और कृषकों के लिए पुनः नवीनीकरण योग्य और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध स्रोतों पर आधारित पदार्थों पर अनुसंधान और विकास करने की अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की क्षमता हो। परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष के लिये पदार्थों पर काम कर रहे बहुत से वैज्ञानिकों की ही भांति इस प्रकार की संस्था में भी बहुत से वैज्ञानिक होने चाहिएं।

13. एक नेशनल मैटीरियल्स रिसर्च इन्स्टीट्यूट (राष्ट्रीय पदार्थ अनुसंधान संस्थान) के अतिरिक्त क्षेत्रीय स्रोतों और सामाजिक आवश्यकताओं पर कार्य करने के लिए कई क्षेत्रीय पदार्थ अनुसंधान संस्थाओं की भी स्थापना की जानी चाहिए।

14. पदार्थ विज्ञान (मैटीरियल साईंस) के पाठ्यक्रमों में, जिसमें कि कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के लिएपदार्थों के विकास के लिए पुनः नवीनीकरण योग्य और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध स्रोतों के इस्तेमाल पर बहुत अधिक बल दिया गया है, को और अधिक विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाना चाहिए। ऐसे पाठ्यक्रमों में भारतीय स्रोतों, भारतीय विनिर्माण क्षमता और भारतीय महत्ता का विवरण भी शामिल किया जाना चाहिए।

15. एक अभिकल्प क्षमता के सम्वर्द्धन के प्रयास किए जाने चाहिएँ जो कि इलेक्ट्रानिकी के क्षेत्र में हुए सूक्ष्मीकरण की भांति, सभी उपयोगों में पदार्थों की आवश्यकता में कमी के साथ-साथ सूक्ष्मीकरण का भी सम्वर्द्धन करेगी।

16. सुरक्षा के कारकों के पुनः परीक्षण और जहां तक सम्भव हो उन्हें कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए जो कि निरीक्षण की सुधरी हुई क्षमता के द्वारा ही सम्भव हो सकता है।

17. चांदी, पारा, क्रोमियम और मैंगनीज जैसे कम पाये जाने वाले पदार्थों के निर्यात और यहां तक कि लोह अयस्क और बाक्साइट के निर्यात में भी कमी की जानी चाहिए।

18. अयस्कों और दूसरे कच्चे माल के निर्यात की बजाए तैयार किए हुए या अर्द्ध तैयार किये गए उत्पादों का निर्यात किया जाना चाहिए। वास्तव में, भारत को तो अयस्क आयात करने के क्षेत्रों का अभिनिर्धारण करना चाहिए और अपनी विपुल जन-शक्ति के उपयोग से तैयार माल का निर्यात करना चाहिए।

19. सौर ऊर्जा, जीव भार ऊर्जा, और समुद्र ऊर्जा जैसे ऊर्जा के नवीनीकरण योग्य और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध स्रोतों के उपयोग से सामग्रियों के उत्पादन पर अनुसंधान और विकास कार्य को प्रोत्साहित करने के प्रयास किए जाने चाहिएं। पदार्थ उद्योग के क्षेत्र में सौर ऊर्जा के उपयोगीकरण के सम्वर्द्धन के लिए बहुत से वैज्ञानिकों को एक ही संस्था में एकत्रित किया जाना चाहिये।

20. ऐसी प्रक्रियाओं का विकास करने के प्रयास किये जाने चाहिएं जिनमें पदार्थों के प्रक्रियन या निष्कर्षण में कम ऊर्जा की खपत हो, और उन प्रक्रियाओं को हमारे उद्योगों में

अपनाया जाना चाहिए ।

21. अतिचालकता पर अनुसंधान और विकास प्रयासों को तीव्र किया जाना चाहिए, विशेषत: ऐसे कार्बनिक अतिचालकों का विकास करने के प्रयासों को तीव्र किया जाना चाहिए जिनका संचालन लिक्विड नाइट्रोजन तापमान या सामान्य तापमान पर भी किया जा सके ।

22. भारत के इर्द-गिर्द के समुद्रों में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए और उसका उपयोग समुद्र से विभिन्न प्रकार के रसायनों और धातुओं का उत्पादन करने के लिए महासागरीय ताप ऊर्जा कम्पलैक्सों की स्थापना करने के बारे में बहुत अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए ।

23. कृषि और वनों पर आधारित पदाथों के उपयोग से संघटक पदार्थों के उपयोग पर बहुत अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए ।

24. स्वास्थ्य परिचर्या के लिए आवश्यक जीव-आयुर्विज्ञान पदार्थों के विकास के लिए राष्ट्रीय प्रयास किए जाने चाहिए :

25. पोलिमर, जिनका उत्पादन काजू के छिलके के तेल जैसे कृषि संसाधनों से किया जा सकता है, की ओर अत्यधिक ध्यान दिया जाना चाहिए ।

26. पश्चिमी देशों में विकसित किए गए मिश्र धातु संघटनों का उधार लेना जारी रखने के स्थान पर, हमें तांबा, शीशा, जस्त और टिन की बजाए लोहा, सिलिकान, टाईटेनियम जैसी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध धातुओं पर आधारित मिश्र धातु संघटनों का विकास करना चाहिए ।

27. चुम्बकीय, पदार्थों, इलेक्ट्रानिक पदार्थों और दूसरे संरचनात्मक पदार्थों में दुर्लभ मृदाओं और उनके आक्साइडों के उपयोग को बढ़ाने के लिए अनुसंधान किए जाने चाहिए ।

28. टाईटेनियम जैसी अभिक्रियाशील धातुओं के नए असैनिक उपयोगों का विकास किया जाना चाहिए ।

29. प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन को बढ़ाया जाना चाहिए और समाज में रबड़ उत्पादों के इस्तेमाल का सम्वर्द्धन किया चाहिये क्योंकि यह एक नवीनीकरण योग्य स्रोत है । रबड़ का एक व्यापक भण्डार बनाया जाना चाहिए ।

30. जहां कहीं भी सम्भव हो, धातुओं के स्थान पर सिरेमिकों और कांच के उपयोग का सम्वर्द्धन किया जाना चाहिए । मोटर गाड़ियों और भवनों में काँच के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए । संचार के लिए काँच के तंतुओं का देश में ही विकास किया जाना चाहिये ।

31. बिजली सहित कच्चे माल को पदार्थों का उत्पादन करने वाले संयन्त्रों को उपलब्ध कराया जाना चाहिये ताकि उनका संचालन उनकी निर्धारित क्षमता से नीचे न जाने पाये ।

32. ग्रामीण क्षेत्रों में पदार्थों के वर्तमान और सम्भावी भविष्य में उपयोग और स्वामित्व पर एक अध्ययन किया जाना चाहिये और ग्रामीण क्षेत्रों में पदार्थों के उपयोग को युक्ति संगत बनाने के प्रयास किये जाने चाहिये । ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक अधिकांश सामग्रियों को शहरों से वहां भेजने की बजाय स्थानीय तौर पर ही तैयार किये जाने के प्रयास किये जाने चाहिये ।

33. सामग्रियों के स्वामित्व और उपयोग का वितरण जनता के सभी वर्गों में समान रूप से किया जाना चाहिये ।

34. समुद्र में धातुओं और खनिजों को निकालने के अधिक से अधिक प्रयास किये जाने चाहियें, विशेष तौर पर हिन्द महासागर में मैंगनीज की ग्रंथिकाओं का दोहन करने और उनसे बहुमूल्य धातु तैयार करने के प्रयास किये जाने चाहिये।

35. परिवहन प्रणाली में इस्पात के स्थान पर एल्युमिनियम, मैगनीसियम और एफ० आर० पी० का उपयोग करके भार कम करने के प्रयास किये जाने चाहियें और परिवहन के दौरान ऊर्जा की खपत को कम किया जाना चाहिये।

36. संगलन (फ्यूजन) रियेक्टरों के लिये सामग्रियों का विकास करने के अधिक से अधिक प्रयास किये जाने चाहिये।

37. भारतीय शहरों से शहरी अपशिष्टों से मूल्यवान पदार्थों को पृथक किया जाना चाहिये और उनका बाद में पुन: चक्रीयन किया चाहिये।

38. छोटे संयंत्रों में शीत प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करके सीमेंट के उत्पादन की सम्भावनाओं का पता लगाया जाना चाहिये।

39. ऐसी जीवन शैली का संवर्द्धन किया जाना चाहिये जो कि पदार्थों के उपयोग और उनके स्वामित्व को कम करता हो। स्कूली बच्चों को पदार्थों के लिये संसाधनों के अभाव के बारे में और पदार्थों के संरक्षण की महत्ता के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिये।

40. इस कार्यशाला की सिफारिशें पदार्थों के क्षेत्रों में उत्पादन, उपयोग, पदार्थों के क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास और शिक्षण से सम्बद्ध सभी अभिकरणों को भेजी जानी चाहिये। इस क्षेत्र में नवीनतम सुधारों को ध्यान में रखते हुये, सिफारिशों को अद्यतन करने के लिये ऐसा सम्मेलन समय-समय पर, सम्भवत: प्रत्येक वर्ष में एक बार, होना चाहिये।

हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन काम करने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

9332. **श्री कचरलाल हेमराज जैन** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन विभिन्न हिन्दी शिक्षण केन्द्रों में, विभिन्न कार्यालयों में तथा राजभाषा विभाग अधिकारियों के साथ, अलग-अलग श्रेणी चार के कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं ;

(ख) उनमें से कितनों को वर्दियां दी गई है ;

(ग) उनमें से कितने दफ्तरी हैं ;

(घ) क्या दफ्तरी के पद पर पदोन्नत किये गये कर्मचारियों को चपरासी का काम करना पड़ता है ; और

(ङ) यदि हाँ, तो क्या यह उनके साथ अन्याय नहीं है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन काम कर रहे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सम्बन्ध में ब्यौरेवार जानकारी नीचे लिखे अनुसार है :

विभिन्न अधिकारियों कार्यालयों के नाम	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की संख्या
(1) संयुक्त निदेशक का कार्यालय, नई दिल्ली।	2

(2)	उपनिदेशक (उत्तर) का कार्यालय और उनके अधीनस्थ केन्द्र ।	21
(3)	उपनिदेशक (दक्षिण) का कार्यालय और उनके अधीनस्थ केन्द्र ।	14
(4)	उपनिदेशक (पूर्व) का कार्यालय और उनके अधीनस्थ केन्द्र ।	17
(5)	उपनिदेशक (मध्य) का कार्यालय और उनके अधीनस्थ केन्द्र ।	19
(6)	उपनिदेशक (पश्चिम) का कार्यालय और उनके अधीनस्थ केन्द्र ।	18

संयुक्त निदेशक, नई दिल्ली के कार्यालय का एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संयुक्त सचिव (राजभाषा) के साथ कार्यरत है। व्यावहारिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था कई वर्षों से लागू है।

(ख) 69 कर्मचारियों को ।

(ग) 2 कर्मचारी ।

(घ) और (ङ) : चपरासी व दफ्तरी, दोनों ही चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं । सन् 1978 तक सरकारी कार्यालयों में चपरासी के नए पद स्वीकृत किए जाने अथवा रिक्त पदों को भरे जाने पर प्रतिबन्ध था । तथापि, सरकार की यह नीति रही है कि चपरासी के पद से यथा संभव दफ्तरी के पद पर होने वाली पदोन्नतियां न रोकी जाए । चपरासी के रिक्त पदों को भरे जाने पर प्रतिबंध होने के कारण कभी कभी सरकारी कामकाज की सुगमता के लिये दफ्तरियों से चपरासी का काम लेना आवश्यक है ।

जबरदस्ती धर्म परिवर्तन सम्बन्धी शिकायतें

9333. **श्री हरीराम मक्कासर गोदरा** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को प्रोत्साहन तथा अन्य प्रलोभनों की आड़ में जबरदस्ती मत और धर्म परिवर्तन किये जाने के बारे में शिकायतें मिली हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और किन स्थानों तथा व्यक्तियों से वे प्राप्त हुई ;

(ग) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि इस हेतु करोड़ों रुपया देश में बहाया जा रहा है; और

(घ) यदि हां तो इन गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनिक लाल मण्डल) (क), (ख), (ग) और (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन के पटल पर रख जायेगी ।

सीमेंट के आयात के लिए दरें

9334. **श्री गंगा भक्त सिंह** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978 में कितनी मात्रा में सीमेंट खरीदा गया तथा किन दरों पर और किन देशों के साथ अनुबन्ध किए गए और किन दरों पर देश में सीमेंट का आयात किया गया;

(ख) क्या सीमेंट की खरीद और अनुबन्ध के लिए प्रस्ताव मिलने के बावजूद राज्य व्यापार निगम ने भारतीय और विदेशी एजेंटों के माध्यम से सीमेंट खरीदा है और यदि हां, तो कितनी मात्रा में सीमेंट खरीदा गया तथा किन दरों पर और किन पार्टियों से खरीदा गया और किन तिथियों को खरीदा गया; और

(ग) इस सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राप्त होने पर खरीद के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) (क) 1978 में भारतीय राज्य व्यापार निगम ने 54.71 से 67.50 तक प्रति मी0टन अमेरीकी डालर (लागत तथा भाड़ा) की भिन्न-भिन्न दरों पर जापान, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, तथा पोलैंड से 19.20 लाख मी० टन सीमेंट खरीदने के संविदा की थी।

(ख) भारतीय राज्य व्यापार निगम ने सीमेंट का आयात किसी भारतीय अथवा विदेशी अभिकरण के माध्यम से नकरके सीधे ही विदेशी संभरणाकर्ताओं से किया है।

(ग) सीमेंट क्रय, समिति, जिसमें सीमेंट नियंत्रक तथा उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय तथा भारतीय राज्य व्यापार निगम के वरिष्ठ अधिकारी होते है, जब कभी कोई प्रस्ताव प्राप्त होता है, उस पर विचार करती है, और सिफारिशें करती हैं तथा उन के आधार पर भारतीय राज्य व्यापार निगम द्वार संविदा की जाती है।

विभिन्न किस्म की रूई के मूल्यों में कमी :

9335. **श्री आर. मोहन रंगम :**

श्री आर. कोलनथाईवेलू :

श्री सी. एन. किरनाथन :

श्री सी. वेनुगोपाल :

श्री के. मायातेवर :

श्री ए. बालापजनौर : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व वर्षों की तुलना में गत 12 महीनों में विभिन्न किस्म की रूई के मूल्यों में कितनी कमी हुई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : पिछले चार वर्षों में रूई की कुछ महत्वपूर्ण किस्मों के मासान्त स्पाट मूल्य नीचे दिये गये हैं। पिछले 12 महीनों में रूई के मूल्यों में आई विभिन्नताओं को कालम 6 में दर्शाया गया है।

(मूल्य प्रति कैंडी रु० में)

किस्म	मार्च 1976	मार्च 1977	मार्च 1978	मार्च 1979	मार्च, 79/मार्च, 78 के बीच की भिन्नता का प्रतिशत
बंगला देशी	1691	2841	2600	2400	(—) 3.7
वागड	2125	3700	2575	2385	(—) 7.4
कल्याण	2460	3987	2900	2610	(—) 10.0
एम. पी. ए. 01/9	2800	4625	3500	3525	(—) 0.7
दिग्विजय	3350	4825	4050	3925	(—) 3.1

जे —34	—	—	2585	2745	(+) 6.2
एम. सी. यू—5	4200	5500	4850	4975	(+) 2.6
शंकर—4	4500	5900	5150	5000	(—) 2.9

धर्मपुर, हिमाचल प्रदेश में एक लघु सीमेंट संयंत्र की स्थापना :

9336. **श्री दुर्गा चन्द** :क्या **उद्योग मंत्री** 7-3-79 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2305 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में धर्मपुर में एक लघु सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के लिए सीमेंट अनुसंधान संस्थान का व्यवहार्यता प्रतिवेदन तैयार है; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) (क) सीमेंट रिसर्च इन्स्टीट्यूट द्वारा धरमकोट (न कि धरमपुर जैसा प्रश्न में उल्लेख किया गया है) में एक मिनी सीमेंट संयंत्र की स्थापना करने के लिये समान्यता रिपोर्ट तैयार कर ली गई है तथा 24 अप्रैल, 1979 को उसे उद्योग निदेशक, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला को भेज दिया गया है।

(ख) रिपोर्ट के सरांश तथा निष्कर्ष का विवरण संलग्न है।

विवरण

(1) धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश के निकट धर्मकोट में भारी चूनापत्थर के निक्षेपों पर आधारित उद्योग विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार ने, सीमेंट रिसर्च इन्स्टीच्यूट आफ इण्डिया के साथ उस क्षेत्र में उपयुक्त क्षमता के एक मिनी सीमेंट संयंत्र की स्थापना करने हेतु एक समान्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक परियोजना प्रायोजित की थी।

(2) जुलाई, 1978 के दौरान सी. आर. आई. के वैज्ञानिकों द्वारा चूना पत्थर के निक्षेप तथा धर्मकोट और धर्मशाला के आसपास के क्षेत्र की जांच की गई थी। समान्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिये अपेक्षित चूना पत्थर के इकट्ठे नमूनों, भूमि तथा अन्य आंकड़े एकत्रित किये गये थे।

(3) सीमेंट की माँग तथा धर्मशाला के आसपास किये गये बाजार सर्वेक्षण से यह पता चला कि दीर्घावधि आधार पर धरमकोट से 100 किलोमीटर के अन्दर ही पर्याप्त बाजार की संभाव्यता विद्यमान है।

(4) भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण द्वारा निक्षेपों का विस्तार से की गई खुदाई से उपलब्ध आंकड़ों तथा सी. आर. आई. के वैज्ञानिकों द्वारा किये गये अध्ययन ने यह संकेत दिया था कि उस क्षेत्र में सीमेंट रोड चूना पत्थर का पर्याप्त रिजर्व विद्यमान है। सी. आर. आई. में थोक नमूनों के विश्लेशण से पता लगाये गये चूना पत्थर की औसत रासायनिक मिलावट नीचे दी जाती है :

एस.आई.ओ.2%	ए.आई.$_2$ओ.3%	एफ.ई.$_2$ओ.3%	सी.ए.ओ.0%	एम.जी.ओ.%	एल.ओ.आई%
12.55	0·71	1.93	45.35	1.58	36.71

(5) भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण के द्वारा विस्तार से की गई खुदाई से उस क्षेत्र में 50 एम की गहराई तक 130 लाख मी. टन तक चूना पत्थर मिलने का पता चलता है। सी. आर. आई.

द्वारा लगाया गया गहन अनुमान यह बताता है कि धर्मकोट का पहाड़ी में 10 सम की गहराई तक लगभग 28 लाख मीटरी टन तक चूना पत्थर उपलब्ध होगा ।

(6) चूँकि धर्मकोट की पहाड़ी में ढलान के साथ-साथ चूना पत्थर निरन्तर निकलता रहता है, व उत्तरी धर्मशाला (मेकलोडगंज) से सड़क द्वारा पहुँचाया जा सकता है, उसका खनन किये जाने से कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी फिर भी डी. पी. आर. (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के स्तर के दौरान चूना पत्थर की और अधिक थोक नमूने लेने तथा उपयुक्त खनन ब्लाकों का निरूपण करने की सिफारिश की जाती है । वास्तविक खनन का सुझाव दिया गया है ।

(7) चूना पत्थर के भूमि पर आने की लागत प्रति मीट्रिक टन 15 रुपये निकाली गई है ।

(8) चूना पत्थर के समीप ही चीनी मिट्टी के निक्षेप उपलब्ध हैं किन्तु चूना पत्थर सिलीमियस होने के काण धर्मकोट के चूना पत्थर में चीनी मिट्टी को मिलाने की कोई गुंजायश नहीं है ।

(9) लाइटरेट के रूप में चूना पत्थर के औसत मिश्रण में लगभग 35 प्रतिशत ए. आई$_2$ ओ$_3$, 20 प्रतिशत एफ. ई$_2$ ओ.$_3$ का समावेश मान लेने पर उपयुक्त कच्चा मिश्रण प्राप्त करने के लिये 35 प्रतिशत से अधिक एस. आई. ओ.$_2$ की आवश्यकता है। इस प्रकार की कोई लाटेराइट निकट उपलब्ध नहीं थी कि काँगड़ा की पहाड़ी में उपर्युक्त अनुमानित मिश्रण का कुछ चूना पत्थर लाइटरेट पाया गया है । लाइटरेट के इस प्रकार के स्रोत्र धर्मशाला से 20 किलोमीटर ले अधिक दूर नहीं होना चाहिए तथा इस प्रकार के लाइटरेट को वहाँ पहुँचाने पर भेजने की अनुमानित लागत प्रति मीट्रिक टन 30 रुपये से अधिक नहीं होगी ।

(10) जिप्सम राजस्थान के बीकानेर में प्राप्त करना पड़ेगा । प्रस्तावित संयंत्र स्थल पर इस जिप्सम की कुल तटागत लागत 155 रुपये प्रति मी० टन होगी हिमाचल प्रदेश के मण्डी गिरपउ जिलों में जिप्सम स्रोतों में उपयोग की विभव-सम्पन्नता है ।

(11) कोक ब्रीज राउरकेला इस्पात संयंत्र से प्राप्त करना पड़ेगा, क्योंकि कोक ब्रीज के समीप्य स्कीन भिलाई इस्पात संयंत्र के पास बेचने के लिए फालतू कोक ब्रीज नहीं है । राउरकेला के समीप स्थल तक कोक ब्रीज लाने की तटागत लागत लगभग 250 रुपये प्रति मीट्रिक टन होगी ।

(12) 83.5 चूना पत्थर, 5.0% लेटरियेट तथा 11.5% कोक ब्रीज से एक प्रारम्भिक रा-मिश्र डिजाइन बनाया गया था । सीमेन्ट रा-मिक्स के लिए औसत रसायनिक मिलावट निम्न-लिखित होगी :

एल.ओ.आई.%	एम.आई.ओ.$_2$%	ए.आई.$_2$ओ.$_3$%	एफ.ई.$_2$ओ.$_3$%	सी.ए.ओ.%	एम.जी.ओ%
39.53	13,46	3.32	2.63	38.75	1.56

सभी निश्चयात्मक मूल्य उपर्युक्त रा-मिल मिश्रण से मानक सीमा में ठीक हैं ।

(13) सीमेन्ट के लिए माँग की अवस्थापना सम्बन्धी सुविधा उपलब्ध होने तथा धर्मकोट के आसपास चूना पत्थर के पर्याप्त भण्डार होने के कारण एक 100 टी.पी.डी. वाला मिनी सीमेन्ट संयंत्र पूरी तरह से न्यायसंगत है

(14) निक्षेप से लगभग 2 किलोमीटर तथा मक्लान्डगंज, जहां राज मार्ग 23 भी समाप्त

होता है, से 4 किलोमीटर दूर नाड्डी पर संयंत्र स्थल बनाने का प्रस्ताव किया गया है।

(15) विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सीमेंट उत्पादन की वर्टिकल शाफ्ट क्लिन प्रक्रिया की सिफारिश की गई है।

(16) इस प्रक्रिया के लिए आवश्यक सभी उपकरणों व मशीनों की मुख्य बिशिष्टताएँ तैयार कर ली गई हैं। ये सभी उपकरण व मशीनों देश में उपलब्ध हैं।

(17) तकनीकी, प्रशासनिक/लेखा तथा संयंत्र चलाने के लिए श्रमिकों सहित सयंत्र के लिए कुल 89 कार्मिकों की आवश्यता समझी जाती है।

(18) अनुमानी है कि परियोजना पर कुल पूंजीगत लागत 129.44 लाख रुपए की आएगी। इक्विटी पूँजी व दीर्घ अवधि के ऋण पर क्रमश: 45.30 लाख रुपए व 84.14 लाख रुपए व्यय होंगें।

(19) कार्यकारी पूँजी के लिए सीमान्त राशि व अल्प अवधि के ऋण पर क्रमश: 4.64 लाख रुपए व्यय होंगे व 6.95 लाख रुपए का व्यय होने का अनुमान है।

(20) सीमेंट की प्रति मी० टन उत्पादन लागत 255.18 रुपए आएगी। हिमाचल प्रदेश में सीमेंट के विद्यमान विक्री मूल्य 498.70 रुपए प्रति मी० टन है इसके अनुसार यदि कारखाने में सीमेंट बेची जाए तो 170.33 रुपए प्रति मी० टन लाभ होगा और यदि कारखाना स्थल की 100 किलोमीटर की परिससभा में बेचा जाए तो 120.33 रुपए प्रति मी. टन लाभ होगा। हानि रहित स्थिति 49.8 प्रतिशत बैठती है।

(21) धरम कोट क्षेत्र के चूने के पत्थर के भण्डारों का उपयोग करके नाडी में छोटे सीमेंट संयंत्र की स्थापना से स्थानीय संसाधनों का उपयोग करने व पिछड़े क्षेत्र के औद्योगिकरण को सहायता मिलेगी और इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा।

ये वजनदार कारक धर्मकोट क्षेत्र में प्रस्तावित छोटे सीमेंट संयंत्र की स्थापना को उचित ठहराते हैं।

मध्य प्रदेश के स्वाधीनता सेनानियों को पेंशन

9337. **श्री राघवजी** : : क्या **गृह मंत्री** यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) एक स्वाधीनता सेनानी को उसकी कितनी वार्षिक आय होने पर पेंशन नहीं मिलती हैं;

(ख) मध्य प्रदेश के उन स्वाधीनता सेनानियों के नाम क्या हैं जिनकी पेंशन गत दो वर्षों के दौरान इस आधार पर रद्द की गई थी उनकी वार्षिक आय निर्धारित सीमा से अधिक है;

(ग) देश भर में कितने संसद् सदस्य तथा विधायक इस समय पेंशन पा रहे हैं; और

(घ) क्या पेंशन पाने वाले स्वाधीनता सेनानी को स्वयं ही यह बताना पड़ता है कि उसकी वार्षिक आय उक्त निर्धारित सीमा से बढ़ चुकी है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) (क) 5,000 रु० तथा इससे अधिक प्रतिवर्ष।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) संसद् वर्तमान सदस्य केन्द्रीय स्वतंत्रता सेनानी पेंशन का पात्र नहीं है क्योंकि उसका वेतन 5,000 रु० प्रतिवर्ष से अधिक है। केन्द्रीय योजना के अधीन 59 वर्तमान एम. एल. ए./एम. एल. सी. पेंशन प्राप्त कर रहें हैं।

(घ) जी हाँ श्रीमान्। प्रत्येक वर्ष अप्रैल में पेंशन लेने से पहले स्वतंत्रता सेनानी पेंशन प्राप्तकर्त्ता के लिए अपनी पिछले 12 महीनों के दौरान सभी स्रोतों से वार्षिक आय के बारे में सम्बन्धित महालेखाकार/कोषाधिकारी को अपनी घोषणा देना आवश्यक है।

विवरण

मध्य प्रदेश के उन स्वतंत्रता सेनानियों के नाम जिनकी पेंशन दो वर्षों के दौरान उनकी वार्षिक आय 5,000 रु० की निर्धारित सीमा से बढ़ने के कारण रद्द कर दी गई थी।

1. श्री धर्म चन्द,
   जिला सागर
2. श्री सुन्दर लाल जैन,
   जिला सागर
3. श्री फूलचन्द,
   जिला सागर
4. श्री पदम कुमार जैन,
   जिला सागर
5. श्री वाला प्रसाद मिश्रा,
   जिला सागर
6. श्री हजारी लाल वर्मा,
   जिला रायपुर
7. श्री आत्मा राम चौबे,
   जिला सागर
8. श्री गुलाब चन्द जैन,
   जिला सागर
9. श्री बाबू लाल जैन,
   जिला मांडला
10. श्री बैजनाथ दूबे,
    जिला सीधी
11. श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा,
    जिला टीकम गढ़
12. श्री लछमन दास,
    जिला सागर
13. श्री रतन लाल दूबे,
    जिला वेतुल
14. श्री प्यारे लाल अलवानी,
    जिला जबलपुर
15. श्री राम मिलन पाठक,
    जिला जबलपुर
16. श्री प्रताप भानु सुल्लेरे,
    जिला जबल पुर
17. श्री ब्रजेन्द्र लाल नामदेब,
    जिला जबलपुर
18. श्री कुजी लाल जैन,
    जिला सागर
19. श्री प्रताप चन्द,
    जिला रायसीन

उद्योग मंत्रालय में नैमितिक कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करना

9338. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय तथा उसके अधीन कार्यालय में अधिकांश नैमितिक श्रमिक ऐसे है जो दो से तीन वर्ष की सेवा पूरी कर चूके हैं परन्तु जिन्हें अभी नियमित नही किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे श्रमिकों की सेवाएं नियमित करने के लिए कार्यवाही करने का है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) (क) से (ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

आन्ध्र प्रदेश में जूट मिल विसपोषण

9339 **श्री पी. राज गोपाल नायडू** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि वह सालूर जूट मिल परियोजना के वित्त-पोषण के लिये आई. एफ. सी. आई. ई. को सलाह दे; और

(ख) यदि हाँ, तो उक्त अनुरोध का क्या परिणाम निकला ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) **जी,** हाँ ।

(ख) यह समझा जाता है कि भारतीय औद्योगिक विकास निगम (आई. एफ. सी.आई,) अन्य वित्तीय संस्थानों के परामर्श से कम्पनी के प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही कर रहा है ।

महिलाओं के स्वनियोजन के लिये कृतिक बल

9340. **श्री एम. बी. चन्द्रशेखर मूर्ति :**

श्री निहार लास्कर :

श्रीमती पार्वती देवी :

श्री श्याम सुन्दर लाल :

श्री माधव राव सिन्धिया :

श्री सुरेन्द्र विक्रम : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेष कृतिक बल ने महिलाओं के स्वनियोजन और कार्यक्रम की क्रियान्विति को प्रोत्साहन देने के लिये कार्यक्रम और नीतियां तैयार करने हेतु मंत्रालय में एक संगठन का गठन करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या कृतिक बल ने अपना प्रतिवेदन केन्द्रीय मंत्री को प्रस्तुत कर दिया है;

(ग) इसमें की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इनमें से कितनी सिफारिशों को स्वीकार किया गया है;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) जी, हाँ ।

(ग) एक विवरण संलग्न है ।

(घ) कृतिक-बल (टास्क फोर्स) की सिफारिशें विचाराधीन हैं ।

विवरण

सरकार उद्योग मन्त्रालय के अधीन एक केन्द्रीय संगठन स्थापित करने, जिसे महिलाओं के स्वत: रोजगार के संवर्धन के लिए कार्यक्रम तथा नीतियां बनाने हेतु पर्याप्त रूप में शक्तियाँ प्रदान की जानी चाहिए ।

2. जिला उद्योग केन्द्र योजना में महिला उद्यमियों के लिए स्वत: रोजगार कार्यक्रम का विकास करने हेतु एक अधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिए ।

3. महिलाओं को मोटेतौर पर उनकी आयु शैक्षिक दर्जे और दक्षता पर आधारित तीन समूहों में श्रेणीबद्ध किया जाये तथा प्रत्येक समूह की आवश्यकताओं के अनुरूप स्वत: रोजगार

के संवर्द्धन के लिए अलग-अलग कार्य बनाए जायें ।

4. महिलाओं के लिए प्रत्येक क्षेत्र अथवा सरकार के प्रत्येक विभाग में सभी कार्यक्रमों व परियोजनाओं के अन्तर्गत आवंटन तथा लाभ 25 प्रतिशत से कम निश्चित नहीं होना चाहिए तथा उनका अलग से मानीटर तथा मूल्यांकन किया जाना चाहिए ।

5. यनीसेफ की सहायता से महिलाओं के लिए रोजगार पर गहन कार्य करने हेतु ग्रामीण विकास विभाग द्वारा चुने गए एक सौ विकास प्रखण्डो (ब्लाक) को अपने-अपने महिला मण्डलों में विशेष महिला कामगारों की नियुक्ति करके ग्रामीण महिलाओं को कुशलता तथा शिल्पों में प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

6. उद्योग मंत्रालय के अधीन जिस केन्द्रीय संगठन की स्थापना किये जाने के लिए सिफारिश की गई है, उस संगठन को विभिन्न अभिकरणों द्वारा कार्यान्वित किये जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों के सम्बन्ध में समग्र नीति बनाने को पूरी तरह ध्यान में रखना चाहिए तथा उन अभिकरणों के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए समन्वय करना चाहिए कि परिक्षण सुविधाएं अधिक आवश्यकता वाले स्थलों पर अपेक्षित सीमा तक उपलब्ध करायी जाती है ।

7. राज्य स्तरों पर महिला कल्याण तथा विकास के विकास निगमों व निदेशालयों के स्थापित करने के बारे में महिला रोजगार के लिए योजना आयोग द्वारा गठित कार्सकारी दल द्वारा की गई सिफारिश योजना आयोग में सरकार द्वारा स्वीकार की जाये ।

8. ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं में स्वत: रोजगार के संवर्द्धन के लिए महिला मण्डलों तथा ग्राम व मुख्य सेविका के प्रशिक्षण बहुत ही अच्छे ढंग से बनाए जाने चाहिए ।

वनस्पति तैयार करने के लिए लाइसेंस जारी किया जाना

9341. **श्री धर्मसिंह भाई पटेल** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर राज्य में जुलाई, 1977 में और असम तथा उड़ीसा राज्यों में सितम्बर, 1978 में वनस्पति उद्योग स्थापित करने के लिए लाइसेंस दिये गये थे; और

(ख) यदि हां, तो उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने वनस्पति के उत्पादन के लिए आवेदन-पत्र प्रस्तुत लिये थे और ये आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये थे और वनस्पति की वार्षिक मात्रा, टनों में कितनी है जिसके उत्पादन के लिए इन कम्पनियों ने आवेदन पत्र प्रस्तुत किये थे;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री : (**श्री जगदम्बी प्रसाद यादव**) : (क) और (ख) जम्मू व कश्मीर, आसाम तथा उड़ीसा में वनस्पति का उत्पादन करने हेतु नये उपक्रम स्थापित करने के लिए जुलाई, 1977 व सिसम्बर, 1978 में उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन निम्नलिखित आशय पत्र जारी किए गए थे :

कम्पनी का नाम	उपक्रम का स्थापना स्थल	वार्षिक आवेदित	क्षमता स्वीकृत	आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि	आशय पत्र जारी होने की तिथि
1	2	3	4	5	6
		मी. टन	मी. टन		
1. श्री विजय कुमार महाजन	जम्मू एवं काश्मीर (जम्मू)	4500	4500	8.12.76	4.7.77

2. आसाम स्टेट कोप्रेटिव मार्केटिंग एण्ड कन्यूमर्ज फैड्रेशन	आसाम (उलूबड़ी) (गोहाटी)	11000	15000	18.3.77	8.9.78
3. इण्डस्ट्रीयल प्रौडैक्सन एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन आफ उड़ीसा लिमिटेड	उड़ीसा (भुवनेशवर)	15000	15000	27.12.76	8.9.78

पृथक उत्तराखण्ड राज्य के लिये मांग

9342. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तराखण्ड के लोगों ने 4 दिसम्बर से 8 दिसम्बर, 1978 तक बोट क्लब पर भूख हड़ताल की थी जिसमें गिरफ्तारियाँ की गई थी और यदि हाँ, तो उनकी संख्या कितनी है;

(ख) क्या पृथक उत्तराखण्ड राज्य के लिए उनकी मांग के बारे में कोई प्रस्ताव उनके विचाराधीन है; और

(ग) यदि हाँ, तो उत्तर प्रदेश में यह पृथक राज्य कब तक बनाया जायेगा ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) उत्तराखण्ड को एक अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर उत्तराखण्ड राज्य परिषद ने 4 से 8 दिसम्बर, 1978 तक नई दिल्ली, वोट क्लब पर एक क्रमिक भूख हड़ताल आयोजित की थी। परिषद् के लगभग 50 स्वयं-सेवकों ने गिरफ्दारी दी थी।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बेरोजगार स्नातकों के लिए लघु उद्योगों में रोजगार सम्बन्धी विशेष योजनाएं

9343. **श्री के. एस. वीरभद्रप्पा** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बेरोजगार स्नातकों के लाभ के लिये लघु क्षेत्र के औद्योगिक एककों में जिनके कुल उत्पादकी बिक्री करने की सरकार ने गारण्टी दी है, उनको रोजगार दिलवाने के लिए यदि सरकार द्वारा कोई विशेष योजना तैयार की है तो उसका (राज्यवार) ब्यौरा क्या है; और

(ख) योजनाओं सम्बन्धी तथा उनसे लाभान्वित होने वाले बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या के बारे में ब्यौरा क्या है;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) सरकार द्वारा लघु औद्योगिक एककों में काम दिलाने के लिए बेरोजगार स्नातकों के लाभ हेतु कोई योजना नहीं बनाई गई है। किन्तु बेरोजगार इंजीनियर उद्यमियों के सहायतार्थ ब्याज राजसहायता की एक योजना चालू है ताकि ये उद्यमी अपने ही लघु उद्योग स्थापित कर सकें।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

9344. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के सभी कर्मचारियों ने मजूरी के पुनरीक्षण की माँग के लिए 6 अप्रैल, 1979 को हड़ताल कर दी थी;

(ख) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के कर्मचारियों द्वारा मजूरी सम्बन्धी हड़ताल तथा अन्य सरकारी परियोजनाओं में होने वाली हड़तालों में क्या अन्तर है और श्रमिकों की मजूरी में पुनरीक्षण सम्बन्धी माँग पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) यदि हाँ, तो उक्त हड़ताल के कारण कितने जन-दिवसों तथा उत्पादन की हानि हुई ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मति आभा माईति) : (क) वेतन में संशोधन के मामले पर 6 अप्रैल, 1979 को बी. एच. ई. एल के सभी निर्माण प्रभागों के श्रमिकों ने एक दिन की हड़ताल की ।

(ख) 1.9.1977 से लागू अन्तरिम समझौते के कार्यान्वित होने से बी. एच. ई. एल का वेतन ढाँचा इंजीनियरी क्षेत्र के अन्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में लागू वेतन ढाँचों से भली-भांति मेल खाता है । अन्तरिम समझौता सरकार द्वारा स्वीकृत है ।

(ग) मानव घण्टों के रूप में लगभग 3 63 लाख मानव घण्टों की हानि का अनुमान है तथा एक दिन की हड़ताल के परिणामस्वरूप हुए घाटे का अनुमान लगभग 184 लाख रुपये लगाया गया है ।

दिल्ली में छुरेबाजी के मामले

9345. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत 15 महीनों में राजधानी के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में छुरेबाजी के कितने मामलों की रिपोर्ट की गई;

(ख) उक्त अवधि में छुरेबाजी के मामलों में कितने अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और इस अपराध के लिए कितने व्यक्तियों को सजा दी गई; और

(ग) न्यायालय में ऐसे कितने मामले लम्बित पड़े हैं और उनको शीघ्रता से निबटाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मन्त्रालय तथा विधि न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस. डी. पाटिल) : (क), (ख) और (ग) 1.1.1978 से 31.3.1979 तक की अवधि में छुरेबाजी के 1086 मामलों की पुलिस में रिपोर्ट की गई थी । उपरोक्त मामलों में गिरफ्तार 1403 व्यक्तियों में से, 14 व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया । 586 मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं । मामलों को तत्काल निपटाने के लिए हर सम्भव प्रयत्न किये हैं इसके अतिरिक्त दिल्ली प्रशासन ने अभियोजकों को आम अनुदेश जारी किए हैं कि वे न्यायालयों से अनावश्यक स्थगन न देने का अनुरोध करें ।

परमाणु सुरक्षा सम्बन्धी समिति

9346. **श्री एडुआर्डो फैलीरो** : क्या **परमाणु ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परमाणु शस्त्रों के प्रसार को रोकने के लिये सुरक्षा के उपायों के मामलों की जांच करने के लिये 'कमेटी आफ इण्टरनेशनल इण्टरेस्ट' गठित करने के लिये, जिसके बारे में भारत और अमरीका के बीच सहमति हुई थी, क्या कदम उठाये गये हैं;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में भारत अमरीका वार्ता असफल हो गई है;

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो समिति कब तक स्थापित की जायेगी और काम करने लगेगी ?

रक्षा मन्त्रालय तथा परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मन्त्री (प्रो. शेर सिंह) : (क) सेफगार्ड सम्बन्धी समस्याओं के बारे में एक तदर्थ वैज्ञानिक परामर्शदात्री समिति के गठन का प्रस्ताव अमरीकी अधिकारियों के साथ आगे विचार-विमर्श करने के बाद त्याग दिया गया है।

(ख), (ग) और (घ) ये प्रश्न उठते ही नहीं।

रेल वैगन निर्माता उद्योग की उत्पादन क्षमता

9347. **श्री मुरली मनोहर जोशी** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि रेल वैगन निर्माता उद्योग द्वारा रेल वैगन की पूरी उत्पादन क्षमता का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : इस उद्योग द्वारा वैगनों का वार्षिक उत्पादन भारतीय रेल जो कि एकमात्र क्रेता है के नये वैगन खरीदने की आवश्यकता पर निर्भर करता है। यह आवश्यकता इस बात पर निर्भर करती है कि रेलों को कितनी राशि उपलब्ध होती है।

पिछले कुछ वर्षों से वैगनों के लिए भारतीय रेलों की माँग कम रही है जिसके परिणाम-स्वरूप अधिष्ठापित क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं हुआ। इस समय वैगन उद्योग का क्षमता उपयोग 50% है। वर्तमान लाइसेंस प्राप्त क्षमता 24, 346 वैगन प्रतिवर्ष होने की तुलना में 1978-79 के दौरान इस उद्योग ने 10,694 वैगनों (विदेशी क्रयादेशों के लिए 224 वैगनों सहित) का निर्माण किया है। इसमें रेल कार्यशालाओं द्वारा उत्पादित वैगन सम्मिलित नहीं है। चालू वर्ष (1979-80) के दौरान उत्पादन में और वृद्धि होने की आशा है चूंकि केवल भारतीय रेलों के लिए ही उत्पादन लक्ष्य बढ़कर 13,750 वैगन हो जाने की आशा है। इसके अतिरिक्त यह आशा भी है कि विदेशी क्रयादेशों के लिए भी उत्पादन में और वृद्धि होगी क्योंकि वैगनों के निर्यात के लिए और अधिक क्रयादेश प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं तथा यह इस उद्योग की और अधिक क्षमता उपयोगिता का सुनिश्चय करने के लिए अतिरिक्त कार्यभार प्रदान करेगा।

स्ट्रक्चरल और ट्रांसमिशन टावर उद्योग

9348. **डा० मुरली मनोहर जोशी** :क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्ट्रक्चरल और ट्रांसमिशन टावर उद्योग द्वारा क्रमश: अपनी 36 प्रतिशत और 54 प्रतिशत उत्पादन क्षमता का उपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो स्ट्रक्चरल और ट्रांसमिशन टावरों का निर्माण करने वाली प्रमुख कम्पनियों के नाम क्या हैं और उनके द्वारा पूर्व उत्पादन न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं कि उद्योग द्वारा पूरी उत्पादन क्षमता का उपयोग किया जाये।

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) (क) जी, हां। ढाँचा तथा पारेषण टावर उद्योग की क्षमता का उपयोग वर्ष 1978 में क्रमशः 34% तथा 53% रहा है परन्तु उन्हें क्षमता प्रयोग के यथार्थ आँकड़ों की बजाय मोटा अनुमान माना जाये। ऐसा इन एककों के अन्तर्गत उत्पाद के बहुत विविध क्षेत्र के कारण है जिसे भिन्न भिन्न तथा विविध उत्पाद मिश्र के सम्बन्ध में उनकी क्षमता का सुनिश्चिय करना कठिन है।

(ख) प्रमुख ढांचा तथा पारेषण टावर निर्माण करने वाली कम्पनियों के नाम अनुबन्ध में दिये गये है। क्षमता के कम उपयोग के कारण निर्माण स्थलों पर बढ़ती हुई निर्भरता, ढांचे बनाने वाली कार्यशालाओं के पास क्रयादेशों की कमी तथा मेल खाता हुआ इस्पात प्राप्त करने में होने वाली कठिनाइयां हैं।

(ग) इन क्षेत्रों के निर्माताओं के अपने कार्यकलापों के विविधीकरण के लिए सम्बन्ध वस्तुएं जैसे निम्न तथा मध्यम ड्यूटी ई०ओ०टी० क्रेनों, प्रौद्योगिक ढांचों आदि के निर्माण के प्रस्तावों पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

विवरण

प्रमुख निर्माताओं की सूची

(क) ढांचा निर्माण

1. ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी, कलकत्ता।
2. ब्रिज एण्ड रुफ (आई) लिमिटेड, कलकत्ता।
3. जेसप एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता।
4. मुकुन्द आयरन एण्ड स्टील वर्क्स, बम्बई।
5. त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड, नैनी।
6. कावेरी स्ट्रक्चरल, मद्रास।
7. अपीजे स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड, कलकत्ता।
8. बर्न एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता।
9. हिन्दुस्तान मोटर्स, कलकत्ता।
10. टैक्समको लिमिटेड, बलगारिया।
11. विखरोली मेटल फैबिरकेटर्स, बम्बई।
12. रिचर्डसन एण्ड क्रुडास (1972) लिमिटेड, बम्बई।
13. टेस्टील्स लिमिटेड, अहमदाबाद।
14. कुमारधुबी इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड, धनबाद.
15. हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, राँची।

(ख) पारेषण टावर

1. हिन्द ग्लवानाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी कलकत्ता।

2. ई०एम०सी० स्टील, कलकत्ता।
3. गंगा गैलवानाइजिंग वर्क्स, कलकत्ता।
4. एस०ए०ई० इण्डिया प्रा० लिमिटेड, जबलपुर।
5. कमानी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई।
6. रिचर्डसन एण्ड क्रुडास (1972) लिमिटेड, नागपुर।
7. कमानी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, जयपुर।
8. टेस्टील्स लिमिटेड, अहमदाबाद।
9. त्रिवेणी स्ट्रक्चल्स लिमिटेड, नैनी।

अल्मोड़ा में जिला उद्योग केन्द्र

9349. **डा० मुरली मनोहर जोशी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में जिला उद्योग केन्द्र, अल्मोड़ा द्वारा क्रमश: चुने गये उद्यमियों द्वारा क्रमश: चुने गये उद्यमियों के नामों, स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या, सहायता दिये गये रुग्ण एककों की संख्या, राज सहायता और सहायता देने में खर्च की गई राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या उपरोक्त केन्द्र के लिए 1979 के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं और यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) (क) जिला उद्योग केन्द्र, अल्मोड़ा (उत्तर प्रदेश) ने 1978-79 (दिसम्बर, 1978 तक) की अवधि में 116 उद्यमियों का पता लगाया है तथा 88 परियोजना विवरण (प्रोजेक्ट प्रोफाईल्स) तैयार किये गये हैं। इस अवधि में 28 नये लघु एकक स्थापित किये गये 5.00 लाख रु० की मूलराशि (सीडमनी) तथा 0.25 लाख रुपये की नकद राजसहायता के अलावा उन्हें 14.62 लाख रुपये की ऋण-सहायता भी की गई थी। 163 एककों को तकनीकी, प्रबन्धकीय तथा अन्य सहायता दी गई।

(ख) 30.00 लाख रुपये के अनुमानित निदेश से 50 नये एककों की स्थापना के लिए 1979-80 के लक्ष्य निर्धारित कर लिये गये हैं। इन एककों में 50 लाख रुपये मूल्य का सकल उत्पादन होगा तथा 250 व्यक्तियों को रोजगार देने की क्षमता होगी।

पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग सम्बन्धी समिति

9350. **चौधरी हरि राम मक्कासर गोदारा** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के पिछड़े क्षेत्रों में नये उद्योग स्थापित करने के संबंध में अब तक हुई प्रगति का पुनर्विलोकन करने के लिए एक समिति गठित करने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और प्रतिवेदन कब तक प्राप्त हो जाने की संभावना है;

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) (क) और (ख) श्री वी. शिवारमन, भूतपूर्व सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर एक राष्ट्रीय समिति गठित की गई है। इन समिति के विचारार्थ-विषय निम्नलिखित हैं :

(1) वर्तमान नीति प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाई जाने वाली परिभाषाओं में अन्त-

निहित पिछड़ेपन के विभिन्न पहलुओं की वैधता की जाँच करना तथा पिछड़े क्षेत्रों का पता लगाने वाली कसौटी की सिफारिश करना :

(2) निम्नलिखित के कार्य संचालन की संवीक्षा करना ।

(क) पिछड़े क्षेत्रों की विकास सम्बन्धी सामान्य कटिनाइयों जैसे आदिवासी उप-योजनाएं तथा पर्वतीय क्षेत्रों की योजनाएं आदि से निपटने के लिये विद्यमान योजनाएं; तथा

(ख) पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विद्यमान योजनाएं जैसे रियायती वित्तीं, निवेश-राजसहायता, परिवहन राजसहायता, बिक्री-कर रियायती आदि की योजनाएं, कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में इसी प्रकार की योजनाएं जैसे डी०पी०ए०पी० तथा गरीबों तथा बेरोजगारी की समस्याओं से निबटने के लिए सामान्य अभ्युपाय करना ताकि पिछड़ापन दूर करने में इन समस्याओं के प्रभाव का पता लगाया जा सके ।

(3) क्षेत्रों, कारणों अथवा निर्धारित सुधारात्मक उपायों के अनुसार, यदि आवश्यक हो तो, वर्गीकृत पिछड़े क्षेत्रों की समस्याओं का प्रभावी रूप से सामना करने के लिए उपयुक्त नीति अथवा नीतिओं की सिफारिश करना ।

समिति से आशा की जाती है कि वह अन्तिम रिपोर्ट 31 दिसम्बर, 1979 तक प्रस्तुत कर देगी ।

पिछड़े क्षेत्र घोषित राज्यों के नाम

9351. **श्री के. प्रधानी** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे राज्यों की संख्या और उनके नामों का ब्यौरा क्या है जिनको औद्योगिक ऋण देने के उद्देश्य से पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया गया है; और

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए लाइसेंसों अथवा ऋणों का ब्यौरा क्या है;

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) (क) निम्नलिखित राज्यों को निवेश राजसहायता की केन्द्रीय योजना के उद्देश्य के लिए औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ वर्गीकृत किया गया है :

1. आंध्र प्रदेश
2. असम
3. बिहार
4. हिमाचल प्रदेश
5. जम्मू और काश्मीर
6. मध्य प्रदेश
7. मणिपुर
8. मेघालय
9. नागालैंड
10. उड़ीसा
11. राजस्थान
12. सिक्किम
13. त्रिपुरा
14. उत्तर प्रदेश

(ख) पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए वर्ष 1978-79 (28.2.1979 तक) में कुल 159 आशय पत्र तथा 115 औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए थे ।

वर्ष 1978-79 (28-2-1979 तक) के दौरान तकनीकी विकास के महानिदेशालय द्वारा पिछड़े क्षेत्रों में कुल 253 औद्योगिक एकक पंजीयित किए गए ।

इन एककों को विभिन्न वित्तीय संस्थानों द्वारा औद्योगिक ऋण प्रदान किए जाते हैं ।

विदेशों से भारतीय वैज्ञानिकों का वापस आ जाना

9352. **प्रो. पी. जी. मावलंकर** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में अध्ययन तथा काम कर रहे भारतीय वैज्ञानिक भारत लौट आये हैं और सरकार द्वारा वर्ष 1978-79 के दौरान विभिन्न विभागों में उपयुक्त रूप से तथा लाभप्रद रूप से नियुक्त कर दिये गये हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी मुख्य तथ्य क्या हैं ?

रक्षा मंत्रालय तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (प्रोफेसर शेर सिंह) (क) और (ख) : वर्ष 1978-79 के दौरान विदेशों से भारत वापस आये भारतीय वैज्ञानिकों के ठीक-ठीक आँकड़े ज्ञात नहीं हैं। फिर भी, वैज्ञानिक और तकनीकी कार्मिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर का एक प्रवासी भारतीय अनुभाग विदेशों में स्वेच्छा से भारतीय वैज्ञानिकों आदि द्वारा अपना नाम पंजीकृत करवाने के लिये वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी. एस. आई. आर.) द्वारा चलाया जाता है। सी. एस. आई. आर. में उपलब्ध सूचना के अनुसार 176 वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों आदि को सी. एस. आई. आर. के वैज्ञानिक पूल में अस्थाई रोजगार प्रदान किया गया था। उनमें से 50 को सरकारी संगठनों में नियमित रूप से रोजगार प्राप्त हो गया है। एक सौ छब्बीस व्यक्ति, अभी भी पूल अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं।

आई. सी. एस और आई. ए. एस. के सेवा निवृत्त अधिकारियों की पुनः नियुक्ति

9353. **श्री अनन्त राम जायसवाल** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेवा निवृत्त आई. सी. एस. और आई. ए. एस. अधिकारियों को पुनः नियुक्ति के बारे में सरकार की कोई नीति है;

(ख) यदि हाँ, तो वह कब निर्धारित की गई थी;

(ग) क्या उक्त नीति की घोषणा एवं कार्यान्वित के बारे में कोई रिकार्ड रखा जाता है;

(घ) अधिकारी किन आधारों पर पुनः नौकरी प्राप्त करते हैं; और

(ङ) क्या कुछ ऐसे सिद्धान्त हैं जिन पर अधिकारियों को एक निश्चित अवधि के उपरान्त सेवा निवृत्त किया जाता है और क्या सरकार का विचार उन सिद्धान्तों का उल्लंघन कर पुनः नियुक्ति को नीति को खत्म करने का है ?

गृह मंत्रालय तथा विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. डी. पाटिल) (क) से (ग) तक : सेवा निवृत्त आई. सी. एस./आई. ए. एस. अधिकारियों का पुनर्नियुक्ति से सम्बन्धित नीति वही है जो अन्य सरकारी कर्मचारियों पर लागू होती हैं क्योंकि सेवानिवृत्त होने पर वे अखिल भारतीय सेवा के सदस्य नहीं रह जाते। परिणामतः केन्द्रीय सरकार के अधीन अखिल भारतीय सेवा के सेवा निवृत्त अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को पुनर्नियुक्ति पर लागू नियमों तथा आदेशों द्वारा शासित होती है और राज्य सरकार के अधीन पुनर्नियुक्ति के मामले में सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियम तथा आदेश लागू होंगे। पुनर्नियुक्ति को नीति के आनुदेशों को 20 सितम्बर, 1958 को जारी किया गया था, इन आनुदेशों को समय-समय पर पुनरीक्षा की गई है। इस विषय में नवीनतम समेकित अनुदेश

इस विभाग के दिनांक 29-8-1978 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 25011/42/78 अ० या० से०-II के अधीन जारी किए गए थे।

(घ) पुनर्नियुक्ति केवल बहुत ही विशिष्ट तथा आपवादिक परिस्थियों में ही की जाती है और इसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि पुनर्नियुक्ति स्पष्ट रूप से लोकहित में हो।

(ङ) केन्द्रीय सरकार के विभिन्न प्रवर्गों के कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति को आयु मूल नियम 56 में निर्धारित की गई है। चूंकि पूनर्नियुक्ति केवल बहुत ही आपवादिक परिस्थितियों में की जाती है, अतः इस नीति को छोड़ने का सरकार का कोई विचार नहीं है।

स्टेनलेस स्टील इंडस्ट्रीज एसोसियेशन का अभ्यावेदन

9554. **डा. वंसत कुमार पंडित** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इंडिया स्टेनलेस स्टील इंडस्ट्रीज एसोसियेशन ने सरकार से अभ्यावेदन किया है कि स्टेनलेस स्टील उद्योग पर बजट सम्बन्धी भार का उनके उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा;

(ख) वर्ष 1979 और 80 के लिए स्टेनलेस स्टील की चादरों की सम्भावित मांग क्या है;

(ग) उनमें से देश में स्टेनलेस स्टील की चादरों का कितना उत्पादन होता है और कितनी चादरें आयात की जायेंगी और परिणामी अन्तर कितना होगा; और

(घ) स्टेनलेस स्टील के बर्तनों का कुल कितना उत्पादन होता है और उनके लिए स्टेनलेस स्टील की चादरों की कितनी आवश्यकता है;

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) (क) आल इंडिया स्टेनलेस स्टील इन्डस्ट्रीज, बम्बई ने तार द्वारा एक अभ्यावेदन भेजा है, दूसरा अभ्यावेदन बाम्बे पैरस एन्ड नान-पैरस मैन्युफैक्चरर्स, एसोसियेशन से प्राप्त हुआ है।

(ख) इस्पात विभाग द्वारा भेजी गई जानकारी के अनुसार वर्ष 1978-79 के लिए स्टेनलेस स्टील की कुल मांग का अनुमान 40,000 मी० टन, 1979-80 के लिए 44,000 मी० टन तथा 1980-81 के लिए 49,000 मी० टन लगाया गया है।

(ग) इस्पात विभाग के अनुसार 1978-79 में इस्पात का देश में उत्पादन 21,000 मी० टन, 1979-80 में 23,000 मी० टन और 1980-81 में 25,000 मी० टन हो जायेगा जिसमें, चादरें प्लेटे, ब्लूम, कतरने, छड़े और चपटा इस्पात शामिल है। उत्पादन के ये अनुमान हार्डकोक तथा मिश्र इस्पा-तनिर्माताओं के हैं और इनमें लघु री-रोलरों के री-रोल्ड उत्पाद शामिल नहीं हैं। 1978-79 में 18,000 मी० टन स्टेन लैस स्टील की चादरों और पट्टियों के अनुमानित आयात से ऐसा जान पड़ता है कि मांग और उपलब्धता के बीच कोई अन्तर नहीं रहेगा। ब्लूम, कतरनों, छड़ों चपटे इस्पात, चादरों, प्लेटों और टुकड़ों के अनुमानित उप्पादन की माँग व पुर्वानुमानित उत्पादन के आधार पर जिनमें से दोनों के कुल उत्पादन आँकड़े उपलब्ध हैं, बिद्यमान स्तर पर उनकी उपलब्धता अथव 1980-81 में आयात में मामूली वृद्धि से कोई अन्तर नहीं पड़ेगा।

(घ) स्टेन लैस स्टील के बर्तन मुख्य रूप से लघु क्षेत्र में बनाये जाते हैं। वर्ष 1978 में लघु क्षेत्र में बने स्टेनलैस स्टील 30 करोड़ रुपये के उत्पादन का अनुमानित मूल्य के आधार पर स्टेनलैस स्टील की चादरों की आवश्यकता 9,000 मी० टन से 10 000 मी. टन के बीच आंकी

गई है। चूँकि लघु क्षेत्र में क्षमता की सूचना देने और उत्पादन के सम्बन्ध में कोई औपचारिक प्रणाली नहीं है, अतः उपर्युक्त जानकारी बहुत थोड़े से एककों की उत्पादन विवरणियों से तैयार की गई है।

बिहार में सीमेंट का आवंटन

9355. **श्री सुरेन्द्र झा सुमन** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार बिहार को उस राज्य की आवश्यकतानुसार सीमेंट आवंटित न कर सका;

(ख) यदि हाँ, तो 1976-77, 1977-78 तथा 1878-79 में बिहार को उसकी आवश्यकता के मुकाबले कितनी मात्रा में सीमेंट की सप्लाई की गई; और

(ग) सरकारी विकास कार्यों के लिए उसकी आवश्यकता तथा आम जनता को देने हेतु उसके आवंटन सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) (क) तथा (ख) बिहार सरकार के अनुसार अप्रैल,-जून, 1979 तिमाही के लिए राज्य की सीमेंट की माँग 5 लाख मी.टन है। चूँकि सीमेंट की उपलब्धता माँग से काफी कम है अतः राज्य की आवश्यकताओं को पूर्ण रूप से पूरा कर पाना संभव नहीं है। गत अवधि में राज्य सरकार को भेजे गये औसतन प्रेषणों और देश में सीमेंट की समग्र उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए बिहार राज्य सरकार के लिए प्रति तिमाही 2.52 लाख मी. टन का मूल आवंटन निर्धारित किया गया है। किन्तु 1979 की दूसरी तिमाही में कुछ अतिरिक्त संभावित उपलब्धता को देखते हुए राज्य के आवंटन में 10 प्रतिशत वृद्धि करके इसे 2.77 लाख मी. टन कर दिया गया है।

1976-77, 1977-78 1978-79 के वर्षों में भेजी गई सीमेंट की मात्रा और साथ ही साथ आवंटन निम्नलिखित हैं :

(हजार मीटर टन में)

वर्ष	आवंटित मात्रा	भेजी गई मात्रा
1976-77	1200.0	907.0
1977-78	1081.5	887.9
1978-79	1108	859.5 (अनन्तिम)

(ग) प्रत्येक तिमाही के लिए राज्य सरकार को थोक (बल्क) में सीमेंट का आवंटन किया जाता है। इसके पश्चात राज्य सरकार विभिन्न वर्गों के अन्तर्गत उपभोक्ताओं की आवश्कताओं को निर्धारित करती है और सामान्य जनता को वितरण करने तथा सरकारी विभागों के लिए मात्रा आवंटित करती है। राज्य सरकारों द्वारा किये गये उप आवटनों के ब्यौरे सीमेंट नियंत्रक द्वारा नहीं रखे जाते हैं।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा संथालडीह संयंत्र और दामोदर घाटी निगम संयंत्रों को सप्लाई की गई कथित खराब मशीनें

9356. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री ने यह शिकायत की है कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा संथालडीह और दामोदर घाटी निगम के चार विद्युत संयंत्रों के लिए सप्लाई की गई मशीनें उचित रूप से काम नहीं कर रही हैं जिसके परिणामस्वरूप पश्चिम बंगाल में सब कारखाने बन्द हो गये हैं और प्रतिदिन 16 करोड़ रुपये की हानि हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा सप्लाई की गई घटिया किस्म की मशीनों के बारे में जाँच करेगी और इसके लिए जिम्मेवार व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करेगी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) (क) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा संथालडीह संयंत्र के लिए सप्लाई की गई मशीनों तथा दामोदर घाटी निगम को सप्लाईकिये गये 3 टी. जी. सेटों के बारे में ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) पश्चिम बंगाल की सरकार के साथ परामर्श करके वर्तमान स्थिति का अध्ययन करने के लिए एक तकनीकी दल कलकत्ता भेजा गया था। यह निश्चय हो गया कि पिछले छः मास के दौरान संथालडीह बिजलीघर अथवा दामोदर घाटी निगम में बन्द होने वाली बिजली की सप्लाई भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड द्वारा सप्लाई किये गये उपकरण की असफलता के कारण नहीं थी। अतः कथित घटिया किस्म के उपकरण की सप्लाई के विरूद्ध जांच के आदेश देने अथवा किसी अधिकारी के विरूद्ध कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है।

अनुभाग अधिकारियों को अतिरिक्त वेतनवृद्धि दिया जाना

9357. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों में काम कर रहे कुछ अनुभाग अधिकारियों को अतिरिक्त वेतन वृद्धि दी गई है ;

(ख) क्या उक्त लाभ उन अधिकारियों को नहीं दिया गया है, जो आशुलिपिक ग्रेड से आये हैं ;

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) विभागीय समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. डी. पाटिल) (क) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के निम्नलिखित प्रवर्गों के अनुभाग अधिकारी दो अतिरिक्त वेतन वृद्धियां पाने के हकदार हैं, एक रु० 650-1200 के संशोधित वेतनमान में रु० 810 की स्टेज पर अथवा अनुभाग अधिकारी के पद पर 3 वर्ष की सेवा पूरी करने पर, जो भी बाद में हो, और दूसरा, संशोधित वेतनमान में रु० 960 की स्टेज पर अथवा 6 वर्ष की सेवा पूरी करने पर, इनमें जो भी बाद में हो।

(i) ऐसे अधिकारी जो 1-7-1959 को अनुभाग अधिकारी ग्रेड iii के पद पर कार्य कर रहे थे अथवा 1959 तथा 1960 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई परीक्षा के परिणामों के आधार पर उक्त ग्रेड में नियुक्त किए गए थे।

(ii) ऐसे अधिकारी जिन्हें नियमित रूप से उन सहायकों में से पदोन्नत दिया गया है

अथवा पदोन्नत किया जा सकता था, जो 1-7-1959 को उस ग्रेड में कार्य कर रहे थे अथवा अप्रैल तथा मई, 1959 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई सहायक ग्रेड परीक्षा के परीणामों के आधार पर सहायक के पद पर नियुक्त हुए थे।

(घ) जी हां, श्रीमान् उक्त लाभ नहीं दिया गया है।

(ग) अतिरिक्त वेतन वृद्धियाँ केवल उन अनुभाग अधिकारियों तथा सहायकों को मंजूर की गई हैं जिन्हें सेवा ग्रहण करने के समय केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड II (पुराना) में पदोन्नति के अवसरों का आश्वासन दिया गया था किन्तु जिन्होंने 1-7-1959 से अनुभाग अधिकारियों के पुराने ग्रेड II तथा ग्रेड III को मिलाकर अनुभाग अधिकारियों का एकल ग्रेड किए जाने के परिणामस्वरूप पदोन्नति के ऐसे अवसरों को खो दिया था। चूंकि अनुभाग अधिकारियों के रूप में पदोन्नत आशुलिपिकों को पदोन्नति के ऐसे भावों अवसरों का आश्वासन नहीं दिया गया था। इसलिये यह लाभ उन्हें नहीं दिया गया है।

(घ) इस सम्बन्ध में किसी विभागीय सीमति की सिफारिशें नहीं हैं।

छठी पंचवर्षीय योजना में सिक्किम के लिए आवंटन

9358. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम एक पिछड़ा राज्य है और यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा छठी पंच वर्षीय योजना में सिक्किम के लिए कितनी धनराशि आवंटित की है और उक्त राशि किन-किन शीर्षों के अन्तर्गत खर्च की जायेगी; और

(ख) क्या सिक्किम सरकार ने केन्द्रीय सरकार से और अधिक धनराशि आवंटित करने का अनुरोध किया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फजलुर्रहमान) : (क) और (ख) : सिक्किम की अवस्थिति और दुरुह शैल प्रदेश की और उसके 1975 में राज्यों के संघ में सम्मिलित होने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए सिक्किम को एक विशेष श्रेणी का राज्य माना जा रहा है और उसे पर्याप्त केन्द्रीय सहायता द्वारा अपनी छठी योजना के परिव्यय की वित्त-व्यवस्था करने में समर्थ बनाया जायेगा। राज्य की छठी पंचवर्षीय योजना के आकार को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

बाइसिकल कम्पनियों का उत्पादन

9359. **श्री मुकुन्द मण्डल** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के हाथ में कितनी बाइसिकल कम्पनियों का प्रबन्ध है और इस बारे में ब्यौरा क्या है ;

(ख) राज्यों में इन कम्पनियों के निर्माण केन्द्र और मुख्य कार्यालय किन-किन स्थानों पर स्थित हैं, और

(ग) गत पांच वर्षों में इन कम्पनियों ने कुल कितना उत्पादन किया और उनकी वित्तीय स्थिति कैसी है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) उद्योग (विकास एवं

विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबन्धों के अधीन केन्द्रीय सरकार ने बाइसिकलों व उसके हिस्से-पुर्जों के उत्पादन में लगे ऐन रेले ग्रुप के एककों व हिन्द साइकिल लिमिटेड का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया है सेन रेले ग्रुप में निम्नलिखित शामिल हैं :

1. सेन रेले लिमिटेड
2. सेन एण्ड पंडित इंडस्ट्रीज लिमिटेड
3. अनसिलेरी इंडस्ट्रीज (लग्स) प्रा. लि.
4. इंसिलेरी इंडस्ट्रीज (फारगिंग्स) प्रा. लि.
5. इंसिलेरी इण्डस्ट्रीज (कन्कैस) प्रा. लि.

नोआखाली मशीन टूल्स लिमिटेड सेन रेले लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली एक कंपनी है।

(ख)	उत्पादन केन्द्र		मुख्यालय
1. सेन रेले लि.	अनसोल	पश्चिम बंगाल	कलकत्ता पश्चिम बंगला
2. सेन एंड पंडित इंडस्ट्रिज लि.	कल्याणी	—वही	—वही—
3. अनसिलेरी इंडस्ट्रीज (लग्स) प्रा. लि.	—वही—		—वही—
4. अनसिलेरी इंडस्ट्रीज कर्कसु. प्रा. लि.	—वही—		—वही—
5. अनसिलेरी इंडस्ट्रीज फारगिंग प्रा. लि.	—वही—		—वही—
6. नोआखाली मशीन टूल्स लि.	नरेन्द्रपुर,	पं० बंगाल	—वही—
7. हिन्द साइकिल्स लि.	बम्बई, गाजियाबाद	महाराष्ट्र (यू० पी०)	बम्बई महाराष्ट्र

(ग) उत्पादन लाख रुपयों में

	सेन रेले ग्रुप		—हिन्द साइकिल्स लिमिटेड
1974—75	784·00		192·97
1975—76	1050·00		519·94
1976—77			601·78
1977—78	1863·00	(1976-78	622·31
1978—79	1824·00	18 महीने)	640·00

यद्यपि सरकार द्वारा प्रबन्ध हाथ में ले लिए जाने के बाद इन एककों के कार्य-निष्पादन में कुछ सुधार हुआ है तो भी ये एकक आर्थिक जीव्यता की स्थिति तक नहीं पहुँच पाए हैं।

स्कूटरों का उत्पादन तथा निर्यात

9360. **श्री मुकुन्द मण्डल** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के अधीन कितनी स्कूटर कम्पनियाँ हैं (उनके राज्यवार नाम क्या है) ;

(ख) प्रत्येक कम्पनी ने गत तीन वर्षों के दौरान (वर्षवार) कुल कितने स्कूटर बनाये ; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान यदि स्कूटरों का कोई निर्यात हुआ है तो (वर्षवार) कितना ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती आभा माईति) (क) तथा (ख) : केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र में स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, लखनऊ ही एकमात्र स्कूटर बनाने वाला कारखाना है। सरकारी क्षेत्र के इस कारखाने के आंध्र प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, बिहार तथा पश्चिम बंगाल में स्कूटर निर्माण के लिए उप-लाइसेंसों के प्रबन्ध हैं। उनके राज्यवार नाम तथा उत्पादन सम्बन्धी जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, लखनऊ द्वारा स्कूटरों का निर्यात नीचे दिया है :

वर्ष	निर्यात स्कूटरों की संख्या
1974—75	2
1975—76	57
1976—77	508
1977—78	1285
1978—79	1056
योग	2909

विवरण

क्र० सं०	एकक का नाम	जिस राज्य में स्थित है	स्कूटरों के उत्पादन की संख्या 1976-77	1977-78	1978-79
1.	मै० स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, लखनऊ।	उत्तर प्रदेश	24,358	16,717	23,101
2.	मै० आन्ध्र प्रदेश स्कूटर्स लि० हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश	5,173	8,133	10,265
3.	मै० पंजाब स्कूटर्स लिमिटेड, नाभा	पंजाब	—	2,573	1,666
4.	मै० कर्नाटक स्कूटर्स लिमिटेड, बंगलौर	कर्नाटक	342	3,523	3,690
5.	मै० बिहार औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, पटना	बिहार	—	75	—
6.	मै० वेस्ट बंगाल स्कूटर्स लिमिटेड, कलकत्ता	वेस्ट बंगाल	—	610	—

भारत हैवी प्लेट्स एण्ड वेसल्स लिमिटेड की हानि

9361. **श्री मुकुन्द मण्डल : क्या उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी प्लेट्स एण्ड वेसल्स लिमिटेड को वर्ष 1977 और वर्ष 1978 में हानि होती रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) गत तीन वर्षों में (वर्षवार तिथि सहित) कम्पनी की वित्तीय स्थिति क्या थी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी, हां। 1977-78 वित्तीय वर्ष के दौरान 60·13 लाख रुपये की शुद्ध हानि हुई। वित्तीय वर्ष 1978-79 के लिए लेखों को अन्तिम रूप दिया जाना है।

(ख) मूल्य के रूप में कम्पनी की कार्यक्षमता में हर वर्ष सुधार हुआ है। तथापि विद्युत प्रशुल्क, ऋणों पर ब्याज का भारी बोझ, कानूनी बोनस की अदायगी सहित निवेशों के मूल्यों में वृद्धि होने से शुद्ध हानि हुई है।

(ग) 1975-76 से 1977-78 तक कम्पनी की वित्तीय स्थिति विवरण में दी गई है।

विवरण

भारत हैवी प्लेट्स एण्ड वेसल्स वर्स 1975-76 से 1977-78 तक वित्तीय बताने वाला विवरण।

(लाख रुपयों में)

देयतायें :	1975-76	1976-77	1977-78
(क) चुकता पूँजी (शेयरों के लिए अग्रिम राशि सहित)	1,037.47	1.044·00	1,044·70
(ख) रिजर्व तथा फालतू	0·01	2·01	2·01
(ग) ऋण :			
भारत सरकार से	1,877·92	1,974·69	2,048·04
बैंक से नकद ऋण	928·27	1,173·46	623·69
(घ) व्यापारिक अदायगी तथा अन्य देयतायें (प्रावधानों तथा ब्याज अर्जित तथा देय)	2,013·66	1,558·48	1,723·09
	5,857·33	5,753·35	5,441·53
आस्तियां			
(ङ) ग्रास ब्लाक	1,926·08	2,008,50	2,063·08
(च) मूल्यह्रास को छोड़कर	448·59	550·66	649·58
(छ) शुद्ध स्थिर आस्तियाँ	1,477·49	1,457·84	1,413·50
(ज) चालू पूँजी (संयन्त्र तथा अधिष्ठापन अधीन मशीन और गैर आवंटित मशीन पूंजी व्यय)	18·75	4·86	19·28

(झ) निवेश	1·28	1·28	1·28
(ट) चालू आस्तियाँ, ऋण तथा अग्रिम धन	3,596·61	3,498·05	3,176·54
(ठ) (i) स्थगित राजस्व व्यय	124·10	86·37	65·85
(ii) हानियाँ (संचित)	639·10	704·95	765·08
	5,857·33	5,753·35	5,441·53
लगी हुई पूँजी	3,060·44	3,397·40	2,866·95
शुद्ध मूल्य	274·28	255·39	215·78

टिप्पणी : 1. लगी हुई पूँजी का तात्पर्य स्थिर आस्तियों तथा कार्य पूँजी (ब्रेज्यूटी प्रावधान छोड़कर) से है।

2. शुद्ध मूल्य का तात्पर्य चुकता पूंजी तथा रिजर्व से है (अग्राह्य आस्तियों को छोड़कर)

3. कम्पनी द्वारा रिग्रुपिंग किये जाने के कारण, जहां कहीं आवश्यक हुआ, पिछले वर्षों के आंकड़ों में संशोधन किया गया है।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों का लाभ हानि सम्बन्धी विवरण

9362. **श्री इकबाल सिंह ढिल्लो :**

श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव क्या **योजना मंत्री** : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक राष्ट्रीय कपड़ा निगम की कितनी मिलें स्थापित हुई है; और

(ख) वे कहाँ कहाँ पर स्थापित की गई है और उनके प्रतिष्ठान से लेकर उनके लाभ/हानि सम्बन्धी विवरणों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) राष्ट्रीय वस्त्र निगम इस समय कार्य कर रहे राष्ट्रीयकृत वस्त्र एककों के अलावा 8 अन्य वस्त्र मिलों का भी प्रबन्ध कर रहा है।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल टी 4411/79)

पंजाब को सीमेंट की सप्लाई

9363. **श्री इकबाल सिंह ढिल्लो :**

श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब में सीमेंट की कमी है और लोगों को सप्लाई लेने में बहुत कठिनाई हो रही है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने पंजाब के लिए प्रति मास सीमेंट की आवश्यकता के लिए कभी सर्वेक्षण कराया है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और पजाब को प्रति मास कितनी मात्रा में सप्लाई की जाती है और पंजाब के लोगों की सीमेंट की आवश्यकता पूरी करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) उद्योगों, सिंचाई व विद्युत, आवास तथा अन्य विकास कार्यों के निर्माण कार्यों में तेजी आने के कारण सीमेंट के संभरण से सीमेंट की मांग बढ़ जाने के फलस्वरूप वर्ष 1978-79 में सीमेंट का रिकार्ड उत्पादन होने के बावजूद समूचे देश से सीमेंट की कमी की सूचना मिली है।

(ख) पंजाब सरकार ने बताया है कि राज्य में प्रयेत्क तिमाही लगभग 3.5 लाख मी. टन सीमेंट की मांग है।

(ग) राज्य को विगत में भेजी गई सीमेंट की पूर्वानुमानित उपलब्धता के ध्यान में रख कर-राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को प्रति तिमाही के आधार पर सीमेंट का आवंटन किया जाता है। पंजाब राज्य को प्रति तिमाही में 2.25 लाख मी. टन सीमेंट का मूल आवंटन किया जाता है फिर भी, उपलब्धता स्थिति की निरन्तर संवीक्षा की जाती है तथा चालू तिमाही (अप्रैल-जून, 1979) में राज्य को सीमेंट के होने वाले आवंटन में 10 प्रतिशत की वृद्धि करके 2,47,500 मी. टन सीमेंट का आबंटन किया गया है। सरकार ने देश में सीमेंट की उपलब्धि वढ़ाने के लिए निम्नलिखित अभ्युपाय किये हैं :

(1) भूटान तथा नेपाल को छोड़कर देश से बाहर सीमेंट निर्यात करने पर रोक लगा दी गयी है।

(2) औद्योगिक लाइसेंस देने के लिए प्राप्त नये आवेदनों पर अधिक तेजी से विचार किया जाने लगा है। 1 अप्रैल, 1977 से 7 अप्रैल, 1979 की अवधि में कुल मिलाकर 150,50 लाख मी. टन की क्षमता के लिए 35 आशय-पत्र तथा 7 औद्योगिक लाइसेंस दिये गये जबकि 1 अप्रैल, 1974 से 31 मार्च, 1977 की अविध में कुल मिलाकर 84.60 लाख मीट्रिक टन की क्षमता के लिए केवल 7 आशय-पत्र तथा 11 औद्योगिक लाइसेंस जारी किये गये थे।

(3) देश में सीमेंट के वितरण के सम्बन्ध में विद्यमान क्षेत्रीय असन्तुलन सीमेंट संयंत्रों के चूना पत्थर निक्षेपों के समीप स्थित होने के कारण है। सीमेंट संयन्त्रों का अलग-अलग स्थापित किया जाना प्रोत्साहित कर इस असन्तुलन को न्यूनतम किया जाना है।

(4) इस समय मन्त्रिमण्डल की एक उप-समिति सीमेंट के संरक्षण के लिए अपनाये गये विभिन्न अभ्युपायों पर विचार कर रही है। सीमेंट के संरक्षण प्रतिस्थापन समाग्री जैसे हाइडेटैड लाइन धानभूसी सीमेंट, संगोला, चूना गाँरा आदि का उपयोग कर दिया जाता है।

(5) 1978-79 के दौरान देश में 15.47 लाख मीट्रिक टन सीमेंट का आयात किया गया है तथा 1979-80 के लिये लगभग 20 लाख मीट्रिक टन और भी सीमेंट आयात करने की योजना बनाई गई है।

(6) विगत तीन वित्तीय वर्षों की अवधि में प्रत्येक एकक में हुए सबसे अधिक उत्पादन से अतिरिक्त उत्पादन अथवा उसकी लाइसेंसीकृत क्षमता के 85 प्रतिशत पर जो भी अधिक हो, प्रति मीट्रिक टन पर 30 रुपये के नकद प्रोत्साहन की घोषणा की गई है।

(7) सड़क द्वारा सीमेंट परिवहन के भाड़ा प्रतिपूर्ति सम्बन्धी विद्यमान नियमों को और उदार बना दिया गया है।

(8) सरकार ने बिजली की कटौती के दौरान सीमेंट का उत्पादन करने हेतु केप्टिव

पावर का उपोग करने के लिये सीमेंट उद्योग को सहायता भी प्रदान की है।

(9) कोयले की पर्याप्त पूर्ति न होने की बजह से सीमेंट का उत्पादन करने के लिए मिट्टी का तेल उपयोग करने हेतु सरकार ने सीमेंट उद्योग को सहायता देने की घोषणा की है।

(10) विद्यमान एककों के उत्पादन पर निगरानी रखी जा रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उद्योग शतप्रतिशत समग्र क्षमता उपयोगिता को बनाये हुये हैं।

(11) उत्पादन में वृद्धि करने लिए प्रि-कोसीनेटर प्रौद्योगिकी का आयात करने की अनुमति दे दी गई है।

(12) चल रही परियोजनाओं के निर्माण में शीघ्रता की जा रही है।

(13) सरकार ने स्लैग का उपयोग करने के लिए इस्पात संयन्त्रों पर अथवा उनके सभी पहली सीमेंट संयन्त्र स्थापित करने को प्रोत्साहन देने का भी निर्णय लिया है।

(14) सरकार ने बड़ी संख्या में छोटे सीमेंट संयन्त्र लगाने को प्रोत्साहन देने का भी निर्णय किया है।

(15) एक उच्चस्तरीय समिति ने सीमेंट उद्योग का व्यापक अध्ययन किया है और कोई सुझावों की सिफारिश की है जो सरकार के विचाराधीन है।

ई. सी. टी. वी.

9364. **श्री इकबाल सिंह ढिल्लो :**

श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव : क्या **परमाणु ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र का एक उत्पाद, ई. सी. टी. वी. जनता को सुगमता से उलब्ध नहीं है;

(ख) टी. वी. सेटों के उत्पादन के लिए प्रतिमाह उत्पादन लक्ष्य और अधिष्ठापित क्षमता कितनी है और इनका वास्तविक उत्पादन कितना है; और

(ग) आम जनता की जरूरतों को पूरी करने के लिए टी. वी. एककों की पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

रक्षा मन्त्रालय तथा परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) ई. सी. टेलीविजन के बहुत अधिक लोकप्रिय हो जाने के कारण उसकी माँग उसके उत्पादन से ज्यादा हो गई है। सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम इलेक्ट्रानिक कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड जनता को सुममता से ई. सी. टेलीविजन उपलब्ध कराने के लिए कदम उठा रहा है।

(ख) वर्ष 1978-79 के दौरान कारपोरेशन ने अपनी प्रतिष्ठापित क्षमता के अनुसार प्रतिमास 1700 ई. सी. टेलीजिवन सेटों का उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया था, लेकिन वास्तव में उसने प्रतिमास अपनी प्रतिष्ठापित क्षमता तथा अपने निर्धारित लक्ष्य से अधिक टेलीविजन सेटों का उत्पादन किया। कम्पनी के अनुसार वर्ष 1978-79 में उसने वास्तव में 23000 टेलीविजन सेटों का उत्पादन किया। इस प्रकार प्रतिमास लगभग 1900 टेलीविजन सेट तैयार किए गए।

(ग) भाग (ख) के ऊपर दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न उठता ही नहीं।

आयातित सीमेंट का राज्यों में वितरण

9365. **श्री इकबाल सिंह ढिल्लो :**

श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लोगों की आवश्यकता पूरी करने के लिए आयात किया जा रहा सीमेंट राज्यों में वितरित किया जा रहा है।

(ख) यदि हां, तो इसके वितरण की नीति क्या है; और

(ग) अब तक प्रत्येक राज्य को सप्लाई किए गए आयतित सीमेंट की मात्रा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी, हां।

(ख) सीमेंट का वितरण करने हेतु देशी सीमेंट के साथ आयातित सीमेंट को सामान्य पूल में लाया जाता है और सरकारी निर्माण कार्य व जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सीमेंट का आबटन कर दिया जाता है। यदि कागज की बोरियों में आयातित सीमेंट को भर ज्यादा दूरी तक ले जाया जाए तो इन बोरियों के फट जाने का डर रहता है। इसीलिए सीमेंट की अधिकतम मात्रा का उपयोग बन्दरगाह वाले नगर या उसके आस पास के नगरों में कर लिया जाता है। इन क्षेत्रों में लाये जाने वाले देशी सीमेंट को अन्य स्थानों को भेजा जा रहा है।

(ग) विभिन्न वन्दरगाहों से राज्यों को जनवरी, 1978 से भेजी गई आयातित सीमेंट की जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

राज्य श्रेणी के अधीन जनवरी, 1978 से भेले गये आयातित सीमेंट के अन्तिम आंकड़े।

राज्य का नाम	जनवरी मार्च, 78	अप्रैल जून, 78	जुलाई सितम्बर, 78	अक्तूबर नवम्बर 78	जन. मा. 79
1. राजस्थान	—	1271	15096	21948	23668
2. असम	—	—	—	11400	—
3. बिहार	—	—	—	—	7750
4. उड़ीसा	6721	39175	8138	36335	30250
5. पं० बंगाल	—	18454	4231	—	—
6. महाराष्ट्र	80493	83413	14274	42287	71517
7. गुजरात	—	21858	9525	30185	15480
8. गोआ	—	3046	—	25000	19200
9. आन्ध्र प्रदेश	38600	37000	19441	30376	51094
10. तमिलनाडु	51073	74120	54601	20506	58572
11. केरला	36160	47707	16178	62036	76788
12. कर्नाटक	14463	23078	3574	62518	55231

औद्योगिक (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के उपबंधों का उलंघन

9366. **श्री सी. के. चन्द्रप्पन** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल में मवूर स्थिति बिड़ला स्वामित्व के रेय्त कारखाने ने औद्योगिक (विकास तथा विनियान) अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन किया है और विस्कोस स्टेपल फाईबर' कास्टिक सोडा तथा डाई कैल्शियम सल्फाइड का उत्पादन करने के तीन सन्यन्त्रों की स्थापना द्वारा, अपनी क्षमता का विस्तार किया है जिसके लिये मन्त्रालय ने मंजूरी देने से इंकार कर दिया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि नागदा स्थित एक अन्य बिड़ला फर्म ने भी इसी प्रकार का कदाचार किया है;

(ग) यदि हाँ, तो उक्त कदाचारों के बारे में सरकार को कब बताया गया था और उक्त बिड़ला फमों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या यह सच है कि इस सम्बन्ध में सरकार बिड़ला बन्धुओं के विरूद्ध गम्भीर कार्यवाही करने का विचार कर रही है; और

(ङ) क्या सरकार का ध्यान इस सम्बन्ध में 31 दिसम्बर, 1978 के मलयालम दैनिक 'मातृभूमि' में प्रकाशित रिपोर्ट की ओर गया है, यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है तथा उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) (क) से (ङ) तक मैसर्स ग्वालियर रेयन सिल्क मैन्यु. (वीविंग) कम्पनी लिमिटेड, नागदा, मध्य प्रदेश (बिरला समूह की एक कम्पनी) ने नागदा में विस्कोस स्टेपल फाइवर का उत्पादन करने वाला एक एकक वर्ष 1954 में स्थापित किया था। उत्पादन की यह वस्तु वर्ष 1957 में उद्योग विकास तथा विनियमन/ अधिनियम की प्रथम अनुसूची में शामिल की गई थी तथा इस अधिनियम के अन्तर्गत कम्पनी को 22,000 मी. टन की वार्षिक क्षमता के लिए एक लाइसेंस जारी किया गया था। वर्ष 1958 में, विस्कोस स्टेपल फाइबर का उत्पादन करने के लिए रेयनग्रेड की लकड़ी की लुगदी आधारभूत कच्चे माल के उत्पादन हेतु कम्पनी को एक औद्योगिक लाइसेंस भी स्वीकृत किया गया था। कम्पनी द्वारा रेयन ग्रेड की लकड़ी की लुगदी का देश में उत्पादन वर्ष 1963-64 में शुरू किया गया था। लुगदी का उत्पादन एक ऐसी अवधि में प्रगामी रूप से बढ़ता गया, जब इसका उत्पादन लाइसेंस मुक्त कर दिया गया था तथा वर्ष 1965 में इसको उत्पादन 60.000 मी. टन प्रतिवर्ष के स्तर तक पहुँच गया था। इस अवधि में विस्कोस स्टेपल फाइबर उद्योग औद्योगिक लाइसेंस देने के प्रयोजन के लिए रद्द किये जाने वाली सूची के अन्तर्गत कर दिया गया था। लकड़ी की लुगदी की उपलब्धता से तथा बिरला के पास अपने ही मशीनरी प्रभाग में उनके विस्कोस फाइबर एकक हेतु अपेक्षित मशीनें बनाने की सुविधा होने के कारण उन्होने नागदा स्थित अपने एकक में विस्कोस स्टेपल फाइबर के उत्पादन को प्रगामी रूप से बढ़ाना शुरू किया था तथा माबूर (केरल) स्थित लुगदी बनाने वाले अपने एकक के पास इस वस्तु के उत्पादन के लिए 1968 में लगभग 20;000 मी· टन क्षमता वाला एक एकक भी चालू कर दिया। इन कदमों के फलस्वरूप उक्त दो एककों में कम्पनी का उत्पादन 78,000 मी. टन के स्तर से अधिक हो गया है। यह पाया गया

था कि इस कम्पनी द्वारा उद्योग विकास तथा विनियमन अधिनियम का बुरी तरह से उल्लंघन किये जाने के 1968-69 में बारे में सरकार को पता चल गया था ।

इस समय प्रकरण सरकार के विचाराधीन है तथा कम्पनी के विरूद्ध उसके पिछले उल्लंघनों के लिए की जा सकने वाली समुचित कार्यवाही करने के बारे में उद्योग मंत्रालय, विधि मंत्रालय तथा अन्य सम्बन्धित विभागों के साथ परामर्श कर रहा हैं

संयुक्त राज्य अमेरिका के दूतावास में गार्ड द्वारा स्वयं को गोली मारना

9367. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 3 अप्रैल, 1979 को चाणक्यपुरी, नई दिल्ली स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका के दूतावास में 23 वर्षीय मैरीन गार्ड, स्काट मौडी ने अपनी 'सर्विस गन' से गोली मारकर कथित रूप से आत्म हत्या कर ली थी;

(ख) क्या कोई आत्म हत्या सम्बन्धी पत्र प्राप्त हुआ था;

(ग) क्या एक ओर जहां दूतावास अधिकारियों ने पुलिस अधिकारियों को केवल उस स्थान की जांच करने की अनुमति दे दी थी जहां गार्ड ने कथित रूप में स्वयं को गोली मारी थी, परन्तु उन्होने माउडी की 'सर्विस गन' उन्हें दिखाने से इंकार कर दिया था; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय तथा विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. डी. पाटिल) (क) से (घ) तक : जी हाँ, श्रीमान् । आत्म हत्या का कोई पत्र नहीं मिला । जाँच अधिकारियों को दूतावास में प्रवेश करने की अनुमति दी गई थी और उन्हें घटनास्थल को दिखाया गया था । तथापि हथियार जांच अधिकारी को यह तर्क नही देकर नहीं दिखाया गया था कि दूतावास अधिकारियों ने इसे मुहरबन्द कर दिया है और ताले में बन्द कर दिया है ।

कागज का संकट

9368. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कागज का बहुत गम्भीर किस्म का संकट व्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो यह संकट किस प्रकार का है और आंकड़ों के रूप में यह संकट कितना है;

(ग) इस संकट के कारण क्या हैं; और

(घ) इस संकट को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) (क) से (ख) : कलैंडर वर्ष 1978 में कागज के उत्पादन में लगभग 6.7% की वृद्धि हुई है । किन्तु आर्थिक परिस्थितियों में सामान्य सुधार हो जाने में वयस्क शिक्षा के प्रसार तथा व्यापक साक्षरता कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप कागज की मांग अधिक तेजी से बढ़ी है । इसके फलस्वरूप कागज की मांग और पूर्ति के बीच विशेष तौर से लिखाई और छपाई की किस्मों में असंतुलन रहा है । वर्ष 1978-79 में कागज गत्ते की मांग अनुमान 10.5 लाख मी. टन है जबकि उत्पादन लगभग 10 लाख मी. टन होने का अनुमान है ।

(घ) सरकारी क्षेत्र में कागज मिल स्थापित करने के अलावा सरकार ने कागज उद्योग में क्षमता की बढ़ोतरी सवर्द्धन करने के लिए विभिन्न अभ्युपाय किये हैं। संभरण की कमी को पूरा करने के लिए कागज आयात करने का भी प्रस्ताव है।

बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा स्टार्च का उत्पादन

9369. **डा. रामजी सिंह** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगस को वर्ष 1976 में 5000 मैगाटन/ए स्टार्च का उत्पादन करने के लिए एक आशय पत्र जारी किया गया था;

(ख) क्या यह सही है कि पूर्वी क्षेत्र में एक भी स्टार्च उत्पादक एकक नहीं है;

(ग) क्या बिहार राज्य में उक्त संयंत्र के लिये अपेक्षित कच्ची सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है; और

(घ) क्या क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करने के लिये भारत सरकार उपरोक्त परियोजना के लिये, इन्डिया ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड को बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम के साथ सहयोग करने के निदेश देगी और जैसा कि राज्यों में किया गया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) (क) से (ग) जी, हां।

(घ) सम्बन्धित प्राधिकरणों के साथ इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है।

सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों को परेशान किया जाना

9370. **श्री भगत राम** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ कर्मचारी जिन्होने आपात स्थिति की ज्यादातियों के बारे में शाह आयोग को शिकायतें भेजी थी; आयोग के ध्यान में यह बात लाये हैं कि उनके नियोजकों द्वारा उनको परेशान किया जा रहा है;

(ख) ये नियोजक कौन कौन से हैं और उनके विरूद्ध किस प्रकार की शिकायतें हैं; और

(ग) सरकार ने शिकायकर्ताओं के संरक्षण के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) और (ख) : जी हाँ, श्रीमान्। **सर्वश्री** एस. एस. बन्जामिन और पी सुब्रहणमन्यम नायडू शाह जांच आयोग को याचिकाएं भेंजी है जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि पदोन्नति में उनके अतिक्रमण के सम्बन्ध में आयोग से शिकायत करने के खिलाफ भारत सरकार के उपक्रम, प्राज्ञा ट्रूल्स लि० के प्रबन्धकों ने उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही शुरू की है।

(ग) शाह जांच आयोग ने इस तथ्य को रक्षा उत्पादन के सचिव और गृह सचिव के ध्यान में लाया। गृह मंत्रालय ने भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों और राज्यों और संघ शान्ति क्षेत्रों के गुप्त सचिवों को यह सुनिश्चित करने के लिए अनुदेश जारी किए हैं कि जिन कर्मचारियों ने शाह जांच आयोग को शिकायत की है, उनको तंग न किया जाए और न ही उन्हें किसी प्रकार से किसी मुसीबत में डाला जाए।

सर्वश्री बंजामिन और नायडू को जारी किये गये आरोप पत्र बाद में वापस ले लिये गये थे।

बिड़ला के स्वामित्व में मबूर रेयन्स का प्रदूषण रोकने में असफल होना

9371. **श्री सी. के. चन्द्रप्पन** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि केरल में बिड़ला स्वामित्व में मबूर रेयन्स फैक्टरी द्वारा पदूषण को रोकने हेतू प्रभावी कदम न उठाये जाने के कारण वालयार नदी में जल-प्रदूषण तथा वायु-प्रदूषण के फलस्वरूप कालीकट के विशाल क्षेत्र में लोगों का सामान्य जीवन अस्तस्व्यत हो गया है हजारों लोग बीमार पड़ गये हैं, नदी में मछलियाँ मर रही है और पीने का पानी विष बन गया है;

(ख) सरकार यह सुनिश्चय करने के लिये क्या कदम उठा रही है कि उक्त कारखाना प्रदूषण को रोकने के लिये प्रभावी उपाय करें; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) (क) से (ग) जल प्रदूषण रोकने तथा उस पर नियंत्रण रखने के लिये मैसर्स ग्वालियर रेयान्स मावूर (केरल) द्वारा जल प्रदूषण के स्तर को केरल स्टेट बोर्ड द्वारा निर्धारित मानक स्तर तक नीचे ले आने के लिये उठाये गये कदम प्रभावी नहीं थे तथा कम्पनी द्वारा की गयी प्रगति अत्यन्त धीमी थी अत: केरल राज्य सरकार जल (निवारण तथा प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 24,25 तथा 26 के अन्तर्गत कम्पनी पर मुकदमा चलाने के लिये कार्यवाही कर रही है। राज्य सरकार ने भी चंगापल्ली तक तुरन्त ही पाइप लाइने विछाने का काम हाथ में लेने के लिये कम्पनी को अनुदेश दे दिये हैं तथा सरकार का समाधान हो जाने तक उपयोग में लिये गये गंदे पानी की पम्पिग की व्यवस्था करने को कहा है और जब तक यह काम पूरा नहीं हो जाता तब तक कम्पनी कामबन्दी रहेगी।

विदेशी कंपनियों की भारतीय सहायक कंपनियों को लाइसेंस जारी किया जाना

9372. **डा. पी. वी. पेरियासामी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी-अक्तूबर, 1978 के बीच कितने आशय पत्र तथा औद्योगिक लाइसेंस जारी किये गये;

(ख) विदेश कम्पनियों की उन भारतीय सहायक कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्हें इसी अवधि में आशय पत्र और औद्योगिक लाइसेंस मिले हैं; और

(ग) क्या विदेशी कम्पनियों की भारतीय सहायक कम्पनियों को तैयार खाद्य के उत्पादन का कार्य भी आवंटित किया गया है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) (क) जनवरी-अक्तूबर, 1978 में उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत 321 आशय पत्र तथा 290 औद्योगिक लाइसेंस जारी किये गये थे।

(ख) : विदेशी कम्पनियों की भारतीय सहायक कम्पनियों की कम्पनी कार्य विभाग द्वारा दी गई सूचों के अनुसार जिन्हें उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 के अन्तर्गत जनवरी-अक्तूबर, 1978 में आशय-पत्र तथा औद्योगिक लाइसेंस दिये गये थे, उनके नम दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) विदेशी कम्पनी की भारतीय सहायक कम्पनी को सेवा के रस का सांद्रण तैयार करने के लिए एक आशय-पत्र जारी किया गया था।

विवरण

फाइबर ग्लास उत्पादों को बनाने में लगे लघु एककों की सूची

1. मै० हेलसा बार्डर मे० कं०, इन्दरा भवन बिल्डिग घी कांटा रोड, आप ओल्ड सिविल अहमदाबाद-1
2. मै० यूनाटी कारपोरेशन, 9, रवि चेम्बरस, पठेरकुआं, अहमदाबाद-1
3. मै० भानु टेप ई० लक्ष्मी विजय होजरी मिल्सकम्पाऊँ[illegible], अहमदाबाद-42
4. मै० सुरु फाईबरस नं० 2, विद्यानगर सोसायटी नं० उसमानपुर, अहमदाबाद-14
5. मै० मुरली मोहन एण्ड कं०, 39, उत्तरपादी मुन्त रोड, चिकपेट करास, बंगलौर-53
6. मै० जेकोग्लस इलैक्ट्रीकल इन्सुलेशन-9 प्रा. लि जयभारत इं० इस्टेट, जालाहाली कैम्प रोड, यशवन्तपुर।
7. मै० सुन्दर सिल्का, 19, नागप्पा स्ट्रीट पेलेस गुटाहाली, बंगलौर-3
8. मै वानजा, रिबन्स एण्ड अलाइड इं० मैमूपेट लालबाग, रोड, बंगलौर-27
9. मै० डायनेमो डाइलेक्ट्रिक 275, जी. आई. डी. सी. इं० इस्टेट मकरपुरा-बड़ौदा-10
10. मै. रुडेला इन्टर प्राइजेज 63/ए इं० एरिया गोविन्दपुरा, भोपाल।
11. मै० ग्लास फाईबर इन्सूलेशन, आनन्द नगर रायसेन रोड, भोपाल।
12. मै० इस्टरन इलेक्ट्रीकल्स गोविन्दपुरा इं० स्टेट भोपाल-23
13. मै० ग्लास फाईबर टैक्सटाईल, गोविन्दपुरा इं० स्टेट भोपाल।
14. मै० इं० ग्लास फेबरिक्स शेड "सी" इं० इस्टेट क्वेरी रोड, बन्धुप, बम्बई-23
15. म० इण्डोग्लास प्रा० लि० 407, अरुण चेम्बरस, तारदीप बम्बई-34
16. मै० झावरी थानवाला प्रा० लि०, 47, तमरियन लेन, बम्बई-23
17. मै० फाईबर प्राडक्टस, 33.ए, अपूरवा इं० इस्टेट, माकवानस, रोड, अन्धेरी (ईस्ट) बम्बई 59
18. मै० मेगनेटो इलेक्ट्रीकल्स प्लाट नं० 19, गोर्व. इं० इस्टेट कान्डीवली, बम्बई-67
19. मै० मोनट्रेक्स ग्लास फाईबर इं० बम्बई मुतअज टेरेस रुस्तम, सितवा मार्ग, बम्बई-23
20. मै० एन. के. जोशी एण्ड कं० 7, रामा निवास, सकाराम किर रोड, नियर हरि निवास बम्बई।
21. मै० वेयान ग्लास टैक्स इं०, 168-170, शेरीफ देवी जी स्ट्रीट चाकला बम्बई-3
22. मै० इं० टेप्स एण्ड फाईबरस 188, मानिकतला, मैन रोड कलकत्ता-54
23. मै० इन्सुग्लास इं० प्रा० लि०, 90, रिपन स्ट्रीट कलकत्ता-16.
24. मै० बजाज फेबरिक्स प्रा० लि०, 5, फेन्सी लेन, कलकत्ता-51.
25. दि कलकत्ता रिबन फैक्टरी, 111, कोसीपुर रोड, कलकत्ता-2.
26. दि सिम्पलेक्स टैक्सटाइलस, पी-36 इंडिया एक्सचेंज, कलकत्ता-1
27. दि ईस्टर्न ट्रेडर्स, 45-ए, बनचाराम अकरुर लेन, कलकत्ता-10
28. दि इण्डस्ट्रियल वीवर्स, 74, बेलीयाघाटा मेन रोड, कलकत्ता-10

29. दि इनसूलेटिड वीयर्स एण्ड केबल्स कारपोरेशन प्राइवेट लि , 112, डायमण्ड हरबर रोड कलकत्ता
30. दि भारत इन्सूलेशनस, फरीदाबाद (हरियाणा)
31. दि वेरायटी इन्सूलेशन्स, गंगन पाहद, हैदराबाद ।
32. दि ग्लासमिका इण्डस्ट्रीज इण्डिस्ट्रियल एरिया, एतद्वार (उ० प्र०).
33. दि युनीवर्सल इंडस्ट्रीज, बी-310, विश्वकर्म इंडस्ट्रियल एस्टेट, रोड नं०-16 एल, जयपुर-13
34. मै० विद्युत उद्योग आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एस्टेट, जमशेदपुर ।
35. पै० जेकोग्लास इंसूलेशन, 2 2 8. सुभाष रोड नारायणपुर-509219 (आ० प्र०)
36. मैसर्स सलीन्ज इंडिया, मैसूर ।
37. मैसर्स नायक वीविंग मिल, 1206,बी/34, शिवाजी नगर पूना-4.
38. मैसर्स नायकोग्लास, 1206, बी/34, शिवाजी नगर, पूना-4
39. श्री यमुनाजी कारपोरेशनस, देवगर भारिया, जिला : पंच महल गुजरात ।
40. मैसर्स महावीर टेपस, कोलशेट, थाना (महाराष्ट्र)
41. मैसर्स विद्युत उद्योग, 5. फैंसी लेन चौथी मंजिल कलकत्ता ।

क्रमांक	कम्पनी का नाम आशय पत्र	बनाई जाने वाली वस्तुएँ
1.	मैसर्स सीमैंस इंडिया लिमिटेड डा० एने बेसेन्ट रोड, बम्बई	तापमान के लिए इलैक्ट्रानिक्स मापक यंत्र तथा कन्वर्टरों, स्पीड करेंट, वोल्टेज रिसिस टैंस, फीक्यूऐंसी पावर फैक्टर, सक्रिय तथा पुनः सक्रिय पावर. प्रैशर, विभिन्न दबाव फूलों लेवल आदि
2.	मैसर्स ब्रिटानिया बिस्कुट कम्पनी लिमिटेड 5, टाराटोला रोड कलकत्ता-700853	एंथाक्वीनोन
3.	मैसर्स इंडो असाही ग्लास कंपनी लिमिटेड 3 इंगर फोर्ड स्ट्रीट, कलकत्ता-700017	आप्थालमिक लैंस
4.	मेसर्स इंडिया एक्सपलोसिव लि०, प्रा० लिमिटेड बम्बई	अमोनिया
5.	मैसर्स कोलगेट पामोलिव इण्डिया चौरंगी कलकत्ता	मैंथाल
6.	मैसर्स इंडिया अल्मूनियम कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता	एल्यूमिनियम एक्सटूटेड उत्पाद

7.	मैसर्स फिलिपि इंडिया लिमिटेड याथक रोड, कलकत्ता	धातु के फिल्म रिसिसटर्स
8.	मैसर्स इंडिया अल्मूनियम कम्पनी लिमिटेड, मिल्लटन स्ट्रीट ककलत्ता	एल्मूनियम रोल्ड उत्पाद।
9.	मैसर्स फिलिपिस इंडिया लिमिटेड वार्ली, बम्बई	विशिष्ट औजार
10.	मैसर्स चिवा जोयजी आफ इंडिया लि. बम्बई	हाइड्रोक्लोरिक ऐसिड आदि,
11.	—वही—	सोडियम सल्फा क्लोरोपाइरीडामीजीन
12.	मैसर्स फिलिप इडिया लिमिटेड मलक रोड, कलकत्ता	सोडियम वेयर लैम्प
13.	मैसर्स चौबरी इंडिया लिमिटेड बम्बई	सेव का रस सादुए
14.	मैसर्स यूनियन केबीडी इडिया लि. न्यू दिल्ली	1, इथइल हाक्सोक एसिड 2. इथाइल हाक्साइल एसीटेड
15.	मैसर्स जनरल इलैक्ट्रीक कम्पनी आफ इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता	फ्लेम प्रुफ एयर सर्किटबेकर। फ्लेम प्रुफ गेट एन्ड बाकसिस
16.	मैसर्स फिलिपस इंडिया लिमिटेड कलकत्ता	जी. एल. एस. लैम्पस आदि
17.	मैसर्स मेटल बाक्स नंम्बर आफ इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता	बाल वियरिंग आदि
18.	मैसर्स फिलिपस इंडिया लिमिटेड वार्ली, बम्बई	इलैक्ट्रोनिक कैपैसिटर आदि
19.	मैसर्स सीमैन इंडिया लिमिटेड बम्बई	इलैक्ट्रिक बाल्व तथा डैम्पर
20.	मैसर्स फिलिप्स इंडिया लिमिटेड बम्बई	प्रोफेशनल ग्रेड माइकोफोन
21.	मैसर्स बायर इंडिया लिमिटेड बम्बई	फनथियन टैक्निकल।

टिप्पणी : आशय पत्र तथा औद्योगिक लाइसेंस जारी न करते समय उपयुक्त सभी फर्मों में 40 प्रतिशत से अधिक विदेशी इक्विटी पूंजी थी।

'फोर्ड कोलेबरेशन विद इंडियन फर्म लाइकली' शीर्षक से प्रकाशित समाचार

9373. **श्री भगत राम** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको दिनांक 19 फरवरी, 1979 के 'टाइम्स आफ इण्डिया' में 'फोर्ड कोलेबरेशन विद इंडियन फर्म लाइकली' शीर्षक से प्रकाशित समाचार के बारे में जानकारी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के सहयोग का औचित्य और ब्योरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) (क) जी, हां।

(ख) बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए वाणिज्यिक गाड़ियों की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से मैं० सिम्पसन एण्ड कम्पनी लिमिटेड, मद्रास द्वारा प्रतिवर्ष 12,000 की क्षमता में ट्रकों का निर्माण करने के लिए सितम्बर, 1963 के औद्योगिक लाइसेंस को कार्यान्वित करने के लिए कदम उठाये गये हैं। कम्पनी द्वारा फोर्ड कम्पनी के साथ विदेशी सहयोग के लिए बात-चीत शुरू की गई है। विदेशी सहयोग का प्रस्ताव निर्णय के लिए सरकार को प्रस्तुत नहीं किया गया है।

स्कूटरों का निर्माण

9374. **श्रीकृष्ण सिंह** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कुल कितने स्कूटरों का निर्माण किया जा रहा है ;

(ख) निर्माताओं के नाम क्या हैं और गत तीन वर्षों के दौरान उनमें से प्रत्येक द्वारा कितने स्कूटरों का निर्माण किया गया ;

(ग) क्या वर्तमान निर्माताओं में से किसी ने अपनी वर्तमान निर्माण क्षमता को बढ़ाने के लिए आवेदन दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे निर्माता एककों के नाम क्या हैं और कितने स्कूटरों के लिए क्षमता में विस्तार की अनुमति मांगी गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) तथा (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) तथा (घ) मैसर्स बजाज आटो लिमिटेड, पुणे ने अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए आवेदन दिया था तथा उन्हें 80,000 स्कूटर (दो पहिये वाले) प्रतिवर्ष तक अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए एक आशय पत्र दिया गया है।

विवरण

क्रम संख्या	फर्म का नाम	उत्पादन, संख्या में		
		1976-77	1977-78	1978-79
1.	मैसर्स बजाज आटो लिमिटेड, पूना।	85134	85134	81422
2.	मैसर्स आटोमोबाइल प्रोडक्ट्स आफ इंडिया लिमिटेड, बम्बई।	32704	20474	26844
3.	मैसर्स एस्कोर्टस लिमिटेड, फरीदाबाद।	676	676	121
4.	मैसर्स यू० पी० स्कूटर्स लिमिटेड, कानपुर।	—	—	—

5.	मैसर्स अरावली स्वचालित वाहन लिमिटेड, जयपुर।	—	965	424
6.	मै० आंध्र प्रदेश स्कूटर्स लिमिटेड	5173	8133	10265
7.	मैसर्स पंजाब स्कूटर्स लिमिटेड,	—	2573	1666
8.	मैसर्स कर्नाटक स्कूटर्स	342	3523	3690
9.	मैसर्स बिहार औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड।	—	75	=
10.	मैसर्स वेस्ट बंगाल स्कूटर्स लिमिटेड	—	610	—
11.	मैसर्स स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड	24358	16717	23101
12.	मैसर्स महाराष्ट्र स्कूटर्स	8541	27382	27279
13.	मैसर्स गुजरात लघु उद्योग लिमिटेड।	204	222	291
		157132	166484	175203

पोरोम्फट स्थित प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र के तकनीशियनों द्वारा कपड़ों का उत्पादन

9375 : **श्री के. पलना** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर की राजधानी मुफाश के समीप पोराम्फट के स्थित प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र को तकनीशियन पिछले कुछ वर्षों से प्रयोग के आधार पर कपड़े का उत्पादन और कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी प्रगति के बारे में ब्यौरा क्या है ; और

(ग) अनानास की पत्तियों से निर्मित कपड़ा बाजार में कब तक आ जायेगा ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) (क) जी, हां। मनीपुर सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 1974-75 से लगातार प्रयोग किए जा रहे हैं।

(ख) केन्द्र 1970 में स्थापित किया गया था तथा इसके पास 8000 रुपए की कीमत के उपकरण थे। उसके बाद केन्द्र के पजीकरण का कार्य हाथ में लिया गया था तथा उसके बाद से 37,600 रु० की कीमत की मशीनें मंगाई गई हैं। केन्द्र में 153 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है। बुनकरों का सेवा केन्द्र, इम्फाल भी इन प्रयोगों में सक्रिय रूप से सहयोग दे रहा है तथा इसने 1000 मीटर से भी ज्यादा कपड़े का उत्पादन करने में सहायता की है।

(ग) इस केन्द्र द्वारा बनाया गया कपड़ा केन्द्र में सीमित मात्रा में बिक्री के लिए उपलब्ध है।

संत्रालयों में तदर्थ आधार पर नियुक्त हिन्दी टाइपराइटरों/स्टेनोग्राफरों की सेवाओं को नियमित करना

9376. **श्री रामानन्द तिवारी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970 से 1978 की अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकार के मन्त्रालयों/विभागों में मन्त्रालय वार/विभागवार/और वर्षवार तदर्थ आधार पर कितने हिन्दी टाईपिस्ट/स्टेनोग्राफर नियुक्त किये गए;

(ख) क्या हिन्दी के प्रयोग में निरन्तर वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार राजभाषा वर्ष, 1979 में तीन वर्ष से अधिक समय से तदर्थ आधार पर काम कर रहे हिन्दी टाइपस्टिों/स्टेनोग्राफरों की सेवाएं नियमित करने की है;

(ग) क्या उनमें से अधिकांश की आयु अधिक हो गयी है और तीन वर्ष सेवा करने के बाद भी उनकी वरिष्ठता निर्धारित नहीं की गई है;

(घ) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार उनकी सेवाएं मानवीय आधार पर नियमित करने और इस राजभाषा वर्ष में उनकी वरिष्ठता निर्धारित करने का है; और

(ङ) यदि हाँ, तो कब तक और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मत्रालय तथा विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. डी. पाटिल) : (क) से (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और ज्योंही एकत्रित हो जाएगी, एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया जाएगा ।

कपड़ा उद्योग का लाभ

9377. **श्री बालासाहिब विख पाटिल** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कपड़ा उद्योग सरकार की नई नीति के कारण रुई के मूल्य में कोई वृद्धि न करके कपड़े को अधिक मूल्य पर बंधकर भारी मुनाफा कमा रहा है;

(ख) क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कार्यवाही करेगी कि प्राप्त होने वाला अधिक लाभ उद्योग के श्रमिकों और रुई उत्पादकों में भी वितरित हों;

(ग) क्या सरकार उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए कपड़े का मूल्य कम कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) से (घ) वास्तव में, कच्ची रुई का थोक मूल्य सूचकाँक अगस्त 1978 में 168.4 था जो गिरकर मार्च, 1979 में 164.2 रह गया है मिलों के सूती कपड़े का थोक मूल्य सूचकाँक अगस्त, 1978 में 182.7 था जो बढ़कर मार्च 1979 में 185.5 हो गया । सरकार ने कपड़े के मूल्यों में बृद्धि होने के विषय पर वस्त्र उद्योग के साथ बात-चीत की है तथा सूती कपड़े के मूल्य कम करने के लिए कदम उठाने के लिए कहा है । उद्योग ने निम्नलिखित तीन विकल्प सुझाव हैं :

1. कपड़े के मूल्यों को दिसम्बर, 1978 के मूल्य स्तर तक वापस लाना,

अथवा

2. सूती कपड़े के मूल्य 16 मार्च, 1979 से पूर्व के मूल्य स्तरों पर स्थिर करना,

अथवा

3. 16 मार्च, 1979 से पूर्व प्राप्त बीजक दरों के 2 प्रतिशत तक सूती कपड़े के मिल से निकलते समय के मूल्य कम करना ।

इनमें से कोई भी विकल्प सरकार को मान्य नहीं हैं । फिलहाल सरकार मिलों को एक उचित स्तर तक मूल्यों को लाने के लिये उन्हें बाध्य करने के अभ्युपायों पर विचार कर रही है ।

लघु उद्योगों की स्थापना के लिये बड़े उद्योगों को लाइसेंस दिया जाना

9378. **श्री दलपत सिंह परस्ते** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कन्हीं बड़े उद्योगपतियों ने लघु उद्योगों की स्थापना हेतु लाइसेंस लेना प्रारम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या बड़े गृहों को ये लाइसेंस किन्हीं कानूनी त्रुटियों के कारण दिये जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो कानूनी त्रुटियों को दूर करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) लघु एककों की स्थापना करने के लिए उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत औद्योगिक लाइसेंसों की आवश्यकता नहीं होगी।

(ख) तथा (ग) दिसम्बर, 1977 में संसद के समक्ष रखी गई नई औद्योगिक नीति में ग्रामीण क्षेत्र तथा छोटे नगरों में व्यापक रूप से फैले कुटीर तथा लघु उद्योगों के प्रभावी कार्यान्वयन पर बता दिया गया है। सरकार की नीति यह है कि जिन वस्तुओं का उत्पादन कुटीर तथा लघु उद्योगों द्वारा किया जाता है केवल उन वस्तुओं का उत्पादन कुटीर तथा लघु उद्योगों द्वारा ही किया जाए। औद्योगिक नीति विवरण के अनुच्छे 19 में यह स्पष्ट किया गया है कि सरकार बड़े गृहों की गतिविधियों को विनियमित करेगी ताकि उसे देश के सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों के अनुरूप लाया जा सके। जहाँ बड़े एकक चाहे वे बड़े गृहों से सम्बन्धित हों अथवा नहीं, सहायक लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित वस्तुओं का उत्पादन करने में लगे हुये हैं, उनकी क्षमता में कोई विस्तार नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ इन वस्तुओं के उत्पादन की कुल क्षमता में इन एककों की सहभागिता को धीरे-धीरे कम कर दिया जाएगा तथा उन वस्तुओं के उत्पादन के लिए लघु-तथा कुटीर क्षेत्र की क्षमता में वृद्धि की जाएगी। लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित वस्तुओं का उत्पादन करने की क्षमता स्थापित करने हेतु बड़े औद्योगिक उपक्रमों को औद्योगिक लाइसेंसिंग से छूट नहीं दी जाती है।

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली हिन्दी स्टेनोग्राफर परीक्षा में सामान्य अंग्रेजी का पर्चा पास किया जाना

9379. **डा० रामजी सिंह** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रति वर्ष ली जाने वाली हिन्दी स्टेनोग्राफर परीक्षाँ में बैठने वाले उम्मीदवारों के लिए सामान्य अंग्रेजी के पर्चे में पास होना अनिवार्य है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवार इसके परिणामस्वरूप पास नहीं होते;

(ग) क्या सामान्य अंग्रेजी के पर्चे में कोई विशेष रियायत का उपबन्ध किया जायेगा जिससे कि अधिक संख्या में उम्मीदवार हिन्दी स्टेनोग्राफर परीक्षा पास कर सकें तथा उन्हें रोजगार प्राप्त करने में आसानी हो तथा सरकार को भी हिन्दी स्टेनोग्राफर मिल सकें; और

(घ) सरकार का इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय तथा विधि न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस. डी. पाटिल) : (क) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा हिन्दी स्टेनोंग्राफरों के लिए कोई परीक्षा नहीं ली जाती है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली स्टेनोग्राफर परीक्षा में तीन पर्चे होते हैं जिनमें से एक अनिवार्य पर्चा सामान्य अंग्रेजी का होता है। उम्मीदवारों को अन्य दो पर्चों अर्थात् निबन्ध तथा सामान्य ज्ञान और आशुलिपि की परीक्षाएं हिन्दी अथवा अंग्रेजी में देने का विकल्प होता है।

(ख) यह कहना सही नहीं होगा कि उम्मीदवार इस परीक्षा में केवल इस कारण से सफल नहीं होते कि उन्हें सामान्य अंग्रेजी के अनिवार्य पर्चे का उत्तर देना आवश्यक होता है।

इस पर्चे के अधिकतम अंक उक्त परीक्षा के लिए कुल अधिकतम अंकों के केवल 1/6 ही होते हैं।

(ग) और (घ) विद्यमान योजना में ढील दिया जाना आवश्यक नहीं समझा गया है।

वैज्ञानिक अनुसंधान परियोजनाओं के लिये धनराशि

9380. **प्रो. पी. जी. मावलकर** : क्या **योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1977-78 और 1978-79 में अधिक धनराशियों का आवंटन करके विभिन्न वैज्ञानिक अनुसंधान परियोजनाओं को बढ़ावा दिया है अथवा वृद्धि की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी मोटा ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त कार्यवाही के क्या कारण हैं और उसके लिये किन मार्गदर्शी सिद्धान्तों को ध्यान में रखा गया; और

(घ) अब तक प्राप्त हुए परिणामों के क्या संकेत हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फजलुर्रहमान) : (क) जी हाँ।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिखाया गया है।

(ग) आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए विज्ञान और शिल्पविज्ञान में देश की क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से तथा देश के लोगों के लिए सामाजिक और आर्थिक विकास में विज्ञान और शिल्पविज्ञान के अधिक योगदान को प्राप्त करने के उद्देश्य से परिव्यय में वृद्धि की गई है।

(घ) विज्ञान और शिल्प विज्ञान के आधार ने भारत को अनेक और विविध औद्योगिक उत्पादनों के विनिर्माण के लिए तथा परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण अनुप्रयोग और अन्तरिक्ष अनुसंधान में अधिक आत्मनिर्भता के लिए पर्याप्त शिल्पवैज्ञानिक सक्षमता और कार्यक्षमता को विकसित करने में समर्थ बनाया है। कृषि जैसे अन्य क्षेत्रकों में भी विज्ञान और शिल्पविज्ञान का योगदान उल्लेखनीय और पर्याप्त रहा है।

विवरण

विज्ञान और शिल्पविज्ञान-योजना परिव्यय

(करोड़ रु०)

क्र० सं०	मन्त्रालय/विभाग/अभिकरण	1976-77	1977-78 (प्रत्याशित व्यय)	1978-79 (बजट अनुमान)
क.	**विज्ञान और शिल्पविज्ञान से संबन्धित अभिकरण**			
1.	परमाणु ऊर्जा	31.02	30.24	35.26
2.	अन्तरिक्ष	23.80	28·64	32.08

3. विज्ञान और शिल्पविज्ञान विभाग***	13.25	16.02	27.87
4. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद	14.02	18.49	22.73+
5. पूर्ति (राष्ट्रीय परीक्षण शाला)	.14	0.44	0.70
जोड़ 'क'	82.23	93.83	118.64
ख. मंत्रालयों/विभागों के अन्तर्गत विज्ञान और शिल्प विज्ञान से संबंधित घटक			
6. भारी उद्योग	2.95	7.60	9.44
7. औद्योगिक विकास**	1.72	2.83	3.27
8. इस्पात	0.71	1.97	3.30
9. खान	0.55	1.61	1.96
10. विद्युत	0.84	1.17	1.83
11. कोयला	1.25	1.25	2.23
12. पेट्रोलियम	2.85	6.23	3.24
13. रसायन	0.19	1.11	1.07
14. इलेक्ट्रानिक्स	3.26	6.00	6.56
15. संचार	4.28	6.43	7.74
16. सूचना और प्रसारण	0.06	0.09	0.41
17. नौवहन और परिवहन	0.30	0.79	1.34
18. निर्माण और आवास	—	0.37@	—
19. श्रम	—	—	—
20. पर्यटन और नगर विमानन भारत मौसम विभाग और संस्थान	2.24	6.45	15.97
21. स्वास्थ्य-भारतीय भेषज अनुसंधान परिषद	4.23	4.85	5.36
22. कृषि-भारतीय-कृषि अनुसंधान परिषद@@@	28.22	38.74	55.00
वन अनुसंधान संस्थान@@	0.45	1.16	2.00

*** केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत राजधानी निर्माण कार्यों पर व्यय सहित ।

+ अन्य विभागों को अन्तरित की गई राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के लिए धनराशि की व्यवस्था शामिल है ।

** पटसन और वस्त्र की सहायता अनुदान स्कीमें शामिल हैं जिनकी वित्त-व्यवस्था 1977-78 तक वाणिज्य मन्त्रालय द्वारा की जाती थी ।

@ भारतीय मानक संस्था को सहायता अनुदान

@@ शिक्षा और प्रशिक्षण सहित ।

23. खाद्य	0.45	0.63	0.90
24. सिंचाई	0.15	0.62	0.85
25. शिक्षा-विश्वविद्यालय*	4.45	6.00	6.25
जोड़ 'ख'	59.15	95.90	128.77
कुल जोड़	141.38	189.73	247.41

मन्त्रियों के साथ संबंध किए गए आई. ए. एस. अधिकारी

9381. **प्रो. पी. जी. मावलंकर** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1977 के पश्चात् मन्त्री परिषद के एक अथवा अधिक सदस्यों के साथ एक अथवा अधिक आई. ए. एस. अधिकारियों को लगाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या उक्त अधिकारी अपने-अपने राज्यों से केन्द्र में प्रतिनियुक्ति पर हैं; और

(घ) सम्बद्ध मन्त्रियों को निजी सचिवालय सहायता देने के लिए आई. ए. एस. अधिकारियों की नियुक्ति करने के क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय तथा विधि न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम. डी. पाटिल : (क) जी हाँ श्रीमान।

(ख) सदन के पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

(ग) जी हाँ श्रीमान।

(घ) मन्त्रियों को अपने वैयक्तिक कर्मचारियों के चयन के मामलों में स्वनिर्णय का अधिकार प्राप्त है। किन्तु, ऐसी नियुक्तियाँ सम्बन्धित मन्त्री के कार्य-काल के साथ समाप्त हो जाती हैं।

विवरण

क्रम संख्या	मन्त्री का नाम	मन्त्री के साथ सम्बद्ध आई. ए. एस अधिकारी का नाम और पद नाम	क्या केन्द्र में प्रतिनियुक्ति पर हैं
1	2	3	4
	मन्त्री मण्डल के सदस्य		
1.	श्री एल. के. अडवानी (सूचना तथा प्रसारण मन्त्री)	(I) श्री वी. एस. त्रिपाठी विशेष सहायक) (मार्च 1977 से 4-1-77) (अपराह्न)	हाँ

* विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों को विज्ञान में अनुसंधान और उच्च अध्ययन, अनुसंधान अध्येतावृत्ति, अभिकलित्र और क्षेत्रीय उपकरण सुविधाओं के लिए दिए जाने वाले सहायता अनुदान के लिए अनुमानित व्यवस्था। इसमें भारतीय शिल्पविज्ञान संस्थानों में अनुसंधान और विकास विभाग शामिल नहीं हैं।

		(II)	श्री अजय प्रसाद (विशेष सहायक) (9-3-79 (अपराह्न) से अब तक)	हाँ
2.	श्री एच एन. बहुगुणा, (पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मन्त्री)		श्री अख्तर आलम (विशेष सहायक)	हाँ
3.	श्री सिकन्दर बख्त (निर्माण तथा आवास, पूर्ति तथा पुनर्वास मन्त्री		श्री एस. सी. पाण्डेय (विशेष सहायक)	हां
4.	श्री प्रकाश सिंह बादल (कृषि तथा सिंचाई मन्त्री) 17-6-1977 (अपराह्न) तक)		श्री राजिन्दर सिंह (विशेष सहायक) 1-4-77 से 17-6-77 तक)	हाँ
5.	श्री एस. एस. बर्नाला (कृषि तथा सिंचाई मन्त्री) (18-6-1977 के पूर्वाह्न से)	(I)	श्री राजिन्दर सिंह (विशेष सहायक) (18-6-77 से 4-10-78) अपराह्न तक)	हाँ
		(II)	श्री चिरंजीव सिंह (विशेष सहायक) (18-10-78 से)	हाँ
6.	श्री शान्ति भूषण (विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मन्त्री)		श्री एस. आर. काकोदकर (विशेष सहायक) (11-4-1978 तक)	हाँ
7.	श्री पी. सी. चन्दर (शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्री)		श्री ए. के. बसु (विशेष सहायक)	हां
8.	श्री मोहन धारिया (वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मन्त्री)		श्री आर. बद्रीनाथ (विशेष सहायक)	हाँ
9.	श्री जार्ज फर्नान्डीस, (उद्योग मन्त्री)		श्री अशोक जेटली, (विशेष सहायक)	हाँ
10.	श्री पुरुषोत्तम कौशिक (पर्यटन तथा सिविल विमान मन्त्री)		श्री के. डी. सक्सेना, (विशेष सहायक) (11.4.77 (अपराह्न से 30.5.78 तक)	हाँ
11.	श्री एच. एम. पटेल (भूतपूर्व वित्त मन्त्री	(I)	श्री के. शिव कुमार (निजी सचिव) (27.5.77 तक)	हाँ

		(II)	श्री अरविन्द पाण्डेय (निजी सचिव) (27.5.77 से 20.6.78 तक)	हां
		(III)	श्री वाई. एल. राजवाड़े (विशेष सहायक) (21.6.78 से 23.1.79 तक)	हां
		(IV)	श्री एस. सो. मांकड़ (अवर सचिव तथा निजी सचिव) (12.5.78 से 23.1.79 तक)	हां
12.	श्री एच एम. पटेल (गृह मन्त्री)	(I)	वाई. एल. राजवाड़े (विशेष सहायक)	हां
		(II)	श्री एस. जी. मांकड़ (निजी सचिव साथ-साथ कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग में अवर सचिव के पद पर भी)	हां
13.	श्री बीजू पटनायक (इस्पात तथा खान मन्त्री)		श्री रमेश चन्द्र (विशेष सहायक)	हां
14.	श्री पी. रामचन्द्रन (ऊर्जा मन्त्री)		श्री आर. वासुदेवन (विशेष सहायक (25.3.77 से 30.11.77 तक)	हां
15.	श्री राजनारायण (स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्री)		श्री चित्राँगद सिंह (विशेष सहायक) नियुक्ति के समय ये एक पी. सी. एस. अधिकारी थे 6.4.78 से इन्हें आई. ए. एस. में शामिल किया गया था)	हां
16.	श्री रवि राय (स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री)		श्री राजकिशोर भुजाबल (विशेष सहायक) (26.2.79 से)	हां
17.	श्री अटल बिहारी वाजपई (विदेश मन्त्री)	(I)	श्री अशोक मुबई (विशेष सहायक)	हां
		(II)	श्री पी. घोष (विशेष सहायक)	हां
18.	श्री बृजलाल वर्मा (संचार मन्त्री)		*श्री ए. के. गुप्ता (विशेष सहायक) (8.7.78 से)	हां
			(* फिलहाल 21.9.78 से एक साल के लिए प्रशिक्षण पर)	

	राज्य मन्त्री		
1.	श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी (शिक्षा तथा समाज कल्याण राज्य मन्त्री)	श्री अशोक सैकिया (निजी सचिव)	हाँ
2.	श्री चाँद राम (जहाजरानी परिवहन राज्य मन्त्र)	श्री आई. जे. एस. खुराना (निजी सचिव)	हाँ
3.	श्री राम किंकर (निर्माण तथा आवास, पूर्ति तथा पुनर्वास राज्य मन्त्री)	श्री धर्मेन्द्र देव मिश्र (उप सचिव, उप सचिव के रूप में अपने कार्यों के अतिरिक्त मंत्री की सहायता भी कर रहे हैं)	हाँ
4.	श्री समरेन्द्र कुंडू (विदेश राज्य मन्त्री)	श्री आर. एन. दास (निजी सचिव)	
5.	श्रीमती आभा मैत्री (उद्योग राज्य मन्त्री)	श्री बी. चटर्जी (निजी सचिव)	हाँ
6.	श्री शिव नारायण (रेल राज्य मन्त्री)	श्री ए. पी. आर्य (निजी सचिव) (17.8.77 से 23.8.77 तक)	हाँ

लक्षद्वीप में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए सेवाओं में प्रतिनिधित्व के मामले को देखने के लिए संपर्क अधिकारी की नियुक्ति

9382. **श्री पी. एम. सईद** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों विषयक पुस्तिका के अध्याय 15 के अन्तर्गत पैरा 51 के अनुसार मन्त्रालय/विभागों के प्रशासकीय नियन्त्रण के अधीन सभी प्रतिष्ठानों तथा सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व संबंधी मामलों के निपटान के लिये सम्पर्क अधिकारी की नियुक्ति पर जोर दिया गया है;

(ख) क्यों लक्षद्वीप में सम्पर्क अधिकारी के कर्त्तव्यों का वहन विकास आयुक्त द्वारा किया जा रहा है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या यह व्यवस्था असफल रही है क्योंकि वे अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की शिकायतों पर विचार करने और उनके लिए हल ढूँढने की स्थिति में नहीं हैं और वे प्रायः लोगों को मिलते नहीं और 1977 से वे बाहर गये हुये हैं;

(घ) क्या अनुसूचित जनजातीय संगठन ने न यह माँग की है कि अनुसूचित जनजातीय अधिकारी को संघ राज्य क्षेत्र में सम्पर्क अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाये; और

(ङ) यदि हाँ, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) से (ङ) सेवाओं और पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व से संबंधित मामलों पर कार्यवाही करने के लिए एक सम्पर्क अधिकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण सम्बन्धी पुस्तक (पाँचवाँ संस्करण) के अध्याय 15 के पैरा 15 के

अधीन मनोनीत किया जाना है। लक्षद्वीप में, प्रशासक, लक्षद्वीप ने एक स्थानीय अनुसूचित जनजाति ग्रुप 'क' के अधिकारी को 28-2-79 से सम्पर्क अधिकारी का काम करने के लिए मनोनीत किया है। स्थानीय अनुसूचित जाति के अधिकारी का सम्पर्क अधिकारी के रूप में नामांकन करना उन माँगों में से एक थी जो स्थानीय अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी कल्याण संघ द्वारा फरवरी, 1979 में प्रधान मन्त्री के लक्षद्वीप के दौरे के समय उनको प्रस्तुत किये गये एक ज्ञापन में की गई थी और उसे पूरा कर दिया गया है।

लक्षद्वीप में अनुसूचित जातियों के लोगों की भर्ती

9383. **श्री पी. एम. सईद** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे : कि :

(क) क्या गृह मन्त्रालय के दिनांक 14 अक्तूबर, 1955 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 7/2/55 एस. सी. टी. 1975 संस्करण की पुस्तिका पृष्ठ 127 के अनुसार लक्षद्वीप के अनुसूचित जनजाति लोगों की सीधी भर्ती में 99.97 प्रतिशत पद मिलने चाहियें;

(ख) यदि हाँ, तो क्या गृह मन्त्रालय ने प्रशासन को सम्बोधित दिनाँक 3 जुलाई, 1978 के पत्र संख्या 40/6/14/74 ए. एन. एल. द्वारा प्रशासन को स्पष्ट रूप से निदेश दिये हैं कि ग्रुप (सी) और (डी) के पदों पर गैर अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की नियुक्ति नहीं होनी चाहिये और यह अनुदेश दिये हैं कि ऐसी नियुक्ति केवल स्थानीय उम्मीदवारों में से की जानी चाहिये;

(ग) क्या प्रशासन उक्त अनुदेशों का पालन नहीं कर रहा है और अभी भी इन स्थानों से बाहार से उम्मीदवारों की भर्ती कर रहा है; और

(घ) उसके मुख्य कारण क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

गृह मन्त्रालय तथा विधि न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस. डी. पाटिल : (क) जी नहीं, श्रीमान। लक्षद्वीप प्रशासन के अधीन ग्रुप ग तथा घ में सीधी भर्ती के लिए कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग के तारीख 12.3.73 के का. ज्ञा. सं. 1.3.72 स्थापना (एस. सी. टी.) के अधीन अनुसूचित जनजातियों के लिए 45 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित करने के आदेश जारी किये गये थे।

(ख), (ग) तथा (घ) समय-समय पर यथा संशोधित इस मन्त्रालय के 3.7.75 के पत्र संख्या 14016/14-74-ए एन. एल. में जारी किये गये प्रशासनिक अदेशों के अनुसार पुलिस विभाग के पदों को छोड़कर लक्षद्वीप प्रशासन के अधीन ग्रुप ग तथा घ के सभी पदों के लिए सीधी भर्ती स्थानीय रूप से की जाती है। और गैर स्थानीय उम्मीदवार केवल तब नियुक्त किये जाते हैं जब अर्हता प्राप्त उम्मीदवार स्थानीय रूप उपलब्ध नहीं होते। लक्षद्वीप प्रशासन इन अनुदेशों का पालन कर रहा है इसलिए कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

ज़ाम्बिया द्वारा औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना के लिये मांगी गई सहायता

9384. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जाम्बिया ने अनेक औद्योगिक परियोजाओं की स्थापना के लिये सहायता माँगी है ; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) तथा (ख) फरवरी, 1979 में अखिल भारतीय इंजीनियरी व्यापार मेले के सम्बन्ध में जाबिया के उद्योग एवम् वाणिज्य मंत्री के भारत दौरे तथा मार्च, 1979 में राष्ट्र मंडलीय उद्योग मंत्रियों की बैठक के दौरान जाम्बिया के मंत्री द्वारा केन्द्रीय उद्योग मंत्री के साथ दोनों देशों के मध्य जाम्बिया में विभिन्न उद्योगों विशेषतया लघु उद्योगों, इस्पात रोलिंग मिल तथा कागज/लुगदी परियोजना के विकास के सम्बन्ध में सहयोग के क्षेत्रों के बारे में विचार विमर्श किया गया था। इन परियोजनाओं में भारतीय सहयोग के ब्यौरे तैयार करने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में जाम्बिया की ओर से आगे बातचीत की जायेगी।

दिल्ली में स्वतन्त्रता सेनानियो का संमेलन

9385. **श्री केशवराम घोंडगे** :

श्री बसन्त साठे : **क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वतन्त्रता सेनानियों का एक सम्मेलन 25, 26 तथा 27 फरवरी, 1979 को दिल्ली में किया गया था ;

(ख) उसमें कुल कितने स्वतन्त्रता सेनानियों ने भाग लिया ;

(ग) इस सम्मेलन में उनके द्वारा की गयी माँगों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी संगठन ने दिल्ली में 26 और 27 फरवरी 1979 को अपने सदस्यों का एक सम्मेलन आयोजित किया था।

(ख) संगठन के अनुसार सम्मेलन में पाँच हजार से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।

(ग) और (घ) : संक्षिप्त माँग और उन की गई कार्रवाई संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

माँग	की गई कार्रवाई
1·1. 200 रु० मासिक पेंशन बढ़ाकर 500 रु० करना।	1·1. इसमें होने वाले भारी खर्च को देखते हुए पेंशन में वृद्धि करके 500 रु० मासिक करना संभव नहीं है।
1·2. शहीदों और स्वतन्त्रता सेनानियों की विधवाओं को जीवित स्वतन्त्रता सेनानियों के समान पेंशन दी जाए।	1·2. यह अनुरोध मानना संभव नहीं है क्योंकि जीवित स्वतन्त्रता सेनानियों और विधवाओं में थोड़ा अन्तर रखना आवश्यक है।
1·3. अविवाहित लड़कियों को 100 रु० मासिक दिये जाए।	1·3. इस अनुरोध को मानना सम्भव नहीं है।

2. पेंशन की पात्रताके लिए वार्षिक आय सीमा समाप्त की जाए ।

2. इस योजना के अधीन पेंशन अनुग्रहात भुगतान है और इस कार्य के अधीन सरकार को उपलब्ध सीमित संस्रोतों के अन्तर्गत अधिकतम स्वतन्त्रता सेनानियों की सहायता करना है जो गरीब और जरूरतमन्द है । इसलिए वार्षिक आय सीमा निश्चित की गई है और इसमें ढील देना अथवा इसको समाप्त करना संभव नहीं है :

3. स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन योजना को वैधानिक बनाया जाए ।

3. पेंशन अनुग्रहात अनुदान के रूप में दी जाती है इसलिए उसे वैधानिक बनाने का प्रस्ताव नहीं है ।

4. कुछ आन्दोलन/विद्रोहों को मान्यता दी जाए ।

4. जिनका उल्लेख किया गया है उनमें से 1946 के रायल भारतीय नेवी विद्रोह को स्वाधीनता आन्दोलन के रूप में मान्यता दी गई है और उसमें भाग लेने वाले लोगपेंशन के लिए पात्र हैं किन्तु अन्य आन्दोलनों को मान्यता न देने का निर्णय किया गया है क्योंकि वे स्थानीय आन्दोलन के और सीमित उद्देश्य के लिए किए गए थे और वृहत राष्ट्रीय आन्दोलन के रूप में मान्यता देने के योग्य नहीं है । जहाँ तक सैनिक विद्रोह में भाग लेने के कारण हुई यातनाओं के दावों का सम्बन्ध है, उनको व्यक्तिगत अनुशासनहीनता के कार्य समझा गया है न कि देश भक्ति के उद्देश्य से किए गए कार्य ।

5. श्री अब्दुल गफ्फार खाँ को चिकित्सा के लिए भारत बुलाया जाए ।

5. श्री खान अब्दुल गफ्फार के स्वास्थ्य के बारे में राज्य सभा में 6-3-1979 को विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री ने घोषित किया था कि सरकार उनको चिकित्सा की समस्त सुविधा देगी ।" इस प्रस्ताव के अनुसार जब भी वे यहां आने का निर्णय करेंगे उन्हें सभी सुख सुविधाएँ दी जायेगी ।

6. नेता जी सुभाष चन्द्र बोस तथा आजाद हिन्द फौज के सभी अज्ञात सैनिक जिन्होंने बर्मा की सीमा की ओर से मातृभूमि की विमुक्ति के लिए अपने प्राणों की आहुति दी उनका

6. निर्माण तथा आवास मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार "नेता जी सुभाष चन्द्र बोस एवं आजाद हिन्द फौज के सभी अज्ञात सैनिकों के स्मारक के निर्माण के लिए भूखंड आवंटित करने का कोई प्रस्ताव उस मंत्रालय के विचारा-

स्मारक बनाने के लिए उपयुक्त भू-खड आवंटित किया जाए।

धीन नहीं है।" सरकार की वर्तमान नीति यह है कि महात्मा गांधी को छोड़कर अन्य कोई मूर्ति अपनी ओर से नहीं लगाते हैं और उस मंत्रालय का सम्बन्ध तब होता है जब कोई स्वैच्छिक संगठन दिल्ली में किसी विशिष्ट राष्ट्रीय नेता की प्रतिमा लगाने का प्रस्ताव करता है और उस प्रयोजन के लिए उनको सरकारी भूमि आवंटित करनी होती है। ऐसे प्रस्ताव का प्रायः प्रयोजकों द्वारा आश्वासन दिया जाना चाहिए कि प्रतिमा की संरचना, निर्माण व उसे लगाने के लिए उनके पास पर्याप्त धन है और उस क्षेत्र के भू-दृश्य निर्माण के लिए भी उनके पास खर्च की व्यवस्था है और स्थान के चयन के मामले में भी नगरीय कला आयोग की मंजूरी प्राप्त करेंगे। संगठन को यह भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि संगठन द्वारा प्रतिमा लगाने के बाद उस स्थान की उपयुक्त देखभाल करने का काम स्थानीय नगर पालिका अपने हाथ लेगी। सरकार ऐसी परियोजना पर कोई भी व्यय नहीं करती है वह तो केवल प्रतिमा लगाने के लिए स्थान आवंटित करती है जो (वह स्थान) सरकार की सम्पत्ति है। प्रसंगवश यह भी उल्लेख किया जाता है कि नेता जी/सुभाष पार्क दिल्ली में दिल्ली नगर निगम ने नेताजी/सुभाष चन्द्र बोस की पहले ही प्रतिमा लगाई हुई है।

7. सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया जाए कि अपने राज्य में स्वतन्त्रता सेनानियों को अपने संस्रोतों से पेंशन मंजूर करें और अपने-अपने राज्यों में स्वतन्त्रा सेनानी सदनों का निर्माण करें।

7. राज्यों की कम्पनी पेंशन योजना है और अपनी योजना के अधीन पेंशन मंजूर करने के लिए वे स्वतन्त्र हैं। सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे ऐसे स्वतन्त्रता सेनानी जिनको उपयुक्त सदन की आवश्यकता है उनके लिए राज्य स्तर पर कम से कम एक सदन बनाने की संभावना पर विचार करें। उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल सरकार ने पहले ही स्वतन्त्रता सेनानियों के लिए सदन स्थापित कर दिये हैं। पंजाब सरकार ने भी अपने राज्य में एक स्वतन्त्रता सेना सदन बनाने का निर्णय किया है।

8. स्वतन्त्रता सेनानियों का स्मारक बनाने के लिए मोंगा में पंजाब सरकार द्वारा अधिग्रहण किए गए भू-खंड को पुन: दिया जाए।	8. यह पजाब सरकार से सम्बन्धित है।
9. बिहार विधान सभा के सामने स्वतन्त्रता सेनानी स्मारक बनाने के लिए बिहार सरकार द्वारा लगाई गई धारा 144 को उठाया जाय।	9. यह बिहार सरकार से सम्बन्धित है।

लघु उद्योगों द्वारा टेलीविजन सेटों का निर्माण

9386. **डा० पी. वी. पेरियासामी** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय रेडियो तथा टेलीविजन निर्माता संघ ने लघु उद्योगों द्वारा टेलीविजन सैटों के निर्माण में सरकार द्वारा किये जा रहे भेदभाव की ओर सरकार का ध्यान दिलाया है जो कि भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड और भारतीय इलैक्ट्रोनिक निगम का एकाधिकार सुनिश्चत करता है ; और

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे भेदभाव को समाप्त करने के लिए सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) बी. एच. ई. एल. के मुकाबिले में टेलिविजन सैटों के उत्पादन में रत लघु उद्योग के विरुद्ध किसी प्रकार का भेदभाव नहीं बरता गया है। क्योंकि बी. एच. ई. एल. टेलीविजन सैटों का उत्पादन नहीं करता है। दी इलैक्ट्रानिक कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के प्रति भी जो टेलीविजन सैटों का उत्पादन करता है, कोई ऐसी विशेष प्राथमिकता नहीं दिखाई है कि जिससे लघु क्षेत्र में टेलीविजन उद्योग के विकास पर प्रभाव पड़ सके।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

जनशक्ति आयोजना के संबन्ध में एक राष्ट्रीय आयोग स्थापित करना

9387. **डा0 पी0 वी0 पेरियासामी** : क्या **योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने जनशक्ति विकास सम्बन्धी नीतियाँ तैयार करने के लिए, आंकड़े एकत्र करने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा अनुसरण हेतु सिद्धांत निर्धारित करने, इस प्रकार एकत्र किए जाये आँकड़ों का विश्लेषण और समन्वय करने के लिए जनशक्ति आयोजन के सम्बन्ध में एक स्वतन्त्र राष्ट्रीय आयोग स्थापित करने की आवश्यकता पर कभी विचार किया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो अब इस सम्पूर्ण कार्य को करने वाले संगठन का नाम क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फजलुर्रहमान) : (क) और (ख) : बेरोजगारी से सम्बन्धित भगवती समिति ने 1973 में प्रस्तुत की गई अन्तिम रिपोर्ट में एक रोजगार और जनशक्ति आयोजन विभाग तथा एक स्वायत्त राष्ट्रीय रोजगार और जनशक्ति आयोजन आयोग

स्थापित करने की सिफारिश की थी। योजना आयोग द्वारा स्थापित किए गए एक अंतर-मंत्रालयीन कार्यकारी दल ने उस सीमित की सिफारिशों की जाँच की थी। इस कार्यकारी दल का निष्कर्ष यह था कि योजना आयोग के रोजगार और जनशक्ति आयोजन प्रभाग को योजना कार्यक्रमों के रोजगार और जनशक्ति के पहलुओं को समन्वित कर सकना चाहिए तथा उसने यह सुझाव दिया था कि यह प्रबन्ध कुछ समय तक चलने दिया जाए। तदनुसार योजना आयोग का रोजगार और जनशक्ति आयोजन प्रभाग रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति की समीक्षा करने, रोजगार और जनशक्ति सम्बन्धी नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करने तथा रोजगार सृजन में हुई प्रगति का प्रबोधन करने के काम में लगा हुआ है।

नीमच (मध्य प्रदेश) में सीमेंट कारखाने का निर्माण

9388. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सीमेंट निगम के अन्तर्गत नीमच (मध्य प्रदेश) के निकट नयागांव सीमेंट कारखाने का निर्माण कार्य कितना पूरा हो गया है;

(ख) इस कारखाने में उत्पादन कब से आरम्भ होगा;

(ग) क्या कारखाने में निर्धारित कार्यक्रमानुसार उत्पादन आरम्भ हो जाएगा; और

(घ) इस कारखाने पर अब तक कुल कितना व्यय हुआ है;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) (क) भारतीय सीमेंट निगम की नीमच सीमेंट फैक्ट्री के निर्माण कार्य का 70 प्रतिशत भाग पूरा हो चुका है।

(ख) तथा (ग) : फैक्टरी में 1979-80 में उत्पादन शुरू होने की संभावना है।

(घ) 31-3-79 तक इस फैक्टरी पर 21.59 करोड़ रु० का व्यय हुआ है।

लघु उद्योगों और खादी तथा ग्रोमोद्योगों की उपलब्धियां

9389. **श्री धर्मवीर वशिष्ट** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत दो वर्षों के दौरान लघु उद्योग और खादी ग्रामोंद्योगों के क्षेत्र में विशेषकर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद रोजगार और निर्यात के संदर्भ में उनकी क्या उपलब्धियाँ रही हैं;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : वर्ष 1976-77 व 1977-78 के खादी एवम् ग्रामीण उद्योगों के उत्पादन नियोजन व निर्यात सम्बन्धी अनुमान निम्न प्रकार हैं :

क्रम सं०	वस्तु	1976-77			1977-79		
		खादी	ग्रा० उद्योग	योग	खादी	ग्रा० उद्योग	योग
1.	उत्पादन (करोड़ रु० में)	56·03	171.73	227.76	64.89	192.54	257.43
2.	नियोजन (लाख व्यक्ति)	8.53	11.72	20.25	9.22	14.94	24.16
3.	निर्यात (लाख रु० में)	0.83	47.46	85.29	0.52	54.74	55.26

2. लघु उद्योगों (पंजीयित व गैर पंजीयित एकक) केउत्पादन विभाजन, नियोजन व निर्यात सम्बन्धी अनुमान नीचे दिये गये हैं :

	1976-77	1977-78
1. उत्पादन (करोड़ रु० में)	12400	14300

2. नियोजन (लाख सं०)	55.6	58.9
3. निर्यात (करोड़ रुपयों में)	878.2	उपलब्ध नहीं

सीमेंट को रंगदार बनाया जाना

9390. **श्री सी. के. जाफर शरीफ** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार महसूस करती है कि देश में निर्माताओं द्वारा सीमेंट को रंगदार बनाया जाना, जिसको केन्द्र तथा राज्य सरकारें अपनी परियोजनाओं के लिए उपयोग में लाती हैं, ठेकेदारों द्वारा दुरुपयोग किये जाने के विरुद्ध एक समाधान है;

(ख) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई सुझाव दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) (क) और (ख) : सरकारी विभागों को जारी की गई सीमेंट की मात्रा तथा आम जनता को जारी की गई सीमेंट की मात्रा के बीच अन्तर बताने के लिये सरकार को एक सुझाव प्राप्त हुआ है।

(ग) समझा जाता है कि इस सुझाव से उन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होगी जिसके लिए यह सुझाव दिया गया है।

आई. टी. सी. होटल डील ड्रेस एक्सचेंज शीर्षक से प्रकाशित समाचार

9391. **श्री वसन्त साठे** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 मार्च 1979 के 'सडे स्टेंडर्ड आई. टी. सी. होटल ड्रेस एक्सचेंज' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसमें की गई गंभीर किस्म की विभिन्न टिप्पणियों पर, टिप्पणीवार सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इस मामले के तथ्य क्या हैं; और

(घ) इस मामले में की गई/की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) से (घ) : प्रश्न में उल्लिखित प्रेस नोट देख लिये गये हैं स्थिति की व्याख्या नीचे की जाती है :

होटल उद्योग के क्षेत्र में मैसर्स शेराटन इन्टरनेशनल इन्क यू. एस. ए. के साथ विपणन तथा आरक्षण करार करने के बारे में मैसर्स आई. टी. सी. लिमिटेड के एक प्रस्ताव पर 2 दिसम्बर, 1978 को फारेन इन्वेस्टमेंट बोर्ड द्वारा विचार किया गया था। फारेन इन्वेस्टमेंट बोर्ड की बैठक में की गई चर्चा के दौरान प्रशासनिक मंत्रालय (पर्यटन विभाग) के प्रतिनिधियों ने इस आधार पर कि बाजार की वर्तमान स्थिति को देखते हुए इस प्रकार का सहयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, प्रस्ताव की संस्तुति करने में कतिपय आशंकाएं व्यक्त की थी। फिर भी बोर्ड ने यह महसूस किया कि होटल उद्योग में सहयोग के वर्तमान मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार विदेशी सहयोग की अनुमति दी जा सकती है और पहले इस प्रकार के अनेक सहयोगों की स्वीकृति प्रदान की गयी है तथा मैसर्स ओबराय तथा टाटा जिन्होंने इस प्रकार के विदेशी सहयोग किये हैं, की तुलना में मैसर्स आई. टी. सी. लिमिटेड को अलाभप्रद स्थिति में नहीं रखा जाना

चाहिये ऐसे समग्र विचारों के प्रकाश में विदेशी सहयोगी के लिये विद्यमान होटलों अर्थात मुगल मौर्य तथा घोला के लिये प्रचार एवं आरक्षण के सम्बन्ध में शुद्ध पर्न्यावर्त के 3 प्रतिशत की अदायगी के आधार पर फारेन इन्वेस्टमेंट बोर्ड द्वारा प्रस्ताव की सिफारिश की गई थी तथा करार अवधि 31 दिसम्बर, 1988 तक निर्दिष्ट कर दी गई थी। इन शर्तों पर सरकार ने प्रस्ताव पर स्वीकृति दे दी थी तथा 27 जनवरी, 1979 को भारतीय कम्पनी को स्वीकृति पत्र जारी कर दिया गया था। मैसर्स आई. टी. सी. द्वारा लगाये गये अनुमानों के अनुसार मैसर्स शेराटन इन्टरनेशनल इंक यू. एस. ए. को पांच वर्षों के अन्त में किये जाने वाले विदेशी मुद्रा के भुगतान की राशि 100 लाख रुपये होगी। पता नहीं कैसे प्रेस रिपोर्ट में यह राशि 10 करोड़ रुपये दी गई है।

उत्तर प्रदेश का विभाजन

9392. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों की यह जोरदार मांग है कि उत्तर प्रदेश राज्य को तीन या चार भागों में विभाजन किया जाये;

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया है;

(ग) यदि यह मांग स्वीकार कर ली गई है तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि यह स्वीकार नहीं की गयी है तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) उत्तर प्रदेश को तीन या चार भागों में विभाजित करने का सुझाव उक्त राज्य के पुनर्गठन के लिए समय समय पर प्राप्त विभिन्न सुझावो में से हैं।

(ख), (ग) और (घ : जैसा कि सदन में पहले ही कहा जा चुका था, सरकार इस समय को किसी राज्य के पुनर्गठन के प्रश्न को हाथ में लेने के लिये अनुकूल नहीं समझती।

भारत में धार्मिक संगठनों द्वारा विदेशी धन का दुरुपयोग

9393. **श्री एस. एस. सोगानी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय की शिकायतें मिली हैं कि भारत में कुछ धार्मिक संगठनों को विदेशों से पर्याप्त धन मिल रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि इस धन का उपयोग देश में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में किया जाता है;

(ग) क्या सरकार को यह भी शिकायतें मिली हैं कि इन धार्मिक संगठनों के कुछ प्रमुखों ने अवैध रूप से बड़ी मात्रा में ऐसा धन एकत्रित किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) इस प्रकार की कुछ शिकायतें हैं। साधारणतः विदेशी अभिदान (विनियमन) अधिनिमम 1976 के उपबन्धों में किसी धार्मिक संगठन को विदेशों से विदेशी अभिदान प्राप्त करने से नहीं रोका गया है।

(ख) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कागज बनाने वाले कारखाने और कागज का निर्यात

9394. **श्री लाल जी भाई : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें गत तीन वर्षों में कागज बनाने वाले कारखाने स्थापित किये गये हैं और इस अवधि के दौरान उत्पादन में, वर्षवार कितनी वृद्धि हुई है;

(ख) क्या देश में तैयार किये गये कागज का निर्यात भी किया जाता है;

(ग) यदि हां तो उसका निर्यात किन देशों को किया जाता है; और

(घ) उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है;

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) गत तीन वर्षों में आन्ध्र प्रदेश, असम, गुजरात, कर्नाटक तथा उत्तर प्रदेश एवं संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी में कागज तथा गत्ते का उत्पादन करने के लिए नए एकक स्थापित किये गये थे।

गत तीन वर्षों में उत्पादन इस प्रकार था।

1976—8.80 लाख मी. टन

1977—9.37 लाख मी. टन

1978—10.00 लाख मी. टन

(ख) से (घ) वर्ष 1976-77 में 151 लाख रु० मूल्य का लगभग 651 मी. टन कागज तथा गत्ता निर्यात किया गया और ये निर्यात दक्षिण पूर्वी तथा मध्य पूर्वी देशों और कुछ अफ्रीकी देशों को किये गये थे।

माचिस उद्योग

9395. **श्री के. राममूर्ति** :क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मशीन चालित माचिस उद्योग को सरकारी बनों से 80 प्रतिशत नरम लकड़ी मिलती हैं जबकि उसका माचिस का उत्पादन देश की कुल आवश्यकता का केवल 30 प्रतिशत है;

(ख) यदि हाँ, तो देश की माचिस की 70 प्रतिशत आवश्यकता पूरी करने वाले अन्य क्षेत्र को पर्याप्त मात्रा में नरम लकड़ी उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) क्या सरकार ने माचिस उद्योग को अपेक्षित नीतियों और परतों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाये हैं;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) सरकारी वनों से नरम लकड़ी का आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है तथा भारत सरकार द्वारा इस प्रकार के आवंटन की सही मात्रा की जानकारी नहीं रखी जाती है तथा न ही यह तत्काल उपलब्ध है।

(ख) खास तौर से नरम लकड़ी की उपलब्धता की समस्या का अध्ययन करने तथा उत्पादन में वृद्धि करने के अभ्युपाय सुझाने के लिए कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय के अधीन दियासलाई उद्योग के लिए एक विकास समिति।

विस्फोटक पदार्थ बनाने के लिए ग्लाइकोन का नियतन

9396. **श्री के. राममूर्ति** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तकीनीकी विकास महानिदेशालय द्वारा विस्फोटक पदार्थ बनाने के लिए अत्यन्त आवश्यक तत्व ग्लाइकोन का पोलिस्ट सेक्टर को जियतन करने से विस्फोटक पदार्थों की भारी कमी के कारण कोयला उद्योग में घबराहट पैदा कर देने वाला संकट पैदा हो गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो देश में विस्फोटक पदार्थ बनाने वाले एककों को "ग्लाइकोन', सप्लाई करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) तथा (ख) विस्फोटकों को तैयार करने के लिए "ग्लाइकोन" नाम का कोई भी आवश्यक विशिष्ट नहीं है। किन्तु "ग्लाइकोन" नामक वस्तु का इस्तेमाल औद्योगिक विस्फोट बनाने के लिए किया जाता है। तकनीकी विकास के महानिर्देशक ने पालिरस्टर सहित किसी भी उद्योग को ग्लाइकोल का आबंटन नहीं किया है। किन्तु मोनोलथाइलीन ग्लाइकोन की माँग तथा पूर्ति में अन्तर है और राज्य रसायन तथा भेषज निगम के माध्यम से आयात करके कमी को पूरा किया जा रहा है

कोयम्बतूर में ढलाईघर (फौंडरी) का बन्द किया जाना

9397 **श्री के. राममूर्ति** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयला पहुँचन में बाधाओं के कारण कोयम्बतूर में ढलाईघर (फौंडरी) और समूचे तमिलनाडु में ईंटों के भट्टे बन्द कर दिए गए हैं जिसके परिणामस्वरूप इन ढलाईघरों में काम करने वाले 35000 लोग बेरोजगार हो गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन ढलाईघरों को फिर से उत्पादन आरम्भ करने में सहायता देने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) तथा (ख) इस सम्बन्ध में सरकार को कोई जानकारी नहीं है। तथापि राज्य सरकार से की गई पूछताछ से यह पता चलता है कि तमिलनाडु में एककों को कोयला तथा कोक की कमी तथा कम मात्रा में पहुँचने के कारण लघु उद्योग क्षेत्र में ब्रिक/फाउन्ड्री एककों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। किसी एक अथवा अन्य कारण से कोयले की कमी कोयला चाहने वाले सभी उद्योगों के लिए एक बड़ी समस्या है जिसमें से फाउंड्री तथा ईंटों के भट्टे एक भाग हैं। सरकार तमिलनाडु सहित समूचे देश में कोयले की सप्लाई में सुधार लाने के लिए कदम उठा रही है जो अन्य बातों के साथ-साथ फाउंड्री उद्योग को भी सहायता करे।

राज्य आयोजना बोर्डों का गठन

9398, **श्री के. एस. वीरभद्रप्पा** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य आयोजना बोर्डों का गठन करने वाले राज्यों के नामों सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ख) इनमें से प्रत्येक बोर्ड की रचना और कृत्यों सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) राज्यों सरकारों के आयोजना विभागों में तैयार की जा रही पंच वर्षीय योजना की तैयारी सम्बन्धी कृत्यों की मानीटर करने वाले राज्य आयोजना बोर्डों सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फजलुरहमान) : (क) से (ग) तक : सभी राज्यों

ने राज्य स्तर पर उपयुक्त योजना निकाय गठित किया है। इन्हें अलग-अलग राज्य योजना बोर्ड/आयोग/सलाहकार समितियां कहते हैं।

विभिन्न राज्यों में इन योजना निकायों के नाम और गठन का एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है। उनके काम विभिन्न समयावधियों में राज्यों के लिए विकास योजनाओं के सामान्य उद्देश्य तैयार करना और राज्य के प्राकृतिक, सामग्रीगत और मानवीय संसाधनों के मूल्यांकन के बाद विकास की क्षेत्रीय और क्षेत्रकीय कार्य नीतियां और प्राथमिकताएं तैयार करना है। उन्हें योजना कार्यक्रमों की निरन्तर समीक्षा और मूल्यांकन का काम भी सौंपा गया है।

राज्यों के योजना विभाग सामान्य रूप से राज्य योजना बोर्डों के सचिवालयों के रूप में काम करते हैं।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य	राज्य स्तर पर शिखर योजना निकाय का नाम	गठन
1.	आंध्र प्रदेश	राज्य योजना बोर्ड	1. मुख्य मंत्री : अध्यक्ष 2. वित्तमंत्री : उपाध्यक्ष 3. सदस्य : पदेन सदस्य 5 अंशकालिक सदस्य 4 (2 गैर-सरकारी) 4. सरकार के सचिव, वित्त और योजना विभाग सदस्य-सचिव
2.	असम	राज्य योजना बोर्ड	1. मुख्य मंत्री : अध्यक्ष 2. योजना मंत्री : उपाध्यक्ष 3. सदस्य गैर-सरकारी : 4 (अंशकालिक) 4. विकास आयुक्त : सदस्य : सचिव
3.	बिहार	राज्य योजना बोर्ड	1. मुख्य मंत्री : अध्यक्ष 2. योजना मंत्री : उपाध्यक्ष 3. गैर-सरकारी : उपाध्यक्ष गैर-सरकारी सदस्य 2 सदस्य पूर्णकालिक सरकारी 2 सदस्य (अंशकालिक)

4.	गुजरात	राज्य योजना बोर्ड	1. वित्त और योजना मंत्री : अध्यक्ष 2. गैर-सरकारी : उपाध्यक्ष(अंशकालिक) 3. गैर-सरकारी : 10 सदस्य(अंशकालिक 4. संयुक्त सचिव/ उप सचिव, योजना (सामान्य प्रशासन) : सदस्य-सचिव
5.	हरियाणा	राज्य योजना बोर्ड	1. मुख्य मंत्री : अध्यक्ष 2. उपाध्यक्ष (पूर्णकालिक, केबिनेट स्तर के मंत्री को स्वीकार्य वेतन और अधिकारों के साथ) **सदस्य** 3 गैर-सरकारी 5 (अंशकालिक) सरकारी संसद सदस्य-3 (अंशकालिक) 4. मुख्य मंत्री के प्रधान सचिय सदस्य-सचिव
4.	हिमाचल प्रदेश	राज्य योजना बोर्ड	1. मुख्य मंत्री : अध्यक्ष 2. वित्त मंत्री/योजना मंत्री : उपाध्यक्ष 3. केबिनेट स्तर के मंत्री (सभी): सदस्य 4. सरकारी : 8 सदस्य 5. गैर-सरकारी : 2 सदस्य 6. सचिव, योजना : सदस्य-सचिव
7.	जम्मू और कश्मीर	राज्य योजना बोर्ड	1. मुख्य मंत्री : अध्यक्ष 2. कृषि और उद्योग मंत्री उपाध्यक्ष 3. गैर-सरकारी सदस्य : 14 सदस्य 4. सरकारी : 1 सदस्य 5. योजना आयुक्त : सदस्य-सचिव **राज्य सरकार के अधिकारी** 6. मुख्य सचिव : सदस्य
8.	कर्नाटक	राज्य योजना बोर्ड	1. मुख्य मंत्री : अध्यक्ष 2. वित्त मंत्री : उपाध्यक्ष

			3. सदस्य	सदस्य
			मन्त्री	: 2
			राज्य के अधिकारी	: 2
			गैर-सरकारी	: 2
			विशेष सचिव (योजना)	: सदस्य सचिव
9.	केरल	राज्य योजना बोर्ड	1. मुख्य मन्त्री	: अध्यक्ष
			2. गैर-सरकारी	: उपाध्यक्ष उद्योग, विद्युत, परिवहन और संचार तथा प्रशासनिक सुधार
			3. वित्त मंत्री	: सदस्य वित्तीय संसाधन और आर्थिक नीतियां
			4. योजना और आर्थिक कार्य विभाग के प्रभारी सरकार के अपर मुख्य सचिव	: सदस्य योजना समन्वय प्रबोधन और योजना कार्यान्वयन
			5. पदेन सचिव, योजना	: सदस्य विज्ञान और शिल्प-विज्ञान, वन और मीन उद्योग
			6. गैर सरकारी	: सदस्य प्राकृतिक संसाधन और खनिज विकास
			7. सचिव, योजना	: सदस्य-सचिव कृषि, सांख्यिकी, आंकड़ा बैंक और सामान्य प्रशासन, योजना प्रचार, सामाजिक सेवाएं, जनशक्ति, योजना और मूल्यांकन
10.	मध्य प्रदेश	राज्य योजना बोर्ड	1. मुख्य मंत्री	: अध्यक्ष
			2. योजना मंत्री	: उपाध्यक्ष
			3. गैर सरकारी	: सदस्य : 2 सदस्य (पूर्णकालिक)
			4. सरकारी	: 2 सदस्य (पूर्णकालिक)
			5. सरकारी	: 1 सदस्य (अंशकालिक)
			6. सरकारी	: सदस्य-सचिव

11.	महाराष्ट्र	राज्य योजना और विकास परिषद	1. मुख्य मंत्री : अध्यक्ष 2. मंत्री : 6 सदस्य 3. गैर-सरकारी : 24 सदस्य 4 सरकारी : 1 सदस्य 5. विशेष सचिव (योजना) : सदस्य-सचिव
12.	मणिपुर	राज्य योजना सलाहकार समिति	1. मुख्य मंत्री : अध्यक्ष 2. एक विधान सभा सदस्य जिन्हें नामित किया जाएगा उपाध्यक्ष 3. सदस्य गैर सरकारी : 4 सदस्य सरकारी : 3 सदस्य 4. सचिव, योजना : सचिव
13.	मेघालय	राज्य योजना बोर्ड	1. मुख्य मंत्री : अध्यक्ष 2. योजना मंत्री : उपाध्यक्ष 3. सदस्य सदस्य विधान सभा सदस्य 6 सदस्य सरकारी 2 सदस्य 4. संयुक्त सचिव (योजना): बोर्ड के सचिव
14.	नागालैंड	राज्य योजना बोर्ड	1. मुख्य मन्त्री : अध्यक्ष 2. सरकारी सदस्य : 4 सदस्य 3. उप सचिव, योजना: पदेन सचिव
15.	उड़ीसा	राज्य योजना बोर्ड	1. मुख्य मंत्री : अध्यक्ष सदस्य सदस्य 2. मंत्री : 2 3. संसद सदस्य : 1 4. गैर सरकारी : 4 5. सरकारी : 5 6. सचिव, योजना : सदस्य सचिव
16.	पंजाब	राज्य योजना बोर्ड	1. मुख्य मंत्री : अध्यक्ष 2. बित्त और योजना मन्त्री : उपाध्यक्ष सदस्य सदस्य 3. गैर सरकारी : 7 (अंशकालिक) 4. सरकारी : 10 5. सचिव, योजना : सदस्य-सचिव

17.	राजस्थान	राज्य योजना बोर्ड	1. मुख्य मन्त्री : अध्यक्ष 2. योजना मन्त्री : उपाध्यक्ष **सदस्य सदस्य** 3. संसद सदस्य और विधान सभा सदस्य 2 4. गैर सरकारी : 3 5. सरकारी : 4 6. विशेष सचिव (योजना) : सदस्य-सचिव
18.	तमिलनाडु	राज्य विकास समिति	1. मुख्य मन्त्री : अध्यक्ष 2. राज्य के अधिकारी: उपाध्यक्ष **सदस्य सदस्य** 3. सरकारी : 3 4. गैर-सरकारी : 1
19.	त्रिपुरा	राज्य योजना बोर्ड	1. मुख्य मंत्री : अध्यक्ष **सदस्य सदस्य** 2. मन्त्री : 2 3. विधान सभा सदस्य: 5 4. गैर-सरकारी : 3 5. सरकारी : 3
20.	उत्तर प्रदेश	राज्य योजना आयोग	1. मुख्य मंत्री (पदेन): अध्यक्ष 3. वित्त मन्त्री(पदेन): उपाध्यक्ष **सदस्य सदस्य** 3. मन्त्री : 1 4. गैर-सरकारी : 5 (एक अंशकालिक सदस्य सहित) 5. सरकारी : 4 6. सचिव, योजना : सदस्य-सचिव
21.	पश्चिम बंगाल	राज्य योजना सलाहकार समिति	1. मुख्य मन्त्री : अध्यक्ष (पदेन) 2. विकास और योजना विभाग के प्रभारी मन्त्री : उपाध्यक्ष (पदेन) **सदस्य सदस्य** 3. मंत्री : 2 (पूर्णकालिक) 4. संसद सदस्य : 1 (अंशकालिक) 5. गैर-सरकारी : 5 (पूर्णकालिक) 6. गैर-सरकारी : 5 (अंशकालिक) 7. सरकारी : 2 (पूर्णकालिक)

सोवियत रूस की सहायता से परमाणु विद्युत संयन्त्र की स्थापना

9399. **श्री चित्त बसु** : क्या **परमाणु ऊर्जा मन्त्री** सोवियत रूस के प्रधान मंत्री के मास्को के लिए प्रस्थान के पूर्व दिल्ली में जारी भारत सोवियत रूस संयुक्त विज्ञप्ति, जिसमें परमाणु ऊर्जा के शान्तिपूर्ण उपयोग पर दो देशों के बीच सहयोग का उल्लेख किया गया है, के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सोवियत रूस की सहायता से एक वृहत परमाणु विद्युत ऊर्जा संयन्त्र की स्थापना हेतु करार के लिए उससे बातचीत आरम्भ की है ; और

(ख) यदि हाँ, तो यह बातचीत इस समय किस चरण पर है ?

रक्षा मंत्रालय तथा परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) सोवियत समाजवादी गणतंत्र सघ की मंत्री परिषद के अध्यक्ष ने भारत के अपने पिछले दौरे के दौरान जो सुझाव दिये थे, उन पर विचार किया गया है, किन्तु वर्तमान परिस्थितियों में, और देश में हो रहे प्रौद्योगिकी के विकास को देखते हुए यह व्यवहारिक नहीं होगा कि अपेक्षाकृत बड़े परमाणु बिजली संयंत्र लगाये जायें ।

(ख) यह प्रश्न उठता ही नहीं ।

देश में कागज उत्पादन के लिये कृतिक बल की स्थापना

9400. **श्री चित्त बसु** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा स्थापित कृतिक बल ने वर्ष 1978-79 के लिये देश में कागज की कुल 15·40 लाख टन की आवश्यकता का अनुमान लगाया है जबकि इसकी प्रतिष्ठापित क्षमता 14·96 लाख टन है ।

(ख) क्या क्षमता और माँग के अन्तर और अधिक हो गया है ; और

(ग) देश में कागज का उत्पादन बढ़ाने के लिये इस समय सरकार के हाथ में क्या परियोजनाएं हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) कृतिक बल (टास्क फोर्स) ने 1978-79 तक कागज तथा कागज गत्ते की कुल माँग के 13·00 लाख मी० टन होने का अनुमान लगाया गया था और 1978-79 तक 15 लाख मी. टन की अधिष्ठापित क्षमता का लक्ष्य रखे जाने का सुझाव दिया था ।

(ख) वर्तमान रुख के अनुसार वर्ष 1978-79 की माँग के 10·5 लाख मी. टन हो जाने का अनुमान है । 1978 में लगभग 10 लाख मीट्रिक टन के उत्पान सहित । अप्रैल, 1978 को कुल मिलाकर अधिष्ठापित क्षमता 12·65 लाख मी. टन थी । माँग तथा सप्लाई से बीच सीमान्त असन्तुलन आर्थिक स्थिति में सामान्य सुधार हो जाने प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम तथा सर्वव्यापी साक्षर कार्यक्रम के कारण तेजी से मांग बढ़ जाने के कारण उत्पन्न हुआ ।

(ग) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन जो भारत सरकार का उपक्रम है, नागालैंड में 33,000 मी. टन की वार्षिक क्षमता की एक एकीकृत लुगदी कागज मिल तथा नौगाँव एवं आसाम के कछार जिले में प्रत्येक ने वार्षिक 10 00 मी. टन की क्षमता वाले दो एकीकृत लुगदी तथा कागज मिलों की स्थापना कर रहा है ।

सदस्यों की गिरफ्तारी

अध्यक्ष महोदय : अब मैं मद 4 ख लेता हूँ।

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमुगोआ) : गोआ में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला है। इस सभा को विश्वास में लिये बिना इस सरकार ने गोआ में राष्ट्रपति शासन लागू किया है और उस प्रदेश में कहर ढा रही है (**व्यवधान**) इस सभा को विश्वास में लिये बिना एक तानाशाह की तरह प्रधानमंत्री जाते हैं और राष्ट्रपति शासन लागू कर देते हैं। यह कोई ठीक कार्यवाही नहीं है (**व्यवधान**)।

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं आदेश को यहाँ पढ़ सकता हूँ ? इसमें सभा को विश्वास में लेने जैसी कोई बात नहीं है (**व्यवधान**)।

श्री एडुआर्डो फैलोरी : संसद को विश्वास में अवश्य लिया जाना चाहिये। मैं यह जानना चाहता हूँ कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करने के कारण क्या हैं : (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा को सूचित करता हूँ कि मुझे नई दिल्ली के नई दिल्ली जिले के पुलिस उपायुक्त का दिनांक 1 मई, 1979 का निम्नलिखित पत्र 1 मई, 1979 को प्राप्त हुआ है :

सदस्यों की गिरफ्तारी

"मुझे आपको यह सूचना देनी है कि लोक सभा के निम्नलिखित माननीय सदस्य भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147/148/149/186/332/353/427/307 के अन्तर्गत मामला एफ. आई. आर. संख्या 479 में 1 मई, 1979 को मध्यान्ह पश्चात् 2 बजे गिरफ्तार किया गया है और उन्हें महानगरीय मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया है :

1. श्री एम. अरुणाचलम
2 श्री एन. कुदनतई रामलिंगम"

मुझे 2 मई, 1979 को महानगरीय मजिस्ट्रेट नई दिल्ली के दिनांक 1 मई 1979 को निम्नलिखित तार भी प्राप्त हुआ है :

"श्री एन. कुदनतई रामलिंगम, संसद सदस्य को 14-5-1979 तक न्यायिक हिरासत में रखा गया है।" (**व्यवधान**)

श्री के. लकप्पा (तुमकुर) : मेरे स्थगन प्रस्ताव का क्या हुआ ? उन्हें पुलिस द्वारा पीटा गया था। (**व्यवधान**)

श्री बसन्त सांठे (अकोला) : उसे न्यायिक हिरासत में रखे जाने पर भी उन्हें जमानत पर छोड़ा जा सकता है और वह संसद में उपस्थित हो सकते हैं। इन दोनों सदस्यों को संसद में उपस्थित होने के अधिकार प्राप्त है उन्हें अपनी सांविधिक ट्यूटी का निर्वहन करने से रोका गया है और संसद में उपस्थित होने के उनके अधिकार से वंचित किया गया है। क्या अध्यक्ष महोदय उनके बचाव में कुछ कहेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : यदि कानून के अन्तर्गत मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो मैं ऐसा करूंगा।

(**व्यवधान**)

श्री वसंत साठे : जब संसद सदस्य संसद में उपस्थित होने का अनुरोध करें, तो क्या उन्हें संसद के सत्र में भाग लेने से रोका जा सकता है ? (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप कोई प्रस्ताव पेश करें तो मैं इसकी जाँच करूँगा। इससे अधिक कुछ नहीं। मैं स्वतः कुछ नहीं करूँगा। **(व्यवधान)**

श्री एडुआर्डो फलीरो : गोआ में राष्ट्रपति शासन लागू करने के कारण क्या हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं कोई कारण नहीं बताता। यह तो कार्यपालिका का काम है। मेरा इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। **(व्यवधान)** मुझे इस प्रकार के किसी उपबन्ध का पता नहीं है। **(व्यवधान)**। अब सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे।

सभा पटल पर रखा गया पत्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत अधिसूचना

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. डी. पाटिल) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 294 तक की उपधारा (1) के अन्तर्गत भारत में एलोपेथिक औषधों और फामुलेशनों के विपणन के लिये एकमात्र विक्रय एजंटों की नियुक्ति पर प्रतिबन्ध के बारे में अधिसूचना संख्या सा. सा. नि. 251 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ, जो दिनांक 18 अप्रैल, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ; **(व्यवधान)**

(ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल. टी. 4390/79)

राज्य सभा से सन्देश

सचिव : महोदय, मैं राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देता हूँ :

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसार मुझे एतद द्वारा विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1979 की, जो लोक सभा द्वारा 24 अप्रैल, 1979 को हुई अपनी बैठक में पास किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिश के लिये भेजा गया था, वापस भेजने तथा यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को उक्त विधेयक के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।"

विधेयक पर अनुमति

सचिव : महोदय, मैं पिछले सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पास किये गये और राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त संविधान (44वां संशोधन) विधेयक, 1978 सभा पटल पर रखता हूँ। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री विनोद भाई सेठ :

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

33वां प्रतिवेदन

श्री विनोद भाई वी. शेठ (जाम नगर) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समति का 33वाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : सभा का विनिर्णय इस प्रकार है :

"गिरफ्तारी से छूट के विशेषाधिकार का उस मामले में प्रयोग नहीं किया जा सकता, जहाँ किसी संसद सदस्य पर अभ्यारोप्य अपराध का आरोप हो।"

इंग्लैंड तथा इस देश में स्थिति इस प्रकार है। अतः इस समय मैं केवल यह नोट करता हूँ कि एक भद्रपुरुष को विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया है और उल्लिखित धाराओं में से एक धारा है। **(व्यवधान)**

श्री सी. एम. स्टीफन (इडक्की) : मैं कुछ जानकारी दे रहा हूँ। दो बातों को ध्यान में रखना होगा। एक संसद सदस्य, श्री रामलिंगम को गहरी चोटें लगी हैं और आज वह अस्पताल में है। **(व्यवधान)** क्या उसके लिये कोई व्यवस्था की गई है **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जब यह अभ्यारोप्य अपराध है तो मेरे क्षेत्राधिकार से बाहर है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं यह नहीं कर सकता। मजिस्ट्रेट के पास जाइये। अध्यक्ष कोई मजिस्ट्रेट नहीं है। यदि आप विशेषाधिकार का प्रस्ताव पेश करते हैं तो मैं इस पर विचार करूँगा। **(व्यवधान)**

प्रधान मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) : मेरी समझ में नहीं आता कि यह प्रश्न कैसे उठाया गया है। यदि संसद सदस्यों को विशिष्ट अपराधों के लिये गिरफ्तार किया जाता है और जमानत पर नहीं छोड़ा जाता···

श्री वसन्त साठे : उन्हें जमानत पर छोड़ने के आदेश दिए गये थे।

श्री मोरार जी देसाई : यदि उन्हें जमानत पर रिहा किया गया था, तो उन्हें यहाँ पर आने के लिये कोई नहीं रोकता·····**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जहाँ तक स्थगन प्रस्ताव का सम्बन्ध है. मैं आज निर्णय करूंगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं निवेश 2(छ) के अधीन व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूँ। मैंने श्री प्रणव कुमार मुखर्जी के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव की सूचना 19 अप्रैल, 1979 को दी थी।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। इसकी अनुमति नहीं दी जाती।

श्री वसन्त साठे : आप उन्हें किस प्रकार संरक्षण प्रदान करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : नियमों तथा कानूनों के अनुसार। यदि कानून के अन्तर्गत आप कोई प्रस्ताव लाते हैं, तो मैं इस पर विचार करूँगा ?

श्री के. लक्कप्पा : कब ?

अध्यक्ष महोदय : जब यह आयेगा, तो मैं इस पर विचार करूंगा।

श्री वयालार रवि (चिरयींकील) : आपने विशेषाधिकार के बारे में एक प्रक्रिया अपनाई है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अनुमति नहीं दी है। मैंने यह रिकार्ड किया है : "अनुमति नहीं दी गई। इसे माननीय सदस्य को दिखा दिया जाये।"

श्री नयालार रवि : मैं प्रश्न के गुणावगुणों में नहीं जा रहा, परन्तु मैंने विरोधी पक्ष के नेता, श्री सी. एम. स्टीफन और प्रधान मन्त्री द्वारा दिये गये वक्तव्यों के बारे में कतिपय मूल प्रश्न उठाये। दोनों परस्पर विरोधी हैं। प्रधान मन्त्री ने कहा कि कांग्रेस (इ) ने सहमति दी थी, ऐसा उन्हें किसी ने बताया। क्या वह श्री स्टीफन हैं या कोई और था ? अध्यक्ष होने के नाते हमें यह बताना आपका उत्तरदायित्व है कि प्रधान मंत्री को किसने आश्वासन दिया है और उस पर प्रधान मंत्री द्वारा विश्वास करने का आधार क्या है। वह गोहत्या पर प्रतिबन्ध के बारे में विरोधी पक्ष के नेता से सीधे बात कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि सभा को जानबूझकर गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। कृपया श्री स्टीफन से कहें कि वह इस मामले पर एक वक्तव्य दें। उन्होंने सर्वोदय नेता को लिखित रूप में यह दिया है कि वह संशोधन से सहमत नहीं होंगे। जब उन्होंने लिखित रूप में दिया है, तो प्रधान मंत्री ऐसा वक्तव्य कैसे दे सकते है ? मैं इस प्रश्न पर विनिर्णय चाहता हूँ।

श्री सी. एम. स्टीफन : मुझे वैयक्तिक स्पष्टीकरण देना है ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जी हाँ (**व्यवधान**) कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल न किया जाये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : **

(**व्यवधान**)**

श्री सी. एम. स्टीफन : श्री रवि ने मेरा नाम लिया है और उन्होंने यह जानना चाहा कि गो संरक्षण विधेयक सम्बन्धी मामले की वस्तुस्थिति क्या है। प्रधान मंत्री ने पीछे एक वक्तव्य दिया। .....**(व्यवधान)****

श्री ज्योतिर्मय बसु : **

(**व्यवधान**)**

श्री सी. एम. स्टीफन : मैं वक्तव्य तैयार करके आपको भेजूंगा। मैं कल आपकी अनुमति से वक्तव्य पढ़ूँगा।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : **

(**व्यवधान**)**

श्री एडुआर्डो फैलीरो : आप अपना निर्णय दें तो मैं बैठ जाऊंगा। यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्धित है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मुझे इस मामले में कोई शक्ति प्राप्त नहीं है।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : मैं इसके प्रतिरोध में वाक आउट करता हूँ।

उसके बाद श्री एडुआर्डो फैलीरो सभा से बाहर चले गये।

**कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया गया।

तारांकित प्रश्न संख्या 228 दिनांक 7-3.79 के सम्बन्ध में

अनुपूरक प्रश्नों के उत्तरों में शुद्धि करने वाला वक्तव्य

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : महोदय,

7 मार्च 1979 को तारांकित प्रश्न संख्या 228 के एक पूरक प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा था कि जम्मू व काश्मीर की आर्य प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष द्वारा दिया गया वक्तव्य अल्प संख्यक आयोग को जांच के लिये भेज दिया गया है और आयोग इस कार्य के लिए उचित प्राधिकरण है। मुझे खेद है कि इससे संदेह और गलतफहमी हो गयी है। अल्पसंख्यक आयोग अभ्यावेदन को विचार हेतु नहीं ले सका। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जम्मू और काश्मीर अल्पसंख्यक आयोग के क्षेत्राधिकार में नहीं है।

2. चूंकि जम्मू तथा काश्मीर सरकार से परामर्श करना पड़ा था और प्रश्न की जांच में कुछ समय लगा अतः सदन को पहले सही स्थिति से अवगत नहीं कराया जा सका।

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : महोदय, मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है। यह नियम 372 और निदेश 119 के बारे में है। यह मंत्रियों द्वारा दिये गये वक्तव्य के बारे में है। निदेश 119 इस प्रकार है :

"नियम 372 के अधीन सभा में वक्तव्य देने को इच्छुक मंत्री वह तारीख अग्रिम रूप से बतायेगा जिसको वक्तव्य देने का विचार हो.....।"

" .....और अध्यक्ष की सूचनार्थ लोक सभा सचिवालय को वक्तव्य की एक प्रति भी भेजेगा।"

30 अप्रैल को श्री एच. एम. पटेल ने यहाँ पर श्री कान्ति देसाई के विरुद्ध आरोपों की जांच करने के लिए न्यायमूर्ति चन्द्रचूड़ द्वारा इन्कार किये जाने और आरोपों की जांच करने के लिए एक सेवानिवृत्ति न्यायधीश, न्यायमूर्ति वैद्यलिंगम को नियुक्त करने के बारे में एक व्यक्तव्य दिया था। संसद का मजाक उड़ाया गया। हमें अग्रिम सूचना नहीं दी गयी थी। श्री कान्ति देसाई के विरुद्ध आरोपों का प्रश्न एक गम्भीर मामला है। हर बार मंत्री कोई जानकारी नहीं देते। 26 अप्रैल को भी।

अध्यक्ष महोदय : मुझे एक पत्र प्राप्त हुआ है। मैं इसकी जांच करूंगा। श्री रवि ने एक पत्र लिखा है। यह विचाराधीन है।

श्री सौगत राय : मैंने भी आपको पत्र लिखा है। कृपया उसपर भी विचार करें। यह एक गम्भीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा।

श्री वनातवाला : नियम 377 के अधीन मामले.....

श्री सी. एम. स्टीफन इदक्की : अगली मद पर विचार आरम्भ करने से पूर्व मैं एक बात जानना चाहता हूँ... ।

अध्यक्ष महोदय : मैं मामले की जांच कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे एक पत्र लिखा है। मैं मामले की जांच नहीं कर सका हूँ।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) राजस्थान के नागौर जिले के ग्राम रोले में व्याप्त स्थिति के बारे में

श्री जी. एम. बानतवाला (पोन्नानी) : अध्यक्ष महोदय नियम 377 के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय का उल्लेख करना चाहता हूँ :

यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण तथा चिन्ताजनक बात है कि राजस्थान राज्य के नागौर जिले के ग्राम रोले में साम्प्रदायिक स्थिति अत्यन्त बिगड़ गई है। हिंसा पहले से भड़क उठी है। एक मुसलमान की हत्या कर दी गई है तथा अनेक लोगों (मुसलमानों) पर हमला किया गया है तथा उन्हें पीटा गया है। बड़े अधर्मी कार्य किये गये हैं और दरगाह तथा मस्जिद को क्षति पहुँचाई गई है कब्रिस्तान को भी क्षति पहुँचाई गई है।

इस खराब स्थिति का एक खेदजनक पहलू यह है कि पुलिस ने इसमें एक मूक दर्शक की स्थिति भूमिका निभायी है और उसने फसादियो का साथ दिया है जो कि एक तीव्र वेदना और चिन्ता का विषय है : यह एक आम दर्श बनता जा रहा है क्योंकि हाल ही में जमशेदपुर में भी बिहार मिलेट्री पुलिस ने प्रारम्भ में अव्यवस्थित भीड़ पर गोली चलाने के आदेश का पालन नहीं किया। इससे यह पता चलता है कि स्थानीय पुलिस बल की इसमें साँठ गाँठ है और जिसके परिणामस्वरूप अल्प संख्यकों में भय तथा असुरता की भावना पनप रही है।

मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि वह इस मामले में राज्य सरकार से परामर्श करके तत्परता से तथा कारगर कदम उठायें ताकि और किसी बड़े संकट को टाला जा सके।

(दो) मैन्थोल पर उत्पाद शुल्क और क्रय कर के हटाने के बारे में उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के किसानों के अभ्यावेदन के बारे में

डा. वसन्त कुमार पण्डित (राजगढ़) : अध्यक्ष महोदय यदि आपकी अनुमति है तो मैं नियम 377 के अन्तर्गत अविश्वाशनीय लोक महत्व का निम्नलिखित मामला उठाना चाहूँगा :

जिला रामपुर के मैन्थोल का उत्पादन करने वाले किसानों ने उत्तर प्रदेश सरकार तथा केन्द्र सरकार से यह अभ्यावेदन किया है कि यदि उत्पादन शुल्क और क्रय कर पूरी तरह समाप्त नहीं किया जाता तो उनको बड़ा नुकसान होगा। लघु उद्योग जो कि पीपरमैन्ट तेल के प्रमुख क्रेता है, अपनी शर्तें उनपर लादकर बड़े उद्योगों की तुलना में बहुत कम मूल्य उनको दे रहे हैं। इस वर्ष 15 प्रतिशत उत्पादन शुल्क तथा 8 प्रतिशत क्रय कर के कारण बड़े उद्योगों को किसानों से पीपरमैन्ट तेल खरीदना बन्द कर देना पड़ा। लघु उद्योगों को किसी उत्पादन शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा।

लघु उद्योग किसानों को 30/- रु० प्रति किलो के हिसाब से मूल्य देते हैं जबकि बड़े उद्योग 50/- प्रति किलो के हिसाब से देते थे। जिससे किसानों को सहायता मिल जाती थी। किसानों ने उत्तर प्रदेश के राज्य प्राधिकारियों से लघु उद्योगों के अनुचित हथकंड़ों के बारे में अभ्यावेदन किया। रामपुर के कलक्टर ने उद्योगों, किसानों, व्यापारियों, आदि की एक बैठक बुलाई और सभी सम्बन्धित लोगों को यह चेतावनी दी कि वे 50/- रु० प्रति किलो की दर से अधिक मूल्य दें अन्यथा उनको गिरफ्तार किया जायेगा। लघु उद्योग के कलक्टर

की सलाह पर अमल नहीं किया और कलक्टर को कुछ लोग गिरफ्तार कराने पड़े। पीपरमैन्ट तेल के लिए इस कम मूल्य के कारण अगले वर्ष की बुआई प्रभावित हुई है। किसानों को लघु उद्योगों द्वारा उत्पादन शुल्क के आयबंचन की जानकारी है। वे लोग कोई रसीद नही माँगते और इस प्रकार वे सब करों तथा उत्पादन शुल्क से बचकर मौज उड़ा रहे हैं।"

किसानों को यह डर है कि यदि यह सब जारी रहा तथा बड़े उद्योगों ने उनका तेल नहीं खरीदा तो उनको भारी नुकसान उठना पड़ेगा। उन्होंने यह समस्या प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री तथा उद्योग मंत्री और उत्तर प्रदेश के विभिन्न अन्य मंत्रियों को लिख भेजी है।

बड़े उद्योगों के किसानों को यह बताया है कि वे पीपरमैन्ट का तेल नहीं खरीदेंगे क्योंकि लघु उद्योगों के साथ, जोकि अनुचित हथकंडे अपनाते हैं, प्रतिस्पर्द्धा करना उनके लिए घाटे का सौदा है।

यदि उत्पादन शुल्क में तत्काल कोई राहत नहीं दी गई तो अन्ततोगत्वा किसान घाटे में रहेंगे।

भावना कैमिकल्स लिमिटेड तथा हिन्दुस्तान रिचर्डसन, उत्तर प्रदेश के इन दो बड़े मैन्थोल निर्माताओं ने उत्तर प्रदेश के पिछड़े इलाकों में किसानों के लिए तेल साफ करने के कारखाने लगाये हैं। किसान लोग मैन्थोल साफ करने वाले कारखानों में पहुँचे और उनसे अनुरोध किया कि वे कारखाने बन्द न करें क्योंकि मैन्थोल उनकी रोजी का आधार है। यही समय है कि सरकार वहाँ स्थिति के प्रति नरम रवैया अपनाकर तैयार मैन्थोल पर 15 प्रतिशत उत्पादन शुल्क को समाप्त करना चाहिये। यदि ऐसा नहीं किया गया, तो मैन्थोल के बड़े कारखाने उत्तर प्रदेश में काम बिल्कुल बन्द कर देंगे जिसका खमयाजा भुगतना पड़ेगा सीमान्त कृषकों को।

लघु उद्योग उत्पादन शुल्क, बिक्री कर, क्रय कर, आदि की चोरी करके सरकार को धोखा दे रहे हैं। यदि 15 प्रतिशत उत्पादन शुल्क नहीं हटाया जाता है तो मैन्थोल पर लघु उद्योग का एकाधिकार स्थापित हो जायेगा और सीमान्त कृषकों की आर्थिक रूप से कमर टूट जायेगी।

लघु उद्योगों का यह दावा है कि वे किसानों की ओर से 350 टन तेल साफ कर रहे हैं। यह आँकड़े तो सही हैं किन्तु लघु उद्योग सरकार को इस सम्बन्ध में गलत आँकड़े दे रहे हैं और उनकी किताबों में दिखाया गया है कि 200 टन तेल साफ किया गया तथा शेष का कोई हिसाब किताब नहीं है। आप सोच सकते हैं कि देश में कितना नुकसान हो रहा है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस स्थिति में सुधार के लिए तत्काल कदम उठाये ताकि छोटे किसानों को भारी नुकसान से बचाया जा सके।

(तीन) श्री सीता राम कोआप्रेटिव शुगर लिमिटेड कोट्टकोटा (विशाखापतनम) के लाइसेंस के नवीकरण के बारे में

श्री पी० राजगोपाल नायडू (चिमूर) : विशाखापतनम जिले में नरसीवत्तनम तालुक में श्री सीता रामा कोआपरेटिव शुगर्स लिमिटेड, कोट्टकोटा के लाइसेंस मिलने पर अप्रैल, 1974 में पंजक्रित हुई थी। इसके संचालकों ने 27.2.1979 तक जबकि लाइससेंस की अवधि समाप्त हुई, लगभग 2800 शेयर धारी बनाकर 16.35 लाख रु० एकत्र किये संचालकों ने केन्द्रीय सरकार से लाइसेंस का नवीकरण करने का अनुरोध किया। एक वर्ष 10 महीने बाद लाइसेंस का नवीकरण किया गया किन्तु वह 2½ महीने बाद ही समाप्त हो गया।

उस क्षेत्र के कृषक अन्य जिलों के कृषकों की अपेक्षा गरीब हैं और इसलिए वे अपने हिस्सो का भुगतान नहीं कर सके। उन्होंने कोआपरेटिव सैन्ट्रल बैंक, विजयनगरम् तथा उस क्षेत्र की कृषि विकास बैंकों से शरण लेना स्वीकार किया। वस्तुत: उन्होंने 12 लाख रु० के शरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किये और वे 40 लाख रु० तक शरण लेना चाहते थे जो कि लक्ष्य निर्धारित किया गया था। यदि लाइसेंस का समय पर नवीकरण कर दिया गया होता तो वे बहुत पहले ही शेयरों की राशि एकत्र करने का कार्य पूरा कर लेते। इस समय भी स्थिति यह है कि वे 31.12.79 तक शेयर राशि एकत्र करने के अपने दायित्व को पूरा करने की स्थिति में हैं। नरसोपतनम पूरी तरह से एक गन्ना उत्पादक क्षेत्र है और अपने जीवनयापन के लिए वे लोग गन्ने की फसल पर निर्भर करते हैं। यह फसल की फेर बदल भी नहीं हो सकती क्योंकि यह क्षेत्र गन्ना उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त है।

लगभग 2800 कृषक लगभग 16 लाख रु० का भुगतान करने के पश्चात पहले ही शेयरधारी बन चुके हैं। गरीब किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है क्योंकि शेयर खरीदने के लिए उन्होंने जो धन उधार लिया है, उस पर उन्हें ब्याज देना पड़ रहा है। यदि लाइसेंस के नवीकरण में विलम्ब किया गया तो उनको बड़ी हानि होगी और अन्य कृषक भी बड़े निराश होंगे। जिला कोआपरेटिव सैन्ट्रल बैंक तथा कृषि विकास बैंकों को भेजे गये शरण के आवेदन बेकार हो जायेंगे और दोबारा से शरण आवेदन तैयार करना बड़ा कठिन हो जायेगा।

मैंने इस बारे में राज्य कृषि मन्त्री से भी अभ्यावेदन किया है।

मैं एक बार फिर सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह यह सुनिश्चित करे कि लाइसेंस की अवधि शीघ्र बढ़ाई जाये।

(चार) कोयला मजदूरों द्वारा 18 मई, 1979 से प्रस्तावित हड़ताल

श्री रोबिन सेन (आसनसोल) : विभिन्न केन्द्रीय मजदूर संघों के प्रतिनिधियों ने मिलकर कोयला मजदूरों का एक मांग पत्र तैयार किया है और उसने लगभग एक वर्ष पूर्व ऊर्जा मन्त्रालय/कोयला प्राधिकरण को मांगे प्रस्तुत की थीं।

यह मांग पत्र गत तीन वर्ष के समझौते की अवधि बीतने के पश्चात प्रस्तुत किये गये थे। इसमें सम्मिलित मजदूरों की ओर से प्रबन्धक वर्ग को जो संयुक्त मांग पत्र प्रस्तुत किया गया था उसमें जरूरत के आधार पर न्यूनतम मजदूरी, जिसकी मांग 15 वें श्रम सम्मेलन की शिफारिशों के आधार पर की गई थी, जीवन निर्वाह लागत वृद्धि के साथ-साथ उसकी मंहगाई भत्ते आदि की वृद्धि द्वारा 100 प्रतिशत निष्प्रभावी बनाना, रक्षा गन्ना तथा बेहतर सीमान्त लाभ तथा साथ ही साथ बावे जा आयोग की सिफारिशों आदि को समाप्त करने की मांगें सम्मिलित थीं। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कोयला उद्योग के प्रबन्धक वर्ग के प्रतिनिधि मजदूरी द्विपक्षीय वार्ता समिति में मजदूरों की जोरदार मांगों के प्रति नकारात्मक तथा विलम्बकारी हथकंड़े अपना रहे हैं। वे जरूरतों पर आधारित न्यूनतम मजदूरी के सिद्धान्त को भी मानने को तैयार नहीं हैं। सरकारी उद्यम ब्यूरो द्वारा हस्तक्षेप के कारण वार्ता में और कठिनाई उत्पन्न हो गई है। इसको ध्यान में रखते हुए समस्त केन्द्रीय मजदूर संघों के प्रतिनिधियों ने एक दिन की सांकेतिक हड़ताल का आह्वान किया और कोयला उद्योग के 6 लाख मजदूरों ने 5 फरवरी, 1979 को एक दिन की

हड़ताल रखी। इसके बाद भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ और प्रबन्धक वर्ग तथा सरकार के मजदूर विरोधी रवैये के कारण गतिरोध उत्पन्न हो गया।

इन परिस्थितियों में समस्त केन्द्रीय मजदूर संघों ने यह फैसला किया कि कोयला मजदूरों की माँगे तत्काल तय की जायें और यदि ऐसा नहीं किया जाता तो कोयला उद्योग के 6 लाक मजदूरों के पास 18 मई, 1979 से अनिश्चित काल के लिए हड़ताल करने के सिवा और कोई चारा नहीं रह जायेगा। यदि कोयला मजदूरों के सम्बन्ध में द्विपक्षीय वार्ता, जोकि 14 तथा 15 मई को दिल्ली में पुनः होनी है असफल हो जाती हैं, तो मजदूरों को मजबूर होकर 18 मई, 1979 से अनिश्चित काल के लिए हड़ताल करनी पड़ेगी और इस प्रकार समूचा देश एक संकट की गिरफ्त में आ जायेगा।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह सरकार तथा कोल इण्डिया के प्रबंधक वर्ग का एक तरफा तथा मजदूर विरोधी रवैया बदल कर इस मुकाबले की स्थिति को समाप्त करे और कोयला मजदूरों की उचित मांगें पूरी करें।

(पांच) रायलसीमा, तेलंगाना, कर्नाटक और राजस्थान में धनिया का उत्पादन करने वाले किसानों के हित की रक्षा करने के लिए धनिया के मूल्य निश्चित करने की आवश्यकता का मामला

श्री दारुर पुलय्या (अनन्तपुर) : हमारे देश में रायलसीमा, तेलंगाना, कर्नाटक तथा राजस्थान में धनिये की व्यापक रूप से खेती होती है। यह फसल जोकि अल्प अवधि में तैयार हो जाती है और इसको वर्षा की भी कम जरूरत होती है, देश के शुष्क क्षेत्रों के लिए अत्यन्त उपयुक्त है। चूँकि धानया ही एक ऐसी एक मात्र वाणिज्यिक फसल है जो कि इन क्षेत्रों में हो सकती है, इसलिए इस क्षेत्र के कृषकों विशेषक कर छोटे और सीमान्त कृषकों की सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था धनिये के मूल्य पर निर्भर करती है। यह अत्यन्त दुःख की बात है कि धनिये के मूल्य में इतने उतार-चढ़ाव आते हैं कि कृषक कुछ समझ नहीं पाता कि वह क्या करें।

जबकि 1977 में 40 किलो की बोरी का मूल्य 400 रु० था, 1978 में यह घट कर 140/ रु० पर आ गया और इस समय यह 85 से 90 रु० प्रति बोरी ही रह गया है यह मूल्य खाद तथा कीटनाशी का मूल्य पूरा करने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। मूल्य में इस कदर गिरावट से धनिया उत्पादकों की अर्थ व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गई है। जब भी कभी मूल्य कम होते हैं, व्यापारी लोग इसे खरीद लेते हैं और उनको बाद में निर्यात के आर्डर मिल जाते हैं और इस प्रकारवे कृषकों के हितों को नुकसान पहुँचा कर भारी मुनाफा कमाते हैं।

महोदय, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि शुष्क इलाकों में कृषक कम वर्षा के कारण अन्य वाणिज्यिक फसलें नहीं पैदा कर सकते, इस बात की अत्यन्त आवश्यकता है कि धनिये का उचित तथा टिकाऊ मूल्य सुनिश्चित कर इन कृषकों की रक्षा की जाये। सरकार को धनिये के मूल्यों में भारी उतार-चढ़ाव के कारणों पर भी विचार करना चाहिये। मैं समझता हूँ कि श्री लंका और खाड़ी के देशों में धनिये की भारी माँग है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस वस्तु के विदेशों को निर्यात की संभावनाओं का पता लगाये और इससे जो लागत प्राप्त हो उसे कृषकों में वितरित कर दे और इस प्रकार बिचौलियों को रास्ते से हटा दें जोकि इस समय बड़ा लाभ कमा रहे हैं।

इसके अतिरिक्त मेरा सरकार से यह भी अनुरोध है कि वह धनिये का मूल्य लगभग 200 रु. प्रति बोरा (40 किलो) निर्धारित करें और इसकी खरीद सीधे कृषक से करे क्योंकि कृषकों को आने वाले सीजन के लिए जुताई-बुआई आदि के लिए पैसे की जरूरत है।

धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : अब हम वियायी कार्य को लेंगे।

श्री राजनारायण (राय बरेली) : श्रीमन्, हमारा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपसे दसो नह, दसो उंगलियाँ जोड़ कर के प्रार्थना करना चाहता हूँ .....

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का कौन सा प्रश्न है? आपने कुछ कहा!

श्री राजनारायण : सुन तो लीजिये। मैं चाहता हूँ कि सदन की कार्यवाही व्यवस्थित रूप से चले। इसको अव्यवस्थित रूप से न चलने दें...

अध्यक्ष महोदय : उसके लिए मैं आपकी सहायता चाहता हूँ।

श्री राजनारायण (राय बरेली) : मैं आपसे सहायता का अनुरोध करता हूँ। आप मेरी बात सुने बिना मेरी सहायता नहीं कर सकते। मेरा यही प्रश्न है।

मेरा पहला प्वाइन्ट है कि जबसे सदन खुला है, मैं ने श्री एल. के. आडवाणी के खिलाफ विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न दिया है, आपने कहा था कि हम इसके बारे में पूछकर जवाब देंगे लेकिन आपका जवाब नहीं आया और यह सदन भी अब उठने जा रहा है (**व्यवधान**) परसों आप यहां पर नहीं थे, डिप्टी स्पीकर साहब थे, मैं ने दो मोशन दिए नियम 377 के अन्तर्गत —एक श्री कंवरलाल गुप्त की एक्टिविटीज के बारे में कि उनकी एक्टिविटीज क्या हैं और उससे हमारे देश के सम्मान को ..

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने सूचना दी है ?

श्री राजनारायण (राय बरेली) : मैं तथ्यों को पढ़ने जा रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे पता चला है कि उपाध्यक्ष महोदय इसे अस्वीकार कर चुके हैं।

श्री राजनारायण (रायबरेली) : मुझे उसके बारे में सूचित किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अन्तर्गत आपकी सूचना अस्वीकार कर दी गई।

श्री राजनारायण (राय बरेली) : मेरी बात तो सुनिए। मैं सीधे अस्पताल से आ रहा हूँ। मैं अस्पताल में भरती हूँ। अगर जरूरत पड़ती है तो छुट्टी लेकर यहां आता हूँ। अगर मुझे यह इंफार्मेशन होती तो मैं यहाँ क्यो आता ?

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं ने नेपाल के बारे में, श्री बी०पी० कोयराला की गिरफ्तारी के बारे में सवाल दिया था, वहाँ पर गोलियां चलीं, सब कुछ हुआ, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं दिया गया कि मेरा मोशन एक्सेप्ट हुआ, नहीं हुआ या एक्सेप्ट होगा, नहीं होगा... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : हर चीज पर नियमों के अनुसार विचार किया जायेगा।

श्री राजनारायण : यह कहा गया कि स्पीकर साहब आयेंगे तब आपको जवाब मिलेगा लेकिन आज भी हमको जवाब नहीं मिला।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता। यदि आपने विशेषाधिकार के प्रस्ताव की कोई सूचना दी है, तो वह मेरे पास अभी तक नहीं आई है। जब वह मेरे

पास आयेगी, तो मैं उसपर विचार करूँगा। यदि नियमों के अन्तर्गत उसको अनुमति दी जा सकती है, तो उसकी अनुमति दी जायेगी और यदि नियमों के अन्तर्गत उसकी अनुमति नहीं दी जा सकती तो उसकी अनुमति नहीं दी जायेगी।

श्री राजनारायण : श्रीमन्, मैं संसदीय प्रथा का जानकार हूँ। आप बोलने लगे तो मैं बैठ गया, आप बैठ गए तो मैं फिर बोलने लगा। आप फिर बोलने लगेंगे तो मैं फिर बैठ जाऊंगा।

मेरा दूसरा सवाल यह है कि आपने इस सदन में ऐसी व्यवस्था दे दी है जिससे....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपके अनुसार यदि आपको बोलते चले जाने दिया जाये तो वह ठीक होगा।

श्री राजनारायण : मैं तो मानोपली के विरुद्ध हूँ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं देता।

श्री राजनारायण : श्रीमन्, यह सदन साक्षी है, आप भी सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की बेंच में रहे होंगे, मैं पांच दिन तक प्रीवी पर्स के मामले में सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिए जेल से आया। इसलिये यह कहना कि जो गिरफ्तार हो गया वह सदन में नहीं जा सकता—

अध्यक्ष महोदय : सभा दोपहर के भोजन के लिये 2 बजे तक के लिये स्थगित होती है।

तत्पश्चात लोक सभा दोपहर के भोजन के लिए 2 बजे तक स्थगित हुई।

लोक सभा दोपहर के भोजन के पश्चात 2 बजकर 14 मिनट पर पुनः समवेत हुई

(श्री एन. के. श्री जवलकर पीठासीन हुये)

तिपणन वर्ष 1979-80 के लिए तुर अरहर, मूंग और उरद के समर्थन मूल्य के बारे में वक्तव्य

सभापति महोदय : विपणन वर्ष 1979-80 के लिये तुर (अरहर), मूंग और उरद के समर्थन मूल्य के बारे में श्री सुरजीत सिंह बरनाला एक वक्तव्य देंगे।

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर, सरकार ने 1979-80 मौसम में बेची जाने वाली उचित औसत किस्म की तुर (अरहर) का 165/- रु. प्रति क्विंटल और मूंग तथा उरद का 175/- रु. प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य निर्धारित किया है। चना के 140/- रु. प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य की पहले ही घोषणा की जा चुकी है जबकि 1978-79 विपणन मौसम के लिए 125/-रु. प्रति क्विन्टल का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया था। तुर और मूंग के मामले में भी, क्रमशः 165/-रु. प्रति क्विंटल और 175/-रु. प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य 1978-79 विपणन मौसम के लिए घोषित किए गए समर्थन मूल्यों से 10/- रु. प्रति क्विंटल अधिक हैं। उरद के मामले में 1978-79 विपणन मौसम के लिए किसी समर्थन मूल्य की घोषणा नहीं की गई थी। 1979-80 विपणन मौसम के लिए ऊँचे मूल्य निर्धारित करते समय, सरकार ने इन बातों को ध्यान में रखा है (i) इन फसलों के विकास कार्यक्रम को अपेक्षित गति देने की आवश्यकता, और (ii) दालों के बारे में पूर्ति माँग के सन्तुलन में सुधार करने में मदद करना।

राज्य सरकार/उनकी एजेंसियों और केन्द्रीय एजेंसियों द्वारा मूल्य समर्थन कार्य किया जाएगा। उनको परामर्श दिया जा रहा है कि वे इस दिशा में आवश्यक प्रबन्ध करें।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय

(संशोधन) विधेयक जारी

सभापति महोदय : अब यह सभा डाक्टर प्रताप चन्द्र चन्द्र द्वारा 30.4.1979 को पेश किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी ।

"कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम, 1930 का अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

श्री सईद मुर्तजा ने अपना भाषण जारी रखना था किन्तु उन्होंने कहा है कि वे इस बारे में बोलेंगे । मुझे खेद है कि वे अपना आधा भाषण दे चुके हैं इसलिये उन्हें इस बारे में बोलने की अनुमति देना सम्भव नहीं होगा ।

श्री जी० एस० रेड्डी (निरिखालगुडा) : अध्यक्ष महोदय अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक विचार के लिये हमारे समक्ष है । यह एक प्रमुख विषय है क्योंकि यह भारत के अल्पसंख्यकों के बारे में हैं । मुस्लिम अल्पसंख्यक हमारे देश के एक महत्वपूर्ण समुदाय है और जब सारे देश के मुसलमान यह चाहते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक स्वरूप दिया जाये तो यह समझ में नहीं आता कि सरकार को ऐसा करने में क्या हिचकिचाहट है शिक्षा मन्त्री ने यह स्वीकार किया है कि यह विश्वविद्यालय मुसलमान संस्कृति और मुसलमानों के हितों के लिये बनाया गया था । यदि ऐसा है तो इसका प्रशासन भारत के मुसलमानों को क्यों नहीं सौंपा गया । इसके लिये लम्बे समय से आन्दोलन हो रहे हैं ।

संसद को इस विश्वविद्यालय के उसका उचित स्वरूप प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है । इस तथ्य के बावजूद कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इसके अन्य व्यवस्था की है, यह बात संसद के सदस्यों पर छोड़ दी गई है कि इस बात पर गम्भीरता से विचार करें कि इस विश्वविद्यालय को यह स्वरूप क्यों न प्रदान किया जाये । संसद के समक्ष पहले से ही ऐसे कई विधेयक हैं जिनसे भारत के अल्पसंख्यकों के मन में तनाव और भय पैदा हो गया है । इस समय गौवध सम्बन्धी विधेयक तथा मुस्लिम विश्वविद्यालय विधेयक, तथा धर्म स्वतन्त्र्य विधेयक आदि हैं जिनसे न केवल मुसलमान और ईशाइयों वरन् सिक्ख और अन्य अल्पसंख्यकों के मन में भी तनाव और भय पैदा हो गया है । यदि हम उनका ध्यान नहीं रखते तो हमारे संविधान के धर्म निरपेक्ष स्वरूप का क्या होगा । इसलिये सरकार को किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं दिखानी चाहिए तथा इन अल्पसंख्यकों को अपना विकास करने में पूरी सहायता करनी चाहिए और जिससे कि वे भारत में बहुसंख्यक समुदाय से भय न करें । कुछ अल्पसंख्यक संस्थाओं को अल्पसंख्यक स्वरूप प्राप्त है किन्तु उन्हें, उदाहरण के लिये ईसाई संस्थाओं, को अपना अल्पसंख्यक स्वरूप गया अधिकार सिद्ध करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के अन्तर्गत न्यायालय में जाना पड़ा था । मेरे पास ऐसे मामालों की सूची है जिनमें उन्हें अपने अल्पसंख्यक रूप और अधिकार को सिद्ध करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाना पड़ा था क्योंकि विभिन्न राज्य सरकारे ऐसी नीतियां अपनायीं है । माननीय शिक्षा मन्त्री मुसलमानों के हितों एवं संस्कृति के रक्षक है । सरकार तथा माननीय मन्त्री महोदय से मेरा निवेदन है कि वे संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के अन्तर्गत मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक स्वरूप प्रदान करें । मैं अपील करता

हूँ कि हमें अपने देश में अपनी ओर से अल्पसंख्यकों को राजवार करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिये। हमारा देश धर्म-निरपेक्ष देश है और हमें इन संस्थाओं के माध्य से इस धर्म-निरपेक्ष स्वरूप पर धन्यवाद करना चाहिये जिनका इन समुदायों की भावनाओं से बहुत निकट का सम्बन्ध है।

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : आज यह खुशी का मौका है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बिल इस हाउस के अन्दर डिसकशन के लिए लाया गया है। गो इसको बहुत पहले आ जाना चाहिये था लेकिन मैं जानता हूँ कि किस वजह से नहीं आ पाया। लेकिन देर आयद दुरुस्त आयद, यह कहे बगैर मैं नहीं रह सकता हूँ। पिछली बार और आज जो तकरीरें यहां पर हुई उधर से और इधर से भी उनको मैंने बहुत गौर से सुना। मुझे अफसोस है कि उधर के भाइयों ने उस वक्त इस तरह की तकरीरें नहीं की जब मुसलमानों के जजबात का खून किया जा रहा था, उस वक्त इन लोगों ने न यहां के मुसलमानों के जजबात का ख्याल किया और न यूनिवर्सिटी के जजबात का ख्याल किया और न इस बात का ख्याल किया कि वहां माइनोरिटीज को भी कुछ हक हासिल है कि वे किसी इन्स्टीट्यूशन को कायम कर सकती हैं। उस वक्त ये नहीं जानते थे कि आर्टिकल तीस भी कोई कॉंस्टीट्यूशन का है जो एग्जिस्ट करता है। उस वक्त तो इन को यही पता था कि इस मुल्क में एक ही शख्सियत है जो इस मुल्क की मालिक है और वह जो हुक्म देगी उनका इनको हर तरीके से पालन करना होगा। उसके मुताबिक चलना पड़ेगा, हर तरीके से उसकी विशिज को पूरा करना होगा। मेरे ख्याल में इनको याद होगा कि 1965 में एक बहुत मामूली सा वाका हुआ था और वाका क्यों और कैसे हुआ इसकी डिटेल में न मैं जाऊंगा और न ही जाने का यह मौका है लेकिन उस वाके को लेकर मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो कारेक्टर था उसको खत्म कर दिया गया था और इस चीज को आज भी हमें भुगतना पड़ रहा है। चौदह साल हो गए हैं और इसको हम भुगत रहे हैं। मुसलमानों के जजबात को जो ठेस पहुँच रही है, उसके जिम्मेदार कौन हैं ? पिछली बार चन्दर सहाब ने कहा था कि 1965 और 1972 में जब कि इस यूनिवर्सिटी का खून किया गया था तब मुसलमान एजुकेशन मिनिस्टर थे। हमारे जो प्रीवियस डिक्टेटर थे उनका तो रवैया ही यह रहा था कि जिस कम्युनिटी का खून करना होता था, उसके हकूक को जरब पहुँचानी होती थी, उसका गला घोटना होता था तो वे समझते थे कि ऐसा करने का सब से बेहतर तरीका यही हो सकता है कि उस कम्युनिटी के आदमी को आगे करके उसका खून किया जाए। खैर जो हुआ वह सब आपके सामने है।

मैं अपनी हकूमत का मशकूर हूँ कि वह इस बिल को लाई है। जिन बातों की हमारी डिमाँड थी उनमें से बहुत सी चीजों को इसमें शामिल किया है। आप कोर्ट को ले। इसके कम्पोजिशन को देखे। उसको इन्होंने आटोनोमी दी है और वह रूल बनाएगी जिन पर एग्जैक्टिव अमल करेगी। लेकिन कोर्ट के कम्पोजिशन के बारे में मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि कोर्ट पालिसी मेंकिंग बाडी है और इसके अन्दर 162 आदमियों में से 105 आदमी यूनिवर्सिटी के रख दिए गए हैं और सिर्फ 57 आदमी बाहर के हैं। इसका मतलब यह होता है कि यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं उन्हीं की विशिज के मुताबिक चला जाएगा, उनके जो इंटरैस्ट्स होते हैं, उन्हीं को पूरा किया जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिये। जो पालिसी मेकिंग बाडी हो वह ऐसी होनी चाहिये कि पूरी कम्युनिटी को उसमें रिप्रिजेंटेशन मिले ताकि यूनिवर्सिटी की जो पालिसी बने वह तमाप कम्युनिटी के जजबात के मुताबिक बने न कि उनके मफाद के लिए जो कि यूनिवर्सिटी में पहले से ही मौजूद हैं और जिनके इन्टरेस्ट्स इनवाल्व्ड है।

एग्जेक्टिव में भी रिप्रिजेंटेशन की बात को आप देखें। उसमें भी रिप्रिजेंटेशन उतना नहीं दिया गया है जितना देना चाहिए था। स्टैचूट 26 को आप एमैंड कर रहे हैं। उसके अन्दर फाइनेसकमेटी का क्रियेशन किया गया है। उसमें भी दो ही ऐसे मैम्बर हैं जो इलैक्टिड हैं, वर्ना बाकी एक्स आफिशो या नामिनेटिड मैम्बर ही हैं इसमें भी तरमीम होनी चाहिए।

बहुत ज्यादा डिटेल्ज में जाने का वक्त नहीं है। मुझे यहां पर एक शेर याद आता है जिस को पढ़े बगैर में इस वक्त नहीं रह सकता हूँ :

किस्मत की खूबी देखिये टूटी कहां कमंद
दो चार हाथ जबकि लबे बाम रह गया।

तमाम खूबियों के बावजूद यह बिल ऐसा है, एक ऐसी दोशीजा के माफिक है, दुल्हन के माफिक है जो निहायत खूबसूरत तो है, बहुत हसीन और एट्रैक्टिव तो है लेकिन जिसकी आखें फोड दी गई हैं। डीडी द्वारा जारी यहाँ मेरा मतलब है कि इस सबके बावजूद कि इतना कुछ दिया है, वह चीज नहीं दी गई है जिसकी कि हम लोगों ने डिमांड की थी, जिसको हम मांगते थे यानी माइनोरिटी करैक्टर अन्डर आर्टिकल में 30 (1)।

कल हमारे मिनिस्टर साहब ने जो स्पीच की है, उममें तीन-चार चीजें बताई हैं, जिनकी वजह से उन्होंने इसको माइनोरिटी करैक्टर नहीं दिया। नम्बर 1, चैटर्जी कमेटी की रिपोर्ट नं० 2, सुप्रीम कोर्ट का फैसला और नम्बर 3, एडमिनिस्ट्रेशन के अन्दर पार्लियामेंट का हाथ न होना। यह तीन बातें ही मेन हैं, फिर बाद में मैं एक और के बारे में कहूँगा।

चैटर्जी कमेटी की रिपोर्ट जो 1960 में यूनिवर्सिटी एग्जीक्यूटिव ने बनाई थी, उसको क्वोट किया है। उससे यह साबित करने की कोशिश की गई है कि यूनिवर्सिटी का करैक्टर हमेशा सैकुलर रहा है। इसमें कोई शक नहीं है, मैं इसको डाउट नहीं करता हूँ, मैं कहता हूँ कि कोई इस्टीट्यूशन हो, उसका फक्शनिंग सैकुलर रहना चाहिये और यूनिवर्सिटी का वह फंक्शन सैकुलर रहा है। उसकी मिशाल डाक्टर सहाब ने दी भी थी कि इसका पहला स्टूडैंट बी० ए० की जिसने डिग्री हासिल की वह नान-मुस्लिम था और एम० ए० की पहली डीग्री हासिल करने वाल भी नान-मुस्लिम था। इसके प्रोफेसर्स भी बहुत से नान-मुस्लिम हैं। आज भी उसके अन्दर बहुत बड़ी तादाद टीचर्स की नान-मुस्लिमों की है और स्टूडैंट्स भी बहुत बड़ी तादाद में नान-मुस्लिम हैं। लेकिन इस चैटर्जी कमेटी रिपोर्ट में 1872 की रिपोर्ट का भी जिक्र आया है जिसमें कि मौहम्मडन एंग्लो ओरिएन्टल फंड कमेटी का जिक्र है। मैं उसे पढ़कर सुनाता हूँ। इसका मतलब यह है कि जब कालेज हमने बनाया, जब इस मुल्क के मुसलमानों ने इकट्टे होकर इस कालेज की बुनियाद रखने की बात सोची, तो उनके जहन में कालेज नहीं था, बल्कि यूनिवर्सिटी थी। तो यह बात बिल्कुल साफ है कि हम जिस चीज की बुनियाद लेकर चले हैं, वहां से यूनिवर्सिटी की लेकर चले हैं, न कि कालेज की।

दूसरी बात आपने फरमायी है सुप्रीम कोर्ट का फैसला अजीज बाशा साहब ने 1965 का केस किया था। 1965 के केस में एस्टैवलिश के एक खास मायने दिये गये-टूब्रिंग इन-टू एग्जिस्टैंस। जब कि उन्होंने लिखा है कि एस्टैब्लिश के मायने दो हैं-टू फाउंड एण्ड टू ब्रिंग इन एग्जिस्टैंस। दोनों को उन्होंने इससे मुत्तफिक माना है कि यह दोनों मायने हैं, लेकिन मैं नहीं जानता कि किन

बजूहात की विनाह पर उन्होंने इस एस्टैब्लिश के बहुत महदूद से मायने- टू ब्रिंग इन टू एग्जिस्टैंस ले लिये हैं ।

जैसा आप जानते हैं, अगर आज कोई भी यूनिवर्सिटी बनाई जाये तो यकीनन वह गवर्नमेंट के एक्ट के मुताबिक ही वजूद में आयेगी, नहीं तो नहीं आ सकती । अगर इस बात को मान लिया जाये जैसे सैक्शन 21, 23 यू० जी० सी० एक्ट में है तो कोई यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट के एक्ट के बगैर नहीं आ सकती है । तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या आर्टिकल 30 के अन्दर जो टू एस्टैब्लिश एण्ड एडमिनिस्टर, इंस्टर्ट ट्रयशन्स आफ देयर ओन चायस दिया गया है, लिंगुइस्टिक और रिलीजस माइनोरिटीज को हक दिया गया कालेज बनाने का तो इसके जवाब में यह कहा गया अजीज बाशा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात से इत्तिफाक किया है कि मैं नहीं समझता कि इंस्टीट्यूशन का मतलब यूनिवर्सिटी भी है । तो माइनौरिटी अगर कायम करना चाहते हैं तो वह कैसे करेंगे ? अगर यह बात मानी जायेगी कि एक्ट के जरिये करें, तो वही बात हो गई कि एक्ट के जरिये करें तो यूनिवर्सिटी तो माइनौरिटीज की नहीं है । हमें बताइये कि इस आर्टिकल 30 का कोई मकसद रह गया है ? मैं समझता हूँ कि इसका कोई मकसद नहीं है । इससे बेहतर है कि कॉंस्टीटयूशन में अमैंडमैंट कर के आप इस आर्टिकल को निकाल दें । अगर आर्टिकल उसमें रहता है तो इसका पूरा हक हमें देना चाहिये । इसके इस्तेमाल का हक मुस्लिम कम्युनिटी को, और दूसरी माइनौरिटी और लिंगुइस्टिक माइनौरिट्रीज को मिलना चाहिये ।

यह भी आर्ग्यूमैंट दी गई है कि 1921 में तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो सकती थी । उस समय यह क्यों नहीं किया, इसको मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना लिया होता और गवर्नमेंट के एक्ट के जरिये इसको वजूद में नहीं लाये होते । जैसा आप जानते हैं शुरू से ही जब से कालेज की बुनियाद पड़ी, एंग्लो मोहम्मडन के वक्त से ही यह मकसद था कि मुसलमानों की माशी हालत जो खराब है, जो मुसलमान अंग्रेजी नहीं पढ़ते, जिसका ताल्लुक डायरेक्ट रोजी-रोटी से है, उनको यहां पढ़ाया जाये जो अपनी रोजी-रोटी कमा सकें, मुसलमानों को भी गवर्नमैंट में सर्विस मिल सके । 1920 में भी यही बात आई, यूनिवर्सिटी कायम कर सकते थे, लेकिन यूनिवर्सिटी अगर कायम करते तो क्या गवर्नमैंट के मुलाजिमान में जगह होती ? मैं समझता हूँ कि वह नहीं होती । सिर्फ इसी वजह से कि हमको गवर्नमेंट में मुलाजमतें मिल सकें, हम ने इस यूनिवर्सिटी को एक्ट के मातहत बनाया, हालांकि हम यूनिवर्सिटी को कायम करने की ताकत रखते थे ।

आपको हिन्दुस्तान में ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी, जिसका ड्राफ्ट बिल प्राईवेट लोगों ने तैयार किया हो । मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में 1920 का जो बिल था, उसका ड्राफ्टिंग उस मुस्लिम डेलीगेशन के हाथों में दे दिया था, जो इस यूनिवर्सिटी को बनाने के सिलसिले में मिलने के लिए गया था ।

अजीज बाशा के केस में सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग का जिक्र किया जाता है । मैं अर्ज करना चाहता हूं कि उसके कुछ दिनों के बाद कुछ और केसिज में अदालतों में 'टुएस्टाब्लिश' का मतलब "टु फाऊंड" माना है । लेकिन हमारी बदकिस्मती यह है कि जब भी हम यह सवाल उठाते हैं कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनारिटी कैरेक्टर कायम किया जाये, तो अजीज बाशा के केस में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हौआ दिखा कर हमें डराया जाता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं । सेंट जेवियर सोसायटी एण्ड वन अदर वर्सस स्टेट आफ गुजरात और स्टेट आफ केरला वर्सस मदर

प्राविंशल, इन दोनों केसिज में 'टु एस्टाब्लिश'' का मतलब ''टु फाउंड'' लिया गया है। अगर गवर्नमेंट सिर्फ एक वर्ड की बिना पर ही हमें माइनारिटी कैरेक्टर का राइट देने से इन्कार कर रही है, तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि दूसरे केसिज में ''टु एस्टाब्लिश'' के मानी ''टु फाउंड'' भी माने गये हैं। तो फिर इस बात को अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के मामले में भी लागू न करने की क्या वजह है?

यह कहा गया है कि अगर इस यूनिवर्सिटी को माइनारिटी कैरेक्टर दे दिया गया, तो पार्लियामेंट को उसके मामलों में किसी किस्म का कोई हक नहीं रहेगा। मैं समझता हूँ कि यह बात सही नहीं है। मैंने अभी जो केस साइट किया है सेंट जेवियर सोसायटी एण्ड वन अदर वर्सस स्टेट आफ गुजरात, उसमें ही यह कहा गया है कि ''टु एडमिनिस्टर'' का मतलब ''टु मैलएड मिनिस्टर दि यूनिवर्सिटी'' हरगिज नहीं है। इसी केस में कहा गया है कि हुकूमत और पार्लियामेंट को यह हक हासिल है कि वे कुछ रीजनेबल रेजिस्ट्रक्शन्स इमपोज कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन कोई ऐसी बात नहीं है, जो इस यूनिवर्सिटी को माइनारिटी कैरेक्टर दे कर एब्सोल्यूट बन जाती है। पार्लियामेंट को यह हक हासिल है कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सके। कई बातों के बारे में रिजनेबल रेस्ट्रिक्शन इमपोज की जा सकती है, जैसे एफिशेंसी आफ वर्किंग आफ दि इंस्टीट्यूशन, स्टैंडर्डआफ एजूकेशन, डिसिप्लिन, हैल्थ, सैनिटेशन। इन बातों के बारे में पार्लियामेंट डायरेक्ट कर सकती है और कंट्रोल कर सकती है।

मैं यह भी समझता हूँ कि अगर आर्टिकल 30 (1) के मुताबिक इस यूनिवर्सिटी को माइनारिटी कैरेक्टर दे दिया जाये, तो उसका हरगिज यह मतलब नहीं है कि वह एक ऐसी इंस्टीटयूशन हो जायेगी, जिसके बारे में किसी दूसरी बाडी का हक नहीं रहेगा। उस वक्त भी हुकूमत और पार्लियामेंट सुपीरियर रहेंगे। फर्क सिर्फ यह है कि उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने का हक मुसलमानों को मिल जायेगा। यह कोई अनरीजनेबल बात नहीं है। जब कांस्टीट्यूशन में यह हक दिया गया है, तो उन्हें यह हक मिलना चाहिए कि वे यूनिवर्सिटी को एस्टाब्लिश करें और उसके एडमिनिस्ट्रेशन को चला सकें।

अगर इस यूनिवर्सिटी को माइनारिटी कैरेक्टर देने का मतलब यह समझा जाता है कि उसमें सिर्फ मुसलमान ही स्टुडेंट्स, टीचर्ज और प्रोफेसर्ज हो सकते हैं, तो यह मतलब गलत है यह मतलब न कभी था, न आज है और न कभी होना चाहिए। इंस्टीट्यूशन का फंकशनिंग हमेशा सैकुलर होना चाहिए, मैं इस बात से मुत्तिफिक हूँ। जैसाकि मैंने पहले कहा है, इस कालेज का पहला ग्रैजुएट हिन्दू था और पहला एम. ए. पास करने वाला हिन्दू था। आज भी नान-मुस्लिम्ज की वहाँ पर बड़ी तादाद है। बहुत सी अफवाहें फैला-फैलाकर लोगों को डराया जाता है कि अगर इस यूनिवर्सिटी को माइनारिटी कैरेक्टर दे दिया गया, तो हिन्दुओं को न दाखिले का हक होगा, न एडमिनिस्ट्रेशन में आने का हक होगा और न प्रोफेसर या लैक्चरार बनने का हक होगा। माइनारिटी कैरेक्टर देने का यह मतलब हरगिज नहीं है।

हम चाहते हैं कि मिनिस्टर साहब हमारी बात मान लें कि यह यूनिवर्सिटी मुसलमानों ने कायम की थी और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने का हक मुसलमानों को है। इसके दरवाजे तमाम मजाहब के लोगों के लिए खुले हुए हैं। सिर्फ यहाँ के लोग ही नहीं, 22, 23 गैर-ममालिक

के लोग वहाँ पढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि मिनिस्टर साहब हमारी दरख्वास्त पर गौर फर्मायेंगे।

श्री नरेन्द्र पी० नथवानी (जूनागढ़) : सभापति महोदय: मुख्य विवाद इस प्रश्न पर है कि क्या इस संस्था अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को संविधान के अनुच्छेद 30 के अन्तर्गत एक अल्प संख्यक संस्था के रूप में मान्यता दी जानी चाहिये। सरकार ने इस मामले में उच्चतम न्यायालय निर्णय पर बहुत अधिक निर्भर किया है जबकि वह उच्चतम न्यायालय के समक्ष स्पष्ट: उठाया गया था। क्योंकि जब संसद ने 1965 का अधिनियम पारित किया तो तब उसने विश्वविद्यालय के प्रबन्ध में मासिक परिवर्तन किये थे। याचिका दाताओं ने उन उपबन्धों की वैधता को चुनौती दी है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय संविधान के अनुच्छेद 30 की व्याख्या के अनुसार एक अल्प संख्यक सस्था है और इसीलिये इस संस्था को अपना प्रबन्ध संचालन करने का एकान्तिक अधिकार है। अत: उच्चतम न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न उठा कि क्या अलीगढ़ विश्वविद्यालय अल्प संख्यकों की सस्था है। अनुच्छेद 30 में कहा गया है कि एक अल्प संख्यक संस्था को शैक्षिक संस्थायें स्थापित करने तथा उनका प्रशासन करने का अधिकार है। अत: सवाल यह उठता है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्व विद्यालय की स्थापना भारत में मुस्लिम समुदाय द्वारा की गई थी या नहीं तथा उच्चम न्यायालय का विचार था कि विश्व-विद्यालय की स्थापना 1920 के अधिनियम द्वारा की गई थी इसलिये अलीगढ़ विश्वविद्यालय एक सांविधिक निकाय, एक नियमित निकाय है जिसकी स्थापना 1920 में पारित एक संविधि के परिणाम स्वरूप हुई थी और इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि इसकी स्थापना मुसलमान समुदाय द्वारा की गई थी यह एक तर्क था जिसके आधार पर इसकी जाँच की गई थी।

दूसरा तर्क था यह कि जिसके आधार पर इसकी जाँच की गई थी वह यह है कि क्या एक विश्वविद्यालय की दर्जा पाने के लिये इसके पास डिग्री प्रदान करने का अधिकार है या नहीं। उच्चतम न्यायालय ने यह सिद्ध करने के लिये अपना तर्क 1920 के अधिनियम की धारा 6 पर आधारित किया है कि इस उपबन्ध के बिना विश्वविद्यालय को डिग्री प्रदान करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता और इसलिये इसकी स्थापना के पूर्व से ही इसकी एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विशेषता की कमी थी। इसलिये अधिनियम में ऐसा उपबन्ध किया गया।

अब यह स्थिति है और सरकार का तर्क इस पर आधारित है। सरकार का यह कहना सही है कि जब सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार इस मामले पर अपना निर्णय दे दिया तो संविधान में परिवर्तन किये बिना वह उसका प्रबन्ध पूरी तरह से मस्लिमसमुदाय के हाथ में सौंपने का या उसे संविधान के अनुच्छेद 30 के अन्तर्गत एक अल्प संख्यक संस्था मानने का उपबन्ध नहीं कर सकती थी। मुझे ज्ञात है कि अल्प संख्यक आयोग ने अपने प्रतिवेदन में यह कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने "स्थापित किया" शब्द की एक विशेष तरीके से व्याख्या की है तथा बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्थापित किया" शब्द की उस व्याख्या का परित्याग कर दिया। इसने विगत काल में यह सिद्ध करने के लिये एक से अधिक निर्णय पर अपना तर्क आधारित किया है और बाद में सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 30 "स्थापित" शब्द की से सम्बद्ध आर्य से अलग हट गया है। एक बाद के मामले में अल्प संख्यक आयोग ने एस० अजीज बाशा बनाम भारतीय संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय (आल इंडिया रिपोटर 68 उच्चतम न्यायालय 662 में उल्लिखित)

की ओर ध्यान दिलाया है तथा आगे यह कहा है कि बाद के एक मामले में उच्चतम न्यायालय ने "उसको अस्तित्व में लाना" का आर्य 'स्थापित कराना" व्याख्या की है। तत्पश्चात् उसने केरल बनाम मदर प्राविंशियल के मामले (आल इंडिया रिपोर्टर 1970 उच्चतम न्यायालय 2079 में उल्लिखित) का उल्लेख किया है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की है कि : "स्थापित करने का कार्य यहाँ एक संस्था को अस्तित्व में लाना है और यह अवश्यमेव अल्प संख्यक समुदाय द्वारा होना चाहिये। इसमें इस बात का कोई अन्तर नहीं पड़ता कि एक व्यक्ति अपने साधनों से संस्था को स्थापित करता है समस्त समुदाय उसके लिये धनराशि प्रदान करता है। कानून में इसकी एक सी स्थिति है और दोनों मामलों में इसका आशय यह है कि संस्था अल्प संख्यक समुदाय के व्यक्ति द्वारा अल्प संख्यक समुदाय के लाभ के लिये स्थापित की जानी चाहिये।

अल्प संख्यक आयोग ने यह भी बताया :

"यह दृष्टव्य है कि इस मामले में निर्णय छः न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिया गया था जबकि अजीज बाशा के मामले में निर्णय पाँच न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिया गया था। यह भी तय बात है कि एक बड़ी पीठ के निर्णय को बाद में एक छोटी पीठ के पूर्ववर्ती निर्णय से अधिक वरीयता दी जाती है।"

इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने दो शब्दों "अस्तित्व में लाने" और 'स्थापित करने को" एक ही माना है। इसलिये इस तर्क के आधार पर कहा जा सकता है कि अलीगढ़ विश्व-विद्यालय भारत में मुसलमान समुदाय द्वारा स्थापित किया गया था और उसे उन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया मानना चाहिये। किन्तु अल्प संख्यक आयोग के विचारों का आदर करते हुये मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह मामला इस पर लागू नहीं होता। मैंने यह मामला देखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने 1968 के निर्णय का बिल्कुल उल्लेख नहीं किया है। केरल के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने केवल इस प्रश्न पर विचार किया था कि वह सस्था समस्त समुदाय के एक व्यक्ति या बहुत व्यक्तियों द्वारा स्थापित किया गया था। यह पूर्णतया पृथक प्रश्न के बारे में हैं। यह इस प्रश्न के बारे में नहीं हैं कि क्या विश्वविद्यालय जैसे निकाय का एक अल्प संख्यक समुदाय द्वारा स्थापित किया गया माना जा सकता है। एक संस्था एक नियमित निकाय द्वारा स्थापित की जा सकती है और वह नियमित निकाय अलीगढ़ विश्वविद्यालय जैसी सांविधिक निगम हो सकता है या वह एक अन्य कानूनी संस्था, भारतीय कम्पनी अधिनियम के अधीन एक कम्पनी हो सकती है मान लीजिये एक संस्था स्थापित की गई है उसका पृथक कानूनी स्वरूप हो सकता है। इसलिये यदि ऐसा निकाय किसी कालिज या संस्था की स्थापना करता है तो यह नहीं कहा जा सकता कि उसे अल्प संख्यक समुदाय के सदस्यों द्वारा स्थापित किया गया है। यदि 1970 के बाद के निर्णय को सावधानी से पढ़ा जाये तो ज्ञात होगा कि यह बात अच्छी प्रकार से निर्धारित है। इस संबद्ध में 36 याचिका दाता थे। उनमें से 33 संस्थायें ईसाइयों के विभिन्न वर्गों के विभिन्न नामों की संस्थायें एक संस्था एक कम्पनी द्वारा जा रही है एक कालम में मूल रहा है शकराचार्य का नाम उससे सम्बद्ध है। और एक है नायर सोसायटी। इस प्रकार ज्ञात होगा कि 36 याचिका दाताओं में से कुछ की पृथक कानूनी स्वरूप है जोकि अल्प संख्यक समुदाय के नहीं हैं। उस मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया था अनुच्छेद 33 उन संस्थाओं पर लागू नहीं होता जो

किसी कम्पनी या सभा द्वारा स्थापित की गई थी। कानून की दृष्टि में उनका पृथक स्वरूप है।

यदि कहा जाये कि उच्चतम न्यायालय द्वारा कानून बदल दिया गया है, इसके लिये क्यों चिन्ता की जाये तो उच्चतम न्यायालय के पास जाया जा सकता है और उसे बदलवाया जा सकता है। ऐसी बात नहीं कि उसका कोइ उपाय नहीं है।

जो यह कहते हैं कि कानून बदल दिया गया है उनके एक यह भी उपाय है आप बिलकुल भी सरकार या संसद की पर दया निर्भर नहीं है। आप न्यायालय जा सकते हैं और उस निर्णय को बदलवा सकते हैं। यद्यपि कानून में परिवर्तन नहीं किया गया है और यदि आपका विचार है कि सर्वोच्च न्यायालय का 1968 को निर्णय में कुछ महान पूर्णतयों को नजरन्दाज कर दिया गया है और इसलिये उस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है तो आप अपने विचार उनके सामने रख सकते हैं। यदि आपका विचार है कि कानून के बारे में परिवर्तन कर दिया गया है या सर्वोच्च न्यायलय द्वारा विभिन्न प्रकार से व्याख्या की गई है तब भी आप उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं।

इस सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि वह यह बतायें कि अल्प संख्यक आयोग द्वारा अपनाये गये रवैये को ध्यान में रखते हुय सरकार महा न्याय कारी से परामर्श करना ठीक समझती है तथा क्या अल्प संख्यक आयोग का दायित्व के बारे में उन्हें बताया गया था। यदि हाँ तो उस बारे में उनका क्या विचार है।

श्री एम. एन. गोविन्दन नायर (त्रिवेद्रम) : अध्यक्ष महोदय. मैं इन विधेयक का समर्थन करता हूं क्योंकि इसका लक्ष्य विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक स्वरूप को बहाल करना है मेरे विचार से इसमें सुधार की जरूरत है और मुझसे पहले बोलने वाले मेरे माननीय मित्र ने जो मुद्दे उठाये, उन्हें प्रवर समिति के पास भेजे जाने की जरूरत है।

इस विधेयक का समर्थन करने के पीछे मेरा' मुख्य तर्क यह है कि हमारे देश और हमारे समाज का बुनियादी ढाँचा धर्मनिरपेक्ष और लोक तांत्रिक हैं जिसके अन्तर्गत धार्मिक तथा भाषिक अल्पसंख्यकों की रक्षा की पर्याप्त व्यवस्था है। इसमें पिछड़ी जातियाँ, अनुसूचित जातियाँ जैसे समाज के पिछड़े वर्गों के लिए सुरक्षोपायों की भी व्यवस्था है। किसी भी सरकार, उसका चाहे जो स्वरूप है, को हमारे समाज के बुनियादी ढाँचे में रद्दोबदल करने का प्रयास नहीं करना चाहिए।

हमारे संविधान-निर्माताओं ने, इस देश की जनता की संरचना को ध्यान में रखते हुए, ये उपबन्ध बनाये ताकि लोग शान्तिपूर्व रह सकें। दुर्भाग्य से विधेयक में पिछले संशोधन द्वारा विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक स्वरूप को बदल दिया गया। इसके आलावा, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला भी आया जिसके बारे में उन्होंने उल्लेख किया था और इसी प्रकार की इसकी बातें हुई। उन्होंने शंकराचार्य के नाम से जुड़ी केरल की एक संस्था का उदाहरण दिया। मैं इन सब बातों में नहीं जाना चाहता। संस्था और शंकराचार्य अल्प संख्यकों के नहीं हैं मैं इसके कानूनी पहलू की ओर भी नहीं जाना चाहता और मैं उसमें सक्षम भी नहीं हूं मैं यह नहीं कह रहा हूँ यहाँ मुख्य बात यह है कि क्या हम एक विधान द्वारा यह आश्वासन दे सकते हैं कि यह मुसलमानों की अल्पसंख्यकों की संस्था है ? मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता।

हमारे संविधान के अनुच्छेद 30 (1) में स्पष्ट रूप से यह कहा गया—मैं उद्धृत करता हूँ—

"सभी अल्पसंख्यक समुदाय, चाहे धर्म पर आधारित हों या भाषा पर, को अपनी इच्छा की शिक्षा संस्थायें स्थापित करने और चलाने का अधिकार होगा।"

मैंने अपने संशोधन में यही सुझाव दिया है अर्थात विश्वविद्यालय को परिभाषित करते समय आप यह प्रति स्थापित करें :

"विश्वविद्यालय का अर्थ है भारत के मुसलमानों द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार स्थापित की गई शिक्षा सस्था, जिसे इस अधिनियय के द्वारा 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में नियमत और नामोद्दिष्ट किया गया।"

यदि यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाये, और मेरे विचार से मंत्री महोदय को इसमें कोई हिचक नहीं होगी,.....

शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रभाप चन्द्र चन्द्र) : मुझे हिचक है।

श्री एम. एन. गोविन्दन नायर : संशमात्मा यिनष्यति मनिष्य उन्हें सकोच नहीं करना चाहिए।

कानूनी जटिलतायें चाहे जो, हों हम एक ऐसी स्थिति में फंस गये हैं, जिसमें समाज के एक शक्तिशाली वर्ग ने हमारे देश के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप या चरित्र को ही चुनौती देदी है और हमारी सरकार का यह दायित्व बनता है कि वह आगे आये और स्पष्ट रूप से यह बताये कि धार्मिक अल्पसंख्यकों द्वारा अपने शिक्षा संस्थायें चलाने के बारे में सविधान में जो व्यवस्था में की गयी है, वह उनका आदर करती है, इस विधेयक में यही उम्मीद की गई है, साथ ही वर्तमान ढाँचे में, सभी विश्वविद्यालीय निकायों में शिक्षकों, गैर-शिक्षक कर्मचारियों और विद्यार्थियों को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। इस विधेयक में इस आशय की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। इस रूप में इसविधेयक में सुधार किया जाना चाहिए ताकि कालेजों में काम करने वाले कर्मचारी विद्यार्थी और अन्य संख्यक समुदाय सभी को संतुष्ट किया जा सके।

मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलनाचाहता। लेकिन मैं यह याद दिलाना चाहता हूँ कि आज हमारे देश में जो स्थिति है उससे अल्पसंख्यकों, धार्मिक अल्पसंख्यकों, चाहे वे मुसलमान हों ईसाई हों या बौद्ध, में असुरक्षा की भावना बढ़ रही है। इस बात की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए।

एक माननीय सदस्य ने एक विधेयक प्रस्तुत किया है—धर्म स्वातंत्र विधेयक। यह गैर सरकारी सदस्य का विधेयक हो सकता है। यह धर्म स्वातन्त्र विधेयक है या धर्म स्वातन्त्र को दबाने के लिए विधेयक, एक ऐसी बात है···

श्री ओमप्रकाश त्यागी (बहराइच) : क्या आपने वह विधेयक पढ़ा है ?

श्री एम. एन. गोविन्द नायर : आपने वह विधेयक प्रस्तुत किया है। इस प्रश्न पर हम उस समय विचार करेंगे, जब आपका विधेयक विचार के लिए लिया जायेगा।

श्री ओम प्रकाश त्यागी : इसमें सबको बराबर का दर्जा देने के लिए कहा गया है।

श्री एम. एन. गोविन्दन नायर : यह केवल आपके विचार से है। लेकिन मेरे मतानुसार और देश के पूरे इसाई समुदाय के अनुसार यह उनको गतिविधियों पर अंकुश लगाने और उन्हें आतंकित करने के लिए है। पूरे देश के इसाई आपके विधेयक का विरोध कर रहे हैं। वे आपके विधेयक की उपेक्षा कर देते, लेकिन जब प्रधान मंत्री महोदय ने किसी न किसी तरीके से

प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उसकी प्रशसा करनी आरम्भ की तो आपके विधेयक को महत्व मिल गया। आपके विधेयक का इसी रूप में प्रचार हुआ है। यही कारण है कि पूरे देश का इसाई समुदाय इस पर चिन्तित है और उन्होंने प्रदर्शन किये हैं।

अब, मुसलमानों के लिए कोई सुरक्षा नहीं है। अलीगढ़ में जो हुआ और जमशेदपुर में जो कुछ हो रहा है, इसे आप जानते हैं। सरकार चलाने का आपका यदि यही तरीका है, जिसके अन्तर्गत उनके जान माल की सुरक्षा की कोई भावना नहीं है और वे यह अनुभव कर रहें हैं कि वे अपने धार्मिक कार्य भी नहीं कर सकते, तो देश के धर्म-निरपेक्ष स्वरूप को आप कैसे बरकरार रखेंगे ? हमें इस पर सोचना चाहिए। क्या आप यह समझते हैं कि हमारे संविधान के निर्माता देश की इस स्थिति से अनाभज्ञ थे। महात्मा गाँधी को आप राष्ट्र पिता कहते हैं, लेकिन आप उनका अनादर करते हैं तथा उनकी और उनकी चेतावनी की उपेक्षा करते हैं। विभाजन के समय या उसके बाद, जब देश में यह प्रबल भावना थी कि इस्लामी राज्य पाकिस्तान के विपरीत भारत में हमारा हिन्दू राज्य है, उस समय भी महात्मा गाँधी ने समय पर कार्यवाही की और कहा कि "भारत केवल हिन्दुओं की भूमि नहीं है, यह मुसलमानों तथा इसाईयों की भी भूमि है।" आपको इस पर गर्व होना चाहिए कि पाकिस्तान की मांग के बाद भी अधिकांश मुसलमानों ने भारत में रहने का निर्णय किया। वे भारत के नागरिक बनना चाहते थे, पाकिस्तान के नहीं। इसलिए आपको उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, उनके साथ बराबरी का व्यवहार करने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन, इसके विपरीत आज देश की क्या स्थिति है। आप जो कुछ कर रहे हैं उसका सदर्भ की महत्वपूर्ण है मैं आपके आत्मपरक चिन्तन पर संदेह नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मौजूदा संदर्भ में यदि आप सभी अल्पसंख्यक समुदाओं को अलगा रहे है तो इसका क्या अर्थ है ?

इसलिए.....

श्री शम्भू नाथ चतुर्वेदी (आगरा) : धर्म निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं ? क्या इसका अर्थ पृथकतावाद है।

श्री एम. एन. गोविन्दन नायर : धर्मनिरपेक्षता वह है, जिससे धार्मिक अल्पसंख्यकों और भाषिक अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान की जाती है...

श्री ओमप्रकाश त्यागी : सभी को समान दर्जा दिया जाना चाहिए।

श्री एम. एन. गोविन्द नायर : जब आपका विधेयक आयेगा तो हम उस पर चर्चा करेंगे सभापति महोदय नहीं चाहते कि मैं और अधिक बोलूँ...

सभापति महोदय : आपको दिया गया समय बीत गया है।

श्री एम. एन. गोविन्दन नायर : मैं कहना यह चाहता हूं कि सरकार के पास अब वह अवसर है जब वह धार्मिक अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुसलमानों, को यह दिखा दे कि वह उनके हितों की रक्षा करेगी और अलीगढ़ विश्वविद्यालय, को उनकी सम्मानीय संस्था है, के अल्पसंख्यक स्वरूप को बहाल किया जायेगा।

श्री ब्रज भूषण तिवारी (खलीलाबाद) : आज सदन के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक पेश हुआ है। माननीय सदस्यों ने अपने तरीके से इस पर राय दी है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का मामला काफी दिनों से देश के अन्दर जो अल्पसंख्यक हैं उनके मन को कुरेदता

रहा है। कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टीज के विराध पक्ष के लोग आज जितनी हमदर्दी दिखा रहे हैं उतनी उन्होंने अगर शुरु से ही दिखाई होती तो शायद यह स्थिति पैदा ही न होती। 1920 के एक्ट के तहत यह विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। 1951 में इस में कुछ तरमी में की गई। 1964 तक कभी कोई बात उठाई नहीं गई। इस विश्वविद्यालय के बेसिक कारेक्टर में कोई तरमीम नहीं हुई। लेकिन 1965 में संशोधन पेश किया गया जिसके जरिये कोर्ट जो बहुत ही महत्व पूर्ण संस्था होती है नीति सम्बन्धी और प्रशासन सम्बन्धी मामलों में उस प्रभावशाली और शक्तिशाली संस्था को शक्तिहीन बना दिया गया। राष्ट्रपति जो विजिटर होता है उसको अधिकार दे दिया गया कि वह वाइस चांसलर नियुक्त कर सकते हैं। स्टेचूट्स बनाने का जो अधिकार था वह भी ले लिया गया। उसके बाद 1972 का जो संशोधन था वह तो कमाल का संशोधन था। इन दो संशोधनों ने अल्पसंख्यक मुसलमानों के मन में यह शंका पैदा की कि अगर इस प्रकार से सरकारी हस्तक्षेप इस विश्वविद्यालय के मामले में चलेगा तो यह केवल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का मामला नहीं रह जाएगा बल्कि देश के अन्दर जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनके भी अंदरूनी मामलों में सरकार हस्तक्षेप करने लग जाएगी और जो शिक्षा के प्रसार और प्रचार के लिये स्वस्थ वातावरण होता है वह दूषित हो जाएगा, उसके हित में यह चीज नहीं होगी। मैं यह मान कर चलता हूँ कि लोकसभा देश की सर्वोच्च प्रभुसत्ता सम्पन्न संस्था है और तालीम के मामले में देश की आवश्यकताओं के अनुसार हम को उसको ढालना पड़ेगा और नए पन, नए हुनर और आज के विज्ञान और टेक्नालाजी के दौर में अगर हम पिछड़ गए तो शिक्षा का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। शिक्षा जो आदमी आदमी में अलगाव पैदा करे, नफरत पैदा करे, देश में पृथकता की भावना पैदा करे, उसको बढ़ावा दे, उस प्रकार की शिक्षा की आज देश और समाज को कोई आवश्यकता नहीं है। हमें ऐसी शिक्षा की जरूरत है जो कि आज आधुनिक ज्ञान, नई खोज, नये विज्ञान, नई तकनीक के लिए आवश्यक है, साथ ही साथ नये समाज नई संस्कृति, नई तहजीब व नये निर्माण के लिए जरूरी है। ऐसी शिक्षा हमें चाहिये जो आदमी के बीच में मोहब्बत पैदा करे और पूरे देश, समाज और सम्पूर्ण जो अल्पसंख्यक हैं, गरीब और कमजोर हैं, उनको अपने साथ लेकर चले। उनको विशेष अवसर देकर समाज की तरक्की में और हर क्षेत्र में उनको विशेष मौका मिले, शिक्षा का उद्देश्य यह है।

जनता पार्टी ने अपने चुनाव वायदे में यह ऐलान किया था कि हम 1965 और 1972 के संशोधनों द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की आजादी और उसके किरदार को जो आघात या चोट पहुँचाई गई है, उसको हम वापिस करेंगे। माइनौरिटी कमीशन का भी निर्माण हुआ, उसने भी अपनी संस्कृति दी है और वर्तमान विधेयक पेश किया गया है। मुझे प्रसन्नता है कि हमारे शिक्षा मंत्री ने सदन को आश्वासन दिया है कि माइनौरिटी कमीशन की जो रिकमैंडेशन्स हैं, और भी बहुत सी जो रिकमैंडेन्शज हैं. जो कार्टस के बारे में एग्जीक्यूटिव काउंसिल की रिकमैंडेशन्ज हैं, जो विश्वविद्यालय के डैमोक्रेटिक करैक्टर को बनाती हैं और उसकी अटोनामी को बरकरार रखती है या और सहायता देती हैं, वह सारे संशोधन स्वीकार किये जायेंगे और वह उसकी घोषणा करेंगे। मैं उनकी इस मंशा और घोषणा का स्वागत करता हूँ। अलीगढ़ विश्वविद्यालय के बारे में यह सही है कि यह केवल विश्वविद्यालय का ही मामला नहीं है, देश के अल्पसंख्यकों की भावनाओं का भी मामला है और सर सैयद साहब ने जब इस विश्वविद्यालय की स्थापना की

थी तो यह बात साफ हो गई थी कि इसका मतलब यह था कि अपने देश के जो पिछड़े मुसलमान हैं, उनको नई तालीम दी जाये। इसके बारे में 1961 की रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा गया है:

"भारत की तत्कालीन स्थिति का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के बाद वह महान व्यक्ति स्वर्गीय सर सैयद अहमद खाँ इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि मुस्लिम समुदाय के पिछड़ेपन का कारण उनके लिए आधुनिक शिक्षा का अभाव है। भारत के स्वतन्त्रता संग्राम के बाद, जिसमें मुसलमानों ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी; उन्हें निराशा मिली, वे असंगठित हो गए। वे पश्चिमी शिक्षा तथा पश्चिमी सभी बातों के सख्त खिलाफ थे। सर सैयद ने यह महसूस किया कि उनका यह दृष्टिकोण उनके हित में नहीं था। इसलिए उन्होंने चाहा कि वे लोग पश्चिमी पद्धति पर आधारित उदार शिक्षा का लाभ उठाएं अन्यथा उसके अभाव में वे अपनी जन्मभूमि, अपने देश की प्रगति में पूर्ण सहयोग नहीं दे पायेंगे।

यह मकसद था और इसमें काफी कामयाबी भी मिली। यह विश्वविद्यालय आल इण्डिया करेक्टर का है, अखिल भारतीय महत्व का है। मैं इस सम्बन्ध में मोहम्मद शफी जिन्होंने 1920 का बिल रखा था, उन्होंने अपने भाषण में जो रखा था, उसे क्वोट करता हूँ।

'बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अखिल भारतीय स्वरूप को स्वीकार करते हुए गवर्नमेंट आफ इण्डिया एक्ट के अन्तर्गत बनाये गये नियमों में यह प्रस्ताव किया गया है कि इन दो विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय विषय बनाया जाना चाहिए और इसके बाद इसका उत्तरादायित्व भार सरकार पर रहेगा।" इससे यह साबित होता है कि इस विश्वविद्यालय का कितना महत्व था। बाद में इसके संस्थापकों ने यह भी कहा कि यह विश्वविद्यालय केवल भारत के मुसलमानों के लिए नहीं है, बल्कि यह दुनिया में ज्ञान का एक केन्द्र बनेगा और दूसरे देशों के भी विद्यार्थी आ कर यहां पर विद्याध्ययन करेंगे।

इस विश्वविद्यालय में दाखले के मामले में 1920 के एक्ट में साफ तौर पर लिखा था कि हर एक विद्यार्थी को, जो भी विद्याध्ययन करना चाहेगा, चाहे वह किसी भी मजहब, जाति या रंग का हो, विश्वद्यिालय में दाखला दिया जायेगा और उसे इन्कार नहीं किया जायेगा। हां, 1920 के एक्ट में यह प्रावधान जरूर था कि कोर्ट के मेम्बर गैर मुस्लिम नहीं हो सकते हैं। लेकिन 1951 के संशोधन में इस बात को भी खत्म कर दिया गया और इसके लिए वह आवश्यक शर्त नहीं रखी गई।

मेरे कहने का मतलब यह है कि शुरू ही से 1964 तक इस विश्वविद्यालय का जो स्वरूप था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, कोर्ट और एक्सिक्यूटिव कौंसिल के अधिकारों को बकरार रखा गया है और उनकी शक्ति को बढ़ाया गया है। उसके अधिकारों को बिल्कुल सैकुलर रखा गया है।

यह सही है कि मुसलमानों ने उस विश्वविद्यालय की स्थापना में अपना योगदान दिया। और यह भी सच है कि जहाँ उस विश्वविद्यालय का मकसद ज्ञान-वर्द्धन शिक्षा देना, नई तालीम देना, था, वहाँ उसका सबसे महत्वपूर्ण मकसद यह था कि मुसलमान युवकों को, जो पिछड़े हुए थे, तालीम दी जाये।

मुझे प्रसन्नता है कि इस विधेयक में यूनिवर्सिटी की जो परिभाषा की गई है, उसमें इस

बात को तस्लीम किया गया है कि यह यूनिवर्सिटी मुसलमानों के द्वारा स्थापित की गई है एस्टाब्लिश्ड बाई दि मुस्लिम्ज आफ इण्डिया।" केवल एक बहस है कि इसको माइनारिटी कैरेक्टर दिया जाये या नहीं। सरकार मूल रूप में यह स्वीकार करती है कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना मुसलमानों ने की है, यह अल्पसंख्यकों की भावनाओं का केन्द्र बना हुआ है। केवल एक बात सरकार की तरफ से उठाई गई है कि अगर संविधान के आर्टिकल 30 (1) के तहत इसे माइनारिटी कैरेक्टर दिया जाता है, तो संसद् को वहाँ के मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं होगा। माइनारिटीज कमीशन ने माना है कि संसद के इस अधिकार को रोका नहीं जा सकता है। मैं भी इस बात को मानता हूँ। इसलिए इस बारे में कोई ताल-मेल होना चाहिए कि संसद का अधिकार बना रहे और हम इस यूनिवर्सिटी को स्वायत्तता, आजादी और माइनारिटी कैरेक्टर दे दें। परन्तु अगर माइनारिटी कैरेक्टर का मतलब होता है मैल-एडमिनिस्ट्रेशन, चन्द वेस्टिड इन्ट्रेस्ट्स का प्रभुत्व, अलीगढ़ विश्वविद्यालय के स्वरूप में परिवर्तन और इसके संस्थापकों के सपनों को चूर-चूर करना तो हम इस माइनारिटी कैरेक्टर की आड़ में इस विश्वविद्यालय को नष्ट नहीं होने देंगे।

चैटर्जी समिति ने कहा है कि हालाँकि यह अल्पसंख्यकों का संस्थान है, फिर भी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को उस मिश्रित संस्कृति के विकास में राष्ट्रीय योगदान के रूप में समझा जाना चहिए, जिस पर देश के सभी लोगों को उचित गौरव हो सकता है। आज 10 फीसदी के करीब बाहर के मुसलमान छात्र अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं। लेकिन वहां की प्रोफेशनल एजूकेशन-मेडिकल, इन्जीनियरिंग आदि में मुसलमान विद्यार्थियों की तादाद बहुत कम है। इस के लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि देश में सरकारी नौकरियों में आजादी के बाद उनका अनुपात घटा हैं, चाहे प्रशासकीय सेवायें हों, सेना हो या पुलिस हो। इस बात को खुसरो सहाब ने भी लिखा है कि हमारी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अन्दर से एक परसेंट भी ऐड-मिनिस्ट्रेटिव आफिसर नहीं आते थे, मगर उन्होंने ट्रेनिंग की जो नयी स्कीम चलायी है उस से कुछ अनुपात पन्द्रह-बीस परसेंट के करीब बढ़ा है। मैं चाहूँगा कि अगर सचमुच अल्पसंख्यकों के मन में यह विश्वास पैदा करना है कि वे भी इस देश के निर्माण में हकदार हैं और उनका भी इसमें हिस्सा है तो उनका अनुपात उनकी योग्यता और क्षमता के आधार पर सही तरीके से सरकारी नौकरियों में और सार्वजनिक क्षेत्र में मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलेगा, चाहे उसके जो भी कारण हों तो इसी प्रकार के विचार उनके मन में पैदा होंगे, शंकाएं पैदा होंगी और तमाम लोग गलत तरीके से उसका इस्तेमाल करेंगे। अगर ये सारी शंकाएं निर्मूल हो जायें और उनके मन में यह विश्वास पैदा हो जाय, साथ ही संसद के अधिकार और यह जो माइनारिटी कैरेक्टर है, इसके बीच में तालमेल की या बीच की कोई स्थिति निकल जाय तो मुझे कोई आपत्ति उसमें नहीं होगी कि इसे माइनारिटी कैरेक्टर दिया जाय मगर उसके साथ यह शर्त जरूर है कि अपने जिन सपनों को लेकर या जिस स्वरूप को लेकर इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी वह बरकार रहे।

श्री हलीमुद्दीन अहमद (किशनगंज) : सभापति महोदय, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप ने मुझेअलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अमैंडमैंट बिल पर बोलने का मौका दिया है। बिल की मौजूदा शकल अगर्चे पूरे तौर पर मुसलमानों को इत्मीनान नहीं दिलाती, फिर भी बहुत हद्

तक वह काबिले कबूल है। सन् 20 के ऐक्ट के जरिये जो मराआत और हकूक मुसलमानों को हासिल थे। वह सारे के सारे सन् 65 और 72 के अमेंडमेंट से छीन लिए गए। यह श्रीमती इन्दरा गाँधी के दौरे में किए गए थे जिन्होंने अपने दौरे इक्तिसाद में मुसलमानों की सादालोई से नाजायज फायदा उठाकर मुसलमानों का वोट हासिल करने के लिए बार-बार गलत वादे किए, उनके दिल को मजरूह किया और उनके जजबात को ठेस पहुँचाई।

सभापति महोदय : अहमद साहब, आप जरा आगे आ जायं जो लोगों को सुनने में आसानी होगी। आप माइक के करीब आ जायं।

श्री हलीमुद्दीन अहमद : सन् 77 के एलेक्शन के मैनिफेस्टो में जनता पार्टी ने भी अकलियत को जायज हकूक दिलाने का वादा किया था। मुझे खुशी है कि जनता सरकार ने मौजूदा अमैंडमैंट बिल के जरिये मुसलमानों के जख्म को भरने के लिए यह कदम बढ़ाने की कोशिश की है।

मैं इस बिल की ताईद करने के लिए कुछ सिफारिशात सरकार के सामने रखना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सरकार ठंडे दिल से गौर करेगी और मुनासिब कदम उठाकर सरकारी अमेंडमेंट के जरिए मुसलमानों के बाकी मुतालबात और ख्वाहिशात को पूरा करने की कोशिश करेगी। इस देश में लगभग 10 करोड़ मुसलमानों की आबादी है मैं भी उनका एक फर्द हूँ। आजादी के बाद से मुसलमानों की दिली ख्वाहिश रही है कि वह इस मुल्क की तामीर और तरक्की में बराबर के साझीदार बनें रहें। मुझे यकीन है कि मुसलमान इस काम के लिए अपने अन्दर माकूल सलाहियत, काबलियत और कैरेक्टर रखते हैं। मगर अफसोस की बात है कि ये हमेशा नित नये मसायल में इसलिए उलझाए रखे जाते हैं कि इन्हें कुछ सोचने और करने का मौका ही न मिले। ये अपनी सारी ताकत और लियाकत छोटे-मोटे मसायल के उलझाव में जाया कर देने पर मजबूर हो जाते हैं। इस तरह जिन्दगी के दौरे में यह पीछे पड़ते जा रहे हैं। मैं जब इन मसायल पर गौर करता हूँ तो पाता हूँ कि देश में मफादपरस्तों का गिरोह है जो आये दिन ऐसे वारदात खड़े कर उलझाव और तनाव पैदा करा कर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। ये मफादपरस्त फिरकावाराना जहनियत रखने वाले लोग हमेशा हमारे साथ खेल खेला करते हैं और हमें एक फिरकावाराना फसाद की जद में ला कर सारी सलाहियत जाया करा देते हैं। हमें अपनी महाफजत और बचाव की तदबीर में सारा वक्त जाया कर देना पड़ता है कहीं जबान पर झगड़ा है तो कहीं मजहबी रसूमात का ऐसा मालूम पड़ता है कि यह सब सोचे समझे प्लान के तहत किया जा रहा है। हिन्दुस्तान के बटवारे का जिम्मेदार ठहराकर हमारे खिलाफ नफरत फैलाई जाती है। बटवारा एक तारीखी हकीकत बन चुका है। जो लोग बटवारे के हामी थे वे तो चले गए लेकिन वे लोग जिन्होंने अपने देश को मादरे वतन समझ कर गले लगा रखा, सारी तकलीफों को बरदाश्त किया, देश की धरती से चिमटे रहे, उनका आज भारतीयकरण करने की कोशिश करना और उन पर शुबहा करना जख्म पर नमक छिड़कना नहीं तो और क्या है ? इसी जहनियत की बिना पर मुल्क और कौम को नुकसाने अजीम पहुँच रहा है।

मेरा अकीदा है कि अक्सरियत अगर थोड़ी रवादारी से काम लेती तो सारे फिरकेवाराना तनाव खत्म हो जाते और आजादी के 32 साल बाद मुस्लिम बजाए बोझ होने के इस मुल्क के लिए पूंजी साबित होते।

इन तमहीदी बातों के बाद मैं अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अमेन्डमेंट बिल, 1979 की निस्बत अपने कुछ खयालात जाहिर करना चाहता हूँ और साथ ही कुछ सिफारिशात भी आपके जरिए सरकार के सामने रखना चाहता हूँ।

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियाद क्यों पड़ी और कैसे पड़ी, इसके पसे-मंजर को देखना जरूरी है। यह तारीखी हकीकत है कि हिन्दुस्तान की हुकूमत को अंग्रेजों ने मुसलमानों से छीना। अंग्रेजों की नजर में मुसलमान दुश्मन नं० 1 समझे जाने लगे थे। 1857 की जंगे आजादी ने आग में तेल डालने का काम किया। अंग्रेज फातेह कौम के नाते मुसलमानों की तहजीबो तमद्दुन और तालीम को बरबाद करने पर तुले थे। अंग्रेज अंग्रेजी को सरकारी जबान बनाने की कोशिश करने लगे। हमारे मुसलमानों ने अंग्रेजी तालीम की सख्त मुखालिफत की। हम आहिस्ता 2 जिन्दगी के हर शोबे में पीछे पड़ने लगे। यह वह वक्त था जब सर सैयद अहमदखाँ की जाते गिरामी ने हालात की नजाकत को समझा और मुसलमानों के पिछड़ेपन और बदहाली को दूर करने की सोची, वक्त की नब्ज पर हाथ रखा और 1875 में अलीगढ़ में मुसलमानों को जदीद तालीम से शनास कराने के लिए एक स्कूल कायम किया जो 8 जनवरी, 1877 में मोहमडन ऐंग्लो ओरिएंटल कालेज के नाम से मशहूर हुआ। एम. ए. ओ. कालेज और मुस्लिम यूनिवर्सिटी एसोसिएशन की अनथक कोशिशों के बायस 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियाद पड़ी। इस यूनिवर्सिटी का मकसद खासकर मुसलमानों के तालीमे मयार को बुलन्द करना था। इसमें आहिस्ता 2 बहुत से शोबे इस्लामिक स्टडीज के खोले गए जिनमें इस्लामी तालीमात दी जाने लगीं। इस यूनिवर्सिटी के जरिये मुस्लिम फिलासफी, इस्लामिक हिस्ट्री, मुस्लिम ला और पश्चिमी एशिया की जबान अरबी और फारसी की तालीम का मुनासिब बन्दोबस्त किया गया। यूनिवर्सिटी की कल्चरल जबान उर्दू बनाई गई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की डिग्री को कानूनी दर्जा दिलाने के लिए सरकारी मजूरी जरूरी थी इसलिए एम. ए. ओ. कालेज सोसायटी और मुस्लिम यूनिवर्सिटी एसोसिएशन ने अपना सारा इसासा और नकद 25,000 रुपया सरकार के हवाले कर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की कानूनी मंजूरी ली जो 19_0 का ऐक्ट कहा जाता है। अब अगर यह कहा जाए कि सरकारी ऐक्ट के जरिए ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कायम हुई तो यह जुल्म नहीं तो और क्या है ? क्या हम और आप इस बात को मानने के लिए तैयार हैं कि हिन्दुस्तान की आजादी हमारी जद्दो-जहद कुर्बानियां और खून-पसीना बहाने के सिलसिले में हमें नहीं मिली बल्कि ब्रिटिश पार्लमेंट के ऐक्ट के जरिए मिली है ? मामूली समझ रखने वाला इन्सान भी इसे कबूल नहीं कर सकता है। मुल्की कानून के तहत हर तालीमी दर्सगाह, खवाह वह प्राइमरी हो, सेकेण्ड्री हो या यूनिवर्सिटी दर्जे का हो—सरकारी मंजूरी के बगैर चलाया नहीं जा सकता है। मंजूरी देना सरकार का कानूनी फर्ज है और कायम करना एक फर्द की जिम्मेदारी है। किसी भी इमारत की बुनियाद रखने में एक-एक ईंट जमा करने की जरूरत पड़ती हैं, फिर जोड़ना पड़ता है, खून पसीना एक करना होता है और तब जाकर मकान तैयार होता है। यह कैसे मुमकिन हो सकता है कि इन सारी लजाबमात को भूल कर रिकग्निशन का एक जुमला बुनियाद का हर्फ-आखिर साबित हो जाए ?

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनारिरिटी करैक्टर बहाल करने के बारे में कहा जाता है कि सुपीरियर कोर्ट का फैसला सरकार के लिए रुकावट है। 32 वर्ष की आजादी के

दरम्यान करीब 59 बार दस्तूर में अमेन्डमेन्ट हुए हैं। इमरजेन्सी के दौरान भी कानून बनाए गए और सारे कानूनों को पार्लियामेंट के जरिये तरमीम किया गया है। कहा जाता है कि कौम और मुल्क के मफाद में वह सारी तरमीमात की गई हैं। क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनारिटी करैक्टर देना मुल्क और कौम के मफाद में बेहतर नहीं होगा जबकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक आला कौमी तालीमी इरादा है जहां किसी भेदभाव के बगैर हर जात और फिरके के लड़के तालीम पाते हैं ? 1965-72 के अमेंन्डमेंट्स ने इस यूनिवर्सिटी के माइनारिटी करैक्टर को जद पहुँचाई और बुनियादी हुकूक से मुसलमानो को महरुम कर दिया गया। जो मुसलमानों के लिए जहनी कुफत का बायस बना हुआ है। उस वक्त से आज तक पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के बाहर मुसलमानों की तरफ से माइनोरिटी करेक्टर बहाल कराने का एहतजाज जारी है। जब सन् 1920 के एक्ट के बहुत सारे मराआत बापस किए जा रहे हैं तो कौमी नुक्ते-नजर से माइनोरिटी करेक्टर की बहाली मेरे खयाल से अजहद जरूरी है। माइनोरिटी कमीशन की सिफारिश और राज्य सभा से बिल की मंजूरी भी काबिले-गौर है।

हमारे दस्तूर के दफा 29 और 30 में अकलियतों के लिए दिए गए मराआत के बारे में हमारे मुल्क के सुप्रीम कोर्ट के बहुत से फाजिल जजों ने अपना-अपना खयाल और राय फैसला देते वक्त जाहिर किया है, जो काबिले गौर है। मि. मैथयू और चन्द्रचूढ़ जजों में अहमदाबाद के सैंट जेबियर सोसाइटी के मुकदमे में राय देते हुए कहा है : "कार्य और मान्यता जिसके अभाव में धम निरपेक्ष शिक्षा के प्रसार के लिए असंख्यकों द्वारा बनाई गई शिक्षा संस्था में उस कार्य को क्षमतापूर्वक कहीं कर सकेंगी जिनके लिए उन्हें बनाया गया है। उन्हें प्रदत्त अधिकारों को दबाने के एक साधन के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।"

ए. आई. आर. 1974 पृष्ठ 1389 यह दर्ज है।

आगे यह भी कहा है : "मौलिक अधिकार त्यागे या बांटे नहीं जा सकते।।"

इस मुकदमे के फैसले में श्री खन्ना, जज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि :

"शिक्षा संस्थाओं के मामले में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान में उदार, सही तथा सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाया गया है।"

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में 1968 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की रिट पर राय देते हुए यह कहा है ?

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिए यथोचित नियम बनाने में संसद के सामने कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

(ए. आई. आर. 1969 एस. सी. पृष्ठ, 662, पैरा 34)

चेयरमैन साहब, आर्टिकल 30 (1) के अन्दर यूनिवर्सिटी का कायम करना एक एबसोलूट राइट है लेकिन साथ ही दस्तूर में ऐसी कोई शर्त नहीं है कि यूनिवर्सिटी लेजिसलेटिव एक्ट के जरिए ही कायम होनी चाहिए जैसा कि आज से पहले कल भी कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने "एस्टाबिलिश" का इन्टरप्रीटेशन नैरो सेंस में किया है और उस पर जो राय दी है वह मुस्लिम मफाद के खिलाफ होती है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी देखने के बाद, "इस्टाबिलिश" का जो माइने पाते हैं, वे ये हैं :

(प्रथा, मिसाल, मान्यता) के लिए स्थायी स्वीकृति प्राप्त करना और "एडमिनिस्टर" के माइने जो आक्सफोर्ड डिक्शनरी में दिए गए हैं, वे ये हैं :

"का (उपाय करना), (किसी की सुविधा) में योगदान करना ।।

यह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि "एस्टाबिलिश" का जो इन्टरप्रीटेशन सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, वह नेरो सेंस में लिया गया है और उसको बहुँत वाइड तरीके से लेना चाहिये। यह मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि आर्टीकल 39 (1) के अन्दर यूनीवर्सिटी का कायम करना एक फन्डामेन्टल राइट है लेकिन साथ ही दस्तूर में ऐसी कोई शर्त नहीं है। इसलिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी एक्ट में अगर कोई लेकूना रह गया है, तो उससे अकलियतों के फन्डामेन्टल राइट जिसकी जमानत दस्तूर ने आर्टिकल 30 (1) में दी है, उससे मुसलमानों को महरूम नहीं दिया जा सकता जैसा कि मुल्क के आला अदालत सुप्रीम कोर्ट के फाजिल और काबिल जजों ने अपने अपने फैसले में राय कायम की है, जिसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ।

इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए यह कहा जा सकता है कि दस्तूरे-हिन्द के जारी होने के वक्त अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी एक्ट, 1920 रायज था जिसके जरिए यह हक हासिल था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी कोर्ट के मेम्बरान और अफसरान सारे के सारे मुसलमान होंगे।

इन बातों का जिक्र मैंने इसलिए किया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी को मुसलमान-ए हिन्द ने कायम किया था। 1968 की सुप्रीम कोर्ट की राय ने तारीखी हकीकत से इन्कार तो नहीं किया बल्कि कानूनी सूगाफि निकाल कर मसलहत वक्त का साथ दिया, तकाजाये वक्त का नहीं जैसा कि मुल्क के बड़े कांस्टीट्यूशनल एक्सपट श्री एस. एम. सीरवई ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में कहा है :

"निर्णय स्पष्टत: गलत है और एक बड़ी सार्वजनिक शरारत का परिणाम है।"

मुल्क की फला-बहबूद के लिए और सरकारी पालिशी को मद्देनजर रखते हुए जरूरी है कि सरकार अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी बिल 1979 में सरकारी एमेंडमेंट्स ला कर या पार्लियामेंट के जरिये कानून बना कर इस देश की सब से बड़ी अक्लियत मुसलमानों के जायज दस्तूरी हकूक बहाल करे। वरना हिन्दुस्तान के सेक्युलर डेमोक्रेटिक चेहरे पर एक बदनुमा दाग बाकी रह जाएगा। वह इसलिए भी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी रिट पेटीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला 1968 में किया वह सारी साबिका रवायत के खिलाफ है। इससे पहले और बाद में भी जब कभी अक्लियत का कल्चरल और एजूकेशनल मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो अदालते आलिया ने बहुत ही वुसअत और आला स्प्रिट का मुजाहरा करते हुए फैसला दिया। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ।

चेअरमैन साहब, हमारे देश में 104 यूनिवर्सिटियां हैं। अगर उनमें से एक अलीगढ़ यूनीवर्सिटी को माइनोरिटी करेक्टर दे दिया जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ सकता है। जबकि इसी यूनीवर्सिटी के जरिये सारे इस्लामी मुमालिक से बेहतर रिश्ता कायम करने में मदद मिल सकती है। अब यह सारा मामला सरकार की ख्वाहिश, तबज्जो और रुफान पर मुनस्सिर है। न ही यूनीवर्सिटी एक्ट और न दस्तूर में अमेंडमेंट गैर-मुमकिन है। अक्लियत के जायज हकूक

की बहाली और देखरेख पर ही सरकार की कामयाबी का दारोमदार होता है। इसलिए चेअरमैन साहब, मैं आपके जरिये वजीरे तालीम और सरकार से सिफारिश करता हूँ कि वह अमेंडमेंट लाकर अलीगढ मुस्लिम यूनीवर्सिटी के माइनोरिटी करेक्टर को बहाल कर दें।

कहता हूँ वही बात समझता हूँ जिसे हक।
न अबलए मस्जिद हूँ न तहजीब का फरजन्द ॥

इन्हीं ख्यालात और सिफारिशात के साथ मैं अपनी बात खतम करता हूँ।

श्री जी. एम. बनतवाला (पोन्नानी) : सभापति महोदय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वयिद्यालय (संशोधक) विधेयक पर चर्चा की जा रही है। मैंने एक संशोधन प्रस्तुत किया है जिसमें यह कहा गया है कि विधेयक को इस हिदायत के साथ दोनों सभाओं की संयुक्त समिति के पास भेज दिया जायेकि रिपोर्ट को अगले सत्र के पहले सप्ताह के अन्तिम दिन तक प्रस्तुत कर दिया जाये।

विधेयक के साथ संलग्न लक्ष्यो और उद्देश्यों के विवरण में अनेक दावे किये गये हैं। यह दुभाग्य की बात है कि दावों का पर्याप्त आभास विधेयक के उपबन्धों में नहीं मिलता। विधेयक में यह स्वीकार नहीं किया गया है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक अल्पसंख्यक संस्था जैसी कि संविधान में परिकल्पना की गयी है। इस विधेयक को सभा में पुनःस्थापित करने से पहले अल्पसख्यक आयोग से भी परामर्श नहीं किया गया।

दिनांक 9 मार्च, 1978 के अपने पत्र द्वारा अल्पसंख्यक आयोग ने शिक्षा मंत्री से विशेषरूप से यह अनुरोध किया था कि सभा में संशोधन पुनःस्थापित करने से पहले उसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बारे में राय व्यक्त करने का अवसर दिया जाये। यह दुर्भाग्य की बात है कि सरकार ने अल्पसंख्यक आयोग के अनुरोध की पूरी तरह से उपेक्षा कर दी। 4 मई, 1978 को शिक्षा मंत्री ने सभा में एक वक्तव्य दिया जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन के सरकार के निर्णय के घोषणा की गई थी। अल्पसंख्यक आयोग को समाचार पत्रों के माध्यम से अगले दिन इसके बारे में पता चला। 5 मई, 1978 को सरकार ने अल्पसंख्यक आयोग को एक पत्र लिखा, लेकिन उस पत्र में भी सरकार ने अल्पसंख्यक आयोग के निर्दिष्ट अनुरोध के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। इससे इस बात का पता चलता है कि सरकार अल्पसंख्यक आयोग के साथ कितना तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करती है। अल्पसंख्यक आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है प्रतिवेदन बाद-बार माँग के बाद सभा पटल पर रखा गया है। अपने प्रतिवेदन के पैरा 6 में अल्पसंख्यक आयोग ने ये विचार व्यक्त किये हैं :

"आयोग को यह आशा थी कि उससे संबद्ध किसी भी मामले में और एक ऐसे मामसे में जिसके बारे में आयोग ने यह अनुरोध किया था कि उसे सरकार के लिए सिफारिश करने का अवसर दिया जाये, उससे परामर्श किया जायेगा·····आयोग खेद व्यक्त करता है कि विधेयक को तैयार करने में उनसे इस प्रकार परामर्श नहीं किया गया।"

मैंने यह प्रश्न केवल यह पूछने के लिए उठाया है कि सरकार अल्पसंख्यक आयोग से परामर्श करने में संकोच क्यों कर रही है ? ऐसी क्या बात है जिसे वे छिपाना चाहते थे? इसी प्रकार के कार्यकारी आदेश द्वारा गठित अल्पसंख्यक आयोग से उन्हें किस बात का भय है ?

वस्तुत: अनुच्छेद 30 को वास्तविकता मे परिवर्तित किया गया है । अलीगढ़ पुलिस विश्वविद्यालय भारत के मुसलमानों की आशाओं और महत्वकाँक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है । यह निश्चित रूप से अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण है कि 1965 और 72 के संशोधन अधिनियमों ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का गला घोटने का कार्य किया है । वर्तमान विधेयक में स्थिति में सुधार करने का दावा किया गया है । परन्तु इस विधेयक के उपबन्ध पर्याप्त रूप से और पूर्णत: मुससलमानों की महत्वाकांक्षाओं को पूरा नहीं करते । जनता पार्टी की सरकार से मुसलमानों ने बड़ी आशायें लगाई थीं परन्तु मुझे यह कहते हुए दु:ख हो रहा है कि आज सर्वत्र निराशा और अवसाय की भावना व्याप्त है । सर्वप्रथम विधेयक में संविधान के अनुच्छेद 30, खण्ड 1 के अधीन विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में संरक्षरण नहीं दिया गया है ।

अब, विश्वविद्यालय की स्वायत्तता के बारे में, विधेयक में जहाँ कुछ सुधार किया गया है, वहां उसमें गम्भीर किस्म की मौलिक कमियाँ हैं । इस विषय में अनेक उदाहरण दिये जा जा सकते हैं, परन्तु समय की कमी के कारण, मैं अपने आपको विधेयक के कुछ उपबन्धों तक ही सीमीति रखूँगा । यह दावा किया गया है कि नियम निर्मायी शक्ति के साथ सर्वोच्च प्रशासी निकाय के रूप में 'कोर्ट' का दर्जा इस विधेयक द्वारा बहाल कर दिया गया है । यह तो दावा है । हमें दावे के स्वरूप को समझना चाहिए। यह दावा किया गया है कि विधेयक द्वारा नियम निर्मायी शक्ति के साथ सर्वोच्च प्रशासी निकाय के रूप में 'कोर्ट' का शुद्ध दर्जा फिर से बहाल कर दिया गया है । अब, सभापति महोदय, मैं इस सदन का ध्यान खण्ड 18 की ओर आकर्षित करता हूँ, जो मूल अधिनियम की धारा 28 को प्रतिस्थापित करता है । यह बहुत ही स्पष्ट रुप से बताया गया है कि कुलाध्यक्ष अर्थात् भारत के राष्ट्रपति की पूर्व-अनूमति के बिना विधि में संशाधन या परिवर्तन करने का कोर्ट को कोई भी अधिकार नहीं होगा । इसलिए भारत के राष्ट्रपति को स्वैच्छिक अधिकार प्राप्त हैं और इसलिए, विशिष्ट मामले में सम्पूर्ण कोर्ट असहाय है । उद्देश्य और कारणों के कथन में जो दावा किया गया है, वह विधेयक में वस्तुत: प्रतिविम्बित नहीं होता । यह दावा एक बड़ा मजाक बन गया है ।

फिर यह स्मरण होना चाहिए कि उक्त विधेयक द्वारा मुझे कहना चाहिए कि 1972 के काले का न द्वारा--जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया--वह यह है कि उस समय प्रभावी सभी विधियों को अन्य विधियों द्वारा बदल दिया गया । यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन विधियों को इस विधेयक द्वारा कायम रखा गया है । 1972 का अधिनियम जहाँ तक विधियों का सम्बन्ध है, अपने अधिकार क्षेत्र को व्यापक रखता है और उसमें अध्यापकों की सेवा-शर्तें अस्थायी अध्यापकों की सेवा शर्तें, नैमित्तिक रिक्तियों में तैनात अध्यापकों की सेवा शर्तें, कार्यकारियों का सेवा से हटाया जाना, पाठ्यक्रम, छात्रों में अनुशासन बनाये रखना आदि आदि जैसे विषय भी शमिल हैं । 1972 के काले कानून में इन सभी मामलों के बारे में उपबन्ध किए गए थे उन उपबन्धों को वर्तमान विधेयक में बनाये रखा गया है और कोर्ट को कुलाध्यक्ष अर्थात् भारत के राष्ट्रपति की पूर्व-स्वीकृति के बिना इन उपबन्धों में संशोधन करने का अधिकार नहीं है ।

अब उपबन्ध 4 (1) को ही लें जो उप-कुलपति (प्रो वाइस चान्सलर) की नियुक्ति के बारे में है; उस उपबन्ध को वर्तमान विधेयक में भी बनाये रखा गया है । उप कुलपति की नियुक्ति कुलपति की सिफारिश पर कार्यकारी परिषद (एक्जीक्यूटिव काउन्सिल) द्वारा की

जाएगी। कुलपति कार्यकारी परिषद को सिफारिश भेजता है और अगर कार्यकारी परिषद कुलपति की सिफारिश को नहीं मानती है, तो मामला राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति स्वयं ही उपकुलपति की नियुक्ति कर देते हैं। कुछ सुधार कर दिये जाने के बावजूद वर्तमान विधेयक में अभी भी ऐसी स्पष्ट त्रुटियाँ हैं।

कुलपति की नियुक्ति की शर्तों की ओर ध्यान दीजिए। विधेयक के अनुसार कुलपति की नियुक्ति कुलाध्यक्ष अर्थात भारत के राष्ट्रपति द्वारा कोर्ट प्रस्तुत सूची में से की जायेगी। कोर्ट भी अपनी इच्छा से नामों की सूची प्रस्तुत करने में स्वतंत्र नहीं है। कोर्ट को अपनी सूची के लिए व्यक्तियों के नामों का चयन उस सूची में करना होगा जिसे कार्यकारी परिषद प्रस्तुत करेगी। इसमें मनोनीत सदस्यों की भरमार है और उसमें वे व्यक्ति हैं जो आन्तरिक हितों का प्रतिनिनित्व करते हैं। कार्यकारी परिषद में मुश्किल से 15 सदस्य कोर्ट द्वारा निर्वाचित होते हैं! एक अन्य उदाहरण भी दिया जा सकता है, मूल अधिनियम की धारा 12 (2) कुलाध्यक्ष को पनपाने अधिकार प्रदान करती है। प्रतिबन्धों का अन्धाधुन्ध स्वरूप तो देखिए। कोर्ट कुलाध्यक्ष की पूर्व स्वीकृति के बिना अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए, विशेष केन्द्रों, विशिष्ट प्रयोगशालाओं, अनुसन्धानों संस्थानों आदि की स्थापना करने में असहाय है कोर्ट कुलाध्यक्ष के अधीनस्थ कार्य करता है इसलिए ऐसे मामलों में भी पूर्व-स्वीकृति आवश्वक है।

वर्तमान संशोधनकारी विधेयक द्वारा नई विधियों 32, 33 और 34 नए उपबन्ध बनाए गए हैं। छात्र संघों, अध्यापक एसोसियेशन और अन्य कर्मचारी एसोसिएशन के लिए उपबन्ध हैं। उक्त उपबन्ध अपने आप में सर्वाधिक अलोकतान्त्रिक है। इन सभी एसोसियेशनों और यूनियनों को अपना संविधान बनाने की अनुमति नहीं है। इसे विधियों द्वारा निर्धारित किया जायेगा और उनमें कुलाध्यक्ष की पूर्व-स्वीकृति के बिना परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ऐसी व्यापक किस्म की अनेक त्रुटियाँ हैं जिन पर इस सदन द्वारा विचार किया जाना होगा।

तोते की तरह अमान्य दुराग्रहपूर्ण और पुराने तर्कों की रट लगाई जा रही है। यह तर्क दिया जाता है कि गैर मुसलमानों से चन्दा प्राप्त हुआ है, कि एम० ए० ओ० कालेज का प्रिंसीपल एक अँग्रेज था, गैर-मुस्लिम छात्रों को भी दाखिला दिया जाता है आदि आदि। इस विशेष मुद्दे के बारे में मैंने पिछली बार उस समय व्यापक चर्चा की थी, जब मैंने इस बारे में अपना गैर-सरकारी विधेयक पेश किया था और मैंने उल्लेख किया है कि इन तर्कों में से कोई तर्क इस सचाई को नजर अन्दाज नहीं कर सकता कि विश्वविद्यालय संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के अन्तर्गत एक अल्पसंख्यक संस्थान है। दान निश्चित रूप से त्रात अल्पसंख्यक संस्थानों को दिये जाते हैं। वर्तमान सुझाव से दानकर्ता अपमानिता महसूस करते हैं कि उनके दान से संस्था का अल्पसंख्यक स्वरूप समाप्त होता है। उन्होंने वस्तुतः इसलिए दान दिया था कि अल्पसंख्यक संस्थान अस्तित्व में आये। इसके आलावा, सुनिश्चित रूप से गैर-मुलिम कर्मचारियों की नियुक्ति को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक स्वरूप का विनाश नहीं कराया जा सकता। दाखिलों के बारे में, केरल शिक्षा विधेयक, 1977 के बारे में उच्चतम न्यायालय ने पहले ही यह राय व्यक्त की है कि इससे अल्पसंख्यक स्वरूप समाप्त नहीं होता।

यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसकी ओर मैं चाहूँगा कि सरकार ध्यान दे और जिसपर यह सदन गम्भीर रूप से विचार करे। हम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक

स्वरूप को बहाल करने की माँग करते आ रहे ह। इसलिए दी हुई परिभाषा में समुचित रूप से परिवर्तन किया जाना चाहिए। लेकिन सरकार ने 'विश्वविद्यालय शब्द की परिभाषा के बारे में सुधार दिया था। मैं विशिष्ट रूप से यह प्रश्न पूछता हूँ—इस परिभाषा का क्या प्रयोजन है जिसके बारे में सरकार द्वारा सुझाव दिया गया है ? सरकार द्वारा विधेयक में सुझाई गई परिभाषा का उद्देश्य क्या है ? क्या यह परिभाषा अनुच्छेद 30 (1) के अधीन विश्वविद्यालय को संरक्षण प्रदान करती है ? नहीं, ऐसा नहीं करती। अगर यह ऐसा नहीं करती है, तो मुसलमान इससे सन्तुष्ट नहीं होंगे। माननीय मंत्री महोदय ने स्वयं स्पष्टीकरण किया है कि परिभाषा और विधेयक भी अजीज बाषा के मामले में उच्चतम न्यायालय की राय के मुताबिक है। बाशा के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया था कि विश्वविद्यालय मुसलमानों द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। अब जो सरकार कर रही है वह केवल उच्चतम न्यायालय की राय को केवल समर्थनमान देना है मुसलमानों ने जो मांग की थी वह यह थी कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न स्थिति में सुधार किया जाय। हम जो माँग कर रहे थे, वह यह है कि "विश्वविद्यालय" शब्द को इस प्रकार परिभाषित किया जाय कि अल्पसंख्यक स्वरूप सामने आ सके। इसके प्रतिकूल, उच्चत्तम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के समर्थन में सरकार ने कार्यवाही करने का निर्णय किया है। विधेयक में सरकार द्वारा दी गई परिभाषा स्पष्ट रूप से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और ए० ए० ओ० कालेज के बीच स्पष्टत: भेद करती है सरकार की परिभाषा में यह कहा गया है कि मेयो मुसलमानों ने एम. ए. ओ. कालेज की स्थापना की थी, न कि विश्वविद्याय की। यह सरकार द्वारा दी गई परिभाषा है। उक्त परिभाषा उच्चत्तम न्यायालय के निर्णय का सदैव के लिए समर्थन करती है और विश्वविद्यालय के बारे में सभी मार्ग बन्द कर देती है। हमने बड़ी बेचैनी से शब्द बदलने के लिए, उच्चत्तम न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न स्थिति को बदलने के लिए अनुरोध किया और सरकार ने हमारी सभी भावनाओं की पूर्ण उपेक्षा करते हुए, उच्चतम न्यायालय ने जो कहा है, केवल उसकी पुष्टि करने के लिए कार्यवाही की है। इसका परिणाम क्या होगा ? कल हमारे पास यह विकल्प भी नहीं रहेगा कि हम उच्चतम न्यायालय में उसके निर्णय को बदलने के लिए जा सकें। फिर उच्चतम न्यायालय यह कहेगा कि परिभाषा पहले ही बदली जा चुकी है और संसद द्वारा परिवर्तित परिभाषा में यह कहा गया है कि विश्वविद्यालय मुसलमानों द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। इसका अर्थ यह हुआ कि इस संसद द्वारा उच्चत्तम न्यायालय की राय का समर्थन कर देने से उच्चत्तम न्यायालय में निर्णय बदलने के लिए जाने के लिए इसके दरवाजे हमारे लिए सदैव के लिए बन्द हो जायेंगे। यह धोखा और छल है, मुसलमानों के साथ किया जा रहा है। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि अगर सरकार द्वारा सुझाई गई परिभाषा से हमें अल्पसंख्यक स्वरूप प्राप्त नहीं होता, तो परिभाषा बदलने का सही प्रयोजन क्या है ? अगर आप 1920 के अधिनिय की मूल परिभाषा को रखते हैं कि 'विश्वबिद्यालय' का अर्थ "अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय', है, तो कम से कम इस संसद द्वारा दी गई राय अन्तिम नहीं होती। कम से कम विश्वविद्यालय जाने के लिए लागों के लिए दरवाजे खुले रहेंगे। मगर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह विधेयक और यह परिभाषा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक स्वरूप से सम्बन्धित सभी तर्कों के बारे में अन्तिम निर्णय की मोहर लगा देती है और उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार

अपनी परिभाषा में सभी को यह बताती है कि विश्वविद्यालय की स्थापना अधिनियम द्वारा की गई थी और एम. ए. ओ. कालेज की स्थापना मुसलमानों द्वारा की गई थी। यही पुछा मैं प्रस्तुत करना चाहता था। हम सरकार से जो चाहते हैं कि वह सभी ऐतिहासिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही करे और परियासों में इस प्रकार परिवर्तन करे कि हमें अल्पसंख्यक स्वरूप प्राप्त हो सके अर्थात् अनुच्छेद 30 (1) के अधीन संरक्षण प्राप्त हो सके मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह भारत के करोड़ों मुसलमानों की भावनाओं के बारे में विचार करे। मुझे आशा है कि यह मांग, जो बहुत ही उचित मांग है, सरकार द्वारा इस विलम्ब की स्थिति में भी स्वीकार कर ली जायेगी। वर्तमान विधेयक में कुछ सुधार किये गये हैं। मगर, कुछ गम्भीर त्रुटियाँ हैं जिनका मैंने उल्लेख किया है यह बहुत ही आवश्यक है कि इन त्रुटियों को दूर किया जाय। मैं एक बार फिर इस सदन से और माननीय मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि वे इन सभी बातों पर विचार करें। सरकार निश्चित रूप से अजीज बाशा के मामले में हुए निर्णय से बँधी हुई है, परन्तु यह सदन सर्वोच्च है और यह जो भी परिवर्तन चाहे बन्द कर सकता है और यही अनुरोध हम इस सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहें हैं कृपया 'विश्वविद्यालय' शब्द की परिभाषा में उस संशोधन को स्वीकार कर लीजिए, जिसके बारे में अल्पसंख्यक आयोग ने सुझाव दिया है, जिससे संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के अधीन हमें संरक्षण हो सके।

श्री कंवरलाल गुप्त (दिल्ली सदर) : सभापति महोदय, मैंने अपने मित्र श्री बनतवाला का भाषण बड़े ध्यान से सुना और मैं यह भी जानता हूँ कि अलीगढ़ 'मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में मुसलमानों की भावनाएं बहुत उत्तेजित हैं, विशेषत: 1965 और 72 के संशोधन के बाद यह एक जबंदस्त माँग मुसलमानों में है कि इसका माइनारिटी कैरेक्टर रहना चाहिए और इसकी आटोनामी भी इसके साथ रहनी चाहिए। मेरी जो अप्रोच है वह केवल इस यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं, बल्कि देश की सभी यूनिवर्सिटीज के बारे में एक समान है। वह बड़ी अनकन्वेंशनल है। मैं यह समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी जिस उद्देश्य के लिए बनाई जाती है कि वह उद्देश्य पूरा होना चाहिए न कि कोई यूनिवर्सिटी माइनारिटी की है, कोई मजारिटी की है, कोई हिन्दू की है, कोई मुसलमान की है। मैं चाहता हूँ कि यह चीज देश में 33 साल की आजादी के बाद तो खत्म होनी चाहिए और जब तक यह खत्म नहीं होगी यह दुर्भाग्य की बात होगी। यह दुर्भाग्य है आज और उसके लिए मैं बनतवाला जी को दोषी नहीं ठहराता, हम अपने आपको दोषी ठहराते हैं कि शायद हम इनके मन में जो विश्वास पैदा करना चाहिए वह पैदा नहीं कर पाए। इसके लिये हम दोषी हैं। खास तौर से मेजारिटी कम्युनिटी दोषी है। मैंने श्री बनतवाला साहब की स्पीच को सुना। मान लीजिए कि मुस्लिम करैक्टर को मान लिया जाता है तो क्या लाभ होगा ? इससे विशेष लाभ क्या होगा ? मेरे इलाके में करीब 40-50 हजार मुसलमान वोट हैं।

श्री वसन्त साठे (अकोला) : और कुछ नहीं होगा तो विश्वास पैदा होगा।

श्री कंवर लाल गुप्त : यहाँ दिल्ली में मेरे इलाके में करीब 50 हजार मुस्लिम वोट हैं। मैं दिल्ली में पैदा हुआ हूँ। मैंने देखा है मुसलमानों की बस्तियों में, पहले अपने बचपन में जब स्कूल में पढ़ता था तब और आज भी जब जाता हूँ तो उनके रहन-सहन का तरीका, उनकी आर्थिक अवस्था, उनकी एकोनामिक कंडीशंस प्राय: मोटे तौर पर एक जैसी ही हैं। एक घर में 40 साल पहले अगर तीन व्यक्ति रहते थे तो आज 8-10 हो गए हैं लेकिन उनका घर वैसा

ही है। अगर बाप लोहा कूटता है तो उसका लड़का भी लोहा कूटता है और लड़के का लड़का भी लोहा कूट रहा है। मुझे बनतवाला साहब से इस बात की शिकायत है कि मुसलमानों की जो लीडरशिप है उसने अभी तक सेंटीमेंटल सवाल तो उठाए हैं लेकिन आर्थिक सवाल नहीं उठाए हैं। उनकी हालत सुधारने के लिए, उनके स्टैंडर्ड को ऊँचा करने के लिए कोई सवाल नहीं हैं। मेरे पास डा० खुसरो का भाषण है, मैंने उनसे व्यक्तिगत बात भी की, उनसे पूछा कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने अभी तक कितने आई. ए. एस. आफिसर पैदा किए, कितने आई. पी. एस आफिसर पैदा किए और सेन्ट्रल सर्विसेज में वहाँ के कितने लोग हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1975-76 तक सारी यूनिवर्सिटी से एक भी व्यक्ति सेन्ट्रल सर्विसेज में नहीं गया। अभी पिछले एक दो साल से कुछ शुरुआत हुई है। हम शिकायत करते हैं कि मुसलमान बड़ी जगहों पर नहीं हैं लेकिन क्यों नहीं है ? जब तक आप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड ऊंचा नहीं करेंगे, उसके लिए कोशिक नहीं करेंगे, वहाँ पर अच्छा स्टाफ नहीं होगा, अच्छी टीचिंग नहीं होगी तब तक केवल मुस्लिम करैक्टर बनाने से कोई लाभ नहीं होगा।

एक बात मैं मानता हूँ कि मुसलमानों की कल्चर, उनका इतिहास बना रहना चाहिए और उसमें हमारी सरकार को भी मदद करनी चाहिए। मैं उन लोगों में हूँ जो यह समझते हैं कि दोनों चीजों को अलग-अलग करना चाहिए। अगर कोई मुस्लिम इंस्टीट्यूशन है जोकि मुस्लिम कल्चर के बारे में अध्ययन कराती है जैसा कि शायद अमरोहा में है, देवबन्द और दूसरी जगहों पर हैं तो उनको सरकार आफिशियली मदद करे। मैं इस बात का स्वागत करता हूँ। मैं चाहूंगा कि मुसलमानों की जो कल्चर है उसकी स्टडी मुसलमानों को और दुसरे लोगों को भी करनी चाहिए कि हमारे देश में क्या हुआ लेकिन अगर उस चीज को आप यूनिवर्सिटी में लायेंगे तो वह उचित नहीं होगा। क्या जो हमेशा अलग-अलग रहे वे अलग-अलग ही रहेंगे ? क्या हम मेनस्ट्रीम में नहीं आ सकते ? हम कब तक अलग-अलग रहेंगे।

आपने आर्टिकल 30 की बात कही। ठीक है, जब देश का बटवारा हुआ तो लाखों लोग इधर से गए और लाखों लोग उधर से आए। उस समय एक खास पारास्थात था, एक खास सिच्युएशन थी जिसमें आर्टिकिल 30 बनी। शायद हमारे विधान निर्माता इसको बनाने पर मजबूर हुए कि एजूकेशन के मामले में भी सेफगार्डस रहनी चाहिए।

मैं समझता हूँ कि आज 32, 33 साल के बाद एक समय आया है कि हम उस आर्टीकिल के बारे में रिव्यू करें और खास तौर से मुझे और चीजों में एतराज नहीं है लेकिन एजूकेशन में कम से कम यह जरूर होना चाहिए। एजूकेशन के मामले में हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई, पादरी वगैरह जैसी चीज नहीं होनी चाहिए। वह सबके लिए समान होनी चाहिए। वैसे आप कल्चर के बारे में कुछ सुरक्षा रखिये, धर्म के बारे में रखिये और दूसरी किसी चीज़ के बारे में रखिये और उसके लिये सरकार से मदद चाहिए, तो मैं उन लोगों में हूँ जो यह चाहते हैं कि उनको मदद दी जाए। मेरी निगाह में एक सच्चा मुसलमान बहुत अच्छा है अगर वह नमाज पढ़ता है और मस्जिद में जाता है, उसकी बजाय जो भगवान को नहीं मानता। मैं चाहूँगा कि कोई मुसलमान, कोई ईसाई, कोई हिन्दू, जो भगवान को मानता है, वह गिरजाघर में जाए, अगर वह जाना चाहता है, वह मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिये जाए, वह मन्दिर में जाए (व्यवधान) मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर हिन्दू है, तो वह मन्दिर में जाए, मुसलमान है तो वह मस्जिद

में जाए और ईसाई है तो गिरजाघर में जाए क्योंकि वहाँ जाकर उसको अपने धर्म के बारे में ज्ञान होता है। मैं इसको बुरा नहीं मानता।...(व्यवधान) इसमें आपका मेरे से मतभेद हो सकता है लेकिन मैं इसको ठीक समझता हूँ।

श्री बसन्त साठे : कितने पाखंडी वे लोग हैं, मंदिर में जा कर सारे पास करते हैं।

श्री कंवर लाल गुप्त : सारे पाखंडी नहीं होते हैं, सारे बुरे नहीं होते हैं, अच्छे भी होते हैं। मेरा कहना यह है कि कोई मुस्लिम जो नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है या मस्जिद में जाता है, मेरी निगाहों में वह 10 गुना ज्यादा अच्छा है उस व्यक्ति से जो भगवान को मानता ही नहीं। इसलिये मैंने यह बात कही कि अगर आप कल्चर के लिए सेफगार्ड करें, तो उसको सेफगार्ड करने के लिए सरकार को पूरी मदद करनी चाहिए। उसके लिए किताबों की छपाई है या बच्चों के रहन-सहन को ठीक करने की बात है, तो वह होनी चाहिए। मैं तो यहाँ तक इसके लिए तैयार हूँ कि मुस्लिम लीडरशिप डेवेलप होकर आए और यह माँग करे कि हमारी एकोनोमिक कंडीशन्स ठीक होनी चाहिए लेकिन आज वह नहीं रहा है। आज 32 साल में, मैं अपनी कांस्टीटुयेन्सी में यह देख रहा हूँ कि जिसका बाप लोहा कूटता था, वह भी खुद लोहा कूटता है और उसका लड़का भी लोहा कूटता है। इसके लिए मैं कुछ कहूँगा तो मेरी बात एक खास बैकग्राउंड में समझी जायेगी लेकिन मैं यह चाहूँगा कि मुस्लिम लीडरशिप डेवेलप हो चाहे इधर की हो और चाहे उधर की हो, वे आर्थिक सवालों को लेकर इकट्ठा हों और उसको ठीक करें। अगर वे ऐसा करते हैं, उसे वह सारी समस्या ठीक हो जायेगी। अलीगढ़ के खुसरु साहब का भाषण मेरे पास है। खुशरु साहब ने क्या कहा है, वह मैं आपको पढ़ कर सुनाता हूँ।

"डा० खुसरो ने कहा विश्वविद्यालय मुस्लिमों के लिए दाखिले या नियुक्ति या 20 सदस्यों की इसकी सर्वोच्च कार्यकारी संस्था, कोर्ट में कोई भी विशेष आरक्षण करने में विश्वास नहीं करता। कोर्ट में मुसलमानों के लिए स्थान सुरक्षित करने के लिए सुझाव प्राप्त होते रहे हैं, परन्तु अब तक हमने इसका विरोध किया है।"

ये डाक्टर खुसरो हैं, जो अलीगढ़ विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं। वे आगे यह कहते हैं।

"डा० खुसरो ने स्वीकार किया कि विश्वविद्यालय को एक अल्प संख्यक भावना के कारण नुकसान पहुँचाहे, जिसके कारण कभी भी प्रतिस्पर्द्धात्मक नहीं हुए पर उस श्रेष्ठता के स्तर तक उन्हें स्वयं काम नहीं किया जिसके लिए उन्होंने क्षमता थी। मगर उन्होंने स्वीकार किया कि उदासीनता का यह रुख विशेष रूप से प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम लागू करने के बाद तेजी से समाप्त हो रहा है। प्रारम्भ में केन्द्रीय सेवाओं में जाने वाले अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालयों के छात्रों की संख्या से 1 प्रतिशत तक थी।" यह स्थिति है।

अध्यक्ष महोयद मेरे कहने का मतलब यह है कि 33 साल के बाद भी आज यह मसला हमारे सामने है। हमारी जो लीडरशिप है और उधर जो भाई बैठे हैं सभी से मैं हाथ जोड़ कर प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अगर जब तक आप सही मायनों में मुसलमानों की इकोनोमि कंडीशंस, एजूकेशनल कंडीशंस और सोशल कंडीशंस को नहीं सुधारेंगे तब तक मुसलमान भाई वैसे के वैसे ही रहने वाले हैं। हमने तीस साल तक उन्हें नारे देकर रखा है। मैं पूछना

चाहता हूँ कि अगर इस यूनिवर्सिटी का माइनोरिटी करेक्टर बन जायेगा तो क्या वहाँ सब ठीक हो जायेगा ? आपने यह कैसे सोच लिया कि अगर वहाँ मुसलमान होगा तो वह चाहेगा कि मुसललान ठीक हो और हिन्दुओं के जाते ही वह ठीक नहीं रहेगा ? सब तरह के लोग होते हैं। आपको इस तरह से नहीं सोचना चाहिये। आज 33 साल के बाद हम एक हैं। मुसलमान यहाँ किसी की दया पर नहीं हैं। सभापति महोदय, मुझे याद है, जब 1967 के चुनाव हो रहे थे, मैं उस समय जनसंघ में था तो हमारे देश के एक गणमान्य नेता, प्रधान मन्त्री जी ने उस समय मुसलमानों से कहा था कि अगर जनसंघ यहाँ पर आ जायेगा तो तुम्हारी मस्जिदें गिरा दी जायेंगी, तुम्हें खत्म कर दिया जायेगा। कहने का मतलब यह है कि क्या मुसलमान किसी एक पार्टी या किसी एक व्यक्ति की दया पर यहाँ रहेंगे ? नहीं। यहाँ पर मुसलमान हैं ओन देअर ओन राइट। जैसे मैं हूँ वैसे आप हैं। हम में कोई फर्क नहीं है। अगर मैं यह कहूँ कि जनता पार्टी रहेगी तो मुसलमान रहेंगे मुसलमान रहेंगे या कांग्रस पार्टी रहेगी तो यह बेवकूफी की बात होगी। अगर कोई यह कहता है तो गलत कहता है। मैं समझता हूँ कि इस तरह से मुसलमानों से कहना गलत होगा।

श्री सौगतराय (बैरकपुर) : आप इण्डियनाइज्ड करने की बात कहते हैं।

श्री कंवर लाल गुप्त : आज इण्डियनाइज्ड सारे हिन्दुस्तानियों को करने की जरूरत है।

श्री सौगत राय : क्या शाखाओं में ले जाकर करेंगे ?

श्री कंवर लाल गुप्त : ऐसी जो शाखाएं हैं वह बहुत अच्छा तरीका है। अगर आप भी आ जाए तो देखेंगे कि वे कैसी हैं।

हमने अभी-अभी श्री सौगत राम का भाषण सुना। उन्होंने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि विभिन्न रैंकों के लगभग 15 सैन्य अधिकारी पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे और मैं समझता हूँ कि उनमें से अधिकांश हिन्दू हैं। उनमें मुश्किल से ही कोई मुस्लिम होगा। इसलिए आपको सभी भारतीयों का भारतीयकरण करना होगा, न केवल आप और मैं या श्री बनातवाला, बल्कि मेरे विचार में सभी तीनों का। मेनस्ट्रीम में लाने की बात को आप छोड़ दें ; किसी फिरके की भावनाओं को उभाड़ कर क्या कुछ फायदा उठाया जा सकता है लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि इस तरीके से हम उस फिरके की कोई सर्विस करते हैं, कोई खिदमत नहीं करते हैं। मुसलमानों को नशीली चीज पिला कर जो आप उनको नशे में रखते हैं उसकी जरूरत नहीं है। मुसलमानों को चाहिये नौकरियाँ, एजुकेशन, उनको चाहिये कि उनकी इकोनोमिक कंडिशन सुधरे। अगर बाप नान बनाने का काम करता है या बिस्किट बनाता है तो उसका लड़का बड़ा आदमी क्यों नहीं बन सकता है ? दस बीस मुसलमानों को मिनिस्टर या पार्लिमेंट का मैम्बर बनाने से मुसलमानों की प्राबलैम साल्व नहीं हो सकती है। तीस साल तक यही होता रहा है। थोड़े से लोगों को पकड़ और उनको मन्त्री बना कर हम आगे लाकर उनको घुमाते रहे हैं। इस तरह की बात से कुछ होने वाला नहीं है। हमको जड़ को पकड़ना चाहिये, नीचे से काम शुरू होना चाहिये।

मैं आपकी भावनाओं की कद्र करता हूँ। मैं सिर्फ इस यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं बल्कि सभी के बारे में कहता हूँ। जहां तक कल्चर का सवाल है मुसलमानों की कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए जैसे देवबन्द हैं उनको सरकार को अलग से ग्रांट देनी चाहिये, जितनी दे रही है उससे कई गुना

अधिक देना चाहिये। ऐसा किया गया तो मुझे खुशी ही होगी। इस यूनिवर्सिटी और बनारस यूनिवर्सिटी से नामों को हटा कर ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि वहाँ अच्छी तालीम विद्यार्थियों को मिले, कम्पीटीशंज में वे लोग आएं और कामयाब हों। इस तरह की व्यवस्था आपको करनी चाहिये।

इन शब्दों के साथ जो बिल है उसका मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूँ।

श्रीमती मोहसिना किदवई (आजमगढ़) : मैं आपकी मंशकूर हूँ कि आपने मुझे मौका दिया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मुस्लिम कम्युनिटी जो हिन्दुस्तान में बसती है उसका एक सरमाया है। अपनी शानदार रवायात के साथ अपने शानदार तमद्दुन के साथ वह आज भी नैशनल सर्विस अंजाम दे रही है। उसने बड़े-बड़े स्कालर, साइंटिस्ट्स आर हिस्टोरियंज पैदा किए हैं जिन्होंने हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नाम कमाया है।

इस यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत कुछ यहाँ कहा जा चुका है। मैं उसमें जाना नहीं चाहती हूँ। मैं चन्द चीजें ही आपकी खिदमत में पेश करना चाहती हूँ। उस वक्त मुस्लिम कौम का जो हाल हो रहा था, जो एक निराशा का वातावरण था, खुद्दारी खत्म होती जा रही थी, डिमारेलाइजेशन आ रहा था उसको देखते हुए सर सैयद अहमद खाँ को ख्याल आया और मुस्लिम कौम हमेशा उनकी ममनून रहेगी, दुनिया ममनून रहेगी और उनका नाम रहेगा कि न सिर्फ इतनी बड़ी चीज इस मुल्क को बल्कि दुनिया को उन्होंने दी और इस यूनिवर्सिटी को कायम किया। दुनिया के तमाम हिस्सों से यहाँ लड़के पढ़ने के लिए आते हैं। सर सैयद अहमद खाँ ने एक ऐसा सरमाया छोड़ा है जिसने बहुत कुछ इस कौम को दिया है। जब उन्होंने इस यूनिवर्सिटी के बारे में सोचा था तो उनके दिमाग में यही चीज थी कि मुस्लिम कौम के बच्चों को भी पढ़ने लिखने और खास तौर से हायर एजुकेशन का मौका मिलना चाहिये ताकि वे भी मुल्क की खिदमत कर सकें और अपनी इक्तसादी हालत को सुधार सकें। जिस वक्त उन्होंने इस यूनिवर्सिटी की बात की उस वक्त मुसलमान कौम में भी उनके खिलाफ एक जजबा उभरा। चूंकि उस वक्त अंग्रेजों के खिलाफ एक जबर्दस्त नफरत का जजबा मुसलमानों में था इसलिये लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि सर सैयद अहमद खाँ मुस्लिम कौम को ला जहब कौम बना रहे हैं, उसको अपने दीन से वे बहरा कर रहे हैं अंग्रेजी तालीम देकर और मुल्क के नौजवानों को बरबाद करने जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने बड़े हौसले और हिम्मत के साथ सारी बातें सही और यह डगकौल चली।

एजुकेशन मिनिस्टर की स्पीच को सुन कर मुझे बड़ा ताज्जुब और अफसोस हुआ जब उन्होंने एक दलील यह दी जोकि बड़ी बचकाना, बड़ी वाइल्डिश थी कि पहला ग्रेजुएट जो इस यूनिवर्सिटी से निकला वह नान-मस्लिम था। यह बात उन्होंने बड़े फख्र के साथ कही है। यह कोई दलील नहीं थी जोकि मुस्लिम कारेक्टर के खिलाफ पेश की जा सकती हो। यह तो फख्र की बात है इस यूनिवर्सिटी के लिये कि वह नान मुस्लिम था, खुशी की बात है। आज भी वहाँ चालीस परसैंट के करीब तालिबइल्म नान मुस्लिम हैं। टीचर्ज भी वहाँ नान-मुस्लिम हैं। यह तो वहाँ के कारक्टर की बात हुई। इस यूनिवर्सिटी को कायम करने का बुनियादी मकसद क्या था? इसको मुसलमानों के जरिये एस्टैबलिस किया गया और उनके जरिये यह एडमिनिस्टर की जा रही है, मैनेज की जा रही है। उसका कारेक्टर कायम रहना चाहिये। मुझे ताज्जब हुआ यह सुन कर जब उन्होंने अपनी स्पीच में आखिर में यह कहा :

"मैं विश्वविद्यालय के स्वरूप से सम्बन्धित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न को ले रहा हूँ। यह कहा गया है कि अल्पसंख्यक स्वरूप को बहाल किया जाना चाहिये। अब हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि अल्प संख्यक स्वरूप का क्या अर्थ होता है।"

आपने जिस वक्त अपने 1977 के मैनिफैस्टो में रखा था कि माइनोरिटी करेक्टर बहाल करेंगे, माफ कीजिये एजूकेशन मिनिस्टर साहब, आपको उस वक्त इसके मायने नहीं मालूम थे कि माइनोरिटी करैक्टर का मतलब क्या होता है ? जो पोलिटिकल पार्टी अपने मैनिफैस्टों में रखे कि हम माइनोरिटी करेंगे और आज आप अपनी तकरीर में कह रहे हैं कि हम देख हैं, कि माइनोरिटी करैक्टर का मतलब क्या होता है।

डा प्रताप चन्द्र चन्द्र : यह कोई माइनोरिटी करैक्टर का सवाल नहीं है।

श्रीमती मोहसिना किदवई : आपने बार-बार यही कहा। जब मैं आजमगढ़ में इलैक्शन लड़ रही थी तो आपके सदर साहब वहां गये, आप उनकी उस वक्त की स्पीच निकाल कर देख लीजिये, उनसे वहाँ सवाल किया गया कि आपने माइनोरिटी करैक्टर की बात अपने मैनिफैस्टों में की है कि यह आप बहाल करने जा रहे हैं तो कब वहाल करने जा रहे हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बिल कब इन्ट्रोडूस करने जा रहे हैं ? उन्होंने कहा कि हम जाते ही, जैसे कि सैशन अभी हो रहा है हम जाते ही इसे इन्ट्रोडूस करेंगे। आप उस वक्त की प्रोसीडिंग्ज निकलवाकर देखिये कि इलैक्शन के बीच में वह बिल यहाँ इंट्रोडूस हुआ था, महज इसलिये कि आजमगढ़ का इलैक्शन जीत लिया जाये, लेकिन इत्तिफाक से आपकी बदकिस्मती और हमारी खुशकिस्मती, उसमें जनता ने आपके खिलाफ फैसला किया। आज आप उस माइनोरिटी करैक्टर का मतलब समझाना चाहते हैं कि उसका मतलब क्या होता है।

गुप्ता जी ने अपनी तकरीर में कहा कि आपकी क्या राय है। आप यह कह सकते हैं कि हमने क्या नहीं किया ? हमने जो गलती की, उसको आप भी दोहरायेंगे जरूर, ऐसा लगता है। मैं कहना चाहती हूँ कि उस वक्त की वजीरे-आजम के साथ कुछ ऐसे नादान दोस्त और नासमझ लोग थे कि जिन्होंने करोड़ों लोगों के जजबात का एहसास नहीं किया और आज उसी का खमियाजा हम भुगत रहे हैं और शायद आप भी भुगतेंगे, ऐसा मैं समझती हूँ। मैं उस वक्त भी चाहती थी और आज भी कहना चाहती हूँ कि कुछ लोगों ने अपने जाती मफाद और जाती रंजिश के लिये हंसती-खेलती एक ऐसी इंस्टीट्यूशन को खत्म करने की कोशिश की जो आज भी सरबुलन्द होकर अपने दास्तान ब्यान कर रही है और आगे अपने मुस्तकबिल के ख्वाब देख रही है।

मैंने गुप्ता जी की तकरीर बड़े गौर से सुनी, इसमें मजहब का सवाल क्या उठता है ? इसमें कहीं यह नहीं है कि इस यूनिवर्सिटी का दरवाजा दूसरों के लिये बन्द है। आप एक तरफ बात कर रहे हैं कि हमने आटोनामी दे दी, हमने यूनिवर्सिटी की आजादी बहाल कर दी और जो सुप्रीम गवर्निंग बाडी है, जिसको आप कोर्ट कहते हैं उसको आपने ऐसे बाँध कर रखा है कि नामिनेशन के लिये एग्जीक्यूटिव कमेटी बनायें, उसके जरिये आप कोर्ट के मेम्बर को लायेंगे। उसके मेम्बर को यह हक नहीं है कि वहाँ अपने वाइस चाँसलर को पैनल भेज सके। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने जो मेन स्ट्रीम की बात की। यूनिवर्सिटी कोर्ट को जब अख्तियार था अपनी पैनल भेजने का उसमें चाहे जियाउद्दीन साहब हों, जाकिर हुसैन साहब हों, कर्नल बशीर

हुसैन जैदी हो या अलीयावर जंग हों और चाहे वदरुद्दीन तैयबजी हों, उसमें कौनसा वाइस चाँसलर था जो मेन-स्ट्रीम की बात नहीं करता था ? कौन सा वाइस चाँसलर था जो मजहबी फिरके वारियत को हवा देता था ? जितने भी मैंने नाम गिनाये हैं, सबकी अपनी अहमित थी उनकी हैसियत थी। उन्होंने इस मुल्क में नहीं बल्कि दूसरे मुल्कों में भी अपना नाम कमाया है। तो कोर्ट ने इतनी जिम्मेदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए पैनल भेजी कि उन्होंने मुल्क के मफाद को सामने रखा और ऐसे लोगों को चुना जिन पर आप शक नहीं कर सकते हैं, उंगली नहीं उठा सकते हैं। वह लोग वहाँ के वाइस चाँसलर हुए। आज उसी कोर्ट को यह अख्तियार नहीं है कि पैनल भेज सके। यह अख्तियार है कि 5 का पैनल जो विजिटर के पास आयेगा, उसमें 2 के नाम को डिलीट कर सकता है, कह सकता है कि हम नहीं लेंगे। आज आप बात करते हैं कि हमने 72 के बिल में भी जो चीजें नहीं थी, वह इसमें कर दी हैं कि एक आनरेरी ट्रेजरार होगा जिसको एग्जीक्यूटिव चुनेगी, लेकिन जो एकाउन्ट्स होंगे वह एक आडिट रिपोर्ट के साथ पार्लियामेंट के सामने रखे जायेंगे। फाइनेन्स आफिसर को उस पर कोई अख्तियार नहीं है। यह सारी चीजें किस किस्म की हैं ? आपने जो भी नारा दिया, आज दो साल आपकी सरकार को आये हुए हो गये, आप हमेशा यह कहते आये कि माइनोरिटी करैक्टर हम बहाल करेंगे, चाहे इनकी पार्टी के सदर हों या मिनिस्टर हों, उनकी स्पीचिज को निकलवा कर देखिए, उन्होंने हमेशा यह बात कही। और आज मिनिस्टर साहब यह बिल लेकर आये हैं कि हम माइनारिटी कैरेक्टर नहीं दे सकते हैं। उन्होंने तो इस यूनिवर्सिटी के डेमोक्रेटिक कैरेक्टर तक को छीन लिया है। आज उसकी हैसियत क्या रहेगी ? क्या मुस्लिम यूनिवर्सिटी सिर्फ एक कागजी नाम रहेगा ? अगर मुल्क की 114 यूनिवर्सिटीज में से एक यूनिवर्सिटी माइनारिटी के नाम से वाबस्ता हो जाये, तो क्या आफत या कयामत आ जायेगी ?

उत्तर प्रदेश की तकरीबन सब यूनिवर्सिटीज आज बन्द हैं। कहीं कोई पढ़ाई नहीं हो रही है। बी. ए. के रिजल्ट्स अभी तक नहीं आये हैं और नये एडमिशन भी नहीं हो रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ की सैंट्रल यूनिवर्सिटी ऐसी है, जहाँ डिसिप्लिन कायम है, सही तरीके से पढ़ाई भी हो रही है, सेशन्ज भी हो रहे हैं और कोई परेशानी या दिक्कत की बात नहीं है। मैं समझती हूँ कि इस यूनिवर्सिटी के मामले में मजहब का नाम बीच में नहीं लाना चाहिए। आनरेबल मेम्बर कहते हैं कि मुस्लिम कल्चर, तहजीब और तमद्दन रहना चाहिए। गुप्ता जी माफ करें, यह कल्चर, तहजीब और तमद्दुन आज भी हिन्दुस्तान में नुमायां है, आज भी उसकी एक हैसियत है, लोग उसको जानते हैं, देखते हैं और मानते हैं।

पता नहीं, खुसरो साहब ने कहां से उनको यह इत्तिला दे दी है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लड़के 1976-77 से पहले आई. ए. एस. और आई. एफ. एस. वगैरह में नहीं आते थे। वह इस यूनिवर्सिटी की पिछली हिस्ट्री उठा कर देखें—अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लड़के बराबर आई.ए.एस. और फारेन सर्विस में आते रहे हैं। पिछले साल से पिछले साल वहां के एक लड़के ने आई.एफ. एस. में टाप किया था। वहाँ के लड़के बड़े-बड़े इंजीनियर्ज, डाक्टर्ज, साइंटिस्ट्स और स्कालर्ज बने हैं। वहां के महदी हसन साहब ब्रेन डिवीजिज के टाप के डाक्टर हैं, जो अपना सानी नहीं रखते हैं, दूसरे मुलकों से लोग उनसे शिक्षा लेने के लिए आते हैं।

मैं बार-बार दरख्वास्त करूँगी कि इस यूनिवर्सिटी के माइनारिटी करेक्टर को वहाल

किया जाये। अब सारी पावर सैंट्रल गवर्नमेंट को दे दी गई है, चाहे वह विजिटर के जरिये हो, वाइस चांसलर के जरिये हो और चाहे एक्सीक्यूटिव कमेटी के जरिये हो। 200 के करीब मेंम्बर होंगे, जिनमें कुल 28 मुसलमान होंगे। 1972 के एक्ट के मुताबिक एक्सीक्यूटिव कमेटी में ओल्ड बायज की तादाद 15 थी, लेकिन इस बिल में उसको 10 कर दिया गया है—5 घटा दिए गए हैं। उसमें इतने नामीनेशन्ज किये जायेंगे कि वह ज्यादातर एक नामीनेटिड बाडी रहेगी, कहने के लिए चन्द इलैक्टिड मेम्बरान होंगे। सरकार जो भी चाहेगी, वह करा सकेगी। सरकार से मेरा मतलब जनता पार्टी की सरकार से नहीं है। आज जनता पार्टी की सरकार है, कल कोई दूसरी सरकार आ जायेगी, और अगर गुप्ताजी की सरकार आ जायेगी, तो हम बेमौत मर जायेंगे। (व्यवधान)

श्री कंवरलाल गुप्त : आज भी हमारी गवर्नमेंट है।

श्रीमती मोहसिना किदवई : मेरा मतलब आर. एस. एस.—प्युरली आर. एस. एस. की सरकार से है। वैसे है तो आज भी उनकी ही सरकार।

खुदा के लिए इस यूनिवर्सिटी को दूसरे लोगों के रहमो-करम पर न डालिये। उसकी आटोनोमी को बरकरार रखिये और उसकी आजादी को बहाल कीजिए। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ यह कि यूनिवर्सिटी कभी भी किसी कम्युनल लाइन पर नहीं चलतीहै। हिन्दू, मुस्लिम, सिख, और ईसाई जिस तरह वहाँ रहते हैं, वैसा माहौल किसी भी रेजीडेंशल यूनीवर्सिटी में नहीं रहा है। मैं आपको भी दावत देना चाहती हूँ कि आप वहाँ जाकर देखें।

मिनिस्टर साहब ने न बेग कमेटी का तजकिरा किया है और न खुसरो कमेटी का तजकिरा किया है, जिन्होंने पूरी तरह से रीकमेंड किया है कि कौन-कौन सी बातें इसमें रहनी चाहिये और कौन-कौन सी बातें निकाल देनी चाहिए। मुझे अफसोस है कि मिनिस्टर साहब ने सिर्फ माइनारिटीज कमीशन का तजकिरा किया है, लेकिन बेग कमेटी और खुसरो कमेटी की रीकमेंडेशन्ज का कोई तजकिरा नहीं किया है। मैं पूछना चाहती हूँ कि आखिर उन्होंने बेग कमेटी और खुसरो कमेटी की रीकमेंडेशन्ज को क्यों नहीं माना, जिन्हें खास तौर से इसके लिए बिठाया गया था। ऐसी कौन सी वजह थी कि वह सिर्फ माइनारिटीज कमीशन की रीकमेंडेशन्ज तक रह गए और उन्होंने बेग कमेटी की सिफारिश को मेनशन तक नहीं किया। मैं आपको पढ़ कर सुनाना चाहती हूँ कि बेग कमेटी ने क्या कहा है। उसने कहा है :

"……कि किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण के किसी भी प्रतिकूल निर्णय, डिग्री या आदेश के बावजूद, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को भारत के मुस्लिम अल्पसंख्यकों द्वारा अपनी मर्जी से स्थापित शिक्षा संस्थान माना जायगा और संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के उपबन्धों के अनुसार उसे प्रशासित किया जायगा और उसका प्रबन्ध किया जायगा अथवा विश्वविद्यालय को भारत के मुसलमानों द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय के रूप में परिभाषित किया जायेगा।"

इसी तरह की रीकमेंडेशन खुसरो कमेटी ने भी की है। लेकिन किसी भी चीज का तजिकरा मिनिस्टर साहब ने नहीं किया है। जितना पहले हमने उस बिल में दिया था 72 में उससे भी कुछ चीजों को निकाल कर खत्म कर दिया। नतीजा यह है कि सिर्फ कानूनी पहलुओं में

उलझा कर रख दिया। सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हैं। सुप्रीम कोर्ट का हवाला कोई माने नहीं रखता है। इसलिए कि पार्लियामेंट को अख्त्यार है, उसका यह हक है कि वह जब चाहे कांस्टीच्यूशन को बदल सकता है। अगर आप दिल से यह लाना चाहते हैं, आपके जजबात में सच्चाई है और आपने जो इस मुल्क की माइनारिटी से वायदा किया था। माइनारिटी करेक्टर का, अगर आप वाकई उसको लाना चाहते हैं तो मैं मानती हूँ कि आपकी राह में कोई रोड़ा अटकने वाला नहीं है। और आप कांस्टीच्यूशन अमेंड करके इस चीज की माइनारिटी को वापस दे सकते हैं। इसमें कोई कानूनी पहलू की बात नहीं हो सकती है। इसमें सिर्फ जो एक जजबाती लगाव है करोड़ों मुसलमानों का, इस यूनिवर्सिटी से, उसकी मैं बात करती हूँ और मैं समझती हूँ कि यह अकसरियत की एक फराबदिली होगी, बड़प्पन होगा कि वह अकलियत की एक इंस्टीच्यूशन को उसका माइनारिटी कैरेक्टर बहाल करके अपने पर भी भरोसा पैदा करायें। आपने जो वादा किया था उसे पूरा करें वरना आपके वायदे की कोई वकत है न कोई इज्जत है और न कोई उसके ऊपर भरोसा करता है कि आप क्या वादे करते हैं क्योंकि आज तक मैनिफैस्टो का एक भी वादा आपने पूरा नहीं किया है। तो आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि इन तमाम चीजों को छोड़िये, कानूनी पहलू, मैन-स्ट्रीम इन सब चीजो को छोड़ कर एक असलाकी पहलू से, सामाजिक पहलू से और जजबाती पहलू से गौर करके जैसा आपने वादा किया था माइनारिटी कैरेक्टर बहाल करने का, उसे बहाल करके इस मुल्क की माइनारिटी में एक भरोसा और एतमाद करने की कोशिश कीजिये।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : सभापति महोदय, अभी इस बिल पर जो चर्चायें चली हैं उनमें आर्टिकल 30 (1) का हवाला दिया जा रहा है। मैं आपके सामने आर्टिकल 30 सब क्लाज (१) पढ़ रहा हू :

> "अभी अल्पसंख्यक समुदायों को, चाहे वे कर्म या भाषा पर आधारित हों, अपनी मर्जी के अनुसार शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने या उसे प्रशासित करने का अधिकार होगा।"

इस देश का दुर्भाग्य है कि नीति और नीयत में कहीं तालमेल खा नहीं रहा है। हमारी नीयत कुछ रहती है और नीति कुछ और बनती है। आज क्या कारण है कि आजादी के 31 वर्षों के बाद भी जो मुस्लिम समुदाय है या जो हरिजन हैं, आदिवादी हैं, उनका विश्वास इस देश में किसी भी सरकार पर नहीं जम रहा है ? यह बहुत बड़ा विचारणीय प्रश्न है। 31 साल गुजर गए और 31 साल गुजरने के बावजूद भी क्यों हम असुरक्षित महसूस करते हैं ? जब तक आप इस बुनियादी सवाल का हल नहीं निकालेंगे तब तक हम समझते हैं कि समस्या का निदान नहीं होगा।

माननीय सदस्य त्यागी जी यहां बैठे हुये हैं। इन्होंने अच्छे इन्टेंशन से ही वह रेलिजस इंस्टीच्यूशंस का बिल मूव किया है। लेकिन पूरे देश में एक कोहराम मचा हुआ है। वह क्यों है ? जो आदिवासी हैं, उनमें जो क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं क्यों उनके दिमाग में आक्रांश पैदा हो गया है ? इसीलिये न कि यदि कोई आदिवासी है और वह क्रिश्चियन बन जाता है और वह जो क्रिश्चियन नहीं है दोनों के रहन सहन में आसमान और जमीन का फर्क है और जब तक

सरकार उन समुदायों के लिए जो क्रिश्चियन नहीं हैं, उनके लिये उनसे अधिक काम नहीं करती है जो मिशन उनके लिये करता है तब तक हम लाख चिल्लाते रहेंगे। धर्म परिवर्तन से उनको रोक नहीं सकते हैं। इसलिये सब से बड़ा काम है कि आप मिशनरी को रोकें। लेकिन मिशनरी को कहियेगा कि तुम हिन्दुस्तान से निकल जाओ तो हिन्दुस्तान के अन्दर ही जो लोग हैं उनको गुस्सा आयेगा। सब से बड़ा उनको निकालने का एक ही तरीका है कि अगर मिशनरी एक रुपया खर्च करती है आदिवासियों के ऊपर तो आप दो रुपया खर्च कीजिये और यह देखिये कि उसका सही ढंग से यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं। मिशनरी का डाक्टर दिन रात वहीं सोया रहता है, जाकर उनकी दवा दारू करता है और हमारा डाक्टर, वहाँ पहुँच नहीं पाता है। इस-लिए जो अल्पसंख्यक लोग हैं उन अल्पसंख्यक लोगों के दिमाग में जो एक भावना बैठ गई है उस भावना को हमें निकालना है।

अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में कहा गया कि 1875 में मोहमडन एंग्लो इंडियन कालेज के नाम से स्थापना की गई थी। उसकी स्थापना करने वालों में सर सैयद अहमद साहब थे। 1918 में उनकी मृत्यु हो गई और 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से इसको घोषित किया गया। उस समय तीन शर्तें दी गयी थीं। पहली शर्त यह थी कि इसमें 77 एकड़ जमीन होनी चाहिए और बीस लाख रुपया होना चाहिए। उन शर्तों की पूर्ति कर दी गई। 1951 में संसद में जो कानून बना उसके तहत इसकी एकोनामी की, स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया। 1965 में फिर एक आर्डिनेन्स आया और इसकी पूरी स्वतंत्रता छीन ली गई। यह काम सिलसिलेवार बढ़ता गया। तमाम देश में इसका विरोध किया गया। 1972 में नूरूल हसन साहब, शिक्षा मंत्री ने ऐसा कानून बनाया कि जिसमे थोड़ी बहुत बची हुई स्वतंत्रता भी समाप्त हो गई। फिर तो समूचे देश में एक आन्दोलन चला। उस समय फीरोजाबाद, बनारस और अलीगढ़ में गोलियां तक चलीं। 1973 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनियर्सिटी ऐक्ट पर सम्मेलन हुआ। जो लोग वहाँ पर इस वक्त बैठे हैं इनमें अधिकांश ने जाकर उसमें भाग लिया और सभी ने कहा कि आप लोगों की मांग जायज है। और जो कुछ भी हो रहा है वह आपके साथ अन्याय है। उस समय बहुत से लोगों ने गिरफ्तारियाँ दी थीं। यहां पर राजनारायण जी नहीं, डा० फरीदी और तीन सौ अन्य लोगों ने गिरफ्तारियाँ दी थीं 1975 में खुसरो कमेटी के सामने यह मामला गया। खुसरों कमेटी की रिपोर्ट भी आई लेकिन अभी तक उसको नही माना गया। इस प्रकार से यह मोटी मोटी बातें हैं जिनकी बुनियाद पर यह यूनिवर्सिटी चल रही है। जहाँ तक आजादी की लड़ाई की बात है,मैं उन लोगों में, से हूँ जो यह नहीं चाहते कि इस देश में कोई फिरका-परस्ती हो।

माननीय कंवरलाल गुप्त जी यहां से चले गये, इस देश में देबी देवताओं के लिए कहा जाता है कि जमीन दी जाए, मन्दिर मस्जिद और गिरजा घरों के लिए जमीन दी जाए, मूर्तियाँ जिनमें जान नहीं है उनके लिए कहा जाता है कि जमीन दी जाए लेकिन जो आदमी हैं वे भूखें मर जायें मैं कहता हूँ इस देश में सभी की पूजा होनी चाहिए लेकिन जहाँ पेट जलता हो वहाँ पर धर्म की पूजा नहीं हो सकती है। इसलिए पहले आप भूखें लोगों को अन्न दीजिए, वस्त्र दीजिए, उनकी पढ़ाई की व्यवस्था कीजिए, उनके लिए मकान की व्यवस्था कीजिए और उसके बाद धर्म-कर्म और पुजा-पाठ की व्यवस्था कीजिए।

आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी को महात्मा का पहला खिताब अगर किसी ने दिया था तो वह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ही थी। खान अब्दुल गफ्फार खाँ, डा. जाकिर हुसेन, मौलाना मुहम्मद अली, शौकत अली, रफी अहमद किदवई, शेख अब्दुला, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह यह सभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट रहे है। जहाँ तक यूनिवर्सिटी में छात्रों के कांबिनेशन की बात है, वहाँ पर पहले 36 परसेंट नान-मुस्लिम स्टुडेन्ट थे और अभी भी मेडिकल तथा इंजीनियरिंग कालेज में 60 परसेंट से अधिक नान-मुस्लिम स्टूडेन्ट हैं।

अलीगढ़ में इतना बड़ा दंगा हुआ, हमारे प्रधान मंत्री जी अलीगढ़ गए थे उन्होंने सराहना की, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लड़के रिलीफ के काम में लगे हुए थे। एक तरफ रायट्स हो रहे थे और दूसरी तरफ वहां के लड़कों में इस तरह का जोश था। वे इस देश की मुख्य धारा से जुड़े हुए हैं। वे वहाँ पर उस समय रिलीफ के काम में और एकता स्थापित करने के काम में लगे हुए थे।

सरकार अजीज बाशा वर्सेज यूनियन आफ इंडिया केस का हवाला देती है मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि इसमें सरकार के लिए कोई बड़ी बात नही है क्योंकि प्रीवी पर्स के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने विरोध किया था।

बैंक नेशनेलाडजेशन का मामला आया था, जिसमें विरोध मेंदिया गया था। अभी गो-बध की जब यहाँ बहस चली थी, तो गो-बध के बारे में भी उस दिन मैंने कहा था और यही बात कही थी कि विनोबा जी के प्रति हमारा सारा सम्मान है लेकिन जिस देश में हरिजन, आदिवासिओं की हत्या हो रही है, वहाँ सरकार गो-हत्या के सामने झुक जाती है लेकिन हरिजनों की जब हत्या होती है और माइनोरिटीज की जब हत्या होती है, तो वहां सरकार को प्राथमिकता देनी चाहिए और उनको बचाना चाहिए। यदि कोई बाबा, यदि इस देश में कोई शंकराचार्य इन लोगों के खिलाफ कोई ऐसी बात कहता है या करता है, तो पहले उसके लिए कुछ करना चाहिए, उसके लिए मरना चाहिए और उसके लिए अनशन करना चाहिए। आज आप देखिए कि चारों शंकराचार्यों का मिलन हो रहा है और यह एक बहुत भीषण मामला है। चारों शंकराचार्य पुरी में बैठकर कोई वहाँ से फरमान जारी करेंगे, कोई कहीं दूसरी जगह से फरमान जारी करेंगे और कोई कहीं और से फरमान जारी करेंगे। आप उनकी स्पीचों को सुनिये। पटना में शंकराचार्य ने यह कहा कि ये जोलोग हैं ये पेदायसी अछूत हैं। जब ऐसी बातें होती हैं तो मैं आप से कहता हूं कि इस देश में आप को और सरकार को बहुत बारीकी से सोचना पड़ेगा इस सम्बन्ध में। आप कहते हैं कि सुप्रीम कोट की रूलिंग है। गो-हत्या के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी। उसमें आप नये संविधान संशोधन का मामला ला सकते हैं। प्रीवी पर्स के मामले में भी ला सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के विरूद्ध और बैंक नेशनेलाईजेशन के विरूद्ध भी ला सकते हैं। तो क्यों नहीं, जब सुप्रीम कोर्ट इसमें बाधक होता है, आप सुप्रीम कोर्ट को यह कहते हैं कि ठीक है हम इसके लिए कानून बनाते हैं, संसद सर्वोपरि है संविधान में संशोधन करने के लिए, आप इसको मानिये। मैं यह नहीं कहता कि आप यह करें और वह करें लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं भारत सरकार से, जनता पार्टी की सरकार से कि जनता पार्टी की सरकार के द्वारा ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जिससे हरिजनों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के मन में एक प्रश्नवाचक चिन्ह उठे और ऐसा करना सरकार का दायित्व हो जाता है। जब सरकार यह कहती है कि हमारी नीयत बिल्कुल साफ है। जब आप की नीयत बिल्कुल साफ है,

तो आप अपनी नीति भी साफ कर दीजये। तीन चीजों के सम्बन्ध में जो यह मामला है कि माइनोरिटी करैक्टर जोड़ना चाहिए, आर्टीकल 30 (1) के तहत इसका संचालन होना चाहिए और जो कोर्ट के स्टेटस को बनाने का मामला है जिस को पावर नहीं दी गई है और जो कोर्ट के कम्पोजीशन का मामला है कि इसमें जो 160 लोग हैं, उन 160 में से 50 यूनिवर्सिटी के एम्पलाइज हों और 57 बाहर के लोग हों, तो इस तरह के जितने मामले हैं, सरकार को चाहिए कि इन सारी चीज को इसमें इन्क्लूड करे जिनसे अल्पसंख्यकों के मन में किसी तरह का भय न हो और उनके दिमाग में किसी तरह की शंका न रहे और जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी का जीवन है, वह अपने आप को राष्ट्रीय धारा के साथ जोड़े। मैं वहाँ के विद्यार्थियों, शिक्षकों और देश के तमाम अल्पसंख्यकों से यह आग्रह करूँगा कि वे यह सोचे कि हम किसी की मरसी पर नहीं हैं यहाँ के के अल्पसंख्यक किसी की मरसी पर जिन्दा नहीं रह रहे हैं यह उनका देश है और वे इसमें अपने अधिकार चाहते हैं और वे अधिकार उनको मिलना चाहिए लेकिन जो देश की मुख्य धारा है, अपने अधिकारों की बदौलत, उसमें वे मिल जाएं और वे यह समझें कि यह देश हमारा है। इसको समझ कर वे सारे कामों के बारे में सोचें।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

सभापति महोदय : श्री श्याम नन्दन मिश्र को भाषण देने के लिए कहने से पहले, मैं आपको यह सूचित करना चाहूँगा कि मन्त्री महोदय के उत्तर सहित सामान्य चर्चा 5 बजे सांय तक समाप्त हो जायेगी और मन्त्री महोदय लगभग आधे घण्टे का समय लेंगे। इसलिए, क्या सदन समय को बढ़ाने का इच्छुक है ?

कुछ माननीय सदस्य : जी, हाँ।

सभापति महोदय : इसलिए सामान्य चर्चा के लिए समय में आधे घण्टा की वृद्धि की जाती है .

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : सभापति जी, मैं इसे एक बड़ी खुशकिस्मती मानता हूँ कि आज मुझे इस विधेयक पर बोलने क अवसर प्राप्त हुआ है।

जिस समय 1972 में यह काला विधेयक आया था, जिसको लेकर बड़े बड़े मुजाहिरे हुए थे सारे हिन्दुस्तान में सारे देश में और बहुत कुछ जो हमारे यहाँ के अकलियत के लोग हैं उन लोगों की भावनाएं क्षुब्ध हुई थीं भड़की थीं आज उस विधेयक के सारे बुरे असरात को खत्म करने के लिए यह विधेयक यहाँ आया है।

मेंने उस समय भी उसके खिलाफ आवाज उठायी थी और जो बड़े सम्मेलन हुए थे उनमें भी मैंने भाग लिया था। उस समय यह उम्मीद नहीं हो रही थी कि उस समय के निजाम ने जो काला विधेयक बनाया है उसको खत्म करने में हमें बहुत जल्दी कामयाबी हासिल होगी। लेकिन आज उस कामयाबी को सामने देखते हुए जरा खुशी भी होती है और गरूर भी होता है।

आज हम लोगों ने देश में ऐसा माहौल पैदा किया है जिसमें कि अविलयतों की नजरों में एक नयी उम्मीद जाग गयी है और आज उस उम्मीद को पूरा करने की कोशिश हम इस विधयेक के जरिये कर रहे हैं।

सभापति जी, मेंरी राय में इस विधेयक को बहुत पहले आना चाहिए था। यह बहुत देर

से आ रहा है। इस सवाल पर एक बेसब्री माइनोरिटी के लोगों में थी और उसी बेसब्री से दो साल तक वे ख़ामोशी के साथ दो साल तक इसकी तरफ देखते रहे। माइनोरिटी में यह बेसब्री हो और हम इस विधेयक को जल्दी न ला सके, यह अच्छा नहीं मालूम होता था। जब हम इस विधेयक को देर से लाये तो इसके बारे में हमें माइनोरिटीज कमीशन से विचार-विनिमय करना चाहिए था जो कि सरकार नहीं कर पायी। जब हमने माइनोरिटीज कमीशन बनाया है तो उसकी राय को वजन देना चाहिए, उससे पूरी मदद लेनी चाहिए। लेकिन हम उससे पूरी मदद नहीं ले रहे हैं इसका मुझे कुछ खेद है।

इस बिल को बहुत जल्दी लाना चाहिए था क्योंकि 1965 और 1972 के संशोधनों के बाद हमारे अल्पसख्यक और अविलय के भाइयों में बहुत कुछ बैचेनी पैदा हो गयी थी। मैं नहीं जानता कि इन दो सालों में इस वर्ग को सरकार ने अपनी नजरों से क्यों पीछे रखा ? खैर, देर आयद दुरुस्त आयद। आज यह विधेयक आया है। इसमें कोई शक नहीं है कि 1965 और 1972 के संशोधनों के बाद जो बुराइयाँ इस विधेयक में आ गयी थीं उन बुराइयों को इस विधेयक के द्वारा बहुत दूर तक खत्म किया जा रहा है। इसमें सारे मुल्क के लोग सहमत होंगे और खास करके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लोग भी सहमत होंगे। मैं आज चाहता हूँ कि मैं इस सदन में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के भाइयों के प्रति अपना सदन का भी आभार प्रकट करूँ क्योंकि जिस समय इस विधेयक का निर्माण हो रहा था, जब इसके बारे में सोच-विचार शुरू हुआ तो उनकी कीमती शिरकत इसमें मिली उन्होंने जिस भावना की और जिस नजरिये की मिसाल हमारे सामने पेश की उसके बारे में सोच कर मुझे बेहद खुशी होती है। उनकी तरफ से कोई भी ऐसी बात सामने नहीं आयी जिससे कि इस विधेयक के रूप में कोई कठिनाई उत्पन्न होती। यह बात ठीक है कि उनकी राय थी कि विधान में धारा 30 के तहत जो संरक्षण प्राप्त है, वह संरक्षण पूरी तरह से उन्हें प्राप्त हो। जहां यह बात ठीक है वहाँ इसी जगह पर मैं यह भी अर्ज कर दूं कि इसके बारे में जो कुछ वैधानिक या कानूनी द्विविधा पैदा हो गयी है और दो फैसले हमारे सामने आ गये हैं उनके समाधान के लिए यहाँ पर एटार्नी जनरल को आना चाहिए था। मैं बराबर इस राय का रहा हूँ कि एटार्नी जनरल को पर्दा नशीं न बनाये जाये और इस तरह से पर्दा नशीं न बनाइये कि पाँच सालों में एक बार भी उनका यहाँ दीदार न हो सके। एटार्नी जनरल को विधान के अन्तर्गत अधिकार है कि वे यहाँ आयें। लेकिन उनको बुलाया नहीं जाता। सरकार एक प्रेस्टिज का इश्यु बना लेती है जिससे उनको यहाँ पर नहीं लाती। हमारा अधिकार है कि हम एटार्नी जनरल की हाजिरी तलब करें और वे इसके बारे में अपनी राय दें ताकि हम अपनी राय ठीक ढंग से कायम कर सकें। इसमें दो राय पैदा हो गयी हैं वह अजीज पाशा के केस के बाद और उसके बाद जो केरल में बड़ी बेंच ने फैसला दिया और जिसकी तरफ माइनोरिटीज कमीशन ने इशारा किया है। जब दो रायें साफ हमारे सामने आ गई हैं तो एक दिक्कत और दुविधा की स्थिति हमारे सामने पैदा हो गई है। उसको दूर करने के लिए एटर्नी जनरल साहब को यहां तशरीफ लानी चाहिये थी। जब हम आगे बढेंगे मैं समझता हूँ हमें उनको बुलाना पड़ेगा और उनको तशरीफ लानी होगी, किसी भी स्टेज पर उनको हाउस में बुलाने की जरूरत पड़ेगी। इसका कारण यह है कि कानूनी और वैधानिक स्थिति ऐसी पैदा हो गई है जिसका समाधान संसद के सामने उनके द्वारा होना चाहिये।

जिस पौधे के बारे में हम विचार कर रहे हैं वह बड़ा नाजुक पौधा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सहीं मानों में देश के सामने एक मिसाल बन कर खड़ी है जिस पर सारे भारत के लोगों को फख्र होना चाहिये। पिछली इसकी जो तवारीख है उसके बारे में बहुत चर्चा हुई है। आप इतनी दूर क्यों जाते हैं। अभी जब अलीगढ़ में साम्प्रदायिक दंगे हुए थे उस वक्त जो इस विश्वविद्यालय का रोल रहा है वह खड़ा ही शानदार रहा है। इस विश्वविद्यालय के अन्दर एक मैडीकल कालेज भी हैं जहाँ पर घायल लोग इलाज के लिए पहुँचाए जाते थे, किसी की टाँग कटी हुई थी, किसी की बाँह, तरह-तरह से घायल हुए लोगों को यहाँ पहुँचाया गया। इन घायलों कोई देख कर वहाँ के जो लैक्चरार या प्रोफेसर थे उनके जजबे भड़के नहीं, उन्होंने बहुत शान्ति के साथ उन सबका इलाज किया और साथ-साथ सारे शहर में शान्ति का पैगाम फैलाया। यह मिसाल सारे भारत के लोगों को अपने सामने रखनी चाहिये। कम्युनल हार्मनी के मामले ही नहीं बल्कि स्टैंडर्ड के मामले में भी उसने देश के सामने एक मिसाल पेश की है। बहुत से स्थानों में उस तरह का शिक्षा का स्तर नहीं है जिस तरह का यहां है। बिहार के बारे में मैं कह सकता हूँ कि वहाँ जिस तरह से स्तर गिरा है उसको देखते हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने उसके सामने एक मिशाल पेश की है। दोनों के स्तर में जमीन आसमान का फर्क है। स्टैंडर्ड के बारे में जब हम सोचते हैं तो बड़े बड़े एजुकेशनल सैंटर्ज से इसके स्तर को हम बेहतर पाते हैं और यह हमारे लिए फख्र की बात है। इस देश के लोग ही नहीं बल्कि 38 देशों के तालिब इल्म यहाँ आज भी पढ़ रहे हैं और इस विश्वविद्यालय ने सारी दुनिया में अपना नाम कमाया है। ये सब चीजें हमको अपने सामने रखनी चाहियें।

माइनोरिटी कारेक्टर के बारे में यहाँ बातें कही गई हैं। मैं समझता हूँ कि इस बात को इस विधेयक में घुमा करके नाक को छूने की कोशिश की गई है इसी तरह की प्रक्रिया अपनाई गई है, नाक को सीधे नहीं बल्कि सिर के पीछे से घुमा करके छूआ गया है। इससे इन्कार नहीं किया गया कि इसकी जड़ यहाँ के मुसलमान भाइयों ने कायम की थी। इससे इन्कार नहीं किया गया है कि एम. ए. ओ. कोलेज की स्थापना मुसलमान भाइयों ने की थी। जब जड़ मुसलमान भाइयों ने कायम की तो साफ है कि आगे चल कर जो फैसला होगा उसमें कोई दो रायें नहीं होगी, आगे के कोर्ट के फैसले में भी इस बात को साफ कर दिया जायेगा कि मुसलमानों के द्वारा ही इस संस्था को कायम किया गया था। जहाँ तक सरकार का ताल्लुक है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सामने उसकी मजबूरी है, उसको उस फैसले को कानून मानना होगा। वर्ना जहाँ तक सरकार के मन्तव्य का सवाल है यह बिल्कुल साफ जाहिर है कि सरकार ने इससे इन्कार नहीं किया है कि इसको मुसलमान भाईयों ने कायम किया है। इससे कैसे इंकार किया जा सकता है जबकि जमीन मुसलमान भाईयों ने दी है, पैसा उन्होंने दिया है, सारा काम करने वाली संगठन जो पैदा की वह मुसलमान भाइयों ने की।

माइनोरिटी कारैक्टर होने से सैक्युलर कारेक्टर में बाधा आ सकती है, यह भी यहाँ कहा गया है। उस संदर्भ में संरक्षण और खुदमुख्तारी के मामलों में सरकार की लाचारी का जिक्र भी किया गया है। इसके बारे में मैं बाद में अर्ज करूँगा। पहले मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर माइनोरिटी कारेक्टर उसका स्वीकार किया जाता है तो क्या सैक्युलर कारेक्टर में कोई बाधा आयेगी, जो हमारा धर्म निरपेक्षता का दृष्टिकोण है उसमें क्या कोई बाधा आयेगी, इसकी चर्चा

मैं करना चाहता हूँ। मैं हिन्दू हूं, तो इसके मायने क्या हैं ? अगर श्याम नन्दन मिश्र कहते हैं, एलान करते हैं कि मैं हिन्दू हूँ तो क्या इसके मायने यह हो जाते हैं कि मैं धर्म-निरपेक्ष नहीं हूँ ? अगर कोई भाई मुसलमान है और कहता है कि मैं मुसलमान हूँ तो क्या इसके मायने यह हो जाते हैं कि वह धर्म-निरपेक्ष नहीं है। सैकुलर नहीं है ? जो इंसान के लिये सही है, वह इंस्टीट्यूशन के लिये भी सही होगा। इसलिये मैं अपने सभी भाईयों से अर्ज करूँगा कि जहाँ तक इसका सवाल है,जैसे पहले हम कहते थे, सुनते थे, पहले जब इनके घरों में और हम लोगों के घरों में ऐसी बातें होती थीं,'एक रूढ़िगत और परम्परागत भावना होती थी कि मुर्गी खाये, तो मुसलमान हो जाये तो आज मुर्गी पर हिन्दू इतने हाथ साफ करते हैं कि आज मुर्गियाँ मुसलमानों को मिलना भी मुहाल हो रहा है।

उसी तरह की बात उर्दू के बारे में भी कहते हैं कि उर्दू मुसलमानों की जबान है। अगर उर्दू कोई जबान पर लाये तो उसको मालूम होगा कि उसमें क्या लुत्फ है। इसलिये उर्दू को मुसलमानों की जबान कहना बिल्कुल गलत है : आज भी कहा जाता है हमारे मुसलमान भाइयों के बारे में कि उन्होंने अपनी शैक्षणिक योग्यता और विकास के लिये इसको कायम किया था। जब उन्होंने ऐसी मिसाल दी है कि दूसरों के भी शैक्षणिक विकास में उससे कोई बाधा नहीं पड़ती है और अब यह बात साफ तौर पर नुमाया हो गई है तो मैं समझता हूँ कि इस सम्बन्ध में कोई भी संदेह दिमाग में लाना बिल्कुल ठीक नहीं है। इस सम्बन्ध में मैं समझता हूँ कि मेरी दो रायें हैं : एक तो जैसा मैंने अर्ज किया कि अटार्नी जनरल साहब यहाँ तशरीफ लायें और इसके बारे में साफ करें और दूसरी बात यह है कि सरकार कहे कि क्या मजबूरियाँ अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताविक है ? लेकिन हमारा इरादा है कि धारा 30 (1) के तहत जितने भी संरक्षण प्राप्त हैं, वह सारे संरक्षण अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को प्राप्त होंगे सरकार को इसके कहने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये। क्या आप समझते हैं कि उनकी खुद-मुख्तारी इस दर्जे तक जायेगी कि उसमें बहुत कुछ बुराइयाँ आ जायेंगी ?

राइट टू एडमिनिस्टर के मायने यह नहीं होते कि राइट टू मैल-एडमिनिस्ट। सरकार को बराबर यह अधिकार होगा कि अगर वहां किसी तरह की बुराई हो गई तो उसके बारे में देखे और जहाँ तक हो सके, उसका सुधार करे। संसद का भी रोल है इसमें, जो विधेयक बनाये, चाहे संसद बनाये, तो मेरी राय में अगर सरकार यह आश्वासन देती है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक हम कुछ ज्यादा करने से मजबूर हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया वह हमारे लिये कानून है, मगर जो कुछ भी इरादे हैं धारा 30 (1) के तहत वह सारे इरादे हम पूरे करेंगे, अगर सरकार का यह कस्द है कि वह उन सारे संरक्षणों को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को दे, तो जो हमारे माइनोरिटी के भाइयों के दिमाग में थोड़ा बहुत शक है वह भी दूर हो जायेगा। हालांकि उनके शक बहुत कुछ दूर हो चुके हैं, यह मैं मानता हूँ।

मैं दो, तीन तफसील की बातो की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। हमने तो कहा है कि इसमें हम स्वायत्तता खुदमुख्तारी लायें और इसके चलने का जो प्रशासन हो, उसे हम लोकतांत्रिक बनायें। यह हमने कहा है कि हम जम्हूरी निजाम फिर से वहाँ की जम्हूरियत और जम्हूरी निजाम पर काफी करारी चोट की थी, हमने कहा है कि हम वहाँ स्वायत्तता फिर से लायें, जम्हूरियत लायें। हमने साफ तौर पर इस बिल के स्टेटमैंट आफ रीजन्स में कहा है, उसके मुताबिक काफी बातें उससे पूरी होती हैं।

मैं विश्वविद्यालय कोर्ट के बारे में आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। कोर्ट की तादाद है 162 और उसमें 105 यूनिवर्सिटी के अन्दर के लोग हैं और 57 बाहर के लोग हैं। वह पालिसी मेकिंग बाडी होगी, नीति निर्धारित करेगी। मैं पहले पूरी तरह से इसमें नहीं गया था तो यह बात मेरे दिमाग में आई थी कि ठीक सिलसिला सरकार ने सोचा है और विधेयक में रखा है। लेकिन जब मैं इसमें गहराई में जाता हूँ, तो मुझे लगता है कि नीति बनाने का सारा अधिकार यूनिवर्सिटी के भाइयों को नहीं देना चाहिए। उनकी तादाद 105 रखी गई है, जबकि बाहर के लोगों की तादाद सिर्फ 57 रखी गई है. ऐसी स्थिति में तो उसका नाम "कोर्ट" न रखा जाये, उसका नाम "एकैडेमिक कौंसिल" रख दिया जाये। अगर मंत्री महोदय उसका नाम कोर्ट रखते हैं, तो उन्हें उसे सही मानों में कोर्ट बनाना चाहिए। उसमें ज्यादा से ज्यादा बाहर के तत्वों, आउट-साइड एलिमेंट्स, को लाना चाहिए। जो डानर्ज है, जिन लोगों ने उस जमाने से बहुत दान दिये हैं—और इस भावना से दिए हैं कि शिक्षा का विकास हो और हमारे जिन बहुत से तालिब-इल्मों को पहले उस तरह की शिक्षा नहीं मिलती थी, उन्हें उस तरह की शिक्षा मिले, उनकी तादाद ज्यादा हो। इस यूनिवर्सिटी के एक्स-स्टूडेंट्स की तादाद भी बढ़ाई जाये। यानी मिला-जुला कर कोर्ट को सही मानों में नीति निर्धारित करने वाली संस्था बनाना चाहिए, और उसमें बहुमत यूनिवर्सिटी के अन्दर के लोगों का नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा ही करना है, जैसा कि अभी है, तो उसका नाम एकैडेमिक कौंसिल रख दिया जाये; यह ज्यादा उपयुक्त होगा।

एक्जीक्यूटिव कौंसिल में भी इनटर्नल एलिमेंट्स, अन्दर के तत्वों, की प्रबलता, बहुमत, है जो उतना नहीं होना चाहिये। उसमें उनके व्यक्तिगत स्वार्थ भी निहित होते हैं। जिनके व्यक्तिगत स्वार्थ हों. वही वहाँ के मालिक बना दिए जायें, यह ठीक नहीं लगता है। इसलिए एक्सीक्यूटिव कौंसिल में बाहर के तत्वों को लाना चाहिए, तभी एक संतुलित एक्जीक्यूटिव कौंसिल हो सकेगी, वर्ना एक्जीक्यूटिव कौंसिल का रूप बहुत कुछ अनबैलेंस्ड, असंतुलित, हो जायेगा। बाहर के लोगों को लाने से उसमें उदारता भी आयेगी, और चारों तरफ देख कर जो दृष्टिकोण बनाया जा सकता है, वैसा दृष्टिकोण उसका बनाया जा सकेगा।

हमारे कुछ भाई कहते हैं कि अगर यूनिवर्सिटी की खुद-मुख्तारी दे देंगे, तो शायद आगे चल कर खामोश तमाशबीन की तरह देखते रहोगे, वहां बुराइयाँ होंगी, मगर कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूँ कि क्या राज्य का यह बुनियादी अधिकार खत्म हो जायेगा कि हम वहाँ पर शिक्षा का जो स्टैंडर्ड कायम करना चाहते हैं, वह स्टैंडर्ड हम वहाँ पर रखें। जब हम देखेंगे कि उस स्टैंडर्ड में, उस स्तर में, जरा भी व्यतिक्रम होता है, तो फिर हम जिस तरह के रेगुलेटरी मैजर्ज लेना चाहेंगे, वैसे लेंगे।

लेकिन इसके साथ साथ मंत्री महोदय इस बात पर भी गौर करें कि एक तरफ तो वह यूनिवर्सिटी को ज्यादा अधिकार नहीं देना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने सारे अधिकार एक तरह से विजिटर के हाथों में केन्द्रित कर दिए हैं। करीब-करीब सब अख्त्यारात विजिटर के हाथों में केन्द्रित हैं। विजिटर के हाथों में सारे अधिकार दे देने से यूनिवर्सिटी के अधिकारों के ज्यादा मानी नहीं रह जाते हैं।

विजिटर के पास कितने अधिकार हैं ? अगर विजिटर साहब चाहें, तो वहाँ जो भी कानून बनेंगे, वह उन सबको अस्वीकार कर सकते हैं। वहां कोई भी नई संस्था विजिटर साहब

की राय से ही बन सकेगी, यूनिवर्सिटी उसमें ज्यादा कुछ नहीं कर पायेगी। इस तरह से विजिटर को जो बहुत अधिकार दे दिये गये हैं, उससे भी जरा इमबैलेंस, असंतुलन, पैदा होता है। इतना इमबैलेंस नहीं होना चाहिए। फिर सवाल उठता है वाइस चांसलर की नियुक्ति को दूसरे स्तर पर क्यों रखा गया है? यानी जिस तरह से चांसलर, प्रो-चांसलर की नियुक्ति होती है उसी तरह से वाइस चाँसलर की नियुक्ति क्यों नहीं होगी? वाइस चांसलर की नियुक्ति के लिए भी एक पैनल कोर्ट की तरफ से जाना चाहिये। मगर यहाँ वह बात नहीं रखी गई। इस विधेयक में पैनल सबमिट करने का विधान नहीं है, उसके बारे में यहां नहीं कहा गया है। इसलिए मेरी विनम्र राय है कि आप वाइस-चाँसलर की भी नियुक्ति अगर उचित ढंग से करना चाहते हैं तो आपको यह अधिकार कोर्ट को देना चाहिये कि वह उसके बारे में पैनल विजिटर के पास भेजे और उसके मुताबिक उसकी नियुक्ति हो।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं मिलाजुलाकर इस विधेयक का स्वागत करता हूँ। मैं समझता हूं कि सरकार ने सही दिशा में कदम उठाया है और इसका स्वागत करना चाहिए। हमारे अल्प संख्यक भाइयों को सरकार पर विश्वास रखना चाहिए कि जिस सरकार ने इस हद तक उनके सारे शक शकूक को दूर करने की कोक्षिश की है उसी सरकार से उनको इसकी भी उम्मीद हो सकती है कि जो थोड़ी बहुत बातें हैं उनको भी वह पूरा कर दें। उन्हें पुरा करने के रास्ते में जो कठिनाई सुप्रीम कोर्ट में रखी थी, अब उस कठिनाई को हल करने के लिए सरकार ने जिस बुद्धिमानी से काम किया है जिस बारीकी से काम किया है उसको हमारे अल्पसंख्यक भाई ठीक से समझें, उसमें यह न समझें कि उससे कुछ कतराया गया है। यह सरकार कतराने वाली सरकार नहीं है और जहां तक अल्पसंख्यकों की भावना का सवाल है, उनके जजबात का सवाल है, उसमें यह सरकार कुछ आनाकानी नहीं करेगी। एक खास परिस्थिति में अगर उसने इस बुद्धिमानी से और बारीकी से, जैसा मैंने अर्ज किया, काम किया है तो उसका एप्रिसिएशन, उसकी सराहना सभी जगह पर होनी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूँ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : सभापति महोदय, हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस प्रकार के कानून के बारे में बिना किसी उद्देश्य के चर्चा की जाय और हमें यह पुछा सामने रखते हुए यथा सम्भव निष्पक्ष रुप में इस मामले पर चर्चा करनी चाहिए कि ज्ञान के केन्द्र, विश्व-विद्यालय के सही लक्ष्य की किस प्रकार श्रेष्ठतम तरीके से प्राप्ति हो सकती है। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है। अनेक अन्य विचार भी हैं। परन्तु तथ्य यह है कि उच्चतम न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि विश्वविद्यालय वस्तुतः एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था और इसलिए इसकी स्थापना एक विशेष समुदाय द्वार नहीं की गयी थी, हाँलांकि मैं यह देखता हूँ कि प्रस्तावित संशोधन में भी उसको स्वीकार किया गया है कि विश्वविद्यालय का आधार केन्द्र विभिन्न समुदायों से प्राप्त दान से मुस्लिमों द्वारा स्थापित किया गया था। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है।

हमारा यह विश्वास है कि इस देश में अल्पसंख्यकों को, विशेष रूप से मुसलमनों को शैक्षणिक क्षेत्र में विकास संहित अपने सर्वांगीण विकास के लिए समुचित सुविधाओं की आवश्यकता है। अनेक ऐसे अवसर आये हैं जबकि मुस्लिमों सहित अल्पसंख्यकों के अधिकारों की

सुरक्षा के लिए उचित मांगों का समुचित सम्मान नहीं दिया गया है। परन्तु हम महसूस करते हैं कि शिक्षा, सामाजिक विकास, समुदायों के बीच असमानताओं को समाप्त करने, सरकारी सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व को समाप्त करने आदि के मामले में, अल्पसंख्यकों के बारे में विशेष ध्यान देना होगा।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के मामले में हम अपने मुस्लिम बन्धुओं की भावनाओं का सम्मान करते हैं, परन्तु जिस प्रश्न का हमें उत्तर देना है वह यह है कि इस विश्वविद्यालय के बारे में जो नियन्त्रण किया जाना चाहिए, या हित साधन का स्वरूप किस प्रकार का होना चाहिए और इस विधेयक में प्रस्तुत प्रस्तावों द्वारा सच्चे लोकतान्त्रिक स्वरूप को और इसके साथ ही धर्म निरपेक्ष स्वरूप को बनाये रखा गया है। हम महसूस करते हैं कि हमारे मुस्लिम भाई नहीं चाहते कि विश्वविद्यालय को लोगों के एक समुदाय या किसी एक वर्ग के लिए विशेष रूप से सुरक्षित कर दिया जाय। हम यह महसूस करते हैं कि मुसलमान भाई इस विश्वविद्यालय को किसी एक वर्ग या समुदाय का ही अधिपत्य नहीं रखेंगे। हम उन प्रस्तावों की सराहना करते हैं और उनका समर्थन करते हैं, जिनमें इस विश्वविद्यालय द्वारा मुस्लिमों के शैक्षणिक और सांस्कृतिक विकास को प्रोत्साहन दिया गया है।

इस देश में यह बड़ा दुखद अनुभव रहा है कि जहाँ कहीं भी या जब कभी भी किसी शिक्षा संस्थान में पूर्णतः अल्पसंख्यक स्वरूप को मान लिया गया है, तो लोकतान्त्रिक कार्यकरण में बाधा पहुँचती है, जिसके परिणाम स्वरूप अलोकतांत्रिक प्रवृतियाँ उत्पन्न होती हैं जिन्हें, मुझे विश्वास है कि हमारे मुस्लिम भाई बहन सहन नहीं करेंगे और न स्वीकार ही करेंगे। हमें ऐसी कोई संस्था नहीं बनानी चाहिए, जिसकी वजह से ऐसी सम्भावना, यदि पूर्ण निश्चित स्थिति न सही, उत्पन्न हो जिसमें कोई गुट सत्ता में आ जायें और विशिष्ट स्वरूप को बनाये रखने में या नाम पर नियन्त्रण कर लें। हम चाहते हैं कि ज्ञान की यह महान संस्था निहित स्वार्थों का प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ मुट्ठीभर लोगों के नियन्त्रण में जाने से बची रहे। हम विश्वविद्यालय को ज्ञान के एक महान केन्द्र, विशेष रूप से मुस्लिम संस्कृति और शिक्षा के संवर्धन और विकास के लिए ज्ञान के केन्द्र बनाये रखना है और इसके साथ ही हमें यह सुनिश्चित करना है कि हम उसके आवश्यक धर्मनिरपेक्ष स्वरुप को नहीं बिगड़ने दें, क्योंकि केवल वही स्वरुप अपनी सच्ची परम्परा को बनाये रख सकता है और उन उद्देश्यों के वास्तविक विकास में सहायता कर सकता है जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है। इसलिए, हमें गम्भीर रुप से इस प्रश्न पर विचार करना है कि क्या इस पुछे पर जो देने से कि इसकी स्थापना मुस्लिम अल्पसंख्यकों द्वारा की गई थी और इस प्रकार, कुछ भी परिणाम क्यों न हों, मुस्लिम अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में इसके स्यरूप को बनाये रखना होगा—यह वस्तुतः वांछनीय नहीं है, क्योंकि ऐसी मांग करने से संस्थान के लोकतन्त्रीकरण में सहायता नहीं होगी और दूसरी ओर इस बात की काफी सम्भावना है कि विश्वविद्यालय के प्रबन्ध और प्रशासन में अवांछनीय प्रवृत्तियों का विकास हो। हमें पूर्ण विश्वास है कि लोकतान्त्रिक अधिकारों में विश्वास करने वाले सभी सही विचारधारा वाले व्यक्ति यह नहीं चाहेंगे कि अल्पसंख्यक संस्थान बनाने के नाम पर, अलोकतान्त्रिक प्रवृत्तियां विश्वविद्यालय और उनके कार्यों पर हावी हो जाँय।

आज तथ्य यह है कि प्रबन्ध में, अध्यापक वर्ग में और छात्रों की संख्या में मुस्लिमों के

बहुमत से प्रतिनिधित्व की गारंटी है। जहाँ तक इस माँग का सम्बन्ध है कि संविधान के अनुच्छेद 30(1) द्वारा सभी सुविधायें और लाभ इस संस्थान को उपलब्ध किये जाने का सम्बन्ध है। हमें अनुच्छेद 30(1) के सही क्षेत्राधिकार को समझना होगा। मिश्रा जी ने सही कहा है कि प्रबन्ध करने के अधिकार का अर्थ कुप्रबन्ध करने का अधिकार नहीं है। लेकिन इसे परिभाषित करना आसान नहीं है कि किन विषयों में, किन क्षेत्रों में, न्यायालय पर यह सर्वोच्च संसद हस्तक्षेप नहीं कर सकती। क्या यह संसद इसे संविधान के अनुच्छेद 30(1) के क्षेत्राधिकार पर व्यापकता के अन्तर्गत मानती है या उसके बारे में निर्णय करती है, यह भी सन्देहास्पद है। परन्तु क्या इस सर्वोच्च संसद को अधिकार है कि वह इस प्रकार संस्थानों के प्रबन्ध के स्वरूप को निर्धारित करे ? कानून केवल यह उल्लेख कर सकते हैं कि अगर किसी संस्था को धन दिया जाता है तो उसका समुचित रूप से हिसाब होना चाहिए। मुझे इस बारे में सन्देह है कि क्या संसद यह निर्धारित कर सकती है कि धन को किस प्रकार खर्च किया जाय या प्रबन्धक समिति या कोर्ट या शिक्षा परिषद में कौन कौन व्यक्ति होंगे। संसद ऐसा निर्णय नहीं कर सकती और न ही राज्यों के विधान मंडल ऐसा निर्णय कर सकते हैं। अगर इस बात को मान लिया जाता है, तो अपनी पार्टी के प्रतिनिधित्व के रूप में बोलते हुए, हमें कोई भी शंका नहीं है कि अनेक मामलों में अल्पसंख्यकों की भावनायें अच्छे कारनामों पर आधारित होती हैं, परन्तु मैं अपने सभी मित्रों से यह अपील करूँगा कि हमारा सर्वाधिक जोर संस्थान के लोकतान्त्रिक स्वरूप को बनाये रखने पर होना चाहिए, जिसमें हमारा सबसे अधिक प्रयास यह होना चाहिए कि किसी विशेष जाति, वर्ग या समुदाय के भेदभाव के बिना विश्वविद्यालय को ज्ञान का महान केन्द्र कैसे बनाया जाय अर्थात् उन उद्देश्यों की प्राप्ति कैसे की जाय, जिनकी प्राप्ति के विश्वविद्यालयों के संस्थापकों ने इसकी स्थापना की थी।

मेरा समय सीमित है मैं जानता हूँ कि हमारे देश में विभिन्न अल्पसंख्यक संस्थान, स्कूल, कालेज ऐसे हैं जहाँ हमें पता है कि अध्यापकों और गैर-अध्यापक कर्मचारियों की कोई सेवा-अवधि नहीं है। उनकी सेवाशर्तों की कोई चर्चा भी नहीं कर सकता अथवा वे वैधानिक उपबन्धों से परे हैं। हमने देखा है कि अल्पसंख्यक संस्थानों में अध्यापकों को किस प्रकार बर्खास्त कर दिया है और जब वे न्यायालय में गये, तो यह निर्णय किया गया कि यह एक अल्पसंख्यक संस्थान है और यह कि प्रबन्ध करने का अधिकार उन्हें संविधान में उपलब्ध है और इस बारे में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। अध्यापकों की क्या योग्यता होगी, अनेक निर्णयों में यह कहा गया है कि न्यायालय उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हमें किसी भी संशोधन विधेयक के गुण दोष का निर्धारण इस आधार पर करने का प्रयास नहीं करना चाहिए कि न्यायालय क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। अन्तिम विश्लेषण में स्थिति का सामना करना ही होगा। हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि इस महान विश्वविद्यालय को अपने समुचे स्वरूप में, अपने सही आकार में किस प्रकार बनाये रख सकते हैं। हमारा यह प्रयास होगा, साथ ही साथ विश्वविद्यालय से अध्यापकों, छात्रों और गैर-अध्यापकीय कर्मचारियों के रूप में सम्बद्ध व्यक्तियों के मन से विश्वविद्यालय में किसी भी प्रकार के अलोकतान्त्रिक रूख का नियन्त्रण के बारे में सन्देह को दूर करना होगा। इसलिए इस महान देश और देश की महान सभा के समक्ष हमारा मिशन यह है कि—हमें यह स्पष्ट करना होगा कि हमें यह सब इस प्रकार करना है, जिससे किसी के प्रति

निरादर की भावना व्यक्त न हो। इस प्रकार की उत्तेजना या भावना पैदा नहीं होनी चाहिए कि यदि कानून में इसे एक विशेष स्वरूप नहीं दिया गया तो, इस महान संस्था का भविष्य अन्धकारमय हो जाएगा और अगर वह स्वरूप नहीं दिया गया, तो यह भावना पैदा नहीं होनी चाहिए कि इस देश के महान मुस्लिम सम्प्रदाय की भावनाओं को उचित सम्मान नहीं दिया जा रहा है।

यह हमारी राय नहीं है। हम माननीय मंत्री से यह देखने के लिये निवेदन करेंगे कि जहां तक कानून के अन्तर्गत विभिन्न निकायों के संगठन में प्रतिनिधित्व का सम्बन्ध है वहां वे ले लिये गये हैं जहां तक मुस्लिम समुदाय के हमारे मित्र जो हमारे विशेष अंग हैं, की स्वीकार्यता का सम्बन्ध है हमें सारी अपरिहार्य भावनाओं को छोड़ने तथा कम करने का प्रयास करना चाहिए ताकि यह यथा सम्भव स्वीकार्य हो जाए।

हम कुछ संशोधन दे चुके हैं। मैं उन पर कार्यवाही करूंगा जब संशोधन आयेंगे परन्तु एक अहलू पर मैं अध्यापकों तथा छात्रों के संघों के बारे में कह सकता हूँ। विधेयक में अध्यापकों तथा छात्रों को एक विशेष किस्म के संघ में प्राधिकारियों द्वारा नियंत्रण से मिलने का प्रयास है। जो वांछनीय नहीं है। हम माननीय मंत्रों महोदय से उपयुक्त समय पर उस पर विचार करने का अनुरोध करेंगे।

श्री राम जेठमलानी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : सभापति महोदय, मैंने अपने बड़े पसिद्ध परन्तु नवयुक मित्र श्री राम विलास पासवान का भाषण बड़ी रुचि के साथ सुना है। मैं प्रत्येक शब्द जो उन्होंने कहा है का समर्मन करता हूँ तथा जो उन्होंने कहा है वह इस सदन में तथा इस सदन के बाहर बहुत से बडे राजनैतिकों का मान व सम्मान करेगा। यदि मुस्लिम समुदाय को आवश्यकता है और किसी अन्य अल्पसंख्यक की तरह इस देश में आदर तथा शान तथा सुरक्षा की भावना के साथ रहना हैं तो सरकार को अल्पसंख्यक आयोग जो हमने बनाया है, की सिफारिशों को सामान्य नियम के रूप में से स्वीकार करके अध्ययन करना चाहिए। अल्पसंख्यक आयोग ने सर्वसम्मति से इस मामले में तीन सिफारिशें की हैं—(क) विश्वविद्यालय के स्वायत्त स्वरूप को अवश्य बहाल किया जाना चाहिए, (ख) इसके विभिन्न अंगों के लोकतान्त्रिक कार्यकरण को बहाल किया जाना चाहिए तथा (ग) संस्था के अल्पसंख्यक स्वरूप को माना जाना चाहिए। जनता सरकार विधेयक की पहली दो माँगे मान लेने के लिये बधाई की पात्र है, मैं मानता हूँ स्वायतत्ता तथा लोकतांत्रिक कार्यकरण दोनों आवश्यकतायें पर्याप्तरूप से पूरी हो जाती है परन्तु मैं अपने दुःख तथा निराशा के भाव को व्यक्त करना चाहता हूँ कि हमने मुस्लिम माँग के सार अर्थात कि इसको समझ जाना चाहिए, माना जाना चाहिए तथा अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित इस संस्था को घोषित किया जाना चाहिए ताकि अल्पसंख्यक हमारे संविधान के अनुच्छेद 30 के अन्तर्गत अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं इस समुदाय द्वारा की गई मांग अनुचित माँग नहीं है। यह वह माँग नहीं है कि कुछ मुस्लिम दकियानूसी इस संस्था पर कब्जा कर लेगें और अपनी अध्ययन संस्थाओं में या तो हिंसा या साम्प्रयायिकता का प्रचार करेंगे। यह माँग केवल प्रतीकात्मक माँग है कि समुदाय को अपने कार्यों की व्यववस्था स्वयं करनी चाहिए जब कि संसद अत्यधिक महत्वपूर्ण मामलों में जिन पर लोकनियंत्रण अनिवार्य है तथा अपेक्षित है विश्वविद्यालय के कार्यों के विधान बनाने तथा प्रशासन करने का अपना सर्वोच्च अधिकार

रखता है। यह संसद उस संस्थान में अध्ययन स्तरों के कीर्तिमानों तथा अध्यापकों की अर्हताओं के बारे में, रोजगार दशाओं के बारे में, अनुशासन के बारे में, सद्व्यवहारों के बारे में तथा लोक व्यवस्था तथा शान्ति के बारे में पूरी शर्तें निर्धारित करने की अब भी स्थिति में है। इसके अतिरिक्त संसद पर कानून बनाने तथा उनउ पबन्धों को निर्धारित करने में रोक नहीं है जो उस धर्म निरपेक्ष राजनीति के उद्देश्यों के साथ इस विश्वविद्यालयों के उद्योगों के साथ सामजस्य पैदा करेंगे जिसमें इसकी स्थापना की गई है तथा विद्यमान रहेगी तथा वढ़ती रहेगी इस अवसर पर, यह स्मरण करना अच्छा है कि विश्वविद्यालय तथा पहले केन्द्र स्कूल के प्रवर्तकों का मूल इरादा क्या था। यह कहा जाता था कि इस स्कूल का विस्तार विश्वविद्यालय में हो जायेगा जिसके छात्र देश के कोने कोने में स्वतन्त्र जागरूकता के सिद्धान्त विशाल हृदय की सहिष्णुता के सिद्धान्त तथा सच्चे नैतिकता के सिद्धान्त का उपदेश देने जायेगे। यदि हमारे मुस्लिम मित्र इस संस्था को चलायेंगे तथा मुझे कोई संदेह नहीं है कि वे इसे इस महान संस्था के वास्तविक संस्थापक द्वारा घोषित उद्देश्यों के अनुरूप चलायेगें, मुझे कोई संदेह नहीं है कि हमें इस देश में न केवल एक अलीगढ़ शुस्लिम विश्वविद्यालय की आवश्यकता है बल्कि बहुत अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालयों की आवश्यकता है ताकि दकियानूसी विचार समाप्त हो जाएं और आखिरकार राष्ट्र एक एकीकृत तथा मजबूत राष्ट्र बन जाए।

यह सच है कि इस संस्थान के प्रति कुछ विरोधभाव है परन्तु हम याद करे कि द्वेष का कौन कारण है और कब द्वेष शुरु हुआ ? 1965 तक किसी ने इस संस्था के अल्पसंख्यक स्वरुप पर सन्देह नहीं किया। किसी ने भी यहाँ तक कि वकीलों की तिकड़ी ने कभी यह नहीं सोचा कि यह समुदाय अनुच्छेद 30 के अनुसार इस संस्था का प्रशासन करने का पात्र नहीं है। परन्तु हम अपनी प्रतिष्ठित बहन श्रीमती मोहसिना किदवई तथा अपने अच्छे मित्र श्री बनातवाला के फायदे के लिए यह कहें कि यह 1965 की कांग्रेस सरकार थी जिसने सबसे पहले इस संस्थान के मुस्लिम स्वरुप पर संदेह किया, जिसने इस संस्था के मुस्लिम स्बरुप पर प्रहार किया तथा जिसने अधिनियम 1965 को संशोधित करके इस संस्था के मुस्लिम स्वरूप को अन्तिम रूप से नष्ट कर दिया। जो व्यक्ति मुस्लिम समुदाय के अधिकारों के चम्पियन होने का दावा करते हैं तथा जो ईमानदरी से विरोधों में विश्वास करते हैं तथा विरोध जो वे सदन में तथा सदन के बाहर करते हैं, मैंने मान लिया कि वे पूर्ण ईमानदारी के अपने को विपक्ष के साथ शान्त नहीं कर सकते और वे उसी तरह से बात करते रहेगे जैसे वे करते है। विगत में कुछ मुस्लिमों को व्यक्तिगत रूप से रिश्वत देना, उनको उतना देना जिसके वे पात्र नहीं हैं तथा उसी समय पूरे समुदाय जिसका अधिकार पूर्ण रूप से हकदार है, से वंचित कर देना कांग्रेस की संगत नीति रही है तथा इस विश्वविद्यालय के प्रशासन के मुस्लिमों के अधिकार का वंचन उस नीति का उत्कृष्ठ उदाहरण है। मुझे यह कहते हुये दुख है कि उनमें से कुछ जो अब उस विश्वविद्यालय के बारे में अपनी छातियाँ पीट रहे हैं, वे हैं जो विगत में इस नीति के लिये झुक चुके हैं और आज भी उन बुरी शक्तियों के साथ अपना राजनैतिक गटजोड़ करने के लिये तैयार है जिन्होंने इस विश्वविद्यालय के वास्तविक स्वरूप को नष्ट कर दिया था।

महोदय, मेरी सरकार को निर्भीक रूप से तथा साहस के साथ इस संस्था के अल्पसंख्यक स्वरूप को स्वीकार कर लेना चाहिए। मैं इसकी कठिनाइयाँ समझता हूँ, मैं इसकी सीमायें

समझता हूँ। परन्तु न तो मैं उनके प्रति सहानुभूति दिखाता हूँ और नाही मैं उनको स्वीकार करता हूँ, यद्यपि मैं उनको समझता तो हूँ। उच्चत्तम न्यायालय के निर्णय की आड़ में शरण लेने का कोई फायदा नहीं है, वह निर्णय जिसकी नींव ही झुठे शपथ-पत्रों पर रखी गई थी, तत्कालीन काग्रेस सरकार के अधिकारियों द्वारा दिये गये झुठे शपथ-पत्रों जिनमें असत्य को सत्य प्रमाणिम किया गया था जिससे उच्चतम न्यायालय को निणय देने में सही मार्गदर्शन नहीं मिला और उसने अपना निर्णय दे दिया। उच्चतम न्यायालय को उस दलील को स्वीकार करने के लिए राजी किया गया था जो तत्कालीन सरकार द्वारा नहीं दी जानी चाहिये थी केवल इस कारण कि इस विश्वविद्यालय को विधान मडल के एक अधिनियम द्वारा बनाया यया था इसलिये विधान मंडल ने इसका सृजन किया था बेतुका है जैसे कि इंगलैंड में पुराने समय में जब तलाक की न्यायिक कार्यवाही द्वारा अनुमति नहीं थी, लोगों को तलाक का गैर-सरकारी विधेयक पारित करने के लिये संसद में जाना पड़ता था। यदि 'क' अपनी पत्नी को तलाक देना चाहता था तो संसद को तलाक का गैर-सरकारी विधेयक पारित करना पड़ता था, जब संसद ने तलाक के ऐसे अधिनियम को पारित कर दिया तो इसका अर्थ हुआ कि यह संसद है जिसने पत्नी का तलाक दिया है अथवा पति को तलाक दिया है ? आखिरकार वह पति है जिसने पत्नी को तलाक दिया हाँलाकि यह संसद के अधिनियम द्वारा किया गया। आश्चर्य का विषय है कि उच्चतम न्यायालय ने अति-तकनीकी दलील स्वीकार की। जब सौ व्यक्ति कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत कम्पनी बनाने के लिए एक साथ एकत्र होते हैं तो यह वे हैं जो कम्पनी को बनाते हैं न कि कम्पनियों का पंजीकार जो बनाने का प्रमाण-पत्र जारी करता है। इसलिए मुझे मामूली-सा भी संदेह नहीं है कि उच्चतम न्यायालय का निर्णय गलत था। यदि साहसपूर्ण जनता सरकार उस संस्था के अल्पसंख्यक स्वरूप को मान लेती है तो उच्चतम न्यायालय को अपना निर्णय बदलने के लिएबाध्य होगा।

मुझे महान्यायवादी की यहां मोजूदगी की आवश्यकता नहीं है। मैं शम्भू नाथ जी द्वारा कहे गये प्रत्येक शब्द से सहमत हूँ सिवाय महान्यायवादी को यहाँ देखने की उत्तेजनापूर्ण इच्छा को हम सब जानते हैं कि उच्चत्तम न्यायालय के इस निर्णय पर महान संवैधानिक लेखक मि० सीखाई द्वारा अपनी एतिहासिक पुस्तक के प्रथम भाग में टिप्पणी की गई है। उन्होंने इस निर्णय के एक विश्लेषण में छः पृष्ठ लिखे हैं और उन्होंने निष्कर्ष निकला है कि यह निर्णय स्पष्ट रुप से गलत तथा गंभीर लोक हानि उत्पन्न करने वाला था। उनकी राय तथा वर्तमान कानूनी राय तथा न्यायिक राय प्रायः समान है कि पहला निर्णय यद्यपि औपचारिक रुप से तथा स्पष्ट रुप से नहीं बल्कि समाविष्ट रुप से उच्चतम न्यायालय के बाद के निर्णयों द्वारा विरुद्ध निर्णय नहीं दिया गया है। इसलिये मैं चाहता हूँ वि हमारी सरकार को साहस करना चाहिये तथा मुस्लिम माँग की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए तथा उसी समय हमारे मुस्लिम मित्रों को शिक्षा देनी चाहिए कि 1971 में कांग्रेस चुनाव घोषणा-पत्र में यह घोषित था कि इस संस्था के अल्पसंख्यक स्वरुप को बहाल किया जाएगा परन्तु वह वायदा कांग्रेस द्वारा तथा श्रीमती गाँधी द्वारा पूरा नहीं किया गया था। इस देश के बेचारे मुस्लिमों जो मिला वह अधिनियम 1972 के रुप में उनके अधिकारों में और कमी थी जो एक और शरारत थी जो पहली कांग्रेस सरकार द्वारा किये गये 1965 के मूल अपराध में मिला दी गई।

जैसे ही हम मुस्लिम जनता को शिक्षित करते हैं तथा उन्हें बताते हैं कि हम उन पर विश्वास करते हैं हम उनके प्रेम पर विश्वास करते हैं, उनकी वफादारी पर विश्वास करते हैं तथा स्वैच्छिक रुप से वे प्रदर्शन करेंगे कि विश्वविद्यलय अपने वास्तविक संस्थापक, श्री सैयद अहमद के उद्देश्वों को विकसित करेंगे। हम संविधान के अनुच्छद 30 के अन्तर्गत उन्हें स्वीकार करते हैं परन्तु हम आशा करते हैं कि एक दिन वे प्रबुद्ध मुस्लिम संविधान के निदेशात्मक सिद्धान्त के लिये भी अपना दिमाग लगायेंगे जबकि वे अपने मौलिक अधिकारों का आदर करने के लिये हमसे आशा कर रहे हैं। या मुस्लिम नेता संविधान के अनुच्छेद 44 का आदर करने के लिये आगे आयेगें तथा प्रबुद्ध नेता इस देश को एक रुप नागरिक संहिता प्रदान करेंगे जो किसी के धार्मिक विश्वासों तथा प्रथाओं में हस्तक्षेप नहीं करेंगे परन्तु इस राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष नागरिक समाज मानेंगे।

मैं शिक्षा मंत्री के फायदे के लिये कहता हूँ कि इस मामले पर दल की बैठकों में पर्याप्तरुप से बहस नहीं हुई है तथा दल द्वारा इस विषय पर अच्छी प्रकार बिचार करने के बाद इस मामले पर इस सदन में कार्यवाही की जानी चाहिए।

श्री राज नारायण (रायबरेली) : आन-ए-प्वाइन्फ आफ इन्फोर्मेशन : मैं यह जानना चाहता हूँ कि परसों उपाध्यक्ष की ओर से कहा गया था कि 5 बजे के बाद आपको बोलने का मौका मिलेगा। हस्पताल से हमने कहलवा दिया कि जब बोलने का होगा तो डाक्टर से पूछकर जायेंगे। मैं डाक्टर से पूछकर आ रहा हूँ और मुझे अपना दाँत भी दिखाना है। आप कृपा करके मुझे बता दें कि मुझको बोलने का मौका कब मिलेगा ?

सभापति महोदय : परसों का आपने क्या फरमाया ?

श्री राज नारायण : परसों का मतलब यह है कि जब कि सैशन चल रहा था, कल छुट्टी थी। हमने उनसे कहा कि देखिये, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बारे में मैं जेल जा चुका हूँ, 3 महीने काट चुका हूँ, आन्दोलन कर चुका हूँ। इस पर बोलने का मेरा एक अधिकार बनता है और हमारे पार्लियामेंटरी स्पेयर्स के मिनिस्टर ने कहा कि इस पर आपको जरूर बोलने का मौका मिलेगा, पर आज नहीं, आप अगले दिन बोलिये यानी टु-डे 5 बजे के बाद।

सभापति महोदय : अगर रिकार्ड पर ऐसा हो तो अलग बात है। मैं तो यहां था नहीं मेरे पूर्व के अधिष्ठाता महोदय ने आपका नाम 3 बजकर 38 मिनट पर बुलाया, उस समय आप उपस्थित नहीं थे।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : यह अस्पताल से आ रहे हैं 5 बजे के बाद बुलाया था।

श्री राज नारायण : मैं अस्पताल से आया था और मैंने कह दिया था कि मैं पुनः अस्पताल जा रहा हूँ क्योंकि मेरे कुछ टैस्ट हो रहे हैं और 5 बजे के बाद उन्होंने कहा था। मैं 5 बजे के बाद आया हूँ, इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर कुछ अर्लियर हमको मौका बोलने का मिलेगा तो हमारे दाँत का टैस्ट हो जायेगा।

सभापति महोदय : मैं जांच करवा लेता हूँ, दिखवा लेता हूं।

श्री राज नारायण : देख लीजिये बड़े मजे में, क्योंकि मेरी प्रार्थना आपसे यही है कि

इस सदन में जो घोर फैनेटिक हिन्दू, कम्युनलिस्ट हैं, अगर उनकी यह कोशिश हो कि हम बोलने न पायें तो यह आप सफल मत होने दीजिये ।

श्री वायालर रवि (चिरमिकोल) : सभापति महोदय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक स्वरूप को बहाल करने की मांग करने की माँग करने के लिये श्री बनातवाला द्वारा पेश किये गये विधेयक को पारित न होने देने के उद्देश्य से यह विधेयक परसों लाया गया है । प्रत्येक को इस सरकार से आशा है कि विशेष रूप से वे अल्पसंख्यकों की अपनी चिन्ता को बड़ी ऊंचाई से घोषित करते हैं जैसा कि मेरे अच्छे मित्र श्री जेठमीलानी द्वारा स्पष्ट किया गया है कि अल्पसंख्यकों के हितो की सुरक्षा की जायेगी । कम से कम मुस्लिम के सांस्कृतिक विकास से उत्पन्न प्रत्येक अर्थात् अलीगढ़ विश्वविद्यालय अपने अल्पसंख्यक स्वरूप को बहाल करेगा । परन्तु इस देश के अल्प संख्यक मुस्लिमों की आशा के साथ इस विधेयक द्वारा विश्वासघात किया गया है वास्तव में मैं स्थिति को ब्यक्त करने के लिए कोमल शब्द का प्रयोग कर रहा हूं ।

महोदय, यहाँ मैं इस संस्था के अल्प संख्यक स्वरूप के सारे इतिहास का पता नहीं लगाना चाहता हूं । मैं अल्प संख्यक आयोग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का उल्लेख करना संगत है । इस संस्था के अल्प संख्यक स्वरूप पर विस्तार से बहस की गई थी तथा उन्होंने उच्चतम न्यायालय के निर्णय के सम्बन्ध में कुछ सुझाव भी दिये थे । एक मात्र माँग क्या थी ? मुस्लिम अल्प संख्यक समुदाय की माँग संशोधन करने अथवा उच्चतम न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न कठिनाइयों को पार करने के लिए सदन में कानून बनाने की थी । यहाँ मि० जेठमीलानी मि० सीखाई द्वारा की गई टिप्पणियों का उल्लेख कर रहे थे । यहाँ स्वयं आयोग ने संगत भाग का उल्लेख किया ।

मि० सीखाई इस प्रकार लिखते हैं :

"जहाँ तक शब्द स्थापना को न्यायालय द्वारा दिये गये अर्थ का सम्बन्ध है, यह कहा गया है कि अर्थ सही नहीं है । इस पर विवाद नहीं किया गया था कि 'नीव डालना' क्रिया 'स्थापना करना' के अर्थों में से एक है तथा यह कहा गया है कि इस सन्दर्भ में यह सही अर्थ है क्योंकि क्रिया 'नीव डालना' अर्थात् गठित करना या स्थापना करना, (विशेष रूप से धर्मदाय के साथ) की परिभाषा से स्पष्ट है । मुस्लिम समुदाय ने विश्वविद्यालय स्थापित किया तथा इसके धर्मदाय के साथ इसकी व्यवस्था की । इतना होने पर भी न्यायालय द्वारा दी गई परिभाषा सही थी अर्थात् 'विश्वविद्यालय को अस्तित्व में लाना' यह कहा गया है कि मुस्लिम समुदाय विश्वविद्यालय को केवल उस ढंग से अस्तित्व में लाया जिस ढग से विश्वविद्यालय अस्तित्व में आ सका अर्थात् अपने विधायी अधिकार के प्रभुत्व अधिकार के प्रयोग शामिल करके । मुस्लिम समुदायने विश्वविद्यालय के भूमि, भवनों, कालेजों तथा धर्मदाय की व्यवस्था की तथा बिना इनके विश्वविद्यालय एक निकाय के रूप में अवास्तविक कल्पना मात्र ही होगा ।"

यहाँ आगे यह बताया गया है कि विश्वविद्यालय अस्तित्व में कैसे आया । मैं कहता हूँ :

"विश्वविद्यालय अस्तित्व में कैसे आया है यह अच्छी तरह से विदित है । भारत में तत्कालीन व्याप्त परिस्थितियों का सावधानी से अध्ययन करने के बाद उस महान व्यक्ति स्व० श्री सैयद अहमद खाँ इस निष्कर्ष पर आया कि मुस्लिम समुदाय का पिछड़ापन आधुनिक शिक्षा की उनकी लापरवाही के कारण है ।"

इसलिये विश्वविद्यालय की स्थापना के पीछे मुख्य मानदण्ड यह है ।

अल्पसंख्यक आयोग के प्रतिवेदन में आगे यह कहा गया है कि सरकार ने इतना होने पर भी कैसे सहायता दी है। इस सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि भारत में यह प्रयास मुस्लिमों का था जिसके लिए महामहिम की सरकार ने सब सहायता दी।" इसको आयोग ने स्वयं माना है। 1877 में लोर्ड लिटोन वायसराय ने अलीगढ़ का दौरा किया तथा कालेज की नींव डाली तथा इसका प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है। परन्तु इस पर मैं सदन का समय नहीं लेना चाहता हूँ। यह प्रतिवेदन से ही बहुत स्पष्ट है कि धन कैसे आया है।

फिर मैं प्रतिवेदन का हवाला देता हूँ :

"धन एकत्र करना उत्सुकता से शुरू किया गया था। जनवरी, 1911 में, एक मुस्लिम विश्वविद्यालय शिलायांस समिति स्थापित की गई थी और फरवरी में विश्वविद्यालय के प्रारूप अधिनियम, कानून तथा विनियम आदि के लिये एक संविधान समिति की भी स्थापना की गई।"

तब इनका कार्य इस प्रकार चलता रहा :

"इस प्रकार चूंकि चटर्जी प्रतिवेदन में रिकार्ड है कि मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए अभियान शक्ति एकत्र करने के लिए वर्ष दर वर्ष 10 जून, 1911 तक चलता रहा, भारत सरकार ने सैक्रेटरी आफ स्टेट को मुस्लिम समुदाय की इच्छा की सूचना दी तथा सिफारिश की कि अलीगढ़ में ऐसे विश्वविद्यालय के स्थापन को मंजूरी दी जाए।"

इसलिये अल्प संख्यक आयोग के प्रतिवेदन से बहुत स्पष्ट है कि मुस्लिम समुदाय का प्रयास है जिसने धन एकत्र करने के लिए एक समिति बनाई। उनको ब्रिटिश सरकार द्वारा पूर्ण सहायता दी गई है तथा मुस्लिम समुदाय के नाम पर उन्हें भूमि तथा प्रत्येक चीज दी गई है तथा मुस्लिम विश्वविद्यालय की निरन्तर स्थापना हुई हैं। इसलिए सीखाई स्वय कहते हैं कि शब्द स्थापना करने का तकनीकी अर्थ पर ऐतिहासिक तथ्य को समाप्त नहीं किया जा सकता है कि मुस्लिम समुदाय ने विश्वविद्यालय स्थापित करने में अपने भरसक प्रयास किये हैं तथा विश्वविद्यालय का मुस्लिम स्वरूप विद्यामान है। तथा प्रत्येक व्यक्ति जानता है—वहाँ अन्य व्यक्ति हो सकते हैं जो वहाँ अध्ययन कर सकते हैं।—कि अलीगढ़ में यह विश्वविद्यालय ने इस देश में मस्लिम संस्कृति तथा अल्प संख्यक समुदाय संस्कृति के साकार रूप को समृद्ध किया। तथा इस देश के अल्प संख्यक समुदायों के शैक्षिक तथा सांस्कृतिक समृद्धि को नेतृत्व भी दिया है। अल्प संख्यक आयोग के अध्यक्ष मि० मसानी ने इस कारण त्याग पत्र दिया कि आपने उनके पत्रों की प्राप्ति सही रूप से स्वीकार भी नहीं की। मि० मसानी ने अपने एक पत्र में कहा था "कृपया विधेयक को संसद के माध्यम जल्दी से पारित न करें क्योंकि हम मामले पर विचार कर रहे हैं।"

परन्तु आपने कहा कि और बहस करने के लिए कुछ नहीं है। मि० मसानी मि० जेठ मीलानी के एक अच्छे मित्र हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि मि. जेठ मीलानी उनके त्याग-पत्र पर बिल्कुल शान्त क्यों रह रहे हैं। उन्होंने सदन में मत की स्वतन्त्रता के लिए पूछा। मैंने आशा की कि वे मंत्री महोदय को कह चुके होंगे कि उन्होंने मि० मसानी को उत्तर क्यों नहीं दिया था, जो पक्के राजनैतिकों में से एक हैं—वास्तव में हम उस से असहमत हैं - और आयोग से त्याग-पत्र देने के लिए बाध्य किया। मैं उनसे इस बारे में कुछ कहने की आशा कर रहा हूँ परन्तु मुझे खेद है कि उन्होंने कुछ नहीं कहा।

यह प्रतिवेदन स्वय यह सिद्ध करता है कि सरकार का हित इस देश में मुस्लिम अल्प संख्यक समुदाय की माँग को समाप्त करना है। आयोग इस प्रकार कहता है :

"हमारी राय में निर्णय विश्वविद्यालय की नींव डालने की ऐतिहासिक भूमिका तथा कानूनी एवं नैतिक वचनबद्धताओं की उपेक्षा करता है जो राज्य ने स्वीकार की थी जब अलीगढ़ में मूल शिलान्यास की संपत्तियों तथा धर्मदाय जो मुस्लिम समुदाय ने एकत्रित किया था को लेने के लिए अधिनियम द्वारा व्यवस्था की गई थी।"

तथा इस प्रकार निष्कर्ष निकालना है :

"अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय देश में विशेष महत्ता की सही रूप से स्थिति रखता है क्योंकि यह मुस्लिमों द्वारा स्थापित एक शैक्षिक संस्था है।"

मैं माननीय मंत्री महोदय से यह स्पष्ट प्रश्न पूछता हूँ : क्या आप अल्प संख्यक आयोग के इस निष्कर्ष को स्वीकार करते हैं ? यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो आपको माननीय मित्र श्री बनात वाला द्वारा पेश किया गया संशोधन स्वीकार करना है। उनका संशोधन सरलता पूर्वक स्वीकार किया जा सकता है। जो इस प्रकार है :

"विश्वविद्यालय का अर्थ भारत के मुस्लिमों द्वारा स्थापित अपनी पसन्द की शैक्षिक संस्था है जो 1920 में इस अधिनियम द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में बनाई गई थी तथा इसे यह नाम दिया गया था।"

यह बहुत सरल है, आप इसे स्वीकार कर सकते हैं। परन्तु क्या आप इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं ?

आप लोकतान्त्रिक कार्यकरण की बात कर रहे हैं। उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में इस प्रकार दिया गया है :

"विश्वविद्यालय के मूल स्वरूप तथा इसके लोकतान्त्रिक कार्यकरण को बहाल करने के लिए संसद में तथा संसद के बाहर बार-बार मांगे भी होती रही हैं।"

इसका मूल स्वरूप क्या है ? मैं माननीय मंत्री महोदय द्वारा इसको स्पष्ट करने की आशा कर रहा हूँ कि "मूल स्वरूप से उनका क्या मतलब है। मैं चाहता हूँ जब वे हमारे तर्कों का जवाब देते हैं, तो वे स्पष्ट करें कि उन्होंने विश्वविद्यालय के मूल स्वरूप को कहाँ बहाल किया है। आप विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक स्वरूप की स्थापना के लिये अल्प संख्यकों की माँग को पूर्णतया क्यों समाप्त कर रहे हो ? अलीगढ़ विश्वविद्यालय का मूल स्वरूप इसका अल्पसंख्यक स्वरूप है। उस अल्प संख्यक स्वरूप को आप समाप्त कर रहे थे। आप लोकतांत्रिक कार्यकरण की कैसे बात कर सकते हैं।

क्या विधेयक में लोकतांत्रिक कार्यकरण पर विचार किया गया है ? केवल पांच सदस्यों का चुनाव किया जाना है, बाकी का नामांकन किया जाना है। कार्यकारी परिषद कोर्ट से अधिक शक्तिशाली है। इसका अर्थ यह है कि कोर्ट का कार्यकरण कार्यकारी परिषद के नियन्त्रण अधीन है जो केवल एक नामांकित निकाय है जो सब बातों पर नियन्त्रण करती है। इसका अर्थ है कि सरकार अस्तित्व हमेशा नियन्त्रण में रहता है। इसका अर्थ है कि आप उनके अपने विश्व-

विद्यालय को चलाने के अल्पसंख्यक और अधिकारों को छीन रहे हैं। इसलिये मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है सिवायं इस विधेयक का विरोध करने के क्योंकि इस विधेयक का उद्देश्य श्री बनात वाला के विधेयक के उद्देश्य को मात करना तथा इस देश के अल्प संख्यक समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुँचना है।

मेरी वास्तविक भावना है कि भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय माननीय मंत्री महोदय की नई शिक्षा नीति की धमकी का भी सामना कर रहे हैं जिसके माध्यम से वह क्षत्रीय भाषाओं पर प्रत्यक्ष प्रहार कर रहे हैं। आप तो इसको सीधे ही पेश कर रहे हैं। इसलिये आप धार्मिक तथा भाषाई अल्प संख्यकों के विरुद्ध हो। इसका अर्थ है कि हिन्दी भाषी जनता पार्टी की मनमानी राजनीति लागू की जा रही है। धार्मिक तथा भाषाई अल्प संख्यकों के सामने सिवाय विरोध तथा संघर्ष करने तथा जब तक वे सफल नहीं हो जाते हैं तब संघर्ष करने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं है।

श्री बसन्त साठे (अकोला) : सभापति महोदय इस विधेयक के ज्यादातर प्रश्नों पर बहस हो चुकी है तथा जैसाकि अभी-अभी श्रीराम जेठमलानी ने जो मेरे एक अच्छे मित्र हैं तथा एक विख्यात वकील हैं कहा कि एक आम राय है। हम देखते हैं कि किसका बहुमत। तथा उन्होंने श्री श्यामनन्दन बाबू से कहा कि वह एक महा न्यायवादी क्यों नहीं है। मैं उसको समझ सकता हूँ। सबकी ओर से एक ही सामान्य सहमति है और यदि शिक्षा मंत्री इसको समझे तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्प संख्यक स्वरूप की प्राथमिक मांग को मान्यता दी जा सकती है। टाल मटोल करने के शब्दों से इसे विचलित करने या बहकाने का कोई भी प्रयास केवल एक बेइमानी की बात होगी।

सन् 1971 के घोषणा पत्र में कांग्रेस दल ने यह कहा था कि हम अल्पसंख्यक स्वरूप को पुनः स्थापित करेंगे। हमने ऐसा नहीं किया।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : आपने ज्यादा अधिकार ले लिये थे।

श्री बसन्त साठे : तथापि हमारे पास प्रो० नरुल हसन जैसे शिक्षाविद थे, उन्होंने हमें सलाह दी और हमने उनकी सलाह को मान लिया। जनता पार्टी ने लोगों को, कैसे आश्वासन दिया था कि अल्प संख्यक स्वरूप को पुनः स्थापित किया जायेगा।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : प्रश्न :

श्री बसन्त साठे : लेकिन अब वे अपने अन्य विख्यात शिक्षाविद आदरणीय डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र को अपना सलाहकार मानते हैं। यदि वे भी फिर इसके उद्देश्यों का बिना ख्याल किये इतिहास के पचड़े में पड़ना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि इस देश के मुसलमानों को कोई आशा नहीं रहेगी। उनकी जनता पार्टी से काफी आशायें थी। यदि जनता पार्टी भी उन्हें धोखा देती है, श्रीराम जेठमलानी तथा उनकी तरह के अन्य मित्रों के बावजूद इसका अर्थ यह होगा कि जनता पार्टी पर श्री कंवरलाल गुप्ता जैसे संकीर्ण के विचारों वाले लोगों का बोलवाला है। उन्होंने आज जो भाषण दिया उसे सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 30 की पुनरीक्षा की जाये तथा इसे हटा दिया जाये अल्प संख्यकों को उनकी शिक्षा के मामले में कोई अधिकार नहीं दिये जाये, उन्हें देश की मुख्य धारा के साथ मिला दिया जाये। जब उनसे किसी ने पूछा :

'क्या इसका अर्थ यह है कि सभी कुछ शाखा को दे दिया जाए" उन्होंने कहा "हां"

मेरा मुख्यधारा से अभिप्राय इसी से है। उन्होंने ऐसा कहा। हर व्यक्ति का भारतीय-करण कर दिया जाये। यह विचार इस संकीर्णता से सम्बन्धित है। श्रीराम जेठमलानी अपनी वाक पटुता से अल्प संख्यकों को दिये गये अधिकारों तथा गारन्टी की रक्षा करते रहे थे। जमशेदपुर तथा अलीगढ़ में जो घटनाएं घटी वे गारन्टी का प्रमाण है। कल क्या हुआ ? वहाँ कुछ गड़बड़ हुई। आज मैं यह रिकार्ड में लाना चाहता हूँ कि दुकानदारों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा गलत वक्तव्य देने के लिए धमकाया जा रहा है जिससे कि वे कुछ अन्य व्यक्तियों को फंसाया जा सकें।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : फोटो के बारे में क्या है ? (व्यवधान)

श्री बसन्त साठे : सावधान, श्रीराम जेठमलानी। यही कारण है जिससे आपका अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक स्वरूप के प्रति कोई दृष्टिकोण नहीं है।

आपका प्राथमिक स्वरूप से क्या तात्पर्य है। प्राथमिक स्वरूप अल्प संख्यक स्वरूप है। यदि किसी इसाई संस्थान या महाविद्यालय की स्थापना की जाती है, प्राथमिक स्वरूप क्या होगा। प्राथमिक स्वरूप यही है कि यह एक ईसाई संस्थान है। अनुच्छेद 30 द्वारा क्या गारण्टी दी गई है। आप उसे कैसे समाप्त कर सकते हैं ?

श्री बसन्त साठे : क्या आप उच्चतम न्यायालय की गलत व्याख्या की केवल आड़ लेकर कह सकते हैं कि आप इस स्वरूप को नहीं मानेंगे। यदि आप स्वयं ईमानदार हैं तो दो खुले मार्ग हैं। एक रास्ता सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय से पुनरीक्षा के लिये बातचीत करने का है। दूसरा मार्ग बहुत आसान मार्ग है। वह मार्ग यह है कि आप श्री जेठमलानी के प्रभाव में आकर संविधान में उल्टे सीधे संशोधन कर रहे हैं।" आप इसके बारे में यह बताते हुए कि "इस पर विचार किया जायेगा" अक्लमंदी का संशोधन क्यों नहीं ला सकते हैं ? यदि आप संविधान में कोई संशोधन नहीं भी करना चाहते हैं, यदि आप इस विधेयक के लिये श्री बनात वाला जी के संशोधन को स्वीकार कर लेते हैं। उद्देश्य की पूर्ति हो जायेगी। इससे स्पष्ट हो जायेगा। इस-लिये मैं आपसे यही अनुरोध करूँगा कि आप इस स्वरूप को पुनः स्थापित कीजिये और शेष के लिए प्रयास किये जायेंगे। एक बार आप उस स्वरूप की गारंटी देते हैं तो शेष ठीक हो जायेगा। भय दूर हो जाता है। गुड़ की मिठास खाने से मालूम होती है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का सम्पूर्ण रिकार्ड धर्म-निरपेक्ष स्वरूप तथा व्यवहार का एक शानदार रिकार्ड रहा है तथा इसका दृष्टिकोण विशाल तथा उत्तम रहा है। जो व्यक्ति इससे निकले हैं वे भी वास्तविक राष्ट्र भक्त रहे हैं। इसके कुछ अपवाद भी हो सकते हैं। लेकिन व्यापक रूप से यह सत्य है। अलीगढ़ में हाल में हुए झगड़े में जब राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ न अपने नेता श्री नवमान के नेतृत्व में उपद्रव किया अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लोगों ने कैसा व्यवहार किया ? उन्होंने वहाँ जाकर हिन्दू और मुसलमान दोनों को खाना बांटा। अपने अस्पतालों में हिन्दू और मुसलमान दोनों का इलाज किया। इस बात को हमने अपनी आँखों से देखा है। विश्वविद्यालय के छात्र किसी भी प्रकार उत्तेजित नहीं हुए या उन्होंने साम्प्रदायिक भावना को उत्तेजित करने की भी कोशिश नहीं की, उन्होंने वहां शान्ति बनाये रखने का प्रयास किया। क्या यह इस बात का एक उत्तम उदाहरण नहीं है जिसे यह विश्वविद्यालय करने का प्रयास कर रहा है ? तब आपको डर क्या

है ? इसलिए स्वायत्त शासन दीजिये। आपको अपने न्यायालयों को भी पूरे अधिकार देने चाहिए। विजीटर को अधिकार देने से कुछ नहीं होगा। विजीटर राष्ट्रपति है और वह राष्ट्रपति शिक्षा मन्त्री को छोड़कर कोई दूसरा नहीं है। राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकता। रष्ट्रपति केवल सरकार के परामर्श के अनुसार कार्य करता है। इसलिये आप वास्तव में उस अधिकार को अपने हाथ में ले रहे हैं। आप उस अधिकार को छीन रहे हैं। कृपया आप ऐसा न करें। हमें ईमानदार होना चाहिए। यदि आप अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लोगों के साथ न्याय करना चाहते हैं तो उनके अल्प संख्यक स्वरूप को पुन: स्थापित कीजिये। यह सबकी सहमति से किया जाए। इस बिल में जो कार्य है उसके लिये श्री बनात वाला के संशोधन को मान लिया जाये। संयुक्त समिति के पास विधेयक को भेज दीजिए ! आसमान नहीं गिरने जा रहा है। आप इस सदन में पहले सिद्धान्तिक रूप से यह स्वीकार करें कि अल्प संख्यक स्वरूप को फिर से बहाल किया जायेगा। संशोधन को मान लिया जाये तथा विधेयक की शेष कमियों को ठीक करने के लिये इसे संयुक्त समिति के पास भेज दिया जाये। जिससे समिति इसकी खण्ड वार जाँच कर सके तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के इस संस्थान के लिए एक ऐसा उपयुक्त विधेयक आ सके जो इसके चलाने के लिये अधिकार पूर्ण स्वतन्त्रता तथा स्वायत्त शासन दे सकें।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ तथा मैं आपको इस बात के लिये धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

सभापति महोदय : अब प्रश्न यह है। इस मासले में मेरी सबको मदद करनी चाहिए। यहां यह प्रथा बनायी गयी है कि एक बार जिस सदस्य को बुलाया जाता है और यदि वह उपस्थित नहीं हो, तो उसे सम्पूर्ण सूची के समाप्त होने के बाद ही बुलाया जायेगा। श्री राजनारायण ने अभी सदन को बतलाया है। कि उन्होंने परसों प्रार्थना की थी।

श्री राजनारायण: मैं अस्पताल से आ रहा हूँ और डाक्टर ने यह कहा है कि आप जल्दी आइएगा, तो हम आपरेशन कर देंगे और आज आपरेशन डे है हमारे दाँत का।

एक माननीय सदस्य: वह अस्पताल में थे।

सभापति महोदय : इस बात का मुझे पता है। लेकिन यह एक उदाहरण नहीं बनना चाहिए। एक विशेष मामले के बतौर··· ·····

श्री. जी. एम. बनातवाला : एक विशेष मामला उनके लिये जो. अस्पताल में है, या जिनका अस्पताल में इलाज हुआ है।

सभापति महोदय : जो व्यक्ति अस्पताल में हैं उनको यहां बोलने के लिये आने की आशा नहीं की जा सकती है। इसके अलावा यदि वे आने के इच्छुक हैं, उन्हें पहले सूचना भेजनी चाहिये। इसलिए यह केवल एक ही अपवादरूप मामला है।

प्रो. पी. जी. मावलंकर (गांधी नगर) : मुझे प्रसन्नता है कि आपने श्री राजनारायण को बोलने की अनुमति दे दी है लेकिन मैं आशा करता हूँ कि सदन समय को भी बढ़ा देगा जिससे बहुत से हमारे मित्र जो बाहर चले गये हैं, उन्हें भी उनकी बात को सुनने का अवसर मिल जायेगा।

सभापति महोदय : श्री राज नारायण।

श्री राजनारायण (राय बरेली) : श्रीमन्, क्या मुझे आप आज्ञा देंगे कि मैं बैठ कर बोलूं ?

सभापति महोदय : आप बैठकर बोलिये।

श्री राज नारायण : श्रीमन् मैं आपका कृतज्ञ हूं कि आपने विशेष कृपा कर मुझे बोलने का अवसर दिया। श्रीमन् मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा पर मैं सदन के सम्मानित सदस्यों से इतना निवेदन अवश्य करना चाहता हूँ कि आज का जो विषय है, वह ऐसा विषय है कि जो सरकारों को उलट सकता है, पलट सकता है, खड़ा कर सकता है और बैठा सकता है। इसलिए इस विषय पर जरा गंभीरता से विचार हो। जो साहित्यकार हैं वे कहते हैं कि सरकार अंधी होती है और बहरी होती है और जब वह यह होती है तो बराबर होती है। मैं गांधी जी का उद्धारण दे रहा हूँ किसी टीम, डिक, हैरी का नहीं। अब मैं संविधान है, जिसके प्रति हमने शपथ ली है, अनुच्छेद 30 (अ) की तरफ आता हूँ।

सभी अल्प सख्यकों को चाहे वे धर्म या भाषा के नाम पर हो, अपनी इच्छानुसार शैक्षाणिक सँस्थायें स्थापित करने तथा उन्हें चलाने का अधिकार होगा।

यह संविधान का अनुच्छेद 30 (अ) है। समारे भाई, मित्र, शिक्षा मंत्री जी हमारे संमुख बैठे हुए हैं। मैं उन से यह जानना चाहता हूं कि यह जो संविधान का अनुच्छेद है क्या यह विधेयक उसकी पूर्ति कर रहा है ? और अगर यह इसकी पूर्ति नहीं कर रहा है तो क्या यह असंवैधानिक नहीं होगा ? क्या जिस संविधान के प्रति और जिस महात्मा गांधी की समाधि पर हम ने सरकार में आने के पूर्व शपथ ली थी कि हम लोग गांधी जी के रास्ते पर चलकर अपने देश का नव-निर्माण करेंगे, उस सब के प्रति हम लोग वफादार रहे हैं ? हमारा एक सिम्पल नन्हा और निर्दोष, बिहारी के दोहे के समान प्रश्न है।

सतसैया के दौहरे जो नाविक के तीर।

देखन में छोटे लगें घाव करें गंभीर ॥

अगर आप इस दोहे को ठीक से समझेंगे तो पायेंगे कि यह गंभीर घाव कर रहा है। मैं नहीं चाहता कि आप हमारी बात को न मानें और इस देश को गंभीर घाव पहुंचायें। अगर आप हमारी बात को अनसुनी करेंगे तो इस देश को गभीर घाव पहुंचेगा और पहुंच कर रहेगा। मैं पहुंचाने की कौशिश नहीं करूंगा मगर घाव खाने से मागूँगा भी नहीं। क्योंकि मैं उन व्यक्तियों में हूं कि जब इन्दरा जी की सरकार ने अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी एक्ट पर संशोधिन किया था तो सारे उत्तर प्रदेश में हम सब लोगों ने बगावत का झंडा खड़ा किया था और भूख हड़ताल की थी और जब मैं डा0 फरीदी के साथ गिरफतार करके लखनऊ जेल में भेजा गया था तो जो उस समय के हमारे अध्यक्ष थे, श्री जुल्फिकार ऊल्लाह साहब यहाँ बिद्यमान हैं, ये हमारी बात के साक्षी होंगे ?

मुझे समझाने के लिए आदरणीय चन्द्र भान गुप्त गए, बाबू त्रिलोकी सिंह जी गए, बड़ी बड़ी विभूतियां गई और कहने लगी आप अनशन तोड़ दें। मैंने कहा कि आप चले जाएं। जब तक इस देश में इन्साफ नहीं होगा, मुसलमानों, सिखों, इसाइयों, पारसियों और जितने भी अल्प-संख्यक कहे जाने वाले लोग हैं, जातियाँ हैं उनको उनका हक नहीं मिलेगा तब तक मेरी भूख

हड़ताल टूटेगी नहीं। सारा जेल का रिकार्ड पड़ा हुआ है। मैं उन लोगों में नहीं हूँ जो जेल का रिकार्ड बनवाते हैं केवल पोलिटिक्ल सफरर कहलाने के लिए। दो तीन दिन के बाद मेरे मन में आया कि जब एक वातावरण बन गया है और कम से कम पांच छः सौ मुसलमान हमारे साथ थे और एक ढ़ंग से खाना एक ढंग से उठना बैठना, प्रार्थना आदि को ले कर जो परिभाषा हमने रिलिजन की की है मुझे खुशी है कि वही परिभाषा डा० फरीदी ने की और तमाम मुसलमान लोग गद्‌गद् हो गए और कहने लगे कि सच्चा रिलिजन यही है।

जब परम आदरणीय श्री श्री 108 डा0 प्रताप चन्द्र चन्द्र हमें बतायँ कि इन भावनाओं की पूर्ति कैसे होगी, कहाँ से होगी ? मैं अपने मित्र राम जेठ मलानी को सुन रहा था। वह बाम्बास्टिक वर्ड इस्तेमाल कर रहें थे । मैं पूछना चाहता हूँ कि इस तरफ से शब्दों को इस्तेमाल कर देने से क्या समाज में आमूल परिवर्तन हो जाएगा ? उनसे भी बहुत अच्छे लोग हैं जो बाम्बा स्टिक इंग्लिश वर्ड यूज कर सकते हैं। डा0 राधाकृष्णन की फिलोसौफी को मैं जानता हूँ, उनका मैं विद्यार्थी रह चुका हूँ, आचार्य नरेन्द्र देव जी का विद्यार्थी में रह चुका हूँ। परम पूज्य आदरणीय मालवीय जी का विद्यार्थी मैं रह चुका हूँ। मैं जानता हूँ कि मानव जीवन का सम्बन्ध कब कैसे होता है। और हम मुस्लिम युनिवर्सिटी को मुस्लिम कल्चर को, उनके तमद्‌दुन और दीन और ईमान को महफ़ूज रखने का अधिकार नहीं देते हैं तो यह विधेयक रद्दी की टोकरी में फैंक देना चाहिए।

मुझे माफ करें मैं बीमारी की स्थिति में हूँ और बीमारी मैंने खुद बुलाई है क्योंकि डा0 कहा करते थे कि आप एग्जास्ट हो रहे हैं, अपनी शक्ति से अधिक काम कर रहे हैं, आप को कुछ विश्राम करना चाहिए।

अभी मैंने जो किताब विदेश से मंगाई है उसका दसवां भाग ही टाइप करवा कर के ला सका हूँ और शेष नौ भाग कल आयेंगे। वन टैथ ही आज मैं लाया हूँ—

सभापति महोदय : कितना समय आप लेंगे ?

श्री राज नारायण : एक घंटा दो घंटा जितना आप कहेंगे ले लूँगा।

सभापति महोदय ' आपने तो कहा था कि संक्षेप में आप अपनी बात कहेंगे।

श्री राज नारायण : आप हमारे परम आदरणीय मित्र रहे हैं। समय सब को बताता है। इस वास्ते समय की गति को आप भी पहचाने।

सभापति महोदय : कितना समय चाहते हैं ?

श्री राज नारायण : अनावश्यक समय नहीं लूँगा।

जो टाईप मैं करवा कर लाया हूँ वह चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ।

अमेरिकन इंटेलीजेन्स (आचूना) से उद्भगण प्रायोजित अनुसंधान कार्य

भारतीय राजनीति में हिन्दपन की बहुलता राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ को एक अध्ययन इस स्टडी के कम्पोंशन को मैं आदरणीय सदन की सेवा में प्रस्तुत करूँगा इस निवेदन के साथ कि यह आदरणीय सदन देखे कि क्या यह पैरेलाइज्ड बिल, पंगु विधेयक इस प्रकार के लोगों को उस में प्रवेश पाने से रोक सकेगा ?

मैं इस समय जल्दी-जल्दी में बता देना चाहता हूँ, चूँकि समय हमको शायद कम मिले।

जनसंघ के वास्तविक सिद्धांत इसके संस्थापक डा0 हेड गेवार द्वारा बनाये गये सिद्धांतों पर आधारित है। इसके वर्तमान नेता ने इनमें कुछ वृद्धि करके इन्हें एक पुस्तक "वी और अवर नेशनलहुड डिफाइन्ड" में संकलित करा दिया है।

श्री शम्भू नाथ चतुर्वेदी : यह रेलवैंट कैसे है साहब ?

श्री राज नारायण : दिस इज मोस्ट रैलेवैन्ट। हमारा प्वाइन्ट यह है कि जिनके विचार ऐसे हों, वह उसमें कैसे रोके जा सकते हैं ?

सभापति महोदय : आप बैठकर बोलिये।

श्री विनायक प्रसाद यादव : सभापति महोदय, आदरणीय सदस्य को रोका जायेगा तो उठ जाना पड़ता ही हैं, इसलिए और मेम्बरों को शांत रखा जाये।

श्री राज नारायण : हल्ला मत मचाइये। चतुर्वेदी जी हमारे मित्र हैं असेम्बली से ही मित्र हैं, इनका पूरा खानदान हमारा मित्र है। मुझे अफसोस है कि गांधी जी के वाक्यों में- धन, पद, सत्ता का लोभ बड़े-बड़े अनर्थ कराते हैं। आदरणीय चतुर्वेदी थी, कृपया आप मुझे सुनिये।

श्री शम्भू नाथ चतुर्वेदी : (आगरा) मैंने राजनारायण जी से कहा कि जो 9/10 रह गया है, जब वह आ जाय तभी रखिये।

श्री राज नारायण : वह भी आयेगा कि आर० एस० एस० को कब कब सी० आई० ए० ने कैसे-2 पैसा दिया।

श्री शम्भू नाथ चतुर्वेदी : तो वह भी कहियेगा।

सभापति महोदय : पांच बजकर 50 मिनट हो गये हैं। इस विधेयक के लिए निर्धारित समय 6 बजे तक है। श्री राजनारायण को छोड़कर इस बहस में अभी चार और वक्ताओं को बोलना है। उनके नाम हैं—प्रो० मावलंकर, श्री चित्त वसु तथा जनता पार्टी के दो सदस्य। आदर्णीय मंत्री ने भी अभी उत्तर देना है। क्या मैं माननीय सदस्यों से यह पूछ सकता हूँ कि बहस के लिये अभी और कितना समय बढ़ाया जाये।

श्री कृष्ण सिंह (मुंगेर) : कल नहीं. आज ही हो।

सभापति महोदय : दो प्रश्नों का फैसला किया जाना है। पहला कितना समय बढ़ाना है तथा दूसरा क्या हमें आज बैठना चाहिए तथा इसे समाप्त कर देना चाहिए। पहले मुझे सदन से यह जानकारी लेनी है कि कितना समय बढ़ाया जाये। इस बारे में सदन की क्या इच्छा है।

श्री लारंग साब (सरगुंजा) : माननीय सदस्यों की जो लिस्ट है, उसमें ऐसा लगता है कि दो-चार रह गये हैं। अगर सदस्य को-आपरेट करें तो जल्दी भी यह हो सकता है। और आधा घंटा और बढ़ाकर इसे पूरा कर सकते हैं। आज ही पूरा होना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : सदस्यों को एतराज न हो तो आज ही पूरा हो जाए

श्री विनायक प्रसाद यादव (सहरसा) : सभापति महोदय समय बढ़ा दिया जाये और इसको कल ले लिए जाये (व्यवधान)

सभापति महोदय : क्या यह सदन चाहता है कि सामान्य चर्चा के लिए एक घन्टा का समय बढ़ा दिया जाये तथा क्या सभी माननीय सदस्य 6 बजे के बाद एक घंटा बैठने के लिए तैयार हैं।

कुछ माननीय सदस्य : आज नहीं। इसे कल करना चाहिए।

सभापति महोदय : मन्त्री जी क्या कहते हैं।

श्री लारंग साय : यदि सब की राय है तो कल भी कर सकते हैं।

सभापति महोदय : इसलिए कल हमको सामान्य चर्चा के लिए एक घण्टा और मिलेगा। आपत्ति यह है कि जब तक सभी सदस्य राजी नहीं होते सदन का समय नहीं बढ़ाया जा सकता है। अब मैं श्री राजनारायण जी से अनुरोध करूंगा कि वह अपने भाषण को जारी रखें तथा 6 बजे से पहले समाप्त करें।

श्री राजनारायण : सभापति महोदय, आप सदन की मर्यादित रखने की अनुकंपा करें, जिससे बीच में कोई मुझे डिसटर्ब न करे।

सभापति महोदय : मैं सभी माननीय सदस्यों से कहूँगा कि बीच में कोई कतई न बोले।

श्री राजनारायण : अब माननीय सदस्य जरा ध्यान से सुनें।

1-9-1949 को जनसंघ के प्रमुख ने इस प्रकार कहा था :

जब तक हमारी सामाजिक तथा राजनैतिक संस्थाओं को भारतीय आदेशों पर आधारित नहीं किया जाता है हम उन्नति नहीं कर सकते हैं। संघ ने सांस्कृतिक शब्द का प्रयोग बड़े विस्तृत दृष्टिकोण से किया है : राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक तथा सामाजिक गतिविधियाँ संस्कृति के पहलू हैं।

मैं इसे इसलिए पढ़ रहा हूँ कि आज बहुत से लोग समाचार पत्रों के जरिये यह विवाद खड़ा करते हैं कि हम साँस्कृतिक हैं। हम राजनैतिक हैं। विलय के समय इस विचार पर कोई बहस नहीं हुई। यह बिल्कुल झूठ है। विलय के समय इस विचार पर पूरी तरह बहस हुई थी।

एक माननीय सदस्य : यह डिसकशन किस पर हो रहा है।

श्री राजनारायण : डिसकशन इस बात पर हो रहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट में जो संशोधन हो रहा है उस संशोधन मात्र से मुसलमानों की भावनाओं की पवित्रता की रक्षा नहीं होगी। इसलिए मैं यह उदाहरण दे रहा हूं। (व्यवधान) आर० एस० एस० जाए जहन्नुम में (व्यवधान)

संघ के वास्तविक सिद्धांत इसके संस्थापक डा. हेडगेवार के द्वारा बनाये गये सिद्धांतों पर आधारित हैं। इन सिद्धांतों का सरलीकरण करके संघ के वर्तमान नेता ने इन्हें सन् 1939 में लिखी पुस्तक "वी और अवर नेशनल हुड डिफाईड" में संकलित कर दिया है।

कृपया श्री मिश्र जी मेरी बात सुन लें।

यह पुस्तक सन् 1939 में लिखी गई थी हम इसे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की एक वाइबिल

मान सकते हैं। संघ के सेवकों की शिक्षा के लिए यह एक बेसिक प्राइमर है। इसमें दिये गये सिद्धांतों को संघ की सदस्यता के लिए पूर्णरूपेण लागू किया जाता है: आगे कहा गया है :

डा० हेडगेवार ने अपने अनुयाइयों के प्रशिक्षण के मूल सिद्धाँत पर जोर दिया था "हिन्दुस्तान हिन्दुओं के लिए है।

मैं पूछना चाहता हूँ कि जिन्होंने भारत के संविधान की शपथ ग्रहण की है क्या वे इस विचार से सहमत हैं कि हिन्दुस्तान केवल हिन्दुओं के लिए है? यदि आप यह कहते हैं कि "हिन्दुस्तान केवल हिन्दुओं के लिए है" मेरे प्रिय मित्र आप एक गद्दार हैं।

आगे देखिये जरा :

यह हम का मूल सार है। गोल्वाल्कर 'हम' से शुरु करते हैं। इसकी परिभाषा वे राष्ट्र के विचार का सही अर्थ लेते हुए देते हैं। राष्ट्र शब्द में जो विचार दिया गया है वह पांच विभिन्न सिद्धांतों को मिलाकर बनाया गया एक चिरस्थायी मिश्रण है। विख्यात पाँच यूनीट्रीस हैं भौगोलिक (देश) जातिगत (जाति) धार्मिक (धर्म) संस्कृति (संस्कृति) तथा भाषा सम्बन्धी (भाषा)।

जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के धर्म में विश्वास नहीं करते हैं उन्हें भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस व्यवस्था से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कैसे कार्य करेगा या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का प्रशासन आन्दोलन में भाग लेने से इन लोगों को कैसे रोक सकेगा? समस्त विधेयक व्यर्थ है।

तब मैं अगली बात पर आता हूं। विदेशियों के लिए केवल दो ही रस्ते हैं, या तो वे राष्ट्रीय जाति के साथ विलय करें और इसकी संस्कृति को अपनाये या राष्ट्रीय जाति की इच्छानुसार रहें।

या तो वे अर्ज करें या उनकी स्वीट विल पर रहें वरना हिन्दुस्तान में उनके लिये जगह नहीं है।

सरदार पटेल की डेफिनेशन से लोगों की आंखें चौंक जायेगी कि उन्होंने इनको क्या डिफाइन किया है।

भारत के गैर हिन्दु लोगों को या तो हिन्दू संस्कृति तथा भाषा को अपनाता चाहिए, हिंदू धर्म का आदर करना चाहिए, हिन्दू जाति या संस्कृति की शान के विरुद्ध वे अपने कोई विचार नहीं रख सकते, अर्थात उन्हें केवल मातृ भूमि और युगों पुरानी परम्पराओं के प्रति असहनशीलता तथा अकृतज्ञनता के विचार को ही नहीं छोड़ना पड़ेगा बल्कि उन्हें अपने में सक्रिय प्रेम तथा भक्ति के भाव भी पैदा करने होंगे।

'हम' की फिलासाफी समकालीन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की योजनाओं तथा गतिविधियों का आधार तैयार करती है। यह एक ऐसे दृष्टि कोण को प्रोत्साहन देती है जो कांग्रेस नीतियों की आलोचना करती है, इस विचार को शक्ति देती है कि मुसलमान देश के गद्दार हैं तथा अन्त में मन में अखन्ड हिन्दुस्तान की गहन इच्छा को बैठाने की शिक्षा देती है।"

सभापति महोदय : अब, श्री राजनारायण जी अपने भाषण को समाप्त करने की कृपा करें।

श्री राजनारायण : कृपया मुझे दो मिनट का और समय दे दीजिये। मैं अपनी बात को समाप्त कर दूंगा।

काँग्रेस तथा जनता पार्टी के मुसलमान सदस्यों को यह समझ लेना चाहिए कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ क्या है ?

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : क्या वह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में बोल रहे हैं।

प्रो. पी.जी.मावलंकर : क्या यह विधेयक से सम्बन्धित है ?

श्री के. पी. उन्नी कृष्णन : वह कहते हैं कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने इस विधेयक पर प्रभाव डाला है।

श्री राजनारायण : इस विधेयक से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को मदद मिलेगी। सारा प्रश्न यह है।

डा. प्रताप चन्द्र चद्र : उन्होने इस विधेयक को पढ़ा भी नहीं है। उन्होंने मुझसे अभी इसकी एक प्रति ली है।

सभापति महोदय : कृपया अब समाप्त कर दीजिए।

श्री राजनारायण : मैं केवल एक ही बात कहूंगा कि सरदार पटेल ने क्या कहा :

देश में एक वर्ग है जो महात्मा गाँधी की हत्या होने पर भी संतुष्ट नहीं है। मैं इस बात को साबित कर सकता हूं। यह वर्ग श्री जवाहरलाल नेहरू की भी हत्या करना चाहता है। यह सूचना मुझे हिन्दू महासभा के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री एल. बी. भोपत कर से सम्बन्धित एक व्यक्ति ने दी। हिन्दू महासभा के एक व्यक्ति ने महात्मा गांधी की हत्या की। जब महात्मा गांधी की हत्या की गई थी तो मेरी इस बात की काफी आलोचना की गई कि मैं उनके जीवन को बचाने में असफल रहा। लेकिन जब मैंने और अधिक अपराधों को रोकने के लिए उचित कदम उठाये, आप कहते हैं कि नागरिक स्वतन्त्रता खतरे में है।

सभापति महोदय : मैं अब मजबूर हूं। समय हो चुका है। आपका भाषण भी समाप्त होना चाहिए। अब मैं दूसरे वक्ता प्रो. पी. जी. मावलंकर को बुलाता हूं। वह कल बोलेंगे।

6 बज कर 3 मिनट पर मध्याह्न पश्चात

तत्पश्चात लोक सभा गुरुवार, 3 मई, 1979, 13 बैसाख, 1901 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई

गुप्ता प्रिंटिंग वर्क्स 472 पुरानी साईकिल मार्किट दिल्ली-6